ादश माला, खंड 4, अंक 21

मंगलवार, 14 जुलाई, 1998
23 आषाढ़, 1920 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

175

PARLIAMENT LIBRARY
No. 59
Date 25.8.98

दूसरा सत्र
(बारहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 4 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्यः पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

श्री एस. गोपालन
महासचिव
लोक सभा

डा. अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्री रामलाल गुलाटी
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

विषय सूची

द्वादश माला, खंड 4, दूसरा सत्र, 1998/1920 (शक)

अंक 21, मंगलवार, 14 जुलाई, 1998/23 आषाढ़, 1920 (शक)

विषय **कॉलम**

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या 382 से 401 5–27

अतारांकित प्रश्न संख्या 3873 से 4102 27–259

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी 260

सदस्यों के निलम्बन के बारे में प्रस्ताव 261–274

सभा पटल पर रखे गए पत्र 274–280

राज्य सभा से सन्देश 280

संचार सम्बंधी स्थायी समिति

पहला, दूसरा और तीसरा प्रतिवेदन 280–281

शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति

चौथा और पांचवां प्रतिवेदन 281

संविधान (चौरासीवां संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 239कक, 331 और 333 का संशोधन और नये अनुच्छेद 330क, 332क तथा 334क का अंतःस्थापन) 281–282

संविधान (पचासीवां संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 269 का संशोधन और नये अनुच्छेद 270, 271 का प्रतिस्थापन तथा अनुच्छेद 272 का लोप) 282

नियम 377 के अधीन मामले 302–308

(एक) गुजरात में पाटन और मेहसाणा के बीच मीटर लाइन को बड़ी रेल लाइन में परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता

श्री मढेश कनोडिया 302–303

(दो) राज्य में नक्सलवादी गतिविधियों को रोकने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को अपेक्षित सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री गौरी शंकर चतुर्भुज बिसेन 303

	विषय	कॉलम
(तीन)	बिहार सरकार की विभिन्न योजनाओं में संसद सदस्यों से प्राप्त प्रस्तावों को सम्मिलित करने और उनका कार्यान्वयन करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
	श्री ब्रज मोहन राम	303
(चार)	उत्तर प्रदेश में उत्तरांचल में "प्रोजेक्ट टाइगर" के अन्तर्गत बाघों की उचित व्यवस्था करने और बाघों से पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता	
	मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूडी, एवीएसएम	304
(पांच)	बंगलौर और तुमकुर के बीच रेल लाइन का दोहरीकरण किए जाने की आवश्यकता	
	श्री सी.पी.एम. गिरियप्पा	304-305
(छह)	महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में इचलकरांजी में बिजली करघों और कताई मिलों का आधुनिकीकरण किए जाने की आवश्यकता	
	श्री कल्लाप्पा आवाडे	305
(सात)	महाराष्ट्र में यथाशीघ्र पुणे और नासिक के बीच रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता	
	श्री अशोक नामदेवराज मोहोल	305-306
(आठ)	सेंट्रल शीप ब्रीडिंग फार्म, हिसार, हरियाणा से स्थानांतरित न किया जाना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री हन्नान मोल्लाह	306
(नौ)	फुलपुर में वरना नदी और मैलहन झील की गाद निकाले जाने की आवश्यकता	
	श्री जंग बहादुर सिंह पटेल	306
(दस)	तमिलनाडु में अर्कोनम और काटापदी के बीच एक पैसेन्जर रेल गाड़ी चलाए जाने और मैसूर-तिरूपति फास्ट पैसेन्जर रात्रि रेलगाड़ी को बरास्ता अर्कोनम जंक्शन से चलाए जाने की आवश्यकता	
	श्री सी. गोपाल	307
(ग्यारह)	सरकारी सेवाओं में मुसलमानों के लिए आरक्षण किए जाने की आवश्यकता	
	श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी	307
(बारह)	आगामी वर्ष की वार्षिक कार्य योजना में राष्ट्रीय राजमार्ग 47 की कोल्लम बाईपास परियोजना के चरण तीन और चार को शामिल किए जाने की आवश्यकता	
	श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन	308

का

शुद्धि-पत्र

...

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
42	6	श्री सुनिल खां	श्री सुनील खां
61	नीचे से 4	श्री श्रीम दाहाल	श्री भीम दाहाल
105	17	पेट्रोलियम और प्राकृतिक	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
111	नीचे से 9	गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री	में राज्य मंत्री
111	7	श्रीमती लक्ष्मी पनबाका	श्रीमती लक्ष्मी पनबाक
153	19	श्री दादा बाबूराम पंराजपे	श्री दादा बाबूराव पंराजपे
326	17	98 के सामने	98 से 103 के सामने

335-336 पंक्ति 13 में मांग संख्या 98 के पश्चात निम्नलिखित जोड़े :-

1	2	3	4	5	6
	संघ राज्य क्षेत्र (बिना विधान मंडल वाले)				
99.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	153,35,00,000	62,31,00,000	316,10,00,000	145,85,00,000
100.	चंडीगढ़	172,47,00,000	21,55,00,000	350,46,00,000	51,29,00,000
101.	दादरा और नागर हवेली	47,02,00,000	8,51,00,000	95,41,00,000	19,72,00,000
102.	दमन और दीव	40,51,00,000	6,18,00,000	82,09,00,000	14,54,00,000
103.	लक्षद्वीप	44,28,00,000	6,84,00,000	91,58,00,000	16,05,00,000
	जोड़ राजस्व/पूंजी	60316,78,00,000	20388,43,00,000	103001,83,00,000	26452,73,00,000

विषय	कॉलम
अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1998-99	308-324
श्री बलराम जाखड़	311-318
श्री राजवीर सिंह	318-321
श्री सोमपाल	323-324
गिलोटीन	325-335
विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक	335-340
विचार करने के लिए प्रस्ताव	335
श्री यशवंत सिन्हा 335-336,	338-339
श्री बसुदेव आचार्य	336-338
खंड 2 से 4 और 1	339
पारित करने के लिए प्रस्ताव	340

लोक सभा

मंगलवार, 14 जुलाई, 1998/23 आषाढ़, 1920 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.03 बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम प्रश्न संख्या 382 पर चर्चा करेंगे।

.....*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता-दक्षिण) : महोदय, हम चाहते हैं कि महिलाओं से संबंधित विधेयक प्रस्तुत किया जाए। .....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर प्रश्न काल के बाद चर्चा करेंगे।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 382

.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, हम सभी नेताओं से प्रार्थना करते हैं कि हमें दो दिन का समय दिया जाये। इस दौरान हम सभी नेताओं से बात करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, अभी नहीं, क्वैश्चन ऑवर के बाद।

.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम इस विधेयक पर प्रश्न काल के बाद चर्चा करेंगे।

.....*(व्यवधान)*

श्री बूटा सिंह : महोदय, हम आपको सहयोग देना चाहते हैं। इस सभा को बताइए कि क्या निर्णय लिया गया है।..... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बूटा सिंह जी, हम इस मामले पर नेताओं के साथ पहले ही चर्चा कर चुके हैं। कृपया बैठ जाइए। प्रश्न काल के बाद हम इसे अंतिम रूप देंगे।

.. ....*(व्यवधान)*

श्री बूटा सिंह : कृपया हमें निर्णय के बारे में बताइए। .....*(व्यवधान)* महोदय, आपको सभा को विश्वास में लेना चाहिए।.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल के पश्चात् हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री अडिरे, कृपया अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

.....*(व्यवधान)*

श्री डी.एस. अडिरे : अध्यक्ष महोदय.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर प्रश्न काल के बाद चर्चा करेंगे। कृपया बैठ जाइए।

.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : कृपया क्वैश्चन ऑवर को चलने दें।

.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री बूटा सिंह जी कृपया बैठ जाइए। आप प्रश्न काल के बाद इसे उठा सकते हैं।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं इस मामले पर नेताओं के साथ पहले ही चर्चा कर चुका हूँ। कृपया बैठ जाइए। आप प्रश्न काल के बाद बोल सकते हैं।

.....*(व्यवधान)*

श्री बूटा सिंह : हमें लिए गए निर्णय के बारे में बताइए। .....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह अच्छी बात नहीं है। कृपया बैठ जाइए।

.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बूटा सिंह : हम जानना चाहेंगे कि क्या निर्णय लिया गया है।.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : अध्यक्ष जी, हम, जूनियर लोगों को भी बताइए कि मीटिंग में क्या बात हुई है। .....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस बात को समझिए कि प्रश्न काल के पश्चात अध्यक्षपीठ इस सभा को सूचित करेंगे। कृपया बैठ जाइए।

.....*(व्यवधान)*

श्री बूटा सिंह : हम यहां आपको सहयोग देने के लिए उपस्थित हैं। कृपया हमें विश्वास में लेकर बात करें।.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हम इस मामले पर चर्चा कर चुके हैं। प्रश्न काल के बाद हम इसे अंतिम रूप देंगे। कृपया बैठ जाइए।

.....*(व्यवधान)*

श्री बूटा सिंह : आप कृपया हमें यह बताइए कि क्या निर्णय ा गया है। महोदय, हम अंधेरे में हैं। हम लिए गए निर्णय के बारे में कुछ नहीं जानते।.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बूटा सिंह जी, हम इस पर पहले ही चर्चा कर चुके हैं।

.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह अच्छी बात नहीं है।

[अनुवाद]

हम इस मामले पर पहले ही चर्चा कर चुके हैं और निर्णय ले चुके हैं। मैं आपको प्रश्न काल के बाद बोलने की अनुमति दूंगा। श्री फातमी, कृपया बैठ जाइए।

.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : अध्यक्ष जी, हमें भी बता दीजिए कि क्या बात हुई है।.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बूटा सिंह : कृपया हमें लिए गए निर्णय के बारे में बताइए। हम विरोध नहीं कर रहे हैं। हम आपसे केवल यही जानना चाहते हैं कि क्या निर्णय लिया गया है। कृपया हमें लिए गए निर्णय के बारे में बताइए।.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बूटा सिंह जी, कृपया पहले मेरी बात सुनिए। मैं इस मामले पर पहले ही नेताओं के साथ चर्चा कर चुका हूं। इस बारे में आप कृपया सहयोग करें।

श्री बूटा सिंह : हम आपको सहयोग देंगे।

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए। मेरी बात सुने बिना आप इस मामले को उठा रहे हैं। मैं इस मामले पर माननीय नेताओं के साथ भी चर्चा कर चुका हूं। इस बारे में प्रश्न काल के बाद निर्णय लिया जाएगा। कृपया बैठ जाइए।

.....*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद यादव : आपने बैठक बुलाकर कोई निर्णय लिया था। यह सभा जानने को उत्सुक है कि वहां क्या हुआ था। लिए गए निर्णय के बारे में बताए बिना आपने सभा की कार्यवाही शुरू कर दी थी। सभा को इसकी सूचना दी जानी चाहिए थी .....*(व्यवधान)*

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : महोदय आप अपनी व्यवस्था दे सकते हैं। यह स्थिति अनिश्चित काल तक नहीं रहनी चाहिए। वे अपनी बात मनवाने के लिए सभा को न चलने देने की धमकी दे रहे हैं। .....*(व्यवधान)*

श्री बूटा सिंह : कृपया सभा को विश्वास में लें और हमें लिए गए निर्णय के बारे में बताएं।.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : लालू जी, हमने निर्णय लिया है कि हम पहले प्रश्न काल जारी रखेंगे फिर इस मामले पर निर्णय लेंगे। हमने यह निर्णय लिया है। कृपया बैठ जाइए।

.....*(व्यवधान)*

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : अन्यथा यह सभा हमेशा के लिए स्थगित हो जाएगी।.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री मुलायम सिंह जी, हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। प्रश्न काल के बाद ही हम इस मामले को अंतिम रूप देंगे। कृपया बैठ जाइए।

.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह अच्छी बात नहीं है।

.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.10 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

भारत-पाक सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाना

*382. **श्री डी. एस. अडिरे :***
श्री सी. डी. गामीत :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आतंकवाद की समस्या से निपटने के लिए भारत-पाक तथा भारत-बंगलादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ तथा फ्लड लाइट्स लगाई जानी थी;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है और उस पर कितना खर्च हुआ है;

(ग) क्या शेष सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने संबंधी कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(घ) यदि हाँ, तो उक्त कार्य कब तक शुरू किया जाएगा तथा उसे कब तक पूरा कर लिया जाएगा और इस बारे में पड़ौसी देशों ने किस प्रकार का आक्रोश प्रकट किया है;

(ङ) क्या सरकार का विचार आतंकवाद की समस्या से निपटने के लिए किसी नई नीति का अनुसरण करने का है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (च) जी हाँ, श्रीमान्। पाकिस्तान के साथ भारत की 3101 किलोमीटर लम्बी सीमा लगती है जो जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात राज्यों से गुजरती है। 1317 कि. मी. सीमा पर बाड़ लगायी गयी है और 1325 किलोमीटर में तेज रोशनी की व्यवस्था की गयी है। इन पर कुल 496.38 करोड़ रुपये की लागत आयी है। 180 किलोमीटर में बाड़ लगाने और तेज रोशनी की व्यवस्था करने का काम चल रहा है। बंगलादेश के साथ भारत की सीमा 4,000 कि.मी. लम्बी है जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल राज्यों से गुजरती है। 12012.19 करोड़ रुपये की कुल लागत से 779.68 किलोमीटर में बाड़ लगायी गयी है। 116.32 किलोमीटर में कार्य चल रहा है। सेक्टर-वार स्थिति नीचे दी गयी है :

भारत-पाक सीमा

(क) पंजाब सेक्टर

सीमा के 452 किलोमीटर में बाड़ लगाने और 460 किलोमीटर में तेज रोशनी की व्यवस्था करने का कार्य 1988-89 के दौरान विभिन्न चरणों में स्वीकृत किया गया था और 141.90 करोड़ रुपये की लागत से दिसम्बर, 1993 तक पूरा कर लिया गया था। सीमा के सम्पूर्ण व्यवहार्य क्षेत्र में बाड़/तेज रोशनी की व्यवस्था कर ली गई है। यह कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया गया था।

(ख) राजस्थान

राजस्थान सीमा पर बाड़/तेज रोशनी की व्यवस्था करने का कार्य 1989-90 से 1996-97 के दौरान विभिन्न चरणों में स्वीकृत किया गया था और 31 दिसम्बर, 1997 तक 354.48 करोड़ रुपये की लागत से सीमा के 865 किलोमीटर में बाड़/तेज रोशनी की व्यवस्था करने का कार्य पूरा कर लिया गया था। 167.5 कि.मी. सीमा पर बाड़/तेज रोशनी की व्यवस्था करने का कार्य किया जा रहा है और इसे 56.24 करोड़ रुपये की लागत से दिसम्बर, 1999 तक दो चरणों में पूरा किया जाना है। रेत के बदलते टीलों वाली शेष सीमा के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई सिंगल रो फेंसिंग (बाड़) लगाई जाएगी। यह कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है।

(ग) जम्मू सेक्टर

180 कि.मी./195 8 कि.मी. जम्मू अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़/तेज रोशनी की व्यवस्था करने का कार्य 71.76 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से मार्च, 1995 में स्वीकृत किया गया था और यह कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा जुलाई, 1995 में शुरू किया गया था लेकिन पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलीबार किए जाने के कारण इसे स्थगित करना पड़ा था। इस कार्य को पुनः शुरू करने के संबंध में सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

(घ) गुजरात सेक्टर

लूनी बेसन में गुजरात सीमा के 10 किलोमीटर में बाड़/तेज रोशनी की व्यवस्था करने का कार्य 9.75 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से दिसम्बर, 1997 में स्वीकृत किया गया था और इसे दिसम्बर, 1999 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 310 कि. मी. सीमा पर बाड़ लगाने/तेज रोशनी की व्यवस्था करने के प्रस्ताव पर भी सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है और राजस्थान सेक्टर में कार्य पूरा होने के बाद इसे शुरू किया जाएगा। यह कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा।

भारत-बंगलादेश सीमा

कुल 4000 किलोमीटर लम्बी सीमा में से भारत-बंगलादेश सीमा पर 896 किलोमीटर लम्बी सीमा के लिए कंटीले तारों की बाड़ लगाने का कार्य स्वीकृत किया गया था, जिसमें से 779.68 कि.मी. में बाड़ लगाने का काम (मार्च, 1998 तक) पूरा कर लिया गया है। भारत-बंगलादेश सीमा पर तेज रोशनी की व्यवस्था करने की कोई स्कीम नहीं है। सैक्टर-वार ब्यौरे और कार्य की प्रगति निम्न प्रकार है :

सेक्टर	अनुमोदित लंबाई (किलोमीटर)	मार्च, 98 तक पूरा किया गया कार्य	व्यय (रु0 करोड़ों में)
असम	158	132.00	1551.65
पश्चिम बंगाल	507	445.00	7515.24
मेघालय	231	202.68	2945.30
कुल	896	779.68	12012.19

इस सीमा पर कुछ और क्षेत्रों में कंटीले तारों की बाड़ लगाने का प्रस्ताव विचाराधीन हैं। इन अतिरिक्त कार्यों को प्रारंभ करने और पूरा करने संबंधी समय-सूची तभी बनायी जाएगी जब अतिरिक्त क्षेत्रों में बाड़ लगाने के संबंध में अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

सीमा पार से प्रायोजित उग्रवाद की समस्या से निपटने की दृष्टि से सरकार ने बहु आयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सीमा प्रबन्ध को सुदृढ़ करना, भीतरी प्रदेश में उग्रवादियों के विरुद्ध सक्रिय कार्रवाई के द्वारा उनकी योजनाओं को विफल करना, आसूचना तंत्र को सक्रिय करना, विकास कार्यों को तेज करना और प्रजातांत्रिक प्रक्रिया को सुदृढ़ करना, इत्यादि शामिल है।

[अनुवाद]

श्रमिक विवाद

*383. **श्री भुवनेश्वर कालिता :**
डॉ0 टी. सुब्बारामी रेड्डी :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमिक विवादों के निपटान में होने वाले विलम्ब को रोकने के लिए कोई समिति गठित की गई थी;

(ख) यदि हाँ, तो क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या समिति की सभी सिफारिशें स्वीकार करने के बाद लागू कर दी गई हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो शेष सिफारिशें कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

श्रम मंत्री (डॉ0 सत्यनारायण जटिया) : (क) से (घ) श्रम मंत्रालय, भारत सरकार ने श्रम विवादों को निपटाने में विलम्ब की जांच करने के लिए कोई समिति गठित नहीं की है।

औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 33 (ग) (2) के अंतर्गत श्रम विवादों को निपटाने के लिए तीन अवस्थाएं अर्थात् (क) संसाधन, (ख) न्याय-निर्णयन और (ग) आवेदन पत्र होती हैं। जबकि श्रेणी (क) और (ख) के अंतर्गत विवादों को निपटाने के लिए 14 दिन और तीन माह की समय-सीमा होती है, श्रेणी (ग) के अंतर्गत निपटान के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

श्रम मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने संयुक्त मुख्य श्रमायुक्त (के.) की अध्यक्षता में और वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के श्रम विभाग के प्रतिनिधियों को सदस्यों के रूप में शामिल करके एक समिति गठित की थी। अस्पताल कर्मचारी संघ एवं अन्य बनाम भारत सरकार और अन्य से संबंधित सिविल अपील संख्या 185/1996 में भारत के उच्चतम न्यायालय के निदेश के अनुसरण में उक्त समिति गठित की गयी थी। उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट 20.3.97 को प्रस्तुत कर दी थी।

उक्त रिपोर्ट पर विधिवत विचार किया गया था और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने श्रम न्यायालयों/औद्योगिक न्यायाधिकरणों के पीठासीन अधिकारियों के रूप में श्रम विभाग के अधिकारियों को नियुक्त करने संबंधी प्रस्तावित संशोधनों को छोड़कर समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था। समिति द्वारा की गयी विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

देश में हिंसक घटनाएं/बम विस्फोट

*384. **डॉ0 वाई.एस. राजशेखर रेड्डी :**
श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में हिंसक घटनाओं की योजना बनाने में पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी आई.एस.आई. के संलिप्त होने के बारे में सरकार के पास पर्याप्त प्रमाण हैं;

(ख) यदि हाँ, तो आई.एस.आई. द्वारा कराए गए बम विस्फोटों/हिंसक घटनाओं की संख्या कितनी है तथा उनमें कितने लोग मारे गए;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को देश के विभिन्न भागों में आई. एस.आई. की गतिविधियों और जम्मू-कश्मीर में पण्डितों के

हत्याकांड में आई.एस.आई. के संलिप्त होने के बारे में पूरी रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(घ) यदि हाँ, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार कितने लोग मारे गए/घायल हुए और कितने मुआवजे का भुगतान किया गया और पिछले छह महीनों के दौरान कितने आई.एस.आई. उग्रवादी मारे गए/पकड़े गए और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई;

(ङ) क्या राज्य सरकारों को सावधान कर दिया गया है और इस प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए उन्हें सहायता का आश्वासन दिया गया है;

(च) यदि हाँ, तो राज्यों को उपलब्ध कराई गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(छ) आई.एस.आई. और अन्य पाकिस्तान समर्थक आंतकवादियों की गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी, हाँ, श्रीमान्। बम-विस्फोटों के विभिन्न मामलों में की गई जांच-पड़ताल से देश के विभिन्न भागों में हिंसक घटनाओं की योजना बनाने में पाकिस्तान की आई.एस.आई. की संलिप्तता का पता चला है।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1995 से फरवरी, 1998 तक के दौरान (जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर को छोड़कर) देश में कुल 405 हिंसक घटनाओं (विस्फोटों) की सूचना मिली है। इन घटनाओं में 351 व्यक्ति मारे गए तथा 1526 घायल हुए। इनमें से अधिकांश घटनाओं में, पाकिस्तान की आई.एस.आई. और पाकिस्तान द्वारा प्रेरित आतंकवादी संगठनों की संलिप्तता का संदेह है। इसके अलावा, अकेले जम्मू व कश्मीर में ही जहां पाकिस्तान की आई.एस.आई. और पाकिस्तान समर्थित अन्य उग्रवादी/आंतकवादी संगठन हिंसा को भड़का और उकसा रहे हैं, हिंसा की बहुत अधिक घटनाएं घटी हैं, जो निम्न प्रकार हैं :

वर्ष	घटनाओं की संख्या	मारे गए व्यक्ति
1995	4479	2796
1996	4224	2903
1997	3075	2420
1998 (जून तक)	1352	904

(ग) जी हाँ, श्रीमान्। जम्मू और कश्मीर में पंडितों का नरसंहार भी भाड़े के विदेशी सैनिकों और स्थानीय आतंकवादियों, जिन्हें पाकिस्तान आई.एस.आई. से सहायता और प्रेरणा मिल रही है, की ही करतूत है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान मारे गए/घायल हुए व्यक्तियों की संख्या ऊपर "ख" में दी गयी है। पिछले छः मास के दौरान 1996-97 के दौरान दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में हुए विस्फोटों के सिलसिले में फरवरी/मार्च, 1998 में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है : 3 पाकिस्तानी नागरिक, 2 बंगलादेशी और गिरफ्तार 4 भारतीय। एक पाकिस्तानी नागरिक और आठ अन्य मुम्बई बम काण्ड (27 फरवरी, 1998) के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए। 4 पाकिस्तानी नागरिक, जो आई.एस.आई. के एजेन्ट थे, हाल ही में हैदराबाद में गिरफ्तार किए गए। पिछले छः मास के दौरान कोई भी आई.एस.आई. उग्रवादी नहीं मारा गया था। राज्य में प्रचलित निर्धारित मानकों के अनुसार मुआवजे का भुगतान किया जाता है।

(ङ) से (छ) जी हाँ, श्रीमान्। सरकार को पाकिस्तान की इन्टर सर्विसिज इन्टेलिजेंस की बढ़ती हुई गतिविधियों और आतंकवाद और विघटनकारी गतिविधियों के द्वारा भारत को अस्थिर करने के नापाक इरादों की जानकारी है। सरकार स्थिति से अगवत है तथा आसूचना एजेन्सियों को सुग्राही और सक्रिय बनाकर और संबंधित केन्द्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच आसूचना का आदान-प्रदान तथा समन्वित कार्रवाई करके आई.एस.आई. के इरादों को विफल करने और उनका मुकाबला करने के लिए सभी आवश्यक उपाय कर रही है। सरकार ने अन्य कदम भी उठाए हैं, जिनमें सीमा पर बाड़ लगाना, सीमा गश्त को तेज करना, प्रभावकारी चौकसी रखने के लिए उपकरणों की आपूर्ति करना, पाकिस्तान की आई.एस.आई. के एजेन्टों, राष्ट्रविरोधी तत्वों तथा विद्रोहियों इत्यादि की गतिविधियों के बारे में राज्य सरकार को सुग्राही बनाना और सतर्क करना शामिल है।

जैनियों को अल्पसंख्यकों के रूप में मान्यता

*385. **श्री आरिफ मोहम्मद खां** : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय आयोग की ओर से जैनियों को एक पृथक धार्मिक अल्पसंख्यक मानने और उन्हें अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों को मिली सभी सुविधाओं का लाभ प्रदान करने के बारे में सिफारिशें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ग) जी, हाँ। यह प्रश्न कि कौन एक अल्पसंख्यक समुदाय में आता है, यह उच्चतम न्यायालय में एक रिट याचिका से संबंधित मामला है। जैनियों को अल्पसंख्यकों के रूप में मान्यता देने के मामले में अंतिम निर्णय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर निर्भर करेगा।

उग्रवादियों/विद्रोहियों द्वारा राजस्व/धन इकट्ठा करना

*386. **श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :**
श्री दिलीप संघाणी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवादी/विद्रोही जनता, व्यापारिक घरानों और उद्योगों से राजस्व और धन जबरन वसूल कर रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या असम में टाटा टी कम्पनी का ''उल्फा'' आतंकवादियों के साथ सम्पर्क था;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त कम्पनी आतंकवादियों को धन दिया करती थी;

(च) यदि हाँ, तो इसमें संलिप्त अधिकारियों का ब्यौरा क्या है और आतंकवादियों को कितनी धनराशि दी गई;

क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(ज) यदि हाँ, तो जांच के क्या निष्कर्ष निकले; और

(झ) सरकार द्वारा इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है/करने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) पूर्वोत्तर में विभिन्न उग्रवादी/विद्रोही गुटों द्वारा, विशेष रूप से असम, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा राज्यों में सरकारी विभागों, जनता, व्यापारिक घरानों और उद्योगों से धन ऐंठने की रिपोर्टें हैं। कतिपय क्षेत्रों में जिन नामों से ऐसा धन ऐंठा जाता है, उनमें अन्य के साथ-साथ, शामिल हैं, ''डिपार्टमेंट टैक्स'' - जो कि सरकारी विभागों के प्रमुखों से वार्षिक तौर पर लिया जाने वाला कर है, ''एम्लाई टैक्स'' - जोकि सरकारी कर्मचारियों के वेतन का एक निश्चित प्रतिशत है, राज्य में निष्पादित किए जा रहे सभी सरकारी निर्माण कार्यों का एक निर्धारित प्रतिशत, प्रत्येक परिवार से वार्षिक ''हाउस टैक्स'', तथा दुकानों, वाहनों वीडियों/सिनेमाघरों, ठेकेदारों, पेट्रोल पम्पों और अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर ''कर''।

(ग) से (झ) टाटा टी लिमिटेड और यूनाईटिड लिबरेशन फ्रंट आफ असम (उल्फा) के बीच कतिपय संबंधों की जानकारी सरकार के ध्यान में आई है। तथापि, कम्पनी ने उल्फा को कोई धन देने से इंकार किया है। असम पुलिस ने टाटा टी लिमिटेड के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं। देश के कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

[हिन्दी]

नए राज्यों का सृजन

*387. **प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :**
श्री अजीत जोगी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में नए राज्यों का सृजन करने के लिए कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रस्तावित राज्यों के नामकरण, उनकी राजधानियों का निर्धारण और उनके क्षेत्रफल के सीमांकन के प्रस्तावों को संबंधित राज्य सरकारों की सहमति से तैयार कर लिया गया है;

(घ) क्या सरकार राज्यों के परिसीमन और पुनर्गठन के लिए कोई आयोग गठित करने पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या इसके कारण प्रतिवर्ष 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय होगा; और

(छ) यदि नहीं, तो सरकार ने इस संबंध में क्या-क्या आकलन किया है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) जी हाँ, श्रीमान्। सरकार ने, उत्तरांचल, वनांचल और छत्तीसगढ़ नए राज्यों के सृजन के प्रस्ताव सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिए हैं। सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, जिसे केन्द्र सरकार द्वारा प्रशासित किया जाएगा, को छोड़कर संघ शासित क्षेत्र दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा।

(ग) प्रस्तावित राज्य उत्तरांचल, वनांचल और छत्तीसगढ़ क्रमश उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यों में से बनाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विधान सभा द्वारा पारित संकल्प में प्रस्तावित उत्तराखण्ड/उत्तरांचल राज्य की सीमाएं विनिर्दिष्ट की गयी है। बिहार राज्य विधान सभा और मध्य प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित संकल्पों में पृथक झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य बनाने की बात कही गयी है। बिहार के झारखंड क्षेत्र और मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ क्षेत्र का सुपस्ट भौगोलिक अस्तित्व है। फिर भी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यों के विधान मण्डलों को नए राज्यों के सृजन के लिए बनाए गए विधेयकों के विभिन्न उपबंधों पर अपना मत प्रकट करने का पूरा मौका मिलेगा। इन विधेयकों में, अन्य बातों के अलावा, प्रस्तावित राज्यों की सीमाएँ, नाम इत्यादि के संबंध में उपबंध होंगे।

(घ) और (ङ) सरकार का राज्यों का सामान्य पुनर्गठन करने का कोई विचार नहीं है और इसलिए राज्य पुनर्गठन आयोग गठित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(च) और (छ) नए राज्यों के सृजन से प्रशासनिक व्यय में बढ़ोत्तरी होगी लेकिन इसे संबंधित क्षेत्रों के लोगों की आकांक्षाओं के संदर्भ में देखना होगा। राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के बारे में मानक स्पष्ट रूप से निर्धारित हैं।

[अनुवाद]

राज्यपालों की नियुक्ति

*388. **श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राज्यपालों की नियुक्ति करने से पहले संबंधित राज्य सरकारों से परामर्श करती है और उनके विचार जानती है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या राज्यपाल के पद को राजनीति से परे रखने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) भारत के संविधान के अनुच्छेद 155 में यह प्रावधान है कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। तथापि, परिपाटी के रूप में आमतौर से राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श किया जाता है।

(ग) और (घ) केन्द्र-राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग ने राज्यपालों के चयन के लिए मानदण्डों के संबंध में कुछ सिफारिशें की हैं। इन सिफारिशों पर अन्तर्राज्यीय परिषद की स्थायी समिति की 10 नवम्बर, 1997 को आयोजित बैठक में विचार किया गया था। तथापि, अन्तर्राज्यीय परिषद् द्वारा इस मामले में अभी अपना मत बनाना है।

अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा

*389. **प्रो० अजित कुमार मेहता**
श्री प्रभुनाथ सिंह :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा व्यवस्था के दौरान प्रतिदिन आम सड़क यात्रियों का बहुत कीमती समय नष्ट होता है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास इन अतिविशिष्ट व्यक्तियों की भारी खर्चीली सुरक्षा उपायों से बचने के लिए कोई वैकल्पिक युक्ति है ताकि आम सड़क यात्रियों को परेशानी से बचाया जा सके;

(घ) विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए सुरक्षा प्रदान करने और वापिस लेने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं;

(ङ) क्या सरकार द्वारा सुरक्षा पर व्यय कम करने और सुरक्षा बलों पर कार्य का बोझ कम करने के लिए कोई प्रयास किए गए हैं; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) प्रधानमंत्री और भारत के राष्ट्रपति की सड़क मार्ग से यात्रा के दौरान, सुरक्षा की दृष्टि से साफ मार्ग उपलब्ध कराने के प्रयोजनार्थ अतिविशिष्ट व्यक्तियों के मार्ग में यातायात बन्द कर दिया जाता है/उनका मार्ग परिवर्तित कर दिया जाता है। इससे जनता को कुछ असुविधा होती है। इस असुविधा के प्रति सरकार चिन्तित है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से इस परिपाटी का सहारा लेना आवश्यक समझा जाता है। तथापि, सरकार का यह प्रयास है कि आम जनता को कम से कम असुविधा हो। इस बारे में दिशानिर्देशों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

(घ) से (च) वैयक्तिक मामलों में खतरे के प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती हैं। संरक्षितों की सुरक्षा का प्रत्येक मामले में खतरे की नवीनतम प्रत्यक्ष बोध के आधार पर समय-समय पर पुनर्रीक्षण किया जाता है और इसमें आवश्यकतानुसार यथावश्यक परिवर्तन किए जाते हैं। यह एक सतत् प्रक्रिया है और ऐसे ही एक पुनर्रीक्षण के दौरान 111 व्यक्तियों से सुरक्षा हटा ली गयी थी। पुरर्रीक्षण की इस प्रक्रिया से व्यय के साथ-साथ पुलिस कर्मियों की सुरक्षा ड्यूटी पर तैनाती पर भी नियंत्रण रहता है।

पूर्वोत्तर राज्यों के लिए पैकेज

*390. **डॉ० जयन्त रंगपी**
श्री थीजू वन रियान :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों के लिए पिछली सरकार ने किसी आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी;

(ख) यदि हाँ, तो उस पैकेज का ब्यौरा क्या है और इसे कहां तक लागू किया गया है;

(ग) क्या वर्तमान सरकार का विचार इस पैकेज को जारी रखने पर पुनर्विचार करने का है;

(घ) यदि हाँ, तो आज की तिथि तक राज्य में अपने दौरे के दौरान प्रधान मंत्री द्वारा घोषित पैकेज का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या इन पैकेजों को लागू करने हेतु उपाय सुझाने के लिये कोई उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की गयी है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक आर्थिक पैकेज तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री एच.डी. देवगौड़ा द्वारा 27 अक्तूबर, 1996 को घोषित किया गया था।

(ख) पैकेज की मुख्य-मुख्य बातों में, अन्य के साथ-साथ, शामिल हैं - पूर्वोत्तर क्षेत्र में मूलभूत सेवाओं और आधार-भूत न्यूनतम सेवाओं में अन्तर का पता लगाने के लिए एक आयोग की स्थापना करना; शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने को प्राथमिकता देना तथा शिक्षित बेरोजगारों पर उच्च स्तरीय समिति का गठन करना; पहले से चल रही परियोजनाओं हेतु पूर्ण वित्तपोषण, व्यापक जल प्रबन्धन और बाढ़ नियंत्रण के उपाय करना; रोजगार आश्वासन योजनाओं के माध्यम से पूर्ण कवरेज तथा भारत-म्यांमार सीमा को कवर करने के लिए [illegible] क्षेत्र सड़कों का विस्तार करना; पूर्वोत्तर में विशिष्ट कार्यक्रमों [illegible] केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा बजट का 10 प्रतिशत आबंटन [illegible]ण प्रवाह में सुधार करना; नवीन औद्योगिक नीति बनाना; पर्यटन का विकास करना; रेलवे के मूलभूत ढांचे में सुधार करना तथा मादक पदार्थों और एड्स के नियंत्रण हेतु उपाय करना और पूर्वोत्तर में प्रत्येक राज्य के लिए स्कीमों का पैकेज।

पैकेज के अन्तर्गत कवर परियोजनाएं कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। पैकेज की लगभग सभी मदों में सामान्य प्रगति है।

(ग) श्री नहीं, श्रीमान्।

(घ) उपरोक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

(ङ) जी नहीं, श्रीमान्।

[हिन्दी]

पेट्रो-रसायन उत्पादन

***391. श्री अमर पाल सिंह :**
श्री आनन्द रत्न मौर्य :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु विस्फोटों के बाद भारत पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों के कारण देश के पेट्रो-रसायन उत्पादन और इसके खोज कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इन प्रतिबंधों के प्रतिकूल प्रभाव को निष्क्रिय के लिए कोई कार्रवाई की है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री वाझाप्पाडी के. राममूर्ति) : (क) से (ग) अब तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे यह पता चलता है कि भारत का पेट्रो-रसायन उत्पादन और अन्वेषण कार्य आर्थिक प्रतिबंधों द्वारा प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा।

शिशु मृत्यु दर

***392. श्री पंकज चौधरी :**
श्री महेश कुमार कनोडिया :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में शिशु मृत्यु दर बहुत अधिक है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) शिशु मृत्यु दर में वृद्धि होने के क्या कारण हैं;

(घ) अन्य देशों की तुलना में हमारे देश में शिशु मृत्यु दर की प्रतिशतता क्या है; और

(ङ) बढ़ती हुई शिशु मृत्यु दर को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एझिलमलाई) : (क) से (ङ) टीकाकरण कार्यक्रम के परिणामस्वरूप पिछले वर्षों में शिशु मृत्यु दर में राष्ट्रीय स्तर पर गिरावट आ रही है। शिशु मृत्यु दर, जो 1986 में प्रति हजार जीवित जन्मों पर 96 थी, 1996 में घट कर 72 हो गई है। प्रमुख राज्यों में वर्ष 1986, 1990, 1995 और 1996 में शिशु मृत्यु दर को दर्शाने वाल एक विवरण संलग्न है।

स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स चिल्ड्रन - 1998 पर यूनीसेफ की रिपोर्ट के अनुसार 47 देशों में शिशु मृत्यु दर भारत में शिशु मृत्यु दर से ऊंची है। शिशु मृत्यु दर मुख्य रूप से वैक्सीन निवार्य रोगों की घटनाओं, श्वसन संबंधी गंभीर रोगों, अतिसार संबंधी रोगों और नवजात शिशु परिचर्या की गुणवत्ता से प्रभावित होती है। शत-प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित करने हेतु राज्यों से सतत् रूप से अनुरोध किया जा रहा है और इन अवस्थाओं के लिए आवश्यक वैक्सीनों और औषधियों की आपूर्ति के जरिए भारत सरकार द्वारा उनकी सहायता की जा रही है। स्वास्थ्य कार्मिकों के कौशल को सेवाकालीन प्रशिक्षण के द्वारा सुदृढ़ किया जा रहा है और लोगों को सूचना, शिक्षा एवं संचार के माध्यम से इन सेवाओं का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इन क्षेत्रों में तथा सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों को 9वीं योजना

अवधि के दौरान कार्यान्वित किए जा रहे प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता जारी रखी जा रही है। इन उपायों से आने वाले वर्षों में शिशु मृत्यु दर में काफी कमी आने की आशा है।

विवरण

भारत और प्रमुख राज्यों में शिशु मृत्यु दर (1996)

(स्रोत - नमूना पंजीयन प्रणाली)

	1986	1990	1995	1996
भारत	96	80	74*	72*
प्रमुख राज्य				
1. आंध्र प्रदेश	82	70	67	65
2. असम	109	76	77	74
3. बिहार	101	75	73	71
4. गुजरात	107	72	62	61
5. हरियाणा	85	69	69	68
6. कर्नाटक	73	70	62	53
7. केरल	27	17	15	14
8. मध्य प्रदेश	118	111	99	97
9. महाराष्ट्र	63	58	55	48
10. उड़ीसा	123	122	103	96
11. पंजाब	68	61	54	51
12. राजस्थान	107	84	86	85
13. तमिलनाडु	80	59	54	53
14. उत्तर प्रदेश	132	99	86	85
15. पश्चिम बंगाल	71	63	58	55

* जम्मू व कश्मीर को छोड़कर।

[अनुवाद]

गैस हाइड्रेट्स पर अनुसंधान कार्यक्रम

***393. श्री विजय हाण्डिक :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड के साथ गैस हाइड्रेट्स पर चलाए जा रहे संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रम से अमेरिकी रक्षा विभाग की नौसेना अनुसंधान प्रयोगशाला अलग हो गई है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या नौसेना अनुसंधान प्रयोगशाला तथा भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड के मध्य किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे;

(घ) क्या सरकार का विचार इस परियोजना को आगे चलाने का है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री वाञ्छापट्टी के. राममूर्ति) : (क) गैस हाइड्रेट्स पर अनुसंधान कार्यक्रम के संबंध में अमरीकी रक्षा विभाग की नौसेना अनुसंधान प्रयोगशाला और गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (गेल) के बीच कोई औपचारिक करार नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय गैस हाइड्रेट कार्यक्रम एक सहयोगात्मक कार्यक्रम है जिसमें गेल, ओ.एन.जी.सी., ओ.आई.एल. हाइड्रोकार्बन निदेशालय, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् प्रयोगशालाएं और अनेक राज्य शैक्षणिक और अनुसंधान संगठन शामिल हैं। यह कार्यक्रम अपने प्रारम्भिक चरणों में है और इसका उद्देश्य महासागर तल की तलछटों में विद्यमान गैस हाइड्रेट्स से मीथेन का निकर्षण करना है।

आदिवासी क्षेत्रों से मलेरिया उन्मूलन

***394. श्री राम चन्द्र मलिक :**
कुमारी ममता बनर्जी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में मलेरिया के मामले बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इस वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान विभिन्न राज्यों से राज्य-वार मलेरिया के कितने मामले दर्ज किए किए गए;

(ग) देश में मलेरिया उन्मूलन हेतु उठाए गए विभिन्न कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि मलेरिया उन्मूलन हेतु किए गए सारे उपाय अपर्याप्त हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो मलेरिया फैलने के क्या कारण हैं;

(च) क्या देश के अन्य क्षेत्रों के मुकाबले आदिवासी क्षेत्रों में मलेरिया के मामले अधिक पाए जाते हैं;

(छ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ज) क्या सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों के लिए अलग से कार्य योजना बनाई है;

(झ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ञ) यदि नहीं, तो देश से मलेरिया उन्मूलन हेतु आगे क्या कदम उठाए जायेंगे अथवा कार्यक्रम चलाए जायेंगे ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) और (ख) 1996 की तुलना में 1997 में देश में मलेरिया के रोगियों की संख्या में समग्र रूप से कमी आई है।

इस वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान मलेरिया के सूचित रोगियों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) से (ञ) मलेरिया नियंत्रण के लिए, विशेषरूप से देश के आदिवासी क्षेत्रों में, जहां पर अन्य क्षेत्रों की तुलना में मलेरिया अधिक होता है, क्योंकि ये क्षेत्र दूरस्थ, वन वाले, कठिन और दुर्गम में स्थित हैं, कई कदम उठाए गए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल

- सात उत्तर-पूर्वी राज्यों को दिसम्बर, 1994 से शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा रही है।
- सात राज्यों-आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान के 100 जिलों तथा मलेरिया के स्थानिकमारी वाले 19 कस्बों/शहरों में सितम्बर, 1997 से विश्व बैंक की सहायता से एक वृहत् मलेरिया नियंत्रण परियोजना चलाई जा रही है।
- मलेरिया और अन्य रोगाणुजनित रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करने और "मलेरिया नियंत्रण हर एक की चिंता" थीम का प्रचार करने के लिए जून, 1997 से हर वर्ष जून माह में मलेरिया-रोधी माह मनाया जाना जिससे यह देश में जन आन्दोलन बन सके।

चुने हुए क्षेत्रों में चल रही कई कार्यनीतियों का समर्थन करने के अतिरिक्त सिंथेटिक पाइरेथ्राइड्स, औषधयुक्त मच्छरदानियों, जैव-लार्वानाशियों, लार्वानाशी मछलियों के उपयोग करने जैसे नए उपाय भी किए जा रहे हैं।

विवरण

वर्ष 1998 की प्रथम तिमाही के दौरान मलेरिया के सूचित मामले

क्र.सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मलेरिया के मामले
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	15405
2.	अरुणाचल प्रदेश	3279
3.	असम	10113
4.	बिहार	6193
5.	गोवा	4837
6.	गुजरात	11071
7.	हरियाणा	1889
8.	हिमाचल प्रदेश	81
9.	जम्मू और कश्मीर	256
10.	कर्नाटक	21900
11.	केरल	1413
12.	मध्य प्रदेश	57208
13.	महाराष्ट्र	30450
14.	मणिपुर	152
15.	मेघालय	2257
16.	मिजोरम	993
17.	नागालैण्ड	243
18.	उड़ीसा	69988
19.	पंजाब	523
20.	राजस्थान	7519
21.	सिक्किम	4
22.	तमिलनाडु	12208
23.	त्रिपुरा	1654
24.	उत्तर प्रदेश	7995
25.	पश्चिम बंगाल	6538
संघ राज्य क्षेत्र		
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	205
2.	चंडीगढ़	200
3.	दादरा और नागर हवेली	1277
4.	दमन और दीव	70
5.	दिल्ली	215
6.	लक्षद्वीप	0
7.	पांडिचेरी	48
	कुल	276184

यूनानी के. स. स्वा. यो. औषधालयों को संदूषित औषधियों की आपूर्ति

*395. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान क्रमशः दिनांक 6 और 15 सितम्बर, 1997 के "पायनियर" में प्रकाशित "फंगस इन सील्ड ड्रग बोटल्ड", और "सी.जी.एच.एस. रिलाइज्ड आन डुबिअर्स फर्म" नामक शीर्षक से प्रकाशित समाचारों की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो काली सूची में रखी गई फर्मों से यूनानी औषधियां खरीदने और उन्हें के.स.स्वा.यो. के यूनानी औषधालयों को फफूंद लगी संदूषित औषधियों की लगातार आपूर्ति करने के क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा ऐसी चूकों के लिए दोषी पाए गए कर्मचारियों/फर्मों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा इस मामले में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) जी, हाँ।

(ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना काली सूची वाली फर्मों से यूनानी औषधें तथा किसी फर्म से फंफूद लगी संदूषित औषधियां नहीं खरीद रही हैं। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना अच्छी गुणवत्ता वाली ऐसी औषधें खरीदती हैं जो केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के यूनानी भण्डार की अधिकृत निरीक्षण समिति द्वारा समुचित निरीक्षण के बाद औषधालय के उपयोग के लिए स्वीकार की जाती हैं।

(ग) और (घ) जांच-पड़ताल की गई है। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा यह मामला संबंधित फर्मों के साथ उठाया गया है और यदि कानून का कोई उल्लघंन हुआ है, तो औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का उपयोग किया जाएगा।

गृह मंत्री पर आक्रमण

*396. **श्री गिनगी एन. रामचन्द्र :**
श्री आर. साम्बासिवा राव :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को चुनाव के दौरान कोयम्बटूर में हुए बम विस्फोट, जो वर्तमान गृह मंत्री के विरुद्ध किया गया था, के संबंध में तमिलनाडु सरकार से कोई रिपोर्ट मिली है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस रिपोर्ट की जांच की है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी मुख्य निष्कर्ष क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से संतुष्ट है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके लिए उत्तरदायी ठहराए गए व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है;

(च) केन्द्र सरकार द्वारा उन राज्य आसूचना एजेंसियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई जो इस षड्यंत्र का पहले से पता लगाने में विफल रही और संबंधित राज्य सरकार को इस संबंध में क्या निदेश जारी किए गए हैं; और

(छ) तमिलनाडु सरकार द्वारा राज्य में आई.एस.आई. की गतिविधियों को कुचलने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (च) तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा बम विस्फोटों की जांच-पड़ताल करने के लिए गठित अपराध शाखा, सी.आई.डी. के विशेष जांच दल ने सूचित किया है कि 14.2.1998 को कोयम्बटूर में हुए बम-विस्फोटों की योजना अल-उम्माह ने नवम्बर, 1997 में हुई साम्प्रदायिक हिंसा के दौरान मुसलमानों को पहुंची क्षति का बदला लेने के लिए जान-माल को भारी नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से बनाई गई थी। यह भी बताया गया है कि श्री एल.के. आडवाणी को लक्ष्य बनाने के लिए सात कार्यकर्ताओं को तैयार किया गया था। तथापि, सम्पूर्ण मामले की जांच, राज्य सरकार द्वारा न्यायमूर्ति पी.आर. गोकुल कृष्णन, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, गुजरात उच्च न्यायालय, की अध्यक्षता में नियुक्त जांच आयोग द्वारा की जा रही है। आयोग द्वारा अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है।

(छ) राज्य सरकार ने राज्य में रूढ़िवादी ताकतों और आतंकवाद की रोकथाम करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। अनेक व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं तथा उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। विस्फोटक सामग्री को बरामद करने के लिए छापे मारे जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा अल-उम्माह और जेहाद कमेटी को विधि-विरुद्ध संगठन घोषित किया गया है। राज्य सरकार ने पिछले विधान सभा सत्र के दौरान "तमिलनाडु आतंकवाद गतिविधियां निवारण विधेयक, 1998" नामक विधेयक पारित किया है ताकि आतंकवादियों के खिलाफ प्रभावकारी कार्रवाई की जा सके।

संथाल आदिवासियों की बड़े पैमाने पर हत्याएं

*397. **श्री विजय सिंह सोय :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोकराझार, असम के जातीय दंगों में बड़े पैमाने पर संथाल आदिवासियों की हत्याओं के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1996 से असम के कोकराझार के दंगा प्रभावित क्षेत्रों में नियुक्त केन्द्रीय बलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हालात का जायजा लेने हेतु कोई केन्द्रीय जांच दल कोकराझार भेजा गया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) भारत सरकार ने असम के कोकराझार जिले में संथालों के साथ हुई जातीय हिंसा के संबंध में विभिन्न कदम उठाए हैं। इनमें अन्य के साथ-साथ शामिल हैं :

(i) प्रभावित क्षेत्रों में सेना और अर्ध-सैनिक बलों की अतिरिक्त टुकड़ियों की तैनाती।

(ii) 1996 में असम के कोकराझार और बोंगाईगांव जिलों में हुई जातीय हिंसा के पीड़ितों के पुनर्वास हेतु 25 करोड़ रुपये की मंजूरी।

(iii) एक संसदीय दल और केन्द्रीय चिकित्सा दल ने प्रभावित क्षेत्रों में शरणार्थी शिविरों का दौरा किया है।

) स्थिति का निकट से प्रबोधन किया जा रहा है।

(ख) कोकराझार जिले के हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों में सेना और केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों समेत केन्द्रीय बल तैनात किए गए हैं। इस प्रकार की तैनाती की मात्रा समय-समय पर भिन्न-भिन्न होती है जो कि उस समय की स्थिति और बलों की सम्पूर्ण उपलब्धता पर निर्भर करती है।

(ग) और (घ) एक संसदीय दल ने जून, 1997 में कोकराझार में शरणार्थी शिविरों का दौरा किया। संसदीय दल द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

शरणार्थी शिविरों में रह रहे व्यक्तियों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के स्तर की व्यापकता का पता लगाने की दृष्टि से स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के एक केन्द्रीय अध्ययन दल ने मई, 1998 में कोकराझार और बोंगाईगांव जिलों के शरणार्थी शिविरों का दौरा किया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

भूमिगत विद्रोहियों की प्रतिक्रिया

*398. **श्री के. ए. सांगतम** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा शुरू की गई शांति वार्ताओं पर भूमिगत विद्रोहियों एन.एस.सी.एन. (आई.एम.) तथा एन.एस.सी.एन. (के.) ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने अन्य विद्रोही ग्रुपों के साथ भी शांति-वार्ताएं शुरू की हैं;

(घ) यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है तथा इस पर उन विद्रोही ग्रुपों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा नागालैण्ड में शांति बहाल करने के लिए अन्य कौन-सी उपाय किए जा रहे हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ङ) तत्कालीन प्रधानमंत्री ने अक्टूबर, 1996 में नागालैण्ड और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों का दौरा किया था और भूमिगत तत्वों के साथ बिना शर्त बातचीत करने के लिए सरकार की इच्छा को दोहराया था।

2. नेशनल सोसलिस्ट काउंसिल आफ नागालैण्ड के इजाक-मुईवाह ग्रुप के साथ बातचीत करने के बाद, दोनों पक्ष, 1 अगस्त, 1997 से तीन महीने के लिए युद्ध विराम करने और राजनैतिक स्तर पर विचार-विमर्श करने पर सहमत हो गए थे।

3. युद्ध विराम अब 31 जुलाई, 1998 तक बढ़ा दिया गया है और राजनैतिक स्तर पर विचार-विशर्म भी शुरू हो गया है। श्री स्वराज कौशल को भारत सरकार की तरफ से राजनैतिक वार्ताकार के रूप में नियुक्त किया गया है।

4. अन्य भूमिगत मुद्दों पर भी एक तरफा युद्ध विराम लागू किया गया था। एन.एस.सी.एन. (के.) ने युद्ध-विराम और शांति वार्ता के प्रति सकारात्मक उत्तर नहीं दिया।

5. प्रधानमंत्री ने अप्रैल, 1998 में असम दौरे के दौरान उग्रवादी ग्रुपों को क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए आगे आने और बातचीत करने का निमंत्रण दिया था। 15 अप्रैल, 1998 को प्रधानमंत्री ने गुवाहाटी में प्रैस को दिए अपने वक्तव्य में कहा है कि "मैं उन सभी को, जो मैत्री के पथ से भटक गए हैं, चाहे वे असम में हो या पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में आमंत्रित करता हूँ कि वे आगे आंए, हम आपस में विचार-विमर्श करें, मेरी सरकार शांति की बहाली हेतु बातचीत करने के लिए वचनबद्ध है। आओ हम यह कार्य संविधान के दायरे में रहते हुए करें" प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि यदि आवश्यक हुआ तो समस्या का समाधान निकालने के लिए संविधान में संशोधन भी किया जा सकता है।

6. प्रधानमंत्री द्वारा इंगित परिधि के भीतर, बातचीत करने के लिए अभी तक किसी भी अन्य उग्रवादी गुट ने जवाब नहीं दिया है।

7. नागालैण्ड में उग्रवाद को रोकने और सामान्य हालात बहाल करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ, केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों और सेना की यूनिटों की तैनाती बेहतर समन्वय और आसूचना के आदान-प्रदान में सुधार,

राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण/उन्नयन, विशेष केन्द्रीय सहायता की स्वीकृति, नागालैण्ड राज्य को "विशुध्द क्षेत्र" घोषित करना और प्रमुख उग्रवादी गिरोहों को "गैर-कानूनी संगठन" अधिसूचित करना सम्मिलित है। स्थिति पर नजर रखी जाती है और उपयुक्त कार्रवाई के लिए समय-समय पर इसकी पुनरीक्षा की जाती है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत चिकित्सा व्यवसाय

*399. **श्री एस.एस. ओवेसी :**
श्री सुरेश वरपुडकर :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दो वर्ष पूर्व चिकित्सा व्यवसाय को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत लाया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण थे और तत्संबंधी मुख्य उपलब्धियां क्या हैं;

(ग) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायतें दायर करने को रोकने के लिए शिकायत निवारण मंचों में सभी स्तरों पर किसी जांच समिति का गठन करने की सिफारिश की है;

(घ) यदि हाँ, तो भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा की गई मांगों का ब्यौरा क्या है और इनमें से कितनी मांगों को सरकार ने मान लिया है;

(ङ) इस अधिनियम के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कुल कितने मामले दर्ज किए गए; और

(च) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या दम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमजाई) : (क) और (ख) प्रतिफल के लिए प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के उपबंधों के अंतर्गत शामिल किया गया है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 13 नवम्बर, 1995 के अपने फैसले में अधिनियम के उपबंधों को मान्य ठहराया था और यह स्पष्ट किया कि ऐसे चिकित्सक और अस्पताल जो बिना कोई शुल्क लिए सेवाएं प्रदान करते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 2 (1) (ओ) के अंतर्गत सेवा के दायरे में नहीं आएंगे।

(ग) और (घ) भारतीय चिकित्सा संघ ने अन्य बातों के साथ यह सुझाव दिया है कि अस्पतालों की उनके द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं के स्तर के अनुसार वर्गीकरण करने, यह छानबीन करने के लिए कि क्या प्रथम दृष्टि में किसी चिकित्सक/अस्पताल द्वारा लापरवाही का मामला बनता है, चिकित्सा और कानूनी विशेषज्ञों द्वारा जांच की व्यवस्था करने, शिकायत सच्ची साबित न होने के मामले में शिकायतकर्ता द्वारा चिकित्सीय व्यवसायी/अस्पताल को मुआवजे का भुगतान करने और मानव उत्पीड़न और क्षति का हिसाब लगाने में वित्तीय दावों के लिए अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिए एक स्वायत्तशासी प्रत्यायन निकाय की स्थापना की जाए। भारतीय चिकित्सा संघ के अभ्यावेदन पर सरकार ध्यान दे रही है।

(ङ) उपभोक्ता न्यायालयों में दायर किए गए मामलों की विषयवार संख्या नहीं रखी जाती है। तथापि, उपभोक्ता न्यायालयों की स्थापना से लेकर 31 मार्च, 1998 तक 13,29,819 मामले दायर किए गए।

(च) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को अधिक प्रभावकारी और प्रयोजनकारी बनाने के लिए, इसमें 1991 और 1993 में संशोधन किए गए हैं।

राष्ट्रीय विकास परिषद्

*400. **श्री अजय चक्रवर्ती :**
श्री वी.वी. राघवन :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारिया आयोग ने राष्ट्रीय विकास परिषद् के कार्यकरण के संबंध में कुछ सुझाव दिए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या निर्णय लिया गया है; और

(ग) परिषद् को सुदृढ़ बनाने तथा फिर से चालू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी हाँ, श्रीमान।

(ख) और (ग) सरकारिया आयोग की रिपोर्ट के अध्याय XI में राष्ट्रीय विकास परिषद् के संबंध में कुछ सिफारिशें की गई हैं। इस अध्याय, जोकि आर्थिक और सामाजिक योजना से संबद्ध है, में कुल 33 सिफारिशें हैं। ये सिफारिशें, अन्य के साथ-साथ, राष्ट्रीय विकास परिषद् के कार्यकरण, राज्य योजनाओं की संवीक्षा, राष्ट्रीय योजना में राज्यों की भागीदारी, राज्य योजनाएं, आदि बनाने, उनकी संवीक्षा करने तथा उन्हें अंतिम रूप देने से संबंधित हैं। इन सिफारिशों की योजना आयोग के साथ विचार-विमर्श करके जांच की गई थी। योजना आयोग द्वारा व्यक्त किए गए विचारों के आधार पर एक सर्व-सहमति पेपर तैनात किया गया तथा इस पर अन्तर-राज्य परिषद् की स्थाई समिति की 10 नवम्बर, 1997 को हुई पांचवीं बैठक में विचार किया गया था। स्थाई समिति ने सिफारिश की कि सरकारिया आयोग की रिपोर्ट के अध्याय XI में निहित सभी 33 सिफारिशों को योजना आयोग द्वारा राष्ट्रीय विकास परिषद् के समक्ष विचारार्थ रखा जाए। इस मामले को अन्तर-राज्य

परिषद की बाद में होने वाली बैठक की कार्यसूची में शामिल किया गया था परंतु समयाभाव के कारण इस पर विचार नहीं किया जा सका।

जीवनरक्षक औषधियों की कमी

*401. **श्री अशोक नामदेवराव मोडोल :**
श्री माधवराव पाटील :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेष रूप से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के औषधालयों में कुछ जीवनरक्षक औषधियों की भारी कमी है और वे अनुपलब्ध हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन औषधालयों में स्थिति का मूल्यांकन है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में इन औषधियों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) से (ङ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा चलाए जा रहे औषधालयों में जीवनरक्षक/अनिवार्य औषधों की कुल मिलाकर कोई कमी नहीं है। तथापि, कभी-कभार पैदा होने वाली कमियों को अनुमोदित स्थानीय कैमिस्टों से स्थानीय खरीद करके पूरा किया जाता है। आपात स्थितियों के मामले में एक प्राधिकार पर्ची जारी की जाती है जिसके द्वारा लाभार्थियों को सीधे अधिकृत स्थानीय कैमिस्ट से बिना कोई भुगतान किए दवाएं प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

स्वास्थ्य परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से सहायता

3873. **श्री के.पी. नायडू** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अभी तक विश्व बैंक की सहायता से आरंभ की गई स्वास्थ्य परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक परियोजना पर अभी तक राज्य-वार कितनी वास्तविक धनराशि खर्च की गई है;

(ग) इन परियोजनाओं में से प्रत्येक कितनी सीमा तक सफल

(घ) क्या सरकार का विचार देश में नौवीं योजना के दौरान विश्व बैंक की सहायता से कुछ और परियोजनायें आरम्भ करने का है; और

(ङ) यदि हाँ, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) से (ग) राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों जिनका उद्देश्य क्षयरोग, कुष्ठ, एड्स, मलेरिया एवं मोतियाबिन्द द्वारा होने वाले अंधेपन को नियंत्रित करना है, को विश्व बैंक की सहायता से स्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। विवरण-I में दिए गए विवरण के अनुसार संबंधित परियोजना अवधि के दौरान 5290.64 करोड़ रुपये की सहायता मिलने की आशा है। इसमें इन परियोजनाओं के राष्ट्रीय घटक भी शामिल हैं। राज्य सरकारों के स्तरों पर विश्व बैंक सहायता प्राप्त क्षयरोग, कुष्ठ, दृष्टिहीनता और एड्स नियंत्रण परियोजनाओं के लिए व्यय/आबंटन के ब्यौरे विवरण-II से V में दिए गए हैं। सितम्बर, 1997 से कार्यान्वित की जा रही मलेरिया परियोजना के संबंध में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम निदेशालय ने 31 मार्च, 1998 तक चार करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

विश्व बैंक स्वास्थ्य क्षेत्र में राज्य स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना की भी सहायता प्रदान कर रहा है जिनका उद्देश्य द्वितीयक स्तर की स्वास्थ्य परिचर्या को समुन्नत एवं सुदृढ़ करना है ताकि नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हो सकें। इस समय यह परियोजना चार राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल तथा पंजाब में कार्यान्वित की जा रही हैं। इन परियोजनाओं का ब्यौरा भी संलग्न है।

सभी परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं जिसमें एड्स नियंत्रण परियोजना भी शामिल है जिसकी अवधि 31 मार्च, 1999 तक बढ़ाई गयी है। परियोजना की सफलता का आकलन कार्यान्वयन अवधि समाप्त हो जाने और प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों का मूल्यांकन किए जाने के बाद किया जा सकता है। फिर भी, आन्तरिक रूप से तथा बैंक दोनों के द्वारा समय-समय पर किए गए आकलन से पता चलता है कि कुष्ठ एवं दृष्टिहीनता नियंत्रण जैसी परियोजनाओं में लक्ष्यों को प्राप्त करने में काफी प्रगति हुई है और एड्स की रोकथाम के बारे में जागरूकता में भी काफी सुधार हुआ है।

(घ) और (ङ) नौवीं योजना के दौरान सरकार का औषधियों, चिकित्सा सामग्री, वैक्सीनों आदि जैसे क्षेत्रों में सक्षम होने के लिए विश्व बैंक के साथ परियोजनाओं पर कार्य आरम्भ करने का प्रस्ताव है। रोग निगरानी प्रणाली को भी सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है। राज्य स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना के अन्तर्गत और राज्यों को भी लाने का प्रस्ताव है। ऐसे कुछ प्रस्ताव विश्व बैंक को भेजे जा चुके हैं जबकि अन्य को अभी तैयार किया जा रहा है।

विवरण-I

विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजनाएं
परिव्यय, अवधि और व्यय

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय	अवधि	व्यय (31 मार्च, 98 तक)
	रोग नियंत्रण कार्यक्रम			
1.	राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम	891.00	5 वर्षीय परियोजना सितम्बर, 1997 से प्रभावी	4.3
2.	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	280.00	5 वर्षीय परियोजना सितम्बर, 1992 से प्रभावी	397.43
3.	राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम	539.00	6 वर्षीय परियोजना फरवरी, 1994 से प्रभावी	303.12
4.	राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम	749.28	5 वर्षीय परियोजना 8 मई, 1997 से प्रभावी	2.35
5.	राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम	554.36	7 वर्षीय परियोजना अप्रैल, 1994 से प्रभावी	173.36
	राज्य स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजनाएं			
1.	आंध्र प्रदेश	608.00	6 वर्षीय परियोजना मई, 1995 से	128.24
2.	कर्नाटक	546.00	5 वर्षीय परियोजना जून, 1996 से	62.34
3.	पश्चिम बंगाल	698.00	5 वर्षीय परियोजना जून, 1996 से	4.29
4.	पंजाब	425.00	5 वर्षीय परियोजना जून, 1996 से	27.81
	कुल :	2277.00		
	कुल योग :	5290.64		

विवरण-II

संशोधित एन.टी.सी.पी. चरण-II (1996-98)

धनराशि की रिलीज, व्यय तथा अप्रयुक्त सहायतानुदान की शेष धनराशि को दर्शाने वाला विवरण

(रु० लाख में)

क्र. सं.	जिला क्षयरोग सोसायटी का नाम	कुल पात्र धनराशि जिला सहायता	रिलीज की गई धनराशि	व्यय	शेष
1	2	3	4	5	6
1.	हैदराबाद	55.80	27.75	15.83	11.92
2.	झिंझुगढ़	27.15	17.52	1.29	16.23

1	2	3	4	5	6
3.	पटना	70.45	8.76	0	8.76
4.	वैशाली	41.21	21.88	2.04	19.84
5.	दिल्ली	210.80	172.27	8.27	164.00
6.	अहमदाबाद	88.78	46.46	0	46.46
7.	अमरेल	27.63	16.20	0.04	16.16
8.	जामनगर	32.51	18.58	0.01	18.57
9.	मेहसाणा	56.76	30.71	3.88	26.83
10.	वलसाड़	48.92	29.03	0.03	29.00
11.	हमीरपुर	12.02	8.34	5.46	2.88
12.	कांगड़ा	34.17	21.63	5.21	16.42
13.	मांडी	24.44	14.05	1.98	12.07
14	बेंगलूर शहर	54.69	29.12	4.79	24.33
	बेंगलूर शहरी	69.21	31.41	2.57	28.84
16.	कुन्नूर	46.21	12.08	1.44	10.64
17.	त्रिस्सूर	54.95	28.17	7.25	20.92
18.	कोट्टायम	38.39	22.36	0.45	21.91
19.	मालपुरम	59.60	20.50	0	20.50
20.	पंट्टानामुथिया	24.57	15.29	8.02	7.27
21.	तिरूवनन्तपुरम	63.29	20.55	0	20.55
22.	वेन्नाड़	21.13	8.93	0.26	8.67
23.	भोपाल	35.32	22.30	1.30	21.00
24.	विदिशा	22.87	14.54	1.87	12.67
25.	पुणे निगम	26.64	11.43	10.37	1.06
	पिंपरी निगम	12.13	12.13	0	12.13
	पुणे ग्रामीण	60.88	0.00	0	0.00
26.	रायगढ़	30.73	23.03	0	23.03
27.	मुम्बई	165.65	0.00	11.2	11.20
28.	इम्फाल	19.77	14.54	7.16	7.38
29.	जयपुर व दौसा	81.38	41.30	8.63	32.67
30.	मद्रास सिटी	73.67	41.46	3:46	38.00
31.	दक्षिण अरकोट	43.61	17.77	0	17.77

1	2	3	4	5	6
32.	बाराबंकी	46.36	26.69	1.99	24.70
33.	लखनऊ	57.61	35.94	14.85	21.09
34.	कलकत्ता	99.08	47.35	15.78	31.57
35.	हुगली	82.36	45.02	5.55	39.47
36.	हावड़ा	72.40	40.58	0.01	40.57
37.	मांडा	50.77	27.75	0.40	27.35
38.	मुर्शिदाबाद	85.26	47.81	3.93	43.88
39.	नादिया	74.04	40.78	0	40.78
	उप-योग (क)	2817.21	1132.61	155.32	977.29
	स्टेट हैडक्वार्टर्स एंड एसटीडीसी (1997-98)				
1.	आंध्र प्रदेश		8.22		
2.	अरुणाचल प्रदेश		3.63		
3.	हिमाचल प्रदेश		7.77		
4.	कर्नाटक		8.22		
5.	केरल		7.35		
6.	मध्य प्रदेश		8.22		
7.	पाण्डिचेरी		3.63		
8.	राजस्थान		5.68		
	उप-योग (ख)		52.72		
	कुल योग (क+ख)		1185.33		
	सेंट्रल डाजीएचएस एक्सपेंडिचर				
	उपस्कर			6.60	
	प्रचार			61.94	
	प्रशिक्षण			9.27	
	उपस्कर रखरखाव			0.05	
	ठेके पर सेवाएं			1.38	
	उप-योग			79.30	
	कुल योग (क+ख)			234.62	

टिप्पण 1. 1996-97 के अप्रयुक्त शेष अनुदान में से पूणे तथा मुम्बई द्वारा उपगत व्यय।

टिप्पण 2. 1996-97 के दौरान 480.21 लाख रु. तथा 1997-98 में 705.12 लाख रु. की रिलीज की गई धनराशि।

टिप्पण 3. बैंगलूर (झडरी) के पास आर.एन.टी.सी.पी. चरण-II पी.पी.एफ. (क्रम सं. 15) को 5.58 लाख रु. की खर्च न की गई शेष धनराशि थी।

विवरण-III

राष्ट्रीय कुष्ट उन्मूलन कार्यक्रम
गत पांच वर्षों के दौरान आवंटित धनराशि

(रुपये लाख में)

क्र. सं	राज्य	1993-94			1994-95			1995-96			1996-97			1997-98		
		नकद	सामग्री	योग	नकद	सामग्री	योग	नकद	सामग्री	योग	नकद	सामग्री	योग	नकद	सामग्री	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	आंध्र प्रदेश	200.00	11.34	211.34	203.00	54.02	257.02	195.50	227.75	423.25	200.00	236.29	436.29	203.00	150.00	353.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	10.00	0.42	10.42	16.00	1.77	17.77	18.50	22.53	41.03	16.00	1.74	17.74	20.00	6.95	26.95
3.	असम	18.00	1.49	19.49	20.00	16.47	36.47	20.00	42.45	62.45	20.00	16.56	36.56	21.00	21.00	42.00
4.	बिहार	112.00	19.58	131.58	112.00	68.75	180.75	111.50	314.84	426.34	112.00	262.90	374.90	115.00	265.00	380.00
5.	गोवा	0.36	0.45	0.81	0.50	3.34	3.84	0.44	18.71	19.15	0.45	3.94	4.39	1.45	1.00	2.45
	गुजरात	24.00	10.69	34.69	17.50	60.07	77.57	16.00	124.18	140.18	16.00	45.11	61.11	19.00	115.00	134.00
7.	हरियाणा	5.75	0.52	6.27	7.00	5.54	12.54	7.00	51.07	58.07	6.80	1.85	8.65	8.00	5.80	13.80
8.	हिमाचल प्रदेश	7.00	2.18	9.18	3.86	6.53	15.39	7.00	46.60	53.60	6.80	-	6.80	8.00	7.80	15.80
9.	जम्मू व कश्मीर	4.50	0.76	5.26	4.50	4.29	8.79	4.45	53.84	58.29	4.45	2.21	6.66	49.45	3.50	52.95
10.	कर्नाटक	100.00	3.29	103.29	96.00	34.86	130.86	103.00	147.98	250.98	100.00	20.70	120.70	103.00	148.00	251.00
11.	केरल	75.00	8.91	83.91	80.00	29.72	109.72	76.00	89.35	165.35	76.00	35.55	111.55	77.00	103.76	180.76
12.	मध्य प्रदेश	125.00	55.39	180.39	117.00	99.81	216.81	129.75	242.95	372.70	135.00	157.54	292.54	138.00	246.40	384.40
13.	महाराष्ट्र	30.00	18.95	48.95	20.25	76.86	97.11	16.00	147.74	163.74	14.00	255.31	269.31	29.00	235.40	264.40
14.	मणिपुर	3.50	0.43	3.93	3.50	2.78	6.28	5.50	28.52	34.02	3.50	2.47	5.97	4.10	3.85	7.95
15.	मेघालय	5.00	0.51	5.51	8.00	2.53	10.53	7.93	22.61	30.54	8.00	2.65	10.65	9.00	3.50	12.50
16.	मिजोरम	13.00	0.74	13.74	12.00	2.21	14.21	18.00	1.60	19.60	16.00	0.24	16.24	19.00	3.56	22.56
17.	नागालैंड	3.00	0.64	3.64	3.75	2.43	6.18	7.00	16.44	23.44	7.00	3.49	10.49	8.00	3.56	11.56
18.	उड़ीसा	125.00	109.74	234.74	125.00	98.20	223.20	158.75	196.99	355.74	150.00	26.40	176.40	171.00	191.52	362.52
19.	पंजाब	10.00	1.53	11.53	21.00	4.58	25.58	21.00	32.14	53.14	21.00	3.49	24.49	24.00	1.72	25.72
20.	राजस्थान	29.00	6.40	35.40	29.00	29.20	58.20	29.00	66.78	95.78	29.00	50.98	79.98	30.00	22.00	52.00
21.	सिक्किम	18.00	1.35	19.35	20.00	4.06	24.06	20.00	2.30	22.30	20.00	0.24	20.24	21.00	2.80	23.80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22.	तमिलनाडु	120.00	57.19	177.19	120.00	71.36	191.36	114.00	268.88	382.88	114.00	404.98	518.98	117.00	146.50	263.50
23.	त्रिपुरा	12.00	1.47	13.47	20.00	4.41	24.41	19.00	14.52	33.52	19.00	3.99	22.99	20.00	3.90	23.90
24.	उत्तर प्रदेश	190.00	77.13	267.13	177.00	177.78	354.78	182.62	293.56	476.18	187.00	293.43	480.43	197.00	255.40	452.40
25.	पश्चिम बंगाल	80.00	38.26	118.26	75.00	101.78	176.78	95.00	185.44	280.44	95.00	196.15	291.15	98.00	164.52	262.52
26.	अंडमान व निकोबार द्वी.स.	6.50	0.46	6.96	6.50	1.88	8.38	7.00	0.37	7.37	6.50	0.33	6.83	6.50	1.00	7.50
27.	चण्डीगढ़	0.50	3.35	3.85	0.50	10.05	10.55	0.50	27.33	27.83	0.50	0.63	1.13	0.50	1.00	1.50
28.	दादर एवं नगर हवेली	0.50	1.01	1.51	0.50	3.04	3.54	1.00	2.89	3.89	0.50	0.96	1.46	0.50	2.00	2.50
29.	दमन एवं दीव	2.50	0.40	2.90	2.00	1.78	3.78	3.00	1.60	4.60	4.50	1.79	6.29	4.50	1.00	5.50
30.	दिल्ली	0.50	2.97	3.47	0.39	8.92	9.31	0.50	38.76	39.26	0.50	5.00	5.50	5.50	1.00	1.50
31.	लक्षद्वीप	1.00	1.15	2.15	1.00	3.44	4.44	2.00	1.02	3.02	2.00	0.14	2.14	2.00	1.00	3.00
32.	पांडिचेरी	0.95	2.99	3.94	2.10	8.97	11.07	2.50	9.42	11.92	2.50	1.00	3.50	3.50	10.50	14.00
	उप-योग	1332.56	441.69	1774.25	1332.56	1332.56	1332.56	1399.44	2741.16	4140.60	1394.00	2038.06	3432.06	1528.00	2129.94	3657.94
	केन्द्रीय क्षेत्र	3319.81	0.00	3319.81	6578.99	0.00	6578.99	2312.96	0.00	2312.96	3100.72	0.00	3100.72	3921.00	0.00	3921.00
	योग	4652.37	441.69	5094.06	4652.37	4652.37	4652.37	3712.40	2741.16	6453.56	4494.72	2038.06	6532.78	54491	2129.94	7578.94

विवरण-IV

राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम

1994-95 से राज्यों को रिलीज की गई धनराशि तथा उपगत व्यय

(रुपए मिलियन में)

राज्य	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	कुल
आन्ध्र प्रदेश	07.280	29.064	00.000	19.750	56.094
मध्य प्रदेश	13.904	32.026	40.037	21.012	106.979
महाराष्ट्र	17.370	31.292	36.026	09.456	94.144
उड़ीसा	06.780	21.860	06.718	31.144	66.502
राजस्थान	10.670	26.832	06.372	03.972	47.846
तमिलनाडु	07.748	30.630	10.654	44.366	93.898
उत्तर प्रदेश	17.410	08.377	70.006	11.200	106.993
कुल	81.162	180.081	169.813	140.900	571.956

परियोजना की शुरूआत से राज्यों द्वारा उपगत व्यय जो इस प्रकार हैं :

(रुपए मिलियन में)

राज्य	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	कुल
आन्ध्र प्रदेश	0.666	1.309	13.244	4.833	20.052
मध्य प्रदेश	6.778	18.797	30.751	18.122	74.448
महाराष्ट्र	7.284	7.696	9.250	4.962	29.192
उड़ीसा	9.802	4.725	6.302	4.526	25.355
राजस्थान	5.944	1.200	1.686	1.843	10.673
तमिलनाडु	5.354	23.614	5.616	4.907	39.491
उत्तर प्रदेश	3.448	14.246	70.006	-	87.700
कुल	39.276	71.587	136.855	39.193	286.211

विवरण-V

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में आठवीं योजना अवधि के दौरान निधियों का उपयोग

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल रिलीज
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	1246.56
2.	अरुणाचल प्रदेश	186.87
3.	असम	290.33
4.	बिहार	198.94
5.	गोवा	101.60
6.	गुजरात	689.79
7.	हरियाणा	265.61
8.	हिमाचल प्रदेश	464.70
9.	जम्मू और कश्मीर	77.47
10.	कर्नाटक	750.65
11.	केरल	579.47
12.	मध्य प्रदेश	917.13
13.	महाराष्ट्र	1858.96
14.	मणिपुर	427.33
15.	मेघालय	117.27
16.	मिजोरम	332.91
17.	नागालैंड	426.33
18.	उड़ीसा	248.19
19.	पंजाब	422.24
20.	राजस्थान	689.34
21.	सिक्किम	115.50
22.	तमिलनाडु	2926.11
23.	त्रिपुरा	151.19
24.	उत्तर प्रदेश	706.33
25.	पश्चिम बंगाल	1198.36
26.	पांडिचेरी	100.11
27.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	167.08
28.	चंडीगढ़	164.23
29.	दादरा एवं नगर हवेली	113.10
30.	दमन व दीव	111.15
31.	दिल्ली	661.73
32.	लक्षद्वीप	123.25
	कुल	16829.53

चीनी एकक

3874. श्री संदीपान थोरात : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1992 के दौरान महाराष्ट्र में शोलापुर जिले के माध्य तालुक में सहकारी क्षेत्र में चीनी एकक स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ था और इसे 1996 में अस्वीकृत कर दिया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार से उपरोक्त प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) और (ख) उजानी, तालुक माधा, जिला शोलापुर (महाराष्ट्र) में सहकारी क्षेत्र में नई चीनी मिल स्थापित करने के लिए वर्ष 1992 के दौरान मैसर्स जगदम्बा अनुसूचित जाति सहकारी शक्कर कारखाना लिमिटेड के मुख्य प्रवर्तक श्री संदीपन भगवान थोरात का औद्योगिक लाइसेंस के लिए एक आवेदन-पत्र औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग, उद्योग मंत्रालय के माध्यम से प्राप्त हुआ था जो जिला शोलापुर, महाराष्ट्र में गन्ने की कमी के कारण उद्योग मंत्रालय द्वारा 10.10.96 को प्रथम दृष्टि से निरस्त कर दिया गया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

नाइट्रोजन पर राजसहायता

3875. श्री सुनिल खां : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार विभिन्न किस्मों के नाइट्रोजिन उर्वरकों के उत्पादकों को, एकक-वार दिया जाने वाला प्रति टन धारण मूल्य और राज सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) विभिन्न मदों के लिए दिए जाने वाले प्रति टन धारण मूल्य की राशि क्या है; और

(ग) धारण मूल्य के हिस्से स्वरूप प्रत्येक एकक को प्रति टन उत्पादन पर दी जाने वाली पूंजी संबंधित लागतों का ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० ए.के. पटेल) : (क) से (ग) वर्तमान में, केवल यूरिया नियंत्रित उर्वरक है जिस पर प्रतिधारण मूल्य-सह-सब्सिडी स्कीम के तहत सब्सिडी दी जाती है। एकक-वार प्रतिधारण मूल्य और प्रति टन यूरिया पर दी जाने वाली सब्सिडी के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

आज की तारीख तक विभिन्न यूरिया उत्पादन करने वाले एककों को देय प्रतिधारण मूल्य/राजसहायता के एकक वार ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	कम्पनी/यूनिट	परिवर्तनीय लागत	परिवर्तित लागत सहित बिक्री व्यय	पूंजी सम्बद्ध प्रभार सहित मूल्यह्रास	प्रतिधारण मूल्य	प्रतिधारण मूल्य राजसहायता
1	2	3	4	5	6	7
यूरिया						
फीड स्टॉक : गैस						
1.	जीएसएफसी - बरोदा	4411	1109	377	5897	2367
2.	एचएफसी-नामरूप-III	1089	738	1792	3619	89
3.	एचएफसी-नामरूप-I एवं II	1702	1147	805	3653	123
4.	इफको - आंवला	2605	601	2171	5377	1867
5.	इफको-आंवला विस्तार	2493	508	3399	6399	2889
6.	इफको-कलोल	3766	817	364	4947	1437
7.	इंडो गल्फ-जगदीशपुर	3120	764	1944	5828	2298
8.	कृभको-हजीरा	2759	558	1204	4521	1011

1	2	3	4	5	6	7
9.	एनएफएल-विजयपुर	2706	505	1548	4759	1229
10.	एनएफएल-विजयपुर विस्तार	2614	480	3442	6536	3006
11.	एनएफसीएल-काकीनाडा	1787	1209	5038	8034	4504
12.	आसीएफ-थाल	2629	749	1372	4750	1220
13.	आसीएफ-ट्राम्बे IV	3643	873	623	5139	1609
14.	सीएफसीएल-कोटा	2945	726	3727	7398	3867
15.	टाटा केमिकल्स	2859	814	3865	7538	4008
16.	ओसीएफएल	2713	726	3727	7166	3636
	फीडस्टॉक : नेफ्था					
1.	फैक्ट - कोचीन	7655	1016	601	9272	5742
	एचएफसी - बरौनी	7839	1722	1584	11145	7615
	एफसी - दुर्गापुर	7452	1718	895	10065	6535
4.	आईसीआई - कानपुर	7813	1128	562	9503	5973
5.	इफको - फूलपुर	5725	913	1298	7936	4426
6.	इफको फूलपुर-II	4598	535	3697	8830	5320
7.	एमएफसीएल-मंगलौर	6441	1047	663	8151	4621
8.	एमएफएल-मद्रास	7883	1337	372	9592	6062
9.	एसएफसी-कोटा	5975	1252	414	7641	4111
10.	एसपीआईसी - तुतीकोरिन	6236	1272	623	8131	4601
11.	जेडएसीएल - गोवा	7225	972	429	8626	5096
	फीडस्टॉक - एफ.ओ./एलएसएचएस					
1.	एफसीआई - सिन्दरी	4879	1218	500	6597	3067
2.	जीएनएफसी - भरूच	4431	788	1140	6359	2829
3.	एनएलसी - नवेली	5815	2093	457	8365	4835
4.	एनएफएल - नांगल	5808	1039	334	7230	3700
5.	एनएफएल - भटिण्डा	5295	1137	1089	7521	3991
6.	एनएफएल - पानीपत	9803	1051	955	6369	3339
	फीड स्टॉक : कोल					
1.	एफसीआई - रामागुण्डम	8753	1269	825	10847	7317
2.	एफसीआई - तालचर	6993	1383	953	9329	5799

ठेका मजदूर

3876. प्रो० जोगेन्द्र कवाड़े : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एयर इंडिया बनाम यूनाइटेड लेबर यूनियन केस संख्या 15535/1996 इत्यादी में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के मद्देनजर सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को सफाई तथा चौकीदारी के लिए ठेका श्रमिकों को नियुक्त करने के विरुद्ध अनुदेश जारी किए थे;

(ख) यदि हाँ, तो क्या भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड को नई दिल्ली स्थित इसके मुख्यालय में सफाई तथा चौकीदारी के प्रयोजन से ठेका श्रमिकों को नियुक्त करने की अनुमति प्रदान कर दी है; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (डॉ० सत्यनारायण जटिया) : (क) जी, हाँ।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में मलेरिया और मस्तिष्क-ज्वर के मामले

3877. श्री उपेन्द्रनाथ नायक : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस वर्ष उड़ीसा में मलेरिया से कई लोग प्रभावित हुए हैं और मस्तिष्क-ज्वर के कारण कुछ लोगों की मृत्यु हो गई है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या देश में मलेरिया और मस्तिष्क-ज्वर के फैलने के कारणों पर अध्ययन किया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उड़ीसा तथा देश के अन्य भागों में मलेरिया और मस्तिष्क ज्वर को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एझिलमलाई) : (क) अप्रैल, 1998 तक उड़ीसा राज्य से मिली रिपोर्टों के अनुसार राज्य में 126339 मलेरिया के रोगी रहे हैं। तथापि, इस राज्य से मस्तिष्क ज्वर के किसी रोगी अथवा इसके कारण हुई किसी मौत की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत मलेरिया और जापानी ऐन्सेफलाइटिस (मस्ष्कि-ज्वर) की नियमित मानीटरिंग की जा रही है। मलेरिया फैलने के लिए कीटनाशकों के प्रति वैक्टर में प्रतिरोधक क्षमता, क्लोरोक्विन जैसी औषधों के प्रति परजीवी में प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होने, छिड़काव की कम कवरेज, अपर्याप्त निगरानी, रोगियों के निदान और उपचार में देरी, गंभीर और जटिल रोगियों के उपचार के लिए अपर्याप्त सुविधाएं, पर्यावरणिक और सफाई की बुरी स्थितियां उत्तरदायी हैं।

(घ) उड़ीसा सहित देश में मलेरिया और जापानी ऐन्सेफेलाइटिस (मस्तिष्क ज्वर) के नियंत्रण के लिए किए गए उपाय इस प्रकार हैं :

मलेरिया

दिसम्बर, 1994 से सात उत्तर-पूर्वी राज्यों को शतप्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा रही है जबकि देश में अन्य राज्यों के लिए राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत 50:50 के आधार पर एक केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

राज्य सरकारों द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली, अस्पतालों, औषधालयों, मलेरिया क्लीनिकों इत्यादि और औषध वितरण केन्द्रों, ग्राम स्तर पर ज्वर उपचार डिपो के माध्यम से मलेरिया के रोगियों का शुरू में ही निदान करने और त्वरित उपचार किया जाता है।

तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर समय सारणी के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कीटनाशक छिड़काव के जरिए वैक्टर नियंत्रण और शहरी क्षेत्रों में लार्वा-रोधी कार्य।

सक्रिय सामुदायिक सहभागिता प्राप्त करने के लिए सूचना, शिक्षा व संप्रेषण संबंधी कार्यकलापों को तेज करना।

देश में मलेरिया और अन्य वैक्टरजनित रोगों के निवारण और नियंत्रण के बारे में जनता में जागरूकता उत्पन्न करने और इसे जन आन्दोलन बनाने के लिए "मलेरिया की रोकथाम जन-जन की चिंता" के सार विषय का प्रचार प्रसार करने के लिए जून 1997 से हर वर्ष जून में मलेरिया-रोधी मास मनाना।

इसके अतिरिक्त, उड़ीसा सहित राज्यों के 100 जिलों को तथा 19 कस्बों/शहरों, जहां मलेरिया स्थानिक रूप से होता है, को अनिवार्यतः कवर करने के लिए विश्व बैंक की सहायता से एक उन्नत मलेरिया नियंत्रण परियोजना सितम्बर, 1997 से कार्यान्वित की जा रही है।

ज्ञात क्षेत्रों में चलाई जा रही कुछेक कार्यनीतियों में सहायता देने के अतिरिक्त प्रस्तावित परियोजना संश्लिष्ट पायरथराइड्स, औषधियुक्त मच्छरदानियों, जैव-लार्वानाशकों, लार्वाभक्षी मछलियों, डिपिस्टिक रक्त परीक्षण तकनीकों, आर्टे मिसनिन मिश्रण, कार्मिकशक्ति विकास, उन्नत सूचना शिक्षा व सम्प्रेषण संबंधी कार्यकलापों और सुधरी प्रबन्ध सूचना प्रणाली जैसे अपेक्षाकृत नये-नये उपचारों के उपयोग को सुविधामय बनायेगी।

जापानी ऐन्सेफेलाइटिस (मस्तिष्क ज्वर)

- x रोगियों का शुरू में ही निदान और उपयुक्त उपचार।
- x पता लगाए गए क्षेत्रों में कीटनाशकीय छिड़काव/फोगिंग करके सैक्टर नियंत्रण।
- x पता लगाए गए जापानी ऐन्सेफेलाइटिसोन्मुखी समूहों का टीकाकरण।
- x जानपदिक रोग विज्ञानीय लक्षणों, जांचों तथा प्रशिक्षण की नियमित मानीटरिंग।
- x शुरू में ही सूचना देने और निवारक उपायों के अपनाने की बात सुनिश्चित करने के लिए सूचना, शिक्षा व सम्प्रेषण संबंधी कार्यकलाप।

आई.एस.आई./बी.आई.एस. का विनिर्देशन

3878. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुल कितने मद हैं जिन पर भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आइ.एस.) के अनुसार आई.एस.आई. अनिवार्य है;

(ख) क्या विद्युत उपस्कर विशेषकर चोक बी.आई.एस. मानक के अनुरूप है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) गत बारह माह के दौरान कितने नमूनों का परीक्षण किया गया; और

(ङ) विनिर्माताओं पर रोक रखने और उनके मदों को कड़ाई से आई.एस.आई./बी.आई.एस. के विनिर्देशन के अनुसार रखने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) भारतीय मानक ब्यूरो मानक चिह्न 135 उत्पादों के लिए अनिवार्य है।

(ख) और (ग) इलेक्ट्रिक इमर्सन वाटर हीटर, बिजली की इश्तरी, बिजली के स्टोव तथा इलेक्ट्रिक रेडिएटर्स, 2 एम्पीयर स्विच तथा 3 पिन प्लग और साकेट जैसे बिजली के घरेलू उपकरणों के सुरक्षा पहलू, इलेक्ट्रिक वायर्स, केबिल्स, एम्लाएन्सेज एंड एसेसरीज (क्वालिटी कंट्रोल) आर्डर, 1993 के तहत आते हैं। तथापि, चोक इसके तहत नहीं आता है।

(घ) वर्ष 1997-98 के दौरान भारतीय मानक ब्यूरो के लाइसेंसधारी कारखानों से 15634 नमूने और बाजार से 10489 नमूने परीक्षण हेतु लिए गए।

(ङ) भारतीय मानक ब्यूरो परीक्षण तथा निरीक्षण की स्कीम के कार्यान्वयन की जांच करने के लिए अपने लाइसेंसधारियों के परिसर का निगरानी दौरा करता है, ताकि उत्पाद की गुणवत्ता बनी रहे। परीक्षण के लिए नमूने कारखानों तथा खुले बाजार दोनों से लिए जाते हैं। यदि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित चिह्नी उत्पाद की घटिया गुणवत्ता के बाबत कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो आवश्यक उपचारात्मक कार्यवाही करने के लिए लाइसेंसधारी के यहां विस्तृत जांच की जाती है, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। यदि संगत भारतीय मानक के अनुरूप उत्पाद तैयार करने अथवा लाइसेंस की अन्य शर्तों के अनुपालन में लाइसेंसधारी का कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो ब्यूरो उपयुक्त कार्यवाही करता है, जिसमें भारतीय मानक ब्यूरो (प्रमाणन) विनियमन, 1988 के उपबंधों के अनुसार चिह्नांकन आदेश रोकना, लाइसेंस लम्बित करना, रद्द करना आदि शामिल हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में होम्योपैथी को शामिल करना

3879. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को शामिल करने की कोई आवश्यकता है; और

(ख) यदि हाँ, तो ग्रामीण क्षेत्रों में होम्योपैथी चिकित्सा को लोकप्रिय बनाने के संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वलित एजिलमलाई) : (क) जी, हाँ।

(ख) कुछेक राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में होम्योपैथिक घटक शामिल करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं के माध्यम से होम्योपैथी पद्धति को लोकप्रिय बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से कुछेक ग्रामीण क्षेत्रों में होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

आबादी-डॉक्टर अनुपात संबंधी सर्वेक्षण

3880. श्री चमन लाल गुप्त : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में आबादी-डॉक्टर अनुपात की उपलब्धता का अध्ययन करने के लिये कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि और डॉक्टरों तथा अस्पतालों की आवश्यकता है;

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार डॉक्टरों की जरूरत पूरी करने के लिए और चिकित्सा महाविद्यालय खोलने का है;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) से (ग) ऐसा कोई देशव्यापी सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अनुसार एलोपैथिक डाक्टरों के संबंध में डॉक्टर-जनसंख्या अनुपात लगभग 1:1800 है तथा भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के अर्हत चिकित्सकों की संख्या को देखते हुए, जो कि 5,77,643 है, यह अनुपात अन्य विकासशील देशों की तुलना में बेहतर है। इस समय हर वर्ष लगभग 17,000 चिकित्सा स्नातक और 8,000 स्नातकोत्तर छात्र परीक्षा पास कर रहे हैं।

(घ) से (च) राज्य सरकारों तथा अलग-अलग समितियों/न्यासों से नए मेडिकल कॉलेज खोलने के बारे में केन्द्रीय सरकार की अनुमति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ऐसे प्रस्तावों पर भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् से परामर्श करके विचार किया जाता है और निर्धारित अर्हक मानदण्डों को पूरा करने पर अनुमति प्रदान की जाती है।

विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908

3881. **श्री राजवीर सिंह :**
श्री सीताराम यादव :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मौजूदा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) देश में व्याप्त कानून और व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, केन्द्र सरकार, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 के कतिपय उपबंधों को संशोधित करने संबंधी एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

पुलिस और माफिया के बीच सांठ-गांठ

3882. **श्री सीताराम यादव :**
श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 30 मई, 1998 के ''द टाइम्स ऑफ इंडिया'' में नैक्स्स विटविन पुलिस आफिसियल्स, लोकल लिकर माफिया शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या कोई जांच की गई है;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(घ) इस घपले में शामिल अधिकारियों के विरुद्ध की गई/प्रस्तावित कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (घ) जी हाँ, श्रीमान्। दिल्ली पुलिस ने इस मामले की सतर्कता जांच के आदेश दिए हैं। इस बीच, संदिग्ध 4 पुलिस अधिकारियों का स्थानान्तरण कर दिया गया है।

धूम्रपान-विरोधी अभियान के बारे में जागरूकता

3883. **श्री कृष्ण लाल शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिगरेट के प्रत्येक पैकेट पर लिखी वैधानिक चेतावनी से सिगरेट पीने वाले पर कोई प्रभाव नहीं हुआ है;

(ख) क्या यह भी सच है कि धूम्रपान-विरोधी अभियान को तेज करने के लिए सिगरेट पीने वालों में स्वास्थ्य और उपचारात्मक उपायों के प्रति जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) सिगरेट के पैकेटों पर लिखी हुई चेतावनी और विज्ञापनों की प्रभावकारिता का अध्ययन करने के लिए भारत में कोई ऐसा सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ख) जी, हाँ।

(ग) सरकार ने तम्बाकू का उपयोग करने से लोगों को निरुत्साहित करने के लिए अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। प्रशासनिक अनुदेशों के अंतर्गत भारत सरकार के नियंत्रणाधीन अस्पतालों, औषधालयों और अन्य स्वास्थ्य परिचर्या प्रतिष्ठानों, शैक्षणिक संस्थाओं, सम्मेलन हालों, घरेलू उड़ानों, रेलगाड़ियों/उप-रेलगाड़ियों में वातानुकूलित कुर्सी यानों वगैर वातानुकूलित शयन डिब्बों तथा वातानुकूलित बसों में धूम्रपान पर प्रतिबंध है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों और सार्वजनिक वाहनों पर धूम्रपान करने पर प्रतिबंध है। दूरदर्शन और आकाशवाणी पर तम्बाकू अथवा तम्बाकू युक्त उत्पादों से संबंधित सीधे विज्ञापन प्रसारित करने पर प्रतिबंध है। सरकार ने सभी राज्य सरकारों को इस बात को सुनिश्चित करने का परामर्श दिया है कि स्कूलों, कालेजों जैसी शैक्षणिक संस्थाओं में और उनके आसपास तम्बाकू उत्पाद

न बेचे जायें। एक वृहद विधान लाने के एक प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है जिसे देश में तम्बाकू के उपभोग में कमी आने की आशा है।

बीड़ी श्रमिकों का कल्याण

3884. **श्री टी. गोविन्दन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीड़ी श्रमिकों के कल्याण के लिए कोई मांगें लंबित हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या केरल में बीड़ी बनाने वाली महिला श्रमिकों की किसी मांग पर विचार किया जा रहा है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केरल में कासरगोड में एक पी.एस. कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उस पर क्या कार्रवाई की गई ?

श्रम मंत्री (डॉ० सत्यनारायण जटिया) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु सहायता

3885. **श्री सुशील कुमार सिंह** : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कमजोर वर्गों के उम्मीदवारों को सहायता उपलब्ध कराई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितनी राशि व्यय की गई; और

(घ) इस तरह की सहायता का लाभ उठाने वाले उम्मीदवारों के परिणाम एवं सफलता का अनुपात क्या है ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) जी हाँ, आर्थिक मानदंडों पर आधारित कमजोर वर्गों के लिए परीक्षा-पूर्व कोचिंग की योजना के अंतर्गत गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता सरकारी नौकरियों के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए अर्थात् (1) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा केन्द्रीय सिविल सेवा परीक्षा (2) राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सिविल परीक्षा (3) व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश परीक्षा (4) अधीनस्थ सेवा परीक्षाएं एवं (5) लोअर सेवा परीक्षाओं के लिए प्रदान की जाती है।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत वहन किया गया व्यय और कोचिंग प्रदान किए गए उम्मीदवारों की संख्या नीचे दी गई है :

वर्ष	संवितरित राशि (रु. करोड़ में)	लाभग्राहियों की संख्या
1995-96	1.31	3560
1996-97	0.29	620
1997-98	0.82	1360

क्योंकि अधिकांश अनुदान प्राप्तकर्त्ता सफलता दर प्रस्तुत नहीं करती हैं। अतः सफलता दर मॉनीटर करना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

दिल्ली में नए के.स.स्वा.यो. औषधालयों की स्थापना

3886. **श्री प्रभुदयाल कठेरिया**
श्रीमती उषा मीणा :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली/नई दिल्ली में नए के.स.स्वा.यो. औषधालयों की स्थापना हेतु अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन औषधालयों को अपेक्षित धनराशि आबंटित कर दी है;

(घ) यदि हाँ, तो इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ङ) इन औषधालयों की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वजित एजिलमजाई) : (क) जी हाँ।

(ख) वसन्त विहार, वसंत कुंज, सरिता विहार, साहिबाबाद, सुल्तानपुरी, बहादुरगढ़ आदि से अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ग) से (ङ) संसाधनों की उपलब्धता तथा निर्धारित मानदंडों को पूरा करने की शर्त पर ही केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के नए औषधालय चरणबद्ध रूप से खोले जाते हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ

3887. डॉ0 विजय सोनकर शास्त्री : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** एन.सी.सी.एफ. के बारे में 2 जून, 1998 के अतारांकित प्रश्न संख्या 916 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिस्ट्रीब्यूटर/डीलर/निर्माता केन्द्रीय भण्डार तथा सुपर बाजार को वस्तुएं उधार में बेच रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ में उधार की बिक्री नहीं किये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या आपूर्तिकर्ता ''घल दुकानों'' के रूप में सहकारी विभागों के पास जाकर केन्द्रीय भण्डार की तुलना में निर्धारित दरों पर नहीं बल्कि ''स्वीट'' दरों पर आपूर्ति कर रहे हैं;

(घ) यदि हाँ, तो उचित दरों पर सरकारी विभागों को वस्तुओं की आपूर्ति करने की सरकार की नीति की तुलना में राष्ट्रीय सहकारिता उपभोक्ता संघ में क्या प्रणाली विद्यमान है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय सहकारिता उपभोक्ता संघ से आपूर्तिकर्त्ता का काम बंद कर डिस्ट्रीब्यूटरों/डीलरों/उत्पादकों से काम शुरू कराने का है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) और (ख) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ, सुपर बाजार और केन्द्रीय भंडार वाणिज्यिक संगठन है जिनकी अपनी क्रय नीतियां हैं। केंद्रीय भण्डार ने सूचित किया है कि वे बिजली के सामान तथा लेखन सामग्री अपने सप्लायरों से उधार लेते हैं जो विनिर्माता अथवा प्राधिकृत वितरक होते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने सूचित किया है कि विनिर्माता/वितरक/डीलर्स जिनके साथ राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने आपूर्ति प्रबंध किए हैं; राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ को उधार की सुविधा दे रहे हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ सरकारी विभागों को प्रतिस्पर्धात्मक और उचित दरों पर वस्तुओं की आपूर्ति कर रहा है। कुछ मामलों में, जहां विनिर्माताओं/वितरकों/डीलरों के पास विशेष मदों की आपूर्ति की व्यवस्था नहीं होती है, उनकी खरीद राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ स्थानीय सप्लायरों से करता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने स्थानीय सप्लायरों से सामान खरीदने की वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा करने का प्रस्ताव किया है।

उद्योगों में रोजगार का सृजन

3888. श्री शांतिलाल पुरूषोत्तम दास पटेल : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया के दौरान निजी क्षेत्रों के उद्योगों में किस हद तक रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस वृद्धि की प्रतिशतता क्या है और रोजगार के कुल कितने अवसर सृजित किये गये;

(ग) क्या निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में रोजगार में वृद्धि की प्रतिशतता में तुलनात्मक अन्तर है; और

(घ) स्थानीय रोजगार के अवसर उत्पन्न करने में निजी क्षेत्र की क्या भूमिका है?

श्रम मंत्री (डॉ0 सत्यनारायण जटिया) : (क), (ख) और (घ) रोजगार पर आर्थिक उदारीकरण के प्रभाव का पता लगाने के लिए अब तक कोई अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि, संगठित निजी क्षेत्र में,रोजगार (अर्थात् निजी क्षेत्र में 10 या अधिक कामगारों को नियोजित करने वाले सभी गैर कृषीय प्रतिष्ठान) जो कि 31 मार्च 1991 को 76.76 लाख था, से बढ़कर 31 मार्च 1997 को 86.85 लाख हो गया। 31 मार्च, 1991 से 31 मार्च, 1997 की अवधि के दौरान 13.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 1994 से वर्ष 1997 की अवधि के दौरान निजी संगठित क्षेत्र में कुल रोजगार में 7.55 लाख की वृद्धि हुई जो कि वर्ष 1994 से वर्ष 1997 तक लगभग 9.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

(ग) जी, हाँ।

वक्फ बोर्ड

3889. श्री जी.एम. बनातवाला : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विभिन्न भागों में वक्फ बोर्डों की संपत्तियों पर अतिक्रमण किया गया है या प्रतिकूल स्वामित्व में हैं;

(ख) यदि हाँ, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस तरह की संपत्तियों का कोई सर्वेक्षण कराया है/कराए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस तरह की संपत्तियों को वक्फ बोर्ड को वापस पाने में मदद हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, हाँ।

(ख) मंत्रालय के पास अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं है तथा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों तथा राज्य वक्फ बोर्डों से मांगी गई है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 4 के अंतर्गत सर्वेक्षण आयुक्त की नियुक्ति करके राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा उन वक्फ सम्पत्तियों सहित जिनका अतिक्रमण किया गया है या जो विपरीत कब्जे में चली गई हैं, सहित वक्फ सम्पत्तियों का सर्वेक्षण किए जाने की आवश्यकता है। अब तक 11 राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने सर्वेक्षण आयुक्तों की नियुक्ति की है।

(ङ) वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 54 के अंतर्गत वक्फ सम्पत्तियों को नोटिस जारी करने तथा आदेश में उल्लिखित विनिर्दिष्ट समय के भीतर अतिक्रमण को हटाने के लिए अतिक्रमणकर्ता को आदेश देने के लिए राज्य वक्फ बोर्डों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों को शक्तियां प्रदान की गई हैं। उक्त अधिनियम की धारा 55 के अंतर्गत मुख्य कार्यपालक अधिकारी क्षेत्र के सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट की सहायता की मांग उन मामलों में करेगा जहां उसके आदेश को विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अतिक्रमण को हटाने में अतिक्रमणकर्त्ता असफल रहता है तथा सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट आदेश करेगा और ऐसी पुलिस सहायता से उसका अनुपालन कराएगा जैसा कि आवश्यक हो।

केरल में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम

3890. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम खोलने/विस्तार करने का है;

(ख) क्या केरल में गोदामों को खोलने/विस्तार करने के लिए भूमि के अधिग्रहण के विरुद्ध स्थानीय लोगों द्वारा कोई प्रतिरोध किया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) भारतीय खाद्य निगम को गोदाम का निर्माण करने के लिए पय्यान्नूर (कन्नूर जिला) में भूमि का अनन्तिम रूप से अग्रिम कब्जा दिया गया था। लेकिन यह भूमि अभी भी भूमि मालिकों के कब्जे में है जिन्होंने मुआवजे की राशि का विरोध किया है। भारतीय खाद्य निगम ने केरल सरकार से भूमि का शीघ्र प्रत्यक्ष कब्जा दिलाने के लिए अनुरोध किया है और निगम भूमि का प्रत्यक्ष कब्जा मिलने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू कर सकेगा।

मानव उपभोग के लिए आयोडीनयुक्त नमक

3891. श्री विजय संकेश्वर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नमक में आयोडीन के तत्वों के प्रभाव से संबंधित तथ्य क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने मानव उपभोग के लिए नमक में आयोडीन के अंश होना अनिवार्य बना दिया है;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस मुद्दे पर आम जनता और चिकित्सा विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया सरकार के ध्यान में आई है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वसित एजिलमलाई) : (क) आयोडीन की कमी होने वाले विकार एक प्रमुख जनस्वास्थ्य समस्या है। आयोडीन एक अनिवार्य सूक्ष्म-पोषक तत्व है। इसकी आवश्यकता मनुष्य के आयोडीन की कमी से होने वाले विकारों को रोकने के लिए रोजाना होती है। नमक में आयोडीन मिलाना आयोडीन की कमी से होने वाले विकारों को रोकने में अन्ततः सबसे सरल एवं सस्ती विधि है।

(ख) जी हाँ।

(ग) आयोडीन एक अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्व है जो मानव के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए आवश्यक है। आयोडीन की कमी से सभी आयु के लोगों को गलगंड, शारीरिक एवं मानसिक मन्दता, बहरापन-गूंगापन, भेंगापन, न्यूरोमोटर दोष, मृत जन्म, गर्भ-गिरना आदि हो सकते हैं।

(घ) और (ङ) छोटे पैमाने पर नमक का उत्पादन करने वालों तथा अन्य लोगों से नमक के आयोडीकरण पर उनकी आपत्तियों के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। सरकार ने खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली 1955 के अन्तर्गत जन स्वास्थ्य के हित में यह निर्धारित करने के लिए कदम उठाए हैं कि मनुष्य के सीधे उपयोग के लिए बेचे जाने वाले नमक को 27.5.1998 से अनिवार्यतः आयोडीकृत किया जाना होगा। हाल ही में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने अधिसूचना को निलम्बित करने के आदेश जारी किए हैं। ऐसा ही एक मामला ग्वालियर उच्च न्यायालय के समक्ष भी आया है। मामला न्यायाधीन है।

अनुसूचित क्षेत्रों में परिवर्तन

3892. श्री गिरिधर गमांग : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि पांचवें अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों ने हाल ही के वर्षों में सीमाओं, नामों में परिवर्तन किया है और गैर-अनुसूचित जिलों और क्षेत्रों के साथ विलय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इन राज्यों द्वारा इस संबंध में निर्णय

लेने से पहले या बाद में केन्द्र सरकार के साथ सम्पर्क किया गया था; और

(ग) इस संबंध में अनुच्छेद 244 (झ) के अंतर्गत संसद के अधिनियम के अनुमोदन के बगैर इन परिवर्तनों के फलस्वरूप पैदा होने वाली संवैधानिक और कानूनी समस्याओं के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) संवैधानिक आदेशों में यथा उल्लिखित जिलों के नाम, कुछ राज्यों के मामले में अनुसूचित क्षेत्रों की सीमाओं में परिवर्तन किए बिना नए जिलों की स्थापना के कारण परिवर्तित कर दिए गए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

महिलाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण

3893. श्री प्रदीप कुमार यादव : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान महिलाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राज्यवार कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गयी;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में उपलब्ध करायी गई वित्तीय सहायता के समुचित उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु कोई निगरानी समिति गठित की है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (डॉ० सत्यनारायण जटिया) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विश्व बैंक सहायियत व्यावसायिक प्रशिक्षण परियोजना के अंतर्गत महिलाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु दी गई वित्तीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) वित्तीय सहायता के सही उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर पर राज्य परियोजना कार्यान्वयन एकक तथा केन्द्र स्तर पर केन्द्रीय परियोजना कार्यान्वयन एकक द्वारा प्रबोधन किया जाता है। उपयोगिता प्रमाणपत्र तथा लेखा-परीक्षा प्रमाण-पत्र राज्यों द्वारा दिये जाते हैं। विश्व बैंक मिशन तथा मंत्रालय द्वारा समीक्षा बैठकों में नियमित अंतराल में संयुक्त रूप से प्रगति की समीक्षा की जाती है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

विश्व बैंक सहायियत व्यावसायिक प्रशिक्षण परियोजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान महिलाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण हेतु दी गई राज्य-वार वित्तीय सहायता

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	राज्य	पिछले तीन वर्षों के दौरान दी गई वित्तीय सहायता 1995-96	1996-97	1997-98
1.	आंध्र प्रदेश	182.57	41.643	57.60
2.	असम	25.80	4.686	17.051
3.	बिहार	13.724	5.956	19.719
4.	गोवा			15.00
5.	गुजरात	18.12	20.129	33.933
6.	हरियाणा	67.88	0.342	100.515
7.	हिमाचल प्रदेश	4.455	1.702	3.407
8.	केरल	20.235	12.523	15.773
9.	कर्नाटक	133.63	52.973	116.464
10.	मध्य प्रदेश	28.90	55.064	48.774
11.	महाराष्ट्र	85.22	83.789	135.054
12.	उड़ीसा	3.123	31.654	25.583
13.	पंजाब	111.94	26.204	10.205
14.	राजस्थान	10.41	12.844	24.107
15.	तमिलनाडु		7.074	41.137
16.	त्रिपुरा		1.806	0.107
17.	उत्तर प्रदेश	103.155	36.909	25.479
18.	पश्चिम बंगाल	49.70	0.885	30.417
19.	दिल्ली	5.330	1.599	1.741

दिल्ली में आतंकवादी संगठन

3894. श्री विजय गोयल : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कितने आतंकवादी संगठन हैं और उनका ब्यौरा क्या है जिनके सदस्य इस समय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कार्यरत हैं;

(ख) ये संगठन दिल्ली के किन क्षेत्रों में सक्रिय हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राजधानी में कितने आंतकवादी पकड़े गए; और

(घ) इस संबंध में पाकिस्तान की आसूचना एजेंसी आई.एस. आई. की क्या भूमिका है ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कोई विशेष आतंकवादी गुट कार्यशील नहीं है। तथापि, विभिन्न आतंकवादी ग्रुपों द्वारा हिंसक गतिविधियों के लिए अथवा छिपने और अन्य स्थानों पर आंतकवादी कार्रवाई करने की योजना बनाने के लिए दिल्ली का इस्तेमाल किया जा रहा है।

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 1993 से 30 जून, 1998 की अवधि के दौरान 234 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है।

घ) पिछले कुछ वर्षों के दौरान गिरफ्तार किए गए विभिन्न कवादियों से की गयी पूछताछ से यह स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान आई.एस.आई. संभारिकी, निधियों, शस्त्रों/विस्फोटकों, प्रशिक्षण, प्रेरणा आदि के रूप में विभिन्न आतंकवादी ग्रुपों की सहायता कर रही है।

[अनुवाद]

तेल क्षेत्र

3895. श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेल क्षेत्रों की खोज/विकास करने हेतु तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम द्वारा व्यय की गई धनराशि का पुनर्भुगतान कराये बिना ही इन्हें निजी तेल कम्पनियों को दे दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में भारतीय नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) खोजे गए क्षेत्रों के पहले और दूसरे प्रस्ताव के अंतर्गत भारत सरकार ने 24 छोटे आकार के खोजे गए क्षेत्रों और 6 मध्यम आकार के खोजे गए क्षेत्रों के लिए संविदाएं प्रदान करने का अनुमोदन कर दिया है। इन क्षेत्रों के संबंध में पिछली लागत की प्रतिपूर्ति बोली आमंत्रण सूचना में एक बोली योग्य मद नहीं थी। तथापि सह-उद्यमी द्वारा ओ.एन.जी.सी./ओ.आई.एल. को हस्ताक्षर/उत्पादन बोनस का भुगतान उनके द्वारा अन्वेषण पर वहन किए गए जोखिम/व्यय की क्षतिपूर्ति के लिए था।

(ग) भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट केन्द्र सरकार 1996 की संख्या 5 (वाणिज्यिक) - कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में ओ.एन.जी.सी. के साथ निजी पक्षकारों की प्रतिभागिता, संसद के दोनों सदनों में 27.2.97 को पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी है।

केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों में तदर्थ यूनानी डॉक्टर

3896. श्रीमती ऊषा वर्मा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली/नई दिल्ली में केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में इस समय तदर्थ आधार पर कार्यरत यूनानी चिकित्सा अधिकारियों की संख्या क्या है;

(ख) तदर्थ आधार पर नियुक्त चिकित्सा अधिकारी ''यूनानी'' की सेवाओं को विनियमित करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं;

(ग) क्या इन चिकित्सा अधिकारियों की सेवाओं को विनियमित करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन चिकित्सा अधिकारियों की सेवाओं को कब तक विनियमित कर दिए जाने की आशा है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) चार।

(ख) से (ङ) चिकित्सा अधिकारी (यूनानी) के पद, समूह ''क'' राजपत्रित पद होने के कारण संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भरे जाते हैं। इसलिए तदर्थ आधार पर कार्यरत व्यक्तियों की सेवाओं को नियमित करने का प्रश्न नहीं उठता।

खाद्यान्नों को एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने ले जाने पर प्रतिबंध

3897. श्री रंजीव बिस्वाल : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों ने सरकार से खाद्यान्नों को अन्य राज्यों में लाने-ले जाने पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इन राज्यों के नाम क्या हैं और ऐसा अनुरोध किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) और (ख) गेहूं और मोटे अनाजों के लिए समस्त देश इस समय एकल खाद्य जोन है। तथापि, आन्ध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और जम्मू तथा कश्मीर की राज्य सरकारों ने खाद्यान्नों पर अन्तर-राज्यीय संचलन प्रतिबंध का अनुरोध किया है।

जम्मू और कश्मीर ने चावल की स्थानीय मोटी किस्मों पर प्रतिबंध लगाया है ताकि राज्य में इसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। पश्चिम बंगाल में खाद्यान्नों के संचलन पर प्रतिबंध केवल उन क्षेत्रों में लागू है जो क्षेत्र सांविधिक राशनिंग के अधीन हैं और जो क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के निकट स्थित हैं। राज्य सरकारें यह महसूस करती हैं कि ऐसे प्रतिबंध मूल्य में वृद्धि को रोकने के लिए आवश्यक होते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली चलाने के लिए चावल की अधिकतम वसूली करने और राज्य के अन्दर उचित मूल्य पर चावल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए धान/चावल पर प्रतिबंध जारी रखना चाहती है।

(ग) इन राज्यों को यह समझाने के प्रयास जारी हैं कि वे राज्यों से बाहर धान/चावल के संचलन पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त कर दें ताकि वे समूचे देश की एक खाद्य जोन मानने संबंधी नीति की मुख्य धारा में शामिल हो सकें।

कपड़ा श्रमिकों का पुनर्वास

3898. श्री चेंगारा सुरेन्द्रन : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पुनालूर पेपर मिल, केरल में राष्ट्रीय पुनः नवीकरणीय कोष के लाभार्थियों के लिए वृत्तिका और निःशुल्क राशन में वृद्धि की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने केरल में पेपर मिल के विस्थापित बेरोजगार श्रमिकों के पुनर्वास के लिए किसी योजना की घोषणा की है; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा उक्त योजना के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं ?

श्रम मंत्री (डॉ० सत्यनारायण जटिया) : (क) से (घ) औद्योगिक पुनर्संरचना से प्रभावित कर्मकारों के हितों की रक्षा के लिए 3 फरवरी, 1992 को सरकार ने राष्ट्रीय नवीकरण निधि स्थापित की थी। हाल ही में सरकार ने राष्ट्रीय नवीकरण निधि के अंतर्गत वृत्तिका की दर संशोधित कर श्रेणी 'क' शहरों के लिए 60 रुपये प्रति प्रशिक्षु और अन्य स्थानों के लिए 50 रुपये प्रति प्रशिक्षु कर दी है। 1992-93 से 1997-98 तक राष्ट्रीय नवीकरण निधि के अंतर्गत बजटीय आबंटन के रूप में कुल 3407 करोड़ रुपये प्रदान किये गये हैं। व्यय का प्रमुख हिस्सा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कारण था। राष्ट्रीय नवीकरण निधि के अंतर्गत अधिकतर केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को निधियां उपलब्ध करवाई गई हैं। इस मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित पेपर मिल के निजी क्षेत्र में होने की रिपोर्ट है।

घुसपैठ

3899. श्री भीम वाघाल : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही के वर्षों के दौरान विदेशी नागरिकों द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों में घुसपैठ करने की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितने घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया और स्वदेश भेजा गया; और

(ग) उक्त राज्यों में घुसपैठ को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) यह नहीं कहा जा सकता है कि पूर्वोत्तर राज्यों में हाल के वर्षों में विदेशी राष्ट्रिकों की घुसपैठ बढ़ी है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) भारत में बंगलादेशी नागरिकों की घुसपैठ की समस्या पर काबू पाने के लिए सरकार द्वारा अनेक उपाय किए गए हैं। इन उपायों में शामिल हैं- सीमा सुरक्षा बल की अतिरिक्त बटालियनें बनाना, सीमा चौकियों के बीच की दूरी कम करना, भूमि और नदी तटीय सीमा दोनों पर गश्त तेज करना, सीमा सड़कों और बाड़ निर्माण कार्यक्रम को तेज करना, सीमा चौकी बुर्जों की संख्या बढ़ाना, निगरानी उपकरण, इत्यादि उपलब्ध कराना। इस मामले को विभिन्न मौकों पर बंगलादेश सरकार के साथ भी उठाया गया है। इन उपायों की प्रगति की विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से पुनरीक्षा की जाती है।

एड्स, टी.बी. और कैंसर पर अध्ययन

3900. श्री नृपेन गोस्वामी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वार देश में, विशेष रूप से उत्तर-पूर्वी राज्यों में ''एड्स'', टी.बी., कैंसर जैसी भयानक बीमारियों और अन्य गंभीर बीमारियों के फैलने के सम्बन्ध में कोई अध्ययन कराया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त बीमारियों से पीड़ित रोगियों की संख्या कितनी है;

(ग) ऐसे मेडिकल कॉलेजों, संस्थानों और अस्पतालों के नाम एवं पता क्या है जहां पर ''एड्स'' का पता लगाने की सुविधा वर्तमान में उपलब्ध है;

(घ) क्या सरकार का विचार पूर्वोत्तर राज्यों में, विशेष रूप से असम में और अधिक निगरानी केन्द्र स्थापित करने का है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन जगहों के नाम क्या हैं जहां ये केन्द्र स्थापित किये जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वलित एजिलमलाई) : (क) जी, नहीं।

(ख) अब तक सूचित किए गए एड्स के रोगियों की संख्या 6059 है। यह अनुमान लगाया गया है कि लगभग 1.4 प्रतिशत जनसंख्या क्षयरोग से पीड़ित है। 1997-98 के दौरान उत्तर-पूर्वी राज्यों में लगभग 33,600 क्षय रोगियों का पता लगाया गया और

उन्हें क्षयरोधी उपचार कर रखा गया। देश में कैंसर के रोगियों की अनुमानित संख्या लगभग 2 से 2.5 मिलियन है।

(ग) विवरण-I पर दी गई सूची के अनुसार है।

(घ) और (ङ) जी, हाँ। असम सहित उत्तर-पूर्वी राज्यों में स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित अतिरिक्त निगरानी केन्द्रों और उनके स्थानों की सूची विवरण-II पर दी गई है।

विवरण-I

निगरानी केन्द्रों, जहां एच.आई.वी. की परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं, की सूची

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	
1. आंध्र प्रदेश	1. सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग, उसमानिया कालेज, हैदराबाद।
	2. सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग, एस.वी. मेडिकल कालेज, तिरूपति।
	3. सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग, आंध्र मेडिकल कॉलेज, विशाखापत्तनम।
	4. निवारक औषध संस्थान, हैदराबाद।
2. अरूणाचल प्रदेश	5. जिला अस्पताल, ईटानगर।
3. असम	6. सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग, गुवाहाटी मेडिकल कालेज, गुवाहाटी।
4. बिहार	
5. गोवा	7. सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग, गोवा मेडिकल कॉलेज, पणजी।
6. गुजरात	8. सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग, बी.जे. मेडिकल कॉलेज, अहमदाबाद।
7. हरियाणा	9. सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग, मेडिकल कालेज, रोहतक।
8. हिमाचल प्रदेश	10. सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग, इंदिरा गांधी मेडिकल कालेज, शिमला।
9. जम्मू व कश्मीर	11. इम्यूनो पैथोलॉजी विभाग, शेरे कश्मीर आयुर्विज्ञान संस्थान, श्रीनगर।
	12. सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग, राजयकी मेडिकल कॉलेज, जम्मू।
10. कर्नाटक	13. सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग, बैंगलूर मेडिकल कालेज, बैंगलूर।
	14. सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, मुनिपाल।
11. केरल	15. सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग, मेडिकल कॉलेज, त्रिवेन्द्रम।
12. मध्य प्रदेश	16. रोग विकृति विज्ञान विभाग, गांधी मेडिकल कॉलेज, भोपाल।
	17. चौथराम अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र, इंदौर।
13. महाराष्ट्र	18. सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग, सेठ जी.एस. मेडिकल कालेज, मुम्बई।
	19. सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग, जे.जे. अस्पताल, मुम्बई।
	20. सिओन अस्पताल, मुम्बई।
	21. डी.वाई.एम. नायर अस्पताल, मुम्बई।
	22. राजाबाड़ी अस्पताल, घाटकोपर, मुम्बई।
	23. बी.जे. मेडिकल कॉलेज, पुणे।
	24. सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग राजकीय मेडिकल कालेज, नागपुर।
	25. सिविल अस्पताल, कोल्हापुर।
	26. जिला अस्पताल, चन्द्रपुर।
	27. राजकीय मेडिकल कालेज, मिराज।
14. मणिपुर	28. जे.एन. अस्पताल, इम्फाल।
15. मेघालय	29. सिविल अस्पताल, शिलांग।
16. मिजोरम	30. सिविल अस्पताल, एजवाल।
17. नागालैंड	31. नागा अस्पताल, कोहिमा।
	32. जिला अस्पताल, दीमापुर।
18. उड़ीसा	33. सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग, एस.सी.बी. मेडिकल कॉलेज, कटक।
19. पंजाब	34. राजकीय मेडिकल कॉलेज, अमृतसर।
20. राजस्थान	35. सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग, एस.एम. एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
21. सिक्किम	36. एस.टी.एन.एम. अस्पताल, गंगटोक।
22. तमिलनाडु	37. चेन्नई मेडिकल कालेज अस्पताल, चेन्नई।
	38. सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग, मदुरै मेडिकल कालेज, मदुरै।

23. त्रिपुरा — 39. जिला अस्पताल, अगरतला।

24. उत्तर प्रदेश — 40. सूक्ष्म जीव-विज्ञान विभाग, के.जी. मेडिकल कॉलेज, लखनऊ।

25. पश्चिम बंगाल

26. अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह — 41. जी.बी. अस्पताल, पोर्ट-ब्लेयर।

27. चण्डीगढ़

28. दादरा व नगर हवेली

29. दमण व दीव

30. दिल्ली — 42. सूक्ष्म जीव-विज्ञान विभाग, विश्वविद्यालय आयुर्विज्ञान कॉलेज, शाहदरा, दिल्ली।

43. सूक्ष्म जीव-विज्ञान विभाग, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली।

31. लक्षद्वीप — 44. राजकीय अस्पताल, कवाराती।

32. पाण्डीचेरी — 45. गवर्नमेंट जनरल अस्पताल, पाण्डीचेरी

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अधीन

46. केन्द्रीय जालमा कुष्ठ संस्थान, आगरा

47. क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र, भुवनेश्वर

48. क्षेत्रीय आदिवासी स्वास्थ्य चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र, जबलपुर।

49. क्षय रोग अनुसंधान केन्द्र, चेन्नई।

50. राजेन्द्र स्मारक अनुसंधान संस्थान, पटना।

सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा महानिदेशालय के अधीन

51. इंडियन नेवल शिप अस्पताल, अश्वनी, मुम्बई।

52. इंडियन नेवल शिप अस्पताल, कोचीन।

53. सशस्त्र सेना कमांड अस्पताल, दिल्ली छावनी

54. सूक्ष्म जीव-विज्ञान विभाग, ए.एफ.एम.सी., पुणे।

55. इंडियन नेवल शिप अस्पताल, कल्याणी, विशाखापत्तनम।

केन्द्रीय संस्थाओं में

56. अखिल भारतीय स्वच्छता विज्ञान एवं जनस्वास्थ्य संस्थान, कलकत्ता।

57. सूक्ष्म जीव-विज्ञान विभाग, जिपमेर पाण्डीचेरी।

प्रायत्त संस्थाओं में

58. सूक्ष्म जीव-विज्ञान विभाग, आयुर्विज्ञान संस्थान, वाराणसी।

59. जवाहर लाल मेडीकल कालेज, अलीगढ़।

60. इम्यूनो पैथी विभाग, पी.जी.आई., चंडीगढ़।

61. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका शल्य चिकित्सा संस्थान, बैंगलूर।

निजी संस्थाओं में

62. कमला नेहरू मेडिकल कालेज, इलाहाबाद।

एच.आई.वी. रेफरेंस केन्द्रों की सूची

राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली।

भारतीय इम्यूनो-रुधिर विज्ञान संस्थान, मुम्बई।

राष्ट्रीय हैजा एवं आंत्रशोथ संस्थान, कलकत्ता।

स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन्स, कलकत्ता।

मद्रास मेडिकल कालेज, चेन्नई।

राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान, पुणे।

क्षेत्रीय मेडिकल कालेज, इम्फाल।

क्रिश्चिन मेडिकल कालेज, वेल्लूर।

विवरण-II

उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए एच.आई.वी. संक्रमण के लिए प्रहरी निगरानी केन्द्रों की सूची

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	प्रहरी समूह स्थान का नाम
1	2	3
1.	असम	1. एस.टी.डी. क्लीनिक, मेडिकल कालेज, गुवाहाटी।
		2. एस.टी.डी. क्लीनिक, मेडिकल कालेज, डिब्रूगढ़।
		3. एंटीनेटल क्लीनिक, जिला अस्पताल, जोरहाट।

1	2	3
		4. एंटीनेटल क्लीनिक, जिला अस्पताल, नयागांव।
2.	अरुणाचल प्रदेश	1. एस.टी.डी. क्लीनिक, जिला अस्पताल, पासीघाट
		2. एस.टी.डी. क्लीनिक, राजकीय अस्पताल, ईटानगर।
		3. एंटीनेटल क्लीनिक, राजकीय अस्पताल, नाहरलागुन।
3.	मणिपुर	1. एस.टी.डी. क्लीनिक, जे.एन.अस्पताल, इम्फाल।
		2. एस.टी.डी. क्लीनिक, सिविल अस्पताल, चूड़ाचांदपुर।
		3. ए.एन.सी. क्लीनिक, सिविल अस्पताल, इम्फाल।
		4. एंटीनेटल क्लीनिक, सिविल अस्पताल, इम्फाल।
		5. एंटीनेटल क्लीनिक, सिविल अस्पताल, चूड़ाचांदपुर।
		6. एंटीनेटल क्लीनिक, सिविल अस्पताल, विष्णुपुर।
		7. एंटीनेटल क्लीनिक, जनरल अस्पताल, लाम्फेलपेट।
		8. नशा मुक्ति केन्द्र, जे.एन. अस्पताल, इम्फाल।
		9. नशा मुक्ति केन्द्र, सिविल अस्पताल, चूड़ाचांदपुर।
		10. नशा मुक्ति केन्द्र, जिला अस्पताल, विष्णुपुर।
		11. रक्त बैंक, जे.एन. अस्पताल, इंफाल।
4.	मेघालय	1. एस.टी.डी. क्लीनिक, सिविल अस्पताल, शिलांग।
		2. एंटीनेटल क्लीनिक, जी.डी. अस्पताल, शिलांग।
		3. एस.टी.डी. क्लीनिक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जैंटिया हिल्स।
		4. एंटीनेटल क्लीनिक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रेसबेलपुरा, जिला लीस्ट गारो हिल्स।
5.	मिजोरम	1. एस.टी.डी. क्लीनिक, सिविल अस्पताल, एजवाल।
		2. एंटीनेटल क्लीनिक, एम.सी.एम. क्लीनिक, एजवाल।
		3. एंटीनेटल क्लीनिक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लुंगई।
		4. नशा मुक्ति केन्द्र, सिविल अस्पताल, एजवाल।
6.	नागालैंड	1. एस.टी.डी. क्लीनिक, सिविल अस्पताल, कोहिमा।
		2. सिविल अस्पताल, मोकोकचुंग।
		3. सिविल अस्पताल, कोखा।
		4. सिविल अस्पताल, तुएनसांग।
		5. सिविल अस्पताल, मोंन।
		6. नशा मुक्ति केन्द्र, सिविल अस्पताल, कोहिमा।
7.	सिक्किम	1. एस.टी.डी. क्लीनिक, एस.टी.एन.एम. अस्पताल, गंगटोक।
		2. एंटीनेटल क्लीनिक, एस.टी.एन.एम. अस्पताल, गंगटोक।
		3. एंटीनेटल क्लीनिक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पाक्योंग।
8.	त्रिपुरा	1. एस.टी.डी. क्लीनिक, जिला अस्पताल, अगरतला।

पेट्रोल पम्पों/गैस एजेंसियों का आबंटन

3901. श्री सत्यपाल जैन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले 10 वर्षों के दौरान संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ में विभिन्न व्यक्तियों को कुछ पेट्रोल पम्प, गैस एजेंसियां अथवा मिट्टी के तेल के डिपो स्वीकृत अथवा दिए गए;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी न्यायालय द्वारा कोई आंबटन रद्द किया गया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) न्यायालय के निर्णय और इस संबंध में वर्तमान वास्तविक

और तथ्यपरक स्थिति को मद्दे नजर रखते हुए क्या कार्रवाई की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ङ) पिछले 10 वर्षों के दौरान संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ में 18 खुदरा बिक्री केन्द्र, 8 एल.पी.जी. वितरण केन्द्र और 2 एस.के.ओ.-एल.डी.ओ. डीलरशिप आवंटित की गई हैं।

उपर्युक्त में से भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय और दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार, 6 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें रद्द कर दी गई हैं। कोई भी एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप अथवा एस.के.ओ.-एल.डी.ओ. डीलरशिप रद्द नहीं की गयी है। तेल कम्पनियों ने रिपोर्ट भेजी है कि रद्द की गई 6 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों में से 3 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें, दिल्ली उच्च न्यायालय की अनुमति प्राप्त करने के बाद, कंपनी की नीति के अनुसार, तदर्थ आधार पर प्रचलित की जा रही हैं। 3 खुदरा बिक्री केन्द्र बंद कर दिए गए हैं।

[हिन्दी]

भोपाल गैस त्रासदी

3902. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समूचे भोपाल को गैस-प्रभावित क्षेत्र घोषित करने के लिए केन्द्र सरकार को राज्य सरकार, राजनीतिक पार्टियों और गैर-सरकारी संगठनों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भोपाल के बीस म्युनिसिपल वार्डों को गैस प्रभावित क्षेत्रों की सूची में शामिल नहीं किया गया है जिसके कारण वहां के लोगों में काफी रोष व्याप्त है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में कब तक ठोस कदम उठाए जाने संभावना है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० ए.के. पटेल) : (क) से (ग) प्राप्त अभ्यावेदनों की नए सिरे से जांच की गई थी और मामले को भोपाल गैस विभीषिका से संबंधित मंत्रिसमूह (जी.ओ.एम.) की 30 जुलाई, 1997 को हुई बैठक में प्रस्तुत किया गया था। पर्याप्त विचार करने के बाद जी.ओ.एम. ने यह निष्कर्ष निकाला कि 36 वार्डों, जिन्हें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1985 में ''गैस प्रभावित'' घोषित किया गया था, के अतिरिक्त किसी अन्य क्षेत्र को गैस प्रभावित घोषित करने का कोई औचित्य नहीं है।

[अनुवाद]

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में नर्सिंग स्टाफ के लिए क्वार्टर का आवंटन

3903. श्री मोइनुल हसन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में टाइप-तीन के 200 नर्सों के क्वार्टर निर्मित किए गए हैं और ये अभी स्टाफ को आंवटित नहीं किए गए है;

(ख) यदि हाँ, तो इन क्वार्टरों के आवंटन में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन क्वार्टरों का आवंटन न किए जाने के कारण सरकार को राजस्व की हानि हो रही है;

(घ) यदि हाँ, तो प्रति वर्ष कितने राजस्व की हानि हुई है; और

(ङ) नर्सिंग स्टाफ के लिए इन क्वार्टरों का आवंटन कब तक कर दिए जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) और (ख) ए.वी.नगर, नई दिल्ली में टाइप-III के 200 क्वार्टर निर्माणाधीन हैं और इनका कार्य प्रगति पर है।

(ग) और (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) जैसे ही इनका निर्माण कार्य पूरा हो जायेगा और ये क्वार्टर राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम द्वारा सौंप दिए जाऐंगे तो ये क्वार्टर इस उद्देश्य हेतु निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार नर्सों को आवंटित कर दिए जाएंगे।

के.स.स्वा. योजना की डिस्पेंसरी में रोगात्मक परीक्षण

3904. श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (जहानाबाद) : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को प्रयोगशाला युक्त डिस्पेंसरियों, विशेष रूप से दिल्ली स्थिति आराम बाग को डिस्पेंसरी में ऐसे समय रोगात्मक परीक्षण से वंचित रखा जाता है जब तकनीशियन लम्बी छुट्टी पर चला जाता है;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) के. स. स्वा. योजना के लाभार्थियों को बिना किसी व्यवधान के यह सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) से (ग) यदि प्रयोगशाला तकनीशियन लम्बी छुट्टी पर चला जाता है तो भी आराम बाग स्थित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थी रोगी की जांच से वंचित नहीं रहते हैं, क्योंकि केन्द्रीय सचिवालय स्थित स्वास्थ्य जांच केन्द्र से ये जांच कराने के लिए वैकल्पिक प्रबंध किया जाता है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

अन्तर्राष्ट्रीय चीनी परिषद

3905. श्री राज नारायण पासी : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992 में अन्तर्राष्ट्रीय चीनी परिषद् की बैठकों में भाग लेने पर वर्ष-वार विदेशी मुद्रा सहित कितनी धनराशि खर्च हुई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उक्त बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ देशों ने परिषद् की सदस्यता छोड़ दी है; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) 1992 और उसके बाद अन्तर्राष्ट्रीय चीनी परिषद की बैठकों में भाग लेने के लिए खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय चीनी परिषद् के मई, 1993 के सत्र में तत्कालीन खाद्य मंत्री श्री कल्पनाथ राय ने भाग लिया था।

(ग) और (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, एक सदस्य देश ने पहली सितम्बर, 1994 को करार से अपना नाम वापस ले लिया है।

अन्तर्राष्ट्रीय चीनी करार में देशों के शामिल होने अथवा उसे छोड़ने के कारण उनके राष्ट्रीय हितों की अवधारणा पर निर्भर करेंगे।

15.5.1998 को स्थित के अनुसार, अन्तर्राष्ट्रीय चीनी करार के 52 देश सदस्य थे।

विवरण

1992 से अन्तर्राष्ट्रीय चीनी परिषद की बैठकों में भाग लेने के प्रयोजन के लिए विदेशी मुद्रा सहित खर्च की गई धनराशि

वर्ष	तारीखें	भारत सरकार द्वारा किया गया खर्च
1	2	3
1992	(1) 10-15 मई, 1992	74,658.50 रुपये* (दैनिक भत्ते के प्रति विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए दिए गए 12037.50 रुपये सहित)
	(2) 23-27 नवम्बर, 1992	73,572.50 रुपये* (दैनिक भत्ते के प्रति विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए दिए गए 11437.50 रुपये सहित)
1993	(1) 18-21 मई, 1993	3,97,767 रुपये (दैनिक भत्ते + होटल प्रभारों + टेलीफोन प्रभारों के प्रति विदेशी मुद्रा में 203972 रुपये सहित)
	(2) 30 नवम्बर - 3 दिसम्बर, 1993	1,83,910.00 रुपये* (दैनिक भत्ते के प्रति विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए दिए गए 23250 रुपये सहित)

1	2	3
1994	(1) 24-26 मई, 1994	73,615.00 रुपये* (दैनिक भत्ते के प्रति विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए दिए गए 9466 रुपये सहित)
	(2) 22-25 नवम्बर, 1994	93,625.00 रुपये* (दैनिक भत्ते के प्रति विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए दिए गए 11625 रुपये सहित)
1995	(1) 30 मई - 2 जून, 1995	1,62,870 रुपये* (दैनिक भत्ते के प्रति विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए दिए गए 8160 रुपये सहित)
	(2) 27 नवम्बर - 3 दिसम्बर, 1995	93,643 रुपये* (दैनिक भत्ते के प्रति विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए दिए गए 13238.00 रुपये सहित)
1996	25 अक्टूबर, 1996	81594.00 रुपये दैनिक भत्ते + होटल प्रभारों के रूप में विदेशी मुद्रा में अदा किए गए 15674 रुपये सहित)
1997	24-28 नवम्बर, 1997	1,13,950 रुपये* (दैनिक भत्ते के रूप में 22750 रुपये =600 अमरीकी डालर सहित)
1998	25-29 मई, 1998	1,69,118 रुपये (दैनिक भत्ते + होटल प्रभारों के रूप में 30500 रुपये =752.35 अमरीकी डालर सहित)

* होटल प्रभारों को छोड़कर।

[अनुवाद]

कालीकट में ई.एस.आई. अस्पताल

3906. श्री पी. शंकरन : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कालीकट स्थित सुपर स्पेशिएलिटी ई.एस.आई. अस्पताल का निर्माण-कार्य अभी आरम्भ किया जाना है; और

(ख) यदि हाँ, तो निर्माण कार्य कब तक शुरू किए जाने की आशा है ?

श्रम मंत्री (डॉ० सत्यनारायण जटिया) : (क) और (ख) कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने कालीकट में एक व्यवसायगत बीमारी केन्द्र की स्थापना करने का निर्णय लिया है। चूंकि यह परियोजना बनाए जाने/अवधारणा स्तर पर है, अतएव निश्चिततौर पर यह बता पाना कठिन है कि इसके लिए निर्माण कार्य कब तक शुरू कर दिया जायेगा।

हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड का निजीकरण

3907. श्री जार्ज ईडन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड केरल के निजीकरण के लिए कोई प्रस्ताव तैयार किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कर्मचारियों की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) और (ख) इस संबंध में डिसइनवेस्टमेंट कमीशन की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

(ग) हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड के कर्मचारियों ने कम्पनी के निजीकरण का विरोध किया है।

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् में बिजली का संकट

3908. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् क्षेत्र में गत कुछ दिनों से बिजली का संकट छाया हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के उच्च अधिकारीगण इस क्षेत्र में विशेषकर गोल मार्केट क्षेत्र में बार-बार बिजली गुल होने की रोकथाम करने में पूर्णतः विफल रहे हैं; और

यदि, हाँ, तो नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् क्षेत्र में का उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये सरकार का क्या तत्काल कदम उठाने का विचार है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् क्षेत्र में ऐसा कोई बिजली संकट नहीं है। तथापि, यदा-कदा व्यवधान और बाधाएं आई थीं, जो कि अत्यधिक गर्मी के मौसम में सामान्यतः होती रहती हैं, तथा इन पर यथा-शीघ्र कार्रवाई की गई थी।

(ग) 25 जून, 1998 से 9 जुलाई, 1998 तक की अवधि के दौरान गोल मार्किट क्षेत्र से ''नो-करंट'' की 751 शिकायतें प्राप्त हुई, जिन्हें नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् स्टाफ द्वारा दूर किया गया। तथापि, नई दिल्ली के मन्दिर मार्ग के ''डी'' सैक्टर के मामले में 02 जुलाई, 1998 की रात में स्विच के ट्रिप हो जाने के कारण लगातार समस्या बनी हुई थी, ऐसा केबल में खराबी के कारण हुआ था जिसे अब दूर कर दिया गया है और बिजली आपूर्ति पुनः जारी कर दी गई है।

(घ) बिजली आपूर्ति की बाधा और उसमें किसी व्यवधान को दूर करने के लिए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् क्षेत्र के विभिन्न सब स्टेशनों में 24 घंटे स्टाफ तैनात रहता है।

बेल्जियम के राष्ट्रपति का दौरा

3909. श्री मोहन रावले : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेल्जियम ''एसोसिएशन फार सालिडारिटी विद् जम्मू एण्ड कश्मीर'' के राष्ट्रपति ने अक्टूबर-नवम्बर, 1997 में जम्मू और कश्मीर का दौरा किया था तथा जम्मू, श्रीनगर और लेह में लोगों का साक्षात्कार किया;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उन्होंने कहा है कि जम्मू, श्रीनगर तथा लद्दाख के एक व्यक्ति ने भी पाकिस्तान के साथ विलय का पक्ष नहीं किया; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, बैल्जियम ''एसोसिएशन फार सालिडारिटी विद् जम्मू एण्ड कश्मीर'' के अध्यक्ष ने मई-जून, 1997 में जम्मू, श्रीनगर और लद्दाख का दौरा किया और वहां लोगों से मिले।

(ख) और (ग) जी हाँ, श्रीमान्। अपनी यात्रा के बाद उनके द्वारा जारी की गई रिपोर्ट से उद्धरण विवरण के रूप में संलग्न हैं।

विवरण

बैल्जियम एसोसिएशन फार सोलिडारिटी विद् जम्मू एण्ड कश्मीर के अध्यक्ष की दौरा रिपोर्ट से उद्धरण

जम्मू, राजोरी, श्रीनगर और लेह की गलियों में आम आदमी से मुलाकात ।

कश्मीरी लोग पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते हैं और ''उग्रवाद से पूर्व की स्थिति'' पर लौटना चाहते हैं, वे भारत के साथ रहना चाहते हैं। (हमारे वहां संबंध हैं), और यदि स्वतंत्रता उन्हें शांति ला सकती है तो वे इस हल को स्वीकार कर लेंगे। जम्मू, घाटी अथवा लद्दाख में मुझे एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो पाकिस्तान के साथ विलय चाहते हों, हालांकि मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का बहुत इच्छुक था।

- कश्मीरी समझते हैं कि पाकिस्तान उनके साथ खिलवाड़ कर रहा है. . . . पाकिस्तान को हस्तक्षेप करना तथा धन, गोला-बारूद, हथियार, भाड़े के सैनिक भेजना बंद करना चाहिए. . . पाकिस्तान हमारी धरती चाहता है, कश्मीरियों को नहीं।

- पाकिस्तान के हस्तक्षेप की वजह से हमारे बच्चे सामान्य शिक्षा से वंचित रहे। उन्होंने अपने जीवन के सात वर्ष खो दिए हैं। उन्होंने घर से स्कूल और स्कूल से घर वापसी का रास्ता ही देखा है। अब कुछ हालात सुधरे हैं और हमें आशा है कि यह प्रवृत्ति जारी रहेगी। कश्मीरी लोग महसूस करते हैं कि उन्हें पाकिस्तान द्वारा धोखा दिया गया है : ''पाकिस्तान ने हमारे जीवन के सात वर्ष बरबाद कर दिए हैं।''

- सात वर्षों के उग्रवाद और बगैर किसी आय के हाउस बोट के मालिक अपनी हाउस बोटों की मरम्मत नहीं करा

सकते हैं तथा उन्हें जीवन-यापन हेतु अपनी बहुमूल्य वस्तुओं को बेचना पड़ा। उन्हें आशा है कि पर्यटक शीघ्र लौटेंगे।

- अनेकों कश्मीरियों ने अपनी आमदनी के स्रोत गंवा दिए और आठ वर्षों के बाद उनकी बचत पूंजी भी समाप्त हो चुकी है। ''पर्यटन-उद्योग'' पर निर्भर कश्मीरी लोग सबसे बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं।

राष्ट्रीपतीय प्रणाली की सरकार

3910. **श्री नादेन्दला भास्कर राव :**
डॉ० असीम बाला :
श्री समीक लाहिडी :
श्री शंकर प्रसाद जायसवाल :
श्री अमर राय प्रधान :
श्री मोती लाल वोरा :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रपतीय प्रणाली की सरकार लाने के लिए संविधान में संशोधन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है; और

(घ) क्या सरकार उक्त विधेयक को चालू सत्र के दौरान पेश करने पर विचार कर रही है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी हाँ, श्रीमान्। तथापि, पिछले पचास वर्षों के अनुभव के मद्देनजर संविधान की पुनरीक्षा करने और उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए सरकार का एक आयोग गठित करने का प्रस्ताव है।

(ख) से (घ) मामला इस समय विचाराधीन है।

हुर्रियत कांफ्रेस

3911. **श्री के.एस. राव** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को हाल ही में आल जम्मू एंड कश्मीर हुर्रियत कांफ्रेस नेताओं द्वारा दिल्ली में की गई गतिविधियों की जानकारी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार को, हुर्रियत नेताओं की दिल्ली में विभिन्न राजनयिकों के साथ बैठकों की रिपोर्टों और पाक उच्चायोग के अधिकारियों द्वारा हुर्रियत नेताओं को समर्थन जारी रखने के लिए दिए गए आश्वासन के बारे में जानकारी है।

(ग) किसी दूतावास/उच्च आयोग में जाने और राजनयिकों से मिलने पर किसी व्यक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तथापि, सरकार हुर्रियत नेताओं की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखे हुए है।

शासकीय गुप्तबात अधिनियम

3912. **श्री दिनशा पटेल :**
श्री शांतिलाल पुरूषोत्तम दास पटेल :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश ने कहा है कि शासकीय गुप्तबात अधिनियम को समाप्त किया जाना चाहिए;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार सूचना प्राप्त करने की स्वतंत्रता से संबंधित विधेयक को अधिनियमित करने की आवश्यकता पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ङ) (क) और (ख) के संदर्भ में कोई निश्चित सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, गृह मंत्रालय द्वारा शासकीय गुप्तबात अधिनियम, 1923 की धारा 5 में संशोधन करने के संबंध में तैयार किए गए एक प्रस्ताव पर, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा बनाए गए ''सूचना के अधिकार संबंधी विधेयक'' के प्रस्तावित मसौदे के साथ मंत्रियों के ग्रुप द्वारा विचार किया गया था।

मंत्रियों के ग्रुप के विचार-विमर्श के आधार पर आगे कार्रवाई की जा रही है।

भारतीय खाद्य निगम जिले

3913. **श्री विक्रम देव केशरी** : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम को 1993-94 के दौरान कालाहांडी तथा नुआपाड़ा जिलों को मिलाकर एक नया भारतीय खाद्य निगम जिला बनाने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कालाहांडी तथा नुआपाड़ा के पिछड़े क्षेत्रों के लिए एक नया भारतीय खाद्य निगम जिला बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव) : (क) से (ग) जी, हाँ। कालाहांडी (उड़ीसा) में एक नया भारतीय खाद्य निगम जिला बनाने के लिए उड़ीसा के विधान सभा के तत्कालीन सदस्य, श्री विक्रम केसरी देव से 16.1.1994 को एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। भारतीय खाद्य निगम (भा.खा.नि.) द्वारा इस प्रस्ताव की बारीकी से जांच की गई थी और जिले में भारतीय खाद्य निगम की गतिविधियां अर्थात् भंडारण क्षमता, वसूली परिचालन आदि पर प्रति वर्ष होने वाले आवर्ती और अनावर्ती स्वरूप के भारी वित्तीय खर्च के कारण जिला कार्यालय को खोलना उचित नहीं पाया गया था। माननीय विधायक को तदनुसार स्थिति से अवगत करा दिया गया था।

तथापि, बाद में इस स्थिति की समीक्षा की गई थी और कालाहांडी जिले (उड़ीसा क्षेत्र) में भवानीपाटन में एक उप-क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया गया था। इस उप-क्षेत्रीय कार्यालय में तीतलागढ़, जेपोर, बेहरामपुर के भारतीय खाद्य निगम के जिले शामिल हैं। इस उप-क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत आने वाले राजस्व जिले निम्नानुसार हैं :

कोरापुट (2) गंजम (3) फुलबनी (4) कालाहांडी
ार।

उर्वरकों पर शुल्क

3914. श्री के.एच. मुनियप्पा : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरकों पर शुल्क बहुत अधिक है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या किसानों ने उर्वरकों पर शुल्क में कमी करने का अनुरोध किया है; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० ए.के. पटेल) : (क) उर्वरकों पर कोई सीमा शुल्क अथवा उत्पाद शुल्क नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

जम्मू-कश्मीर में जान-माल की रक्षा

3915. वैद्य विष्णु दत्त : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान के रेंजरों/सैनिकों द्वारा लगातार गोलाबारी करने की वजह से जम्मू-कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एल.ओ. सी. के समीप रहने वाले लोगों की जान-माल की रक्षा करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार तस्करी आदि को रोकने के लिए सीमा के साथ-साथ कंटीले तारों का बाड़ लगा रही है;

(ग) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या इन क्षेत्रों में प्रभावित परिवारों को उपयुक्त मुआवजा दिया गया है;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या जम्मू-कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सरकार द्वारा उपजाऊ कृषि भूमि का अधिग्रहण भी किया जा रहा है;

(छ) यदि हाँ, तो क्या किसानों, कृषकों/भूमालिकों को पर्याप्त मुआवजा दिया गया है; और

(ज) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) सेना और सुरक्षा बल, जम्मू और कश्मीर में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लगातार निगरानी रख रहे हैं और पाकिस्तान की ओर से होने वाली गोलाबारी का मुकाबला करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई की जा रही है।

(ख) और (ग) तथापि, जम्मू अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के माध्यम से घुसपैठ और शस्त्रों व गोला-बारूद की तस्करी को रोकने के लिए कांटेदार बाड़/तेज रोशनी की व्यवस्था करने का विचार था, परन्तु पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी के कारण इस कार्य को रोक देना पड़ा। इस कार्य को पुनः शुरू करने के मामले पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

(घ) और (ङ) राज्य सरकार मारे गए व्यक्तियों के परिवारों को राज्य में लागू वर्तमान मानदण्डों के अनुसार अनुग्रहपूर्वक राहत उपलब्ध कराती है।

(च) बाड़ लगाने के लिए सरकार द्वारा अभी तक कोई कृषि भूमि नहीं ली गयी है।

(छ) और (ज) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

विद्युत केन्द्रों को गैस की आपूर्ति

3916. श्री आर.एस. गवई : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र ने केन्द्र सरकार से राज्य में गैस आधारित विद्युत केन्द्रों के लिए गैस के अधिक मात्रा में आवंटन हेतु आग्रह किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) जी, हाँ। महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड के लिए गैस का आबंटन 3.5 एम. एम.एस.सी.एम.डी. से बढ़ाकर 4.5 एम.एम.एस.सी.एम.डी. करने का अनुरोध किया है।

(ग) उरान तक उपलब्ध अनुमानित गैस पहले से ही की गई वचनबद्धताओं से बहुत कम है और फिलहाल और अधिक आबंटन करना व्यवहार्य नहीं है।

विदेशों का दौरा

3917. श्रीमती सूर्यकांता पाटील : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रसायन और उर्वरक मंत्रालय के कितने अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेश का दौरा किया;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उनके दौरों का मुख्य उद्देश्य क्या था और इनमें कितनी धनराशि खर्च हुई;

(घ) क्या मंत्रालय ने उनको दौरों के लिए अनुमति प्रदान की थी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० ए.के. पटेल) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

आई.एस.आई. द्वारा नकली मुद्रा का उपयोग

3918. श्री वत्ता मेघे :
श्री सुरेश चन्देल :
श्री चमन लाल गुप्त :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान की एजेंसी आई.एस.आई. द्वारा देश में नकली मुद्रा का परिचालन करके तथा आतंकवादियों/विघटनकारी तत्वों को नकली मुद्रा का भुगतान करके भारत की अर्थव्यवस्था को आघात पहुंचाने का लक्ष्य है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान तथा अब तक कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई;

(ग) क्या कुछ लोग नकली मुद्रा का मुद्रण करते हुए पाये गये;

(घ) यदि हाँ, तो ऐसी पकड़ी गई मुद्रा कितने मूल्य की थी और उन लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा आई.एस.आई. की ऐसी गतिविधियों की जांच के लिए क्या कदम उठाये गये/उठाने का विचार है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) देश में कुछ भागों में जाली भारतीय मुद्रा के परिचालन/जब्ती की घटनाएं ध्यान में आयी हैं। तथापि, ऐसे मामलों में पाक आई.एस.आई. के अन्तर्ग्रस्त होने की बात की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है।

जाली मुद्रा की जब्ती के संबंध में वर्ष 1996 में गुजरात में 2 व्यक्ति और राजस्थान में 4 व्यक्ति, 1997 में गुजरात और राजस्थान में क्रमशः 4-4 व्यक्ति और 1998 में गुजरात में 4 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पता लगायी गई और पुलिस द्वारा जब्त की गई जाली मुद्रा का मूल्य 14,94,996 रुपये था।

(ङ) जाली मुद्रा के परिचालन को रोकने के लिए विभिन्न कदम उठाये गये हैं। अब मुद्रा नोटों को विशेष रूप से बनाये गये सिलिन्डर मोल्ड वाट से बने अतिरिक्त सुरक्षा आकृति वाले कागज पर मुद्रित किया जाता है। जनता को असली और नकली नोटों में अंतर करने में समर्थ बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, समय-समय पर, प्रैस विज्ञप्तियां जारी करता है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने जाली मुद्रा नोटों की जांच के लिए एक विशेष एकक का सृजन किया है। सीमा सुरक्षा बला ने अपनी अग्रिम टुकड़ियों को और अधिक चौकन्ना रहने के लिए सतर्क कर दिया है।

[अनुवाद]

बलात्कार की शिकार महिलाओं के लिए विधान

3919. श्री ए.सी. जोस : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बलात्कार के दोषी पाए गए व्यक्तियों को मृत्यु दण्ड देने हेतु विधान बनाने की कोई योजना सरकार के पास है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

नई औषधियों के विपणन की स्वीकृति

3920. श्री सोमजी भाई डामोर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के औषध नियंत्रक नई औषधियों के विपणन की अनुमति देने में अनुचित रूप से काफी समय लेते हैं;

(ख) यदि हाँ, तो गत 6 माह के दौरान डी.सी.आई. द्वारा कितने आवेदन-पत्र प्राप्त किए गए हैं;

(ग) आज तक कितने मामलों को स्वीकृति दी गई और कितने आवेदन-पत्र लम्बित हैं;

(घ) आवेदन-पत्रों को स्वीकृति देने हेतु क्या मानदंड अपनाया जाता है;

(ङ) क्या आवेदन-पत्रों को स्वीकृति देने में कोई विलम्ब किया जाता है; और

यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए . है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) से (ग) जी नहीं। भारत में किसी नई औषध के पंजीकरण और अनुमोदन के लिए लगने वाला औसत समय 2 वर्ष है जबकि विकसित देशों में यह समय 8 वर्ष है जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस इत्यादि शामिल हैं। पिछले छह मास (जनवरी से· जून, 1998 तक) के दौरान औषध महानियंत्रक (भारत) को 23 नई औषधों के आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं। ये सभी आवेदन पत्र जांच की विभिन्न अवस्थाओं में हैं जिनमें नैदानिक परीक्षण शामिल हैं।

(घ) से (च) आवेदन पत्र को स्वीकृत करने के लिए अपनाया गया मानदंड औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली की अनुसूची-वाई में दिए गए दिशानिर्देशों पर आधारित है। इसमें नई औषध आणु की रसायन और भैषजिकी सूचना, औषध की निर्माण और परीक्षण विधि और औषध की निरापदता और गुणकारिता के बारे में प्रयोगशाला तथा बहु-प्रजाति पशु-प्रायोगिक आंकड़े, औषध की निरापदता और गुणकारिता के संबंध में विदेश में किए गए नैदानिकीय परीक्षण की रिपोर्ट, स्थानीय जनसंख्या पर निरापदता और प्रभावकारिता के नैदानिकीय आंकड़े, अन्य देशों में औषध की विपणन स्थिति, आंकड़े तैयार करने पर विशेषज्ञों की टिप्पणी और केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला, कलकत्ता जो औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अन्तर्गत सांविधिक प्रयोगशाला है, का गुणवत्ता परीक्षण प्रमाण-पत्र शामिल है।

खुफिया एजेंसियों की असफलता

3921. श्री रामकृष्ण बाबा पाटील : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खुफिया एजेंसियों द्वारा पाकिस्तान की रक्षा तैयारियों और भारत के शहरों में आई.एस.आई. द्वारा अपना नेटवर्क फैलाने के बारे में एकदम सही जानकारी देने में पूरी तरह विफल रहने के कारण सरकार को नीचा देखना पड़ा है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का इन एजेंसियों में सुधार करने का विचार है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) जी नहीं, श्रीमान्। इसके विपरीत, भारत में और हमसे संबंधित अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में पाक आई.एस.आई. की गतिविधियों से संबंधित सूचना बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई है और उपयुक्त निवारात्मक कदम उठाने के लिए उस पर कार्रवाई की गयी है।

[हिन्दी]

सी.पी.एफ.सी. अंशदान जमा करने में अनियमितताएं

3922. श्री जगतवीर सिंह द्रोण : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में श्रमिकों द्वारा सी.पी.एफ. अंशदान की राशि जमा नहीं कराने के लिए विभिन्न मिलों के प्रबंधन के विरुद्ध न्यायालयों में मामले दायर किए गए हैं तथा न्यायालय ने प्रबंधकों को दोषी पाया था;

(ख) सी.पी.एफ. अंशदान की जमा किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं; और

(ग) दोषी मिल प्रबन्धकों के द्वारा सी.पी.एफ. में कब तक तथा किस प्रकार अंशदान जमा कर दिया जाएगा ?

श्रम मंत्री (डॉ० सत्यनारायण जटिया) : (क) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ख) और (ग) अधिनियम की धारा 8 ख से 8 छ के अंतर्गत निर्धारित रीति से वसूली कार्रवाई के साथ ही चूककर्ता प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियमित रूप से कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 14, कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 76 और भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 की अपेक्षानुसार कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

कोयला खनिक भविष्य निधि

3923. डॉ० सुगुण कुमारी कलामेला : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर से और सिन्गारेनी कोलरीज कम्पनी लिमिटेड

के कामगारों से प्रतिमाह कोयला खनिक भविष्य निधि की कितनी धनराशि वसूली गयी है;

(ख) क्या हर बार कामगार का जब स्थानान्तरण किया जाता है अथवा उसका पदनाम बदलता है तो उसे कोयला खनिज भविष्य निधि का नया नम्बर दिया जाता है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या इस कारण भारी रकम इसमें शामिल नहीं की जाती है; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार प्रत्येक कामगार को समान एकल कोयला खनिज भविष्य निधि कूट (कोड) देने का है ?

श्रम मंत्री (डॉ० सत्यनारायण जटिया) : (क) देश भर में कोयला खान भविष्य निधि की प्रतिमाह वसूली गई राशि 87.80 करोड़ (लगभग) है। इस मद में सिंगरेनी कोलियरी कंपनी लिमिटेड के कामगारों से प्रतिमाह वसूली गई राशि 6.00 करोड़ (लगभग) है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

एकीकृत चीनी कॉम्पलेक्स

3924. श्री आदित्यनाथ : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक एकीकृत चीनी कॉम्पलेक्स स्थापित करने के लिए कोई शुरूआत की गई थी;

(ख) यदि हाँ, तो इसे अन्यत्र स्थानांतरित करने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार भविष्य में इस क्षेत्र में ऐसे संयंत्र स्थापित करने का है ?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार को पूर्वी उत्तर प्रदेश में एकीकृत चीनी काम्पलैक्स की स्थापना के किसी कार्य की जानकारी नहीं है। इसके अलावा केन्द्रीय सरकार देश के किसी भी भाग में चीनी मिल स्थापित नहीं करती है। तथापि, यह नई चीनी मिलों की स्थापना के लिए आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस मंजूर करती है।

[अनुवाद]

एल्कोहल का आवंटन

3925. श्री फ्रांसिस्को सारदीना : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोवा को विभिन्न राज्यों से एल्कोहल का आवंटन किया जाता है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० ए.के. पटेल) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा अल्कोहल का अन्तर-राज्यीय आवंटन पद्धति जून, 1993 से प्रचलन में नहीं है इसलिए केन्द्रीय सरकार द्वारा गोवा को अल्कोहल का आवंटन नहीं किया गया है।

कश्मीर में जल-संहति

3926. प्रो० सैफुद्दीन सोज : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कश्मीर घाटी में जल संहतियों का पुनरुद्धार करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार ऐसे जल संहतियों के बारे में रूप रेखा तैयार करने हेतु विशेषज्ञ समिति गठित करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) कश्मीर घाटी की डल और नागिन झील की पहचान राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अन्तर्गत संरक्षण और प्रबन्धन के लिए की गयी है। राष्ट्रीय वेटलैंड प्रोग्राम के अन्तर्गत कश्मीर घाटी की वल्लूर झील की भी पहचान की गयी है। डल झील और वल्लूर झील के संरक्षण के लिए राज्य सरकार को निधियां रिलीज कर दी गई हैं।

(ख) और (ग) जी नहीं, श्रीमान्। राज्य सरकार से अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

खाद्यान्नों की सुरक्षा

3927. श्री बाला साहिब विखे पाटील : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुम्बई में आयातित गेहूं का पोत-पर्यन्त उतराई मूल्य कितना है; और

(ख) सरकार द्वारा उतारे गए खाद्यान्नों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) मुम्बई में आस्ट्रेलियाई गेहूं की उतरान लागत 7371 रुपये प्रति टन है।

(ख) पत्तन एक संरक्षित क्षेत्र है जिनके पास स्वयं की सुरक्षा व्यवस्था है। पत्तन से भारतीय खाद्य निगम नामजद डिपुओं तक

पोतों से उतारे गए खाद्यान्न की भारतीय खाद्य निगम द्वारा नियुक्त जहाजी (स्टेवडॉरिंग)/हैंडलिंग ठेकेदारों द्वारा हैंडलिंग की जाती है। खाद्यान्नों की सुरक्षा के लिए डिपुओं पर भारतीय खाद्य निगम की अपनी सुरक्षा व्यवस्था होती है। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए पत्तनों पर चोरी अथवा उठाईगिरी नहीं हो, संवेदनशील क्षेत्रों में राज्य पुलिस/प्रशासन की सहायता ली जाती है।

जब कभी स्टॉक का भंडारण केन्द्रीय भंडारण निगम/राज्य भंडारण निगमों के किराये के गोदामों में किया जाता है तो केन्द्रीय भंडारण निगम/राज्य भंडारण निगम द्वारा इसका बीमा किया जाता है। इसके अलावा, उनके पास मानकों के अनुसार स्वयं के देख-रेख और निगरानी कर्मचारी भी होते हैं।

रोजगार का लक्ष्य

3928. श्री देवेन्द्र बहादुर राय : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं योजना की अवधि के दौरान रोजगार प्रदान करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) कितने व्यक्तियों को वास्तव में रोजगार प्रदान किया गया;

(ग) लक्ष्य न प्राप्त कर पाने के क्या कारण हैं;

(घ) लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) आज की तिथि के अनुसार रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या कितनी है तथा पूर्ववर्ती तीन वर्षों के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ?

श्रम मंत्री (डॉ० सत्य नारायण जटिया) : (क) और (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना में 1992-93 से 1996-97 की अवधि के दौरान 2.6 से 2.8 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से रोजगार के अवसरों में 8 से 9 मिलियन वार्षिक वृद्धि की परिकल्पना की गई। 1987-88 से 1993-94 के दौरान सामान्य वास्तविक स्थिति के आधार पर रोजगार में वृद्धि 43.91 मिलियन रही जो कि 2.37 प्रतिशत प्रति वर्ष की औसत वृद्धि दर का संकेत करती है, जो रोजगार अवसरों में प्रतिवर्ष लगभग 7.3 मिलियन की औसतन वृद्धि को दर्शाता है।

(ग) और (घ) रोजगार की वृद्धि दर की उपलब्धि, निर्णायक रूप से अर्थव्यवस्था तथा विकास की क्षेत्रीय एवं उप-क्षेत्रीय पद्धति के समग्र विकास पर निर्भर करती है। 1987-88 से 1993-94 के दौरान देखी गई रोजगार की वृद्धि दर में आठवीं योजना के प्रारंभिक दो वर्ष ही शामिल हैं। इस अवधि के दौरान, विनिर्माण, खनन एवं उत्खनन, सामाजिक एवं वैयक्तिक सेवाओं जैसे क्षेत्रों में आठवीं योजना में उनके लिए निर्धारित लक्ष्यों से कम वृद्धि दर्ज हुई है। नौवीं योजना दृष्टिकोण में पर्याप्त उत्पादक रोजगार की परिकल्पना की गई है।

(ङ) 31 मार्च, 1998 की स्थिति के अनुसार, रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वालों, जिनमें यह आवश्यक नहीं कि सभी बेरोजगार हों, की संख्या 39.2 मिलियन थी। 1995, 1996 एवं 1997 के अंत में रोजगार चाहने वालों की संख्या क्रमशः 36.7, 37.4 एवं 39.1 मिलियन थी।

उग्रवादी गतिविधियों से निपटने के लिए वित्तीय सहायता

3929. श्री के. येरननायडू : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में उग्रवादी गतिविधियों से निपटने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का अनुरोध करते हुए कोई परियोजना रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा उक्त मांगी गई धनराशि को मंजूर करने तथा उसे जारी करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) और (ग) आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा, तीन वर्षों की अवधि में कानून और व्यवस्था तंत्र को सुदृढ़ बनाने और उसके उन्नयन के लिए कार्रवाई शुरू करने, उत्तरदायी प्रशासन उपलब्ध कराने, जनजातीय क्षेत्रों में विकास कार्यों को तेज करने और उग्रवादियों के खिलाफ संचार अभियान चलाने के लिए 1299.17 करोड़ रुपये की लागत वाली कार्य-योजना के संबंध में एक परियोजना रिपोर्ट तैयार की है। इस योजना को 3.12.1997 को योजना आयोग को इस अनुरोध के साथ भेजा गया था कि इस उद्देश्य हेतु अलग से धनराशि निर्धारित की जाए।

[हिन्दी]

भारत-पाक सीमा पर कंटीले तार की बाड़ लगाने हेतु अधिगृहीत भूमि के लिए मुआवजा

3930. इंजीनियर शंकर पन्नू :
कर्नल सोनाराम चौधरी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-पाक सीमा के साथ-साथ कंटीले तार की बाड़ लगाते समय पश्चिमी राजस्थान के किसानों की कृषि भूमि अधिगृहीत की गई;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उन निर्धन किसानों, जिनकी भूमि अधिगृहीत की गई थी, को अब तक मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो बाड़मेर, गंगानगर और जैसलमेर जिलों के ऐसे निर्धन किसानों को मुआवजे का भुगतान कब तक कर दिए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो किसानों के नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए किए जाने वाले प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

पाकिस्तानी तस्करों द्वारा सुरंग का निर्माण करना

3931. श्री जर्नादन प्रसाद मिश्र :
श्री मणीभाई रामजीभाई चौधरी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तानी तस्करों ने इस वर्ष भारतीय क्षेत्र में किसी लंबी सुरंग का निर्माण किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस सुरंग की लम्बाई और चौड़ाई कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी गतिविधियों को रोकने हेतु कोई प्रयास किए हैं;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ङ) जी हाँ, श्रीमान्। दिनांक 23.1.1998 को सीमा सुरक्षा बल के जवानों द्वारा अजनाला, अमृतसर के निकट सीमा चौकी संख्या 59/3 और 59/4 के पास 228 फुट लम्बी और 2 फुट व्यास वाली एक सुरंग का पता लगाया गया। यह क्षेत्र पूर्णतः सरकण्डों के पौधों से भरा है तथा यह सुरंग पाकिस्तान की ओर से बाड़ के नीचे से खोदी गई थी परन्तु भारतीय क्षेत्र में इसके मुंह के खुलने से पहले ही इसका पता लगा लिया गया। संपूर्ण क्षेत्र की व्यापक तलाशी ली गई। ऐसी गतिविधियों का पता लगाने के लिए रात और दिन के दौरान विशेष अभियान चलाए गए हैं तथा जवानों को अत्यधिक चौकस रहने के लिए ब्रीफ किया गया है ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

ठेकेदारों की नियुक्ति

3932. श्री पुन्नुलाल मोदले : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मंत्रालयों और लिमिटेड कंपनियों में सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति बड़े पैमाने पर ठेकेदारों के माध्यम से की जाती है और इन ठेकेदारों द्वारा मंत्रालयों और कंपनियों से प्राप्त कुल वेतन का केवल 50 प्रतिशत भाग ही कर्मचारियों को दिया जाता है;

(ख) क्या इस प्रक्रिया को रोकने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) श्रमिकों का इस प्रकार शोषण रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्री (डॉ. सत्यनारायण जटिया) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

असम के लिए आर्थिक पैकेज

3933. श्री ए.एफ. गुलाम उस्मानी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को असम के बारपेटा क्षेत्र में कृषि क्षेत्र का विकास करने के लिए एक विशेष आर्थिक पैकेज जारी करने हेतु मांगें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इस आर्थिक पैकेज के लिए कितनी धनराशि की मांग की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

विकलांग तथा बेसहारा बच्चों का कल्याण

3934. श्री रामशकल : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जन कल्याण के लिए गैर-सरकारी संस्थाओं को धन संवितरित करती है;

(ख) यदि हाँ, तो 1996-97 के दौरान प्रत्येक राज्य में बांटी गई धनराशि का योजनावार ब्यौरा क्या है;

(ग) विकलांग तथा बेसहारा बच्चों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) गैर-सरकारी संस्थाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) विकलांग और बेसहारा बच्चों के लिए योजनाओं सहित विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए वर्ष 1997-98 के दौरान गैर सरकारी संगठनों को निर्मुक्त राशि को दर्शाने वाला राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I से IX के रूप में संलग्न हैं।

(घ) राज्य सरकार के अधिकारी के द्वारा किए गए निरीक्षण और राज्य सरकार के संबंधित विभाग की सिफारिश के आधार पर मंत्रालय की योजनाओं के अंतर्गत किसी गैर सरकारी संगठन को सहायता अनुदान के लिए अनुमोदित किया जाता है।

गैर सरकारी संगठनों को अनुदान की दूसरी किश्त निर्मुक्त करने से पहले वर्ष में एक बार राज्य सरकार और/अथवा केन्द्रीय/राज्य एजेंसियों से निरीक्षण रिपोर्ट भी आवश्यक है।

विवरण-I

चित जातियों के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को - की योजना के अंतर्गत वर्ष 1996-97 के दौरान गैर सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान की राज्यवार निर्मुक्ति को दर्शाने वाला विवरण

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1996-97
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	202.67
2.	असम	17.48
3.	बिहार	50.97
4.	गुजरात	2.36
5.	हरियाणा	11.24
6.	जम्मू और कश्मीर	-
7.	कर्नाटक	134.81
8.	केरल	-
9.	मध्य प्रदेश	27.79
10.	महाराष्ट्र	3.60
11.	मणिपुर	8.50
12.	उड़ीसा	76.63
13.	पंजाब	-
14.	राजस्थान	22.89
15.	तमिलनाडु	20.83
16.	त्रिपुरा	4.54
17.	उत्तर प्रदेश	186.59
18.	पश्चिम बंगाल	111.03
19.	चंडीगढ़	-
20.	दिल्ली	119.00

विवरण-II

अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना के अंतर्गत वर्ष 1996-97 के दौरान राज्यवार सहायता अनुदान निर्मुक्ति को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	संगठनों की संख्या	रुपए लाख में
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	6	16.90
2.	अरुणाचल प्रदेश	5	88.13
3.	असम	3	9.09
4.	बिहार	5	30.72
5.	गुजरात	1	1.12
6.	जम्मू और कश्मीर	2	30.28
7.	कर्नाटक	2	30.81
8.	केरल	6	25.80
9.	मध्य प्रदेश	1	2.03
10.	महाराष्ट्र	3	38.89
11.	मणिपुर	3	13.78
12.	मेघालय	2	43.38
13.	नागालैंड	2	2.16
14.	नई दिल्ली	4	32.43
15.	उड़ीसा	14	73.35
16.	तमिलनाडु	5	29.01
17.	त्रिपुरा	1	0.31
18.	उत्तर प्रदेश	1	2.07
19.	पश्चिम बंगाल	6	28.83
20.	दादर और नगर हवेली	1	3.25
	कुल	73	502.34

विवरण-III

वर्ष 1996-97 के दौरान आदिवासी लड़कियों के लिए शैक्षिक परिसरों की योजना के अंतर्गत गैर सरकारी संगठनों को प्रदान किए गए राज्य वार सहायता अनुदान को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	गैर-सरकारी संगठनों को निर्मुक्त राशि
		रुपए
1.	आन्ध्र प्रदेश	6,62,911
2.	अरुणाचल प्रदेश	9,68,900
3.	बिहार	4,84,450
4.	गुजरात	8,78,160
5.	मध्य प्रदेश	27,98,387
6.	महाराष्ट्र	5,90,860
7.	उड़ीसा	37,42,070
8.	राजस्थान	18,78,117

विवरण-IV

वर्ष 1996-97 के दौरान आर्थिक मानदंडों पर आधारित कमजोर वर्गों के लिए परीक्षण-पूर्व कोचिंग की योजना के अंतर्गत गैर सरकारी संगठनों को निर्मुक्त राज्यवार सहायता अनुदान को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	निर्मुक्त राशि (रुपए लाख में)
1.	आंध्र प्रदेश	4.15
2.	दिल्ली	9.12
3.	मध्य प्रदेश	0.20
4.	मणिपुर	0.88
5.	उड़ीसा	2.19
6.	उत्तर प्रदेश	12.33

विवरण-V

सहायक यंत्रों तथा उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों की सहायता योजना के अंतर्गत वर्ष 1996-97 के दौरान विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए गैर सरकारी संगठनों को दिए गए सहायता अनुदान को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	वर्ष 1996-97 के दौरान निर्मुक्त राशि (रुपए लाख में)
1.	आंध्र प्रदेश	39.61
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.50
3.	बिहार	34.61
4.	दिल्ली	23.66
5.	गुजरात	15.46
6.	गोवा	0.17
7.	हरियाणा	85.30
8.	हिमाचल प्रदेश	12.00
9.	जम्मू और कश्मीर	72.00
10.	कर्नाटक	1.74
11.	केरल	12.50
12.	मणिपुर	3.00
13.	मध्य प्रदेश	40.12
14.	महाराष्ट्र	15.36
15.	उड़ीसा	6.00
16.	पंजाब	91.00
17.	राजस्थान	57.75
18.	त्रिपुरा	6.00
19.	तमिलनाडु	15.25
20.	उत्तर प्रदेश	121.81
21.	पश्चिम बंगाल	43.80
22.	चंडीगढ़	0.04

विवरण-VI

वर्ष 1996-97 के दौरान दिया गया सहायता अनुदान (लाख रुपए में)

क्र.सं.	योजना/राज्य	विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	विशेष स्कूल की स्थापना तथा विकास के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	कुष्ठ रोगमुक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	प्रमस्तिष्क अंगघात तथा मानसिक मंदता वाले व्यक्तियों के लिए जन शक्ति विकास हेतु स्वैच्छिक-संगठनों को सहायता
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	408.99	19.00	–	–
2.	असम	4.87	–	–	–
3.	अरुणाचल प्रदेश	2.86	–	–	–

1	2	3	4	5	6
4.	बिहार	80.04	4.99	–	–
5.	चंडीगढ़	1.22	–	–	–
6.	दिल्ली	137.26	–	0.81	3.67
7.	गोवा	5.95	–	–	–
8.	गुजरात	23.89	–	–	–
9.	हरियाणा	15.61	6.13	–	–
10.	हिमाचल प्रदेश	–	–	–	–
11.	जम्मू और कश्मीर	2.71	–	–	–
12.	कर्नाटक	231.86	2.81	9.76	–
	केरल	136.29	4.94	–	–
	मध्य प्रदेश	0.76	–	–	–
15.	महाराष्ट्र	45.46	–	12.40	–
16.	मणिपुर	9.41	1.20	–	–
17.	मेघालय	5.36	–	–	
18.	मिजोरम	4.14	–	–	–
19.	उड़ीसा	2.23	13.67	–	–
20.	पांडिचेरी	–	–	–	–
21.	पंजाब	17.15	–	–	–
22.	राजस्थान	31.37	1.93	–	–
23.	तमिलनाडु	82.18	2.21	–	–
24.	त्रिपुरा	1.93	–	–	–
25.	उत्तर प्रदेश	83.89	–	46.51	–
26.	पश्चिम बंगाल	183.30	–	–	3.80

विवरण–VII

समाज रक्षा कार्यक्रमों के लिए गैर सरकारी संगठनों को दिए गए सहायता अनुदान को दर्शाने वाला विवरण

(रुपये लाख में)

		योजनाओं के नाम			
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	बेसहारा बच्चों का कल्याण	वयोवृद्धों से संबंधित कार्यक्रम	वयोवृद्धों को घरों का निर्माण	वेश्याओं के बच्चों का अनुरक्षण तथा पुनर्वास
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	7.39	203.97	–	6.33
2.	असम	10.75	4.00	–	–
3.	बिहार	–	3.39	–	–

1	2	3	4	5	6
4.	गुजरात	32.46	5.21	–	–
5.	हरियाणा	–	19.80	–	–
6.	हिमाचल प्रदेश	–	3.23	–	–
7.	कर्नाटक	14.27	22.71	–	–
8.	केरल	9.42	4.63	–	–
9.	मध्य प्रदेश	13.29	12.23	–	–
10.	महाराष्ट्र	26.33	9.48	130.00	–
11.	मणिपुर	10.40	46.08	–	–
12.	मिजोरम	2.33	–	–	–
13.	उड़ीसा	–	73.26	–	–
14.	पंजाब	–	2.83	–	–
15.	राजस्थान	16.09	2.34	–	–
16.	तमिलनाडु	42.53	70.95	–	–
17.	उत्तर प्रदेश	30.56	116.28	–	20.43
18.	पश्चिम बंगाल	91.19	109.25	–	8.68
19.	एन.सी.टी. दिल्ली	31.32	5.59	–	–
20.	पांडिचेरी	–	3.98	–	–

विवरण-VIII

अन्तःदेशीय दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने के लिए शिशु गृहों की स्थापना के लिए गैर सरकारी संगठनों को तथा अतःदेशीय दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने के लिए स्वैच्छिक समन्वय एजेंसियों को वर्ष 1996-97 के दौरान दिए गए सहायता अनुदान को दर्शाने वाला राज्य वार विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	निर्मुक्त धनराशि	
		शिशु गृह	स्वैच्छिक समन्वय एजेंसियां
1.	आन्ध्र प्रदेश	1,62,900	–
2.	गुजरात	3,14,576	81,000
3.	हरियाणा	2,28,775	–
4.	कर्नाटक	–	81,000
5.	केरल	87,300	79,650
6.	महाराष्ट्र	20,32,569	–
7.	उड़ीसा	6,60,060	–
8.	राजस्थान	3,72,600	–
9.	तमिलनाडु	1,59,832	81,000
10.	त्रिपुरा	2,53,800	–
11.	पश्चिम बंगाल	2,23,252	–
12.	दिल्ली	–	81,000

विवरण-IX

मद्य निषेध तथा नशीली दवा दुरुपयोग निवारण योजना के अंतर्गत स्वैच्छिक संगठनों को सहायतानुदान के माध्यम से वर्ष 1996-97 के दौरान निर्मुक्त निधियों का राज्यवार विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	1996-97 (रुपये लाख में)
1.	असम	7.05
2.	आंध्र प्रदेश	19.04
3.	बिहार	74.71
4.	गोवा	16.49
5.	गुजरात	30.14
6.	हरियाणा	44.59
	जम्मू एवं कश्मीर	3.35
	कर्नाटक	23.74
9.	केरल	91.80
10.	मध्य प्रदेश	15.18
11.	महाराष्ट्र	59.14
12.	मणिपुर	77.13
13.	मेघालय	4.72
14.	मिजोरम	26.30
15.	नागालैंड	3.41
16.	उड़ीसा	37.27
17.	पंजाब	36.78
18.	राजस्थान	35.52
19.	सिक्किम	1.20
20.	तमिलनाडु	72.77
21.	त्रिपुरा	2.78
22.	उत्तर प्रदेश	118.66
23.	पश्चिम बंगाल	63.49
संघ राज्य क्षेत्र		
24.	चंडीगढ़	8.14
25.	दिल्ली	44.06
26.	पांडिचेरी	1.33

दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति

3935. श्री रामटहल चौधरी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार दिल्ली में असामाजिक तथा विध्वसंकारी गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के संबंध में एक रजिस्टर रखने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) दिल्ली पुलिस द्वारा पुलिस स्टेशन स्तर पर असामाजिक और गैर-कानूनी गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों का रिकार्ड पहले ही रखा जा रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की स्थापना

3936. श्री शैलेन्द्र कुमार : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, कौशाम्बी और फतेहपुर जिलों के गन्ना उत्पादकों को सरकारी चीनी मिलें न होने के कारण गन्ने का लाभकारी मूल्य नहीं मिला रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार इन तीनों जिलों के मध्य में एक सरकारी चीनी मिल स्थापित करने का है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव) : (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार देश के किसी भी भाग में चीनी मिलें स्थापित नहीं करती है। तथापि, यह नई चीनी मिलें स्थापित करने के लिए आशय-पत्र/औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करती है।

जिला फतेहपुर (उत्तर प्रदेश) में नई चीनी मिलें स्थापित करने के लिए 2 आशय-पत्र जारी किए गए हैं। इनका ब्यौरा निम्नानुसार हैं :

क्रम संख्या	उद्यमी का नाम	प्रस्तावित स्थल
1.	मैसर्स श्याम शुगर्स लिमिटेड	फतेहपुर में
2.	मैसर्स के.एल.जे. पॉलीमर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड	बिन्दकी, जिला फतेहपुर

[अनुवाद]

आर्गेनाइजेशन आफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कन्ट्रीज द्वारा तेल उत्पादन में कटौती

3937. **डॉ० असीम बाला :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्गेनाइजेशन आफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कन्ट्रीज ने तेल उत्पादन को पुनः कम करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) हमारे देश में तेल की वर्तमान मांग को पूरा करने के लिए क्या आवश्यक व्यवस्था/प्रस्ताव किये गये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन (ओपेक) जुलाई, 1998 से 1.355 मिलियन बैरल प्रति दिन मात्रा तक उत्पादन कटौतियों के लिए सहमत हुआ है। यह पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन द्वारा मार्च, 1998 में सहमत 1.245 मिलियन बैरल प्रति दिन की पिछली कटौतियों के अतिरिक्त होगी।

(ग) वर्ष 1998-99 के लिए पेट्रोलियम उत्पादों की मांग 88.5 मिलियन मीट्रिक टन अनुमानित है तथा सरकार ने तेल मितव्ययिता बजट को पहले ही अनुमोदित कर दिया है ताकि समस्त मांग पूरी हो जाए।

[हिन्दी]

राज्यों के बकाया व्यय

3938. **श्री मोतीलाल वोरा :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1 अप्रैल, 1997 को अन्य राज्यों में सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती पर किए गए 19.12 करोड़ रुपये का भुगतान मध्य प्रदेश को नहीं किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने इस संबंध में कोई पत्राचार किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो भुगतान में विलम्ब के क्या कारण हैं तथा किस समय तक भुगतान कर दिया जाएगा?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (घ) इस विषय पर मौजूदा अनुदेशों के अनुसार, छूट प्राप्त श्रेणी में आने वाले राज्यों, जिनके लिए केन्द्र सरकार द्वारा भुगतान किया जाता है, को छोड़कर, एक राज्य के सशस्त्र पुलिस बलों की किसी दूसरे राज्य/संघ-शासित क्षेत्र में तैनाती संबंधी प्रभारों का भुगतान, पुलिस बल उधार लेने वाले राज्य/संघ शासित क्षेत्र द्वारा करना अपेक्षित होता है।

केन्द्र सरकार ने मार्च 1998 तक की अवधि के लिए जम्मू व कश्मीर में तैनात मध्य प्रदेश राज्य सशस्त्र बल (एम.पी.एस.ए.एफ.) की बटालियन के संबंध में बिलों को क्लियर कर दिया है चूंकि जम्मू व कश्मीर एक छूट प्राप्त राज्य है।

[अनुवाद]

भविष्य निधि का संवितरण

3939. **श्री रामेश्वर पाटीदार :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि के संवितरण के बारे में विशेषकर दिल्ली में व्याप्त अनियमितताओं के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनमें कितनी शिकायतें दिल्ली की प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों से संबंधित हैं:

(ग) क्या दिल्ली की कुछ प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में कर्मचारियों की सेवाओं को कुछ मामलों में तत्काल समाप्त कर दिया गया और तमाम मानवण्डों को पूरा करने के बावजूद उन्हें उनकी भविष्य निधि का भुगतान नहीं किया गया;

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ताकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को दी जाने वाली परेशानी को समाप्त किया जा सके?

श्रम मंत्री (डॉ. सत्यनारायण जटिया) : (क) और (ख) दिल्ली में अन्य बातों के साथ-साथ प्राइवेट लिमिटेड फर्मों द्वारा भविष्य निधि की बकाया राशियों को न जमा कराये जाने, आवश्यक दस्तावेजों को न पूरा किए जाने से संबंधित शिकायतें रही हैं। दिल्ली में ऐसे 7 प्रतिष्ठान हैं जिन्होंने 10 लाख से अधिक भविष्य निधि चूकें की हैं, तथापि कर्मचारी भविष्य निधि के वितरण में अनियमितताओं से संबंधित कोई विशिष्ट शिकायत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन दिल्ली को प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ग) से (ङ) उन कर्मचारियों की तथाकथित सेवा समाप्ति और भविष्य निधि देयों के भुगतान न किये जाने के बारे में कुछ शिकायतें रही हैं जो कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्य रहे हैं। ऐसे कुछ मामलों में कर्मचारियों को भविष्य निधि देयों के भुगतान, नियोजकों द्वारा अंशदान को जमा न किए जाने की वजह से रोका गया है। कर्मचारी भविष्य निधि अंशदाताओं को परेशान किए जाने के बारे में जब भी शिकायत प्राप्त होती है तो उसे समुचित कार्रवाई के लिए केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को अग्रेषित कर दिया जाता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के शिकायत निवारण तंत्र को क.भ.नि. अंशदाताओं की शिकायतों का त्वरित और शीघ्र निवारण सुनिश्चित करने के लिए कम्प्यूटरीकरण और सक्रियकरण कर दिया गया है।

गुजरात में चिकित्सा कालेजों की स्थापना

3940. श्री पी.एस. गढ़वी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजकोट, भुज, भावनगर और सुरेन्द्र नगर में चिकित्सा कालेज स्थापित करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार को गुजरात सरकार से उपर्युक्त स्थान पर चिकित्सा कालेज स्थापित करने के बारे में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हाँ, तो उक्त प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) इन प्रस्तावें को कब तक स्वीकृति मिलने की आशा है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री त एजिलमलाई) : (क) से (ङ) गुजरात सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा राज्य में दो नए मेडिकल कालेजों, एक राजकोट तथा दूसरा भावनगर में, की स्थापना करने के लिए 1995 में भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम की धारा 10 (क) के अन्तर्गत पहले ही अनुमति दी चुकी है। इसके अतिरिक्त सुरेन्द्र नगर में एक नया मेडिकल कालेज खोलने के लिए सौराष्ट्र मेडिकल सेंटर, सुरेन्द्र नगर की ओर से एक प्रस्ताव भी प्राप्त हुआ था। यह प्रस्ताव अर्हक मानदंडों की दृष्टि से अपूर्ण पाया गया और इसे आवेदक को 16.6.98 को लौटा दिया गया। भुज में नया मेडिकल कालेज खोलने के लिए राज्य सरकार अथवा प्राइवेट सोसायटी/न्यास की ओर से कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

भीख मांगने वाले बच्चे

3941. डॉ. प्रभा ठाकुर : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भीख मांगने वाले किशोर बच्चों की संख्या कितनी है और कितने बच्चों का भीख मांगने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है; और

(ख) ऐसे बच्चों के उत्थान के लिए कोई योजना बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) देश में भीख मांगने वाले किशोर बच्चों और भीख मांगने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे बच्चों की संख्या के बारे में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

भिक्षावृत्ति रोधी कानून या किसी अन्य योजना के अंतर्गत भिक्षुक गृह राज्य सरकारों द्वारा स्थापित किए जाते हैं।

निराश्रित, उपेक्षित, दुरुपयोग तथा शोषण का सामना कर रहे बेसहारा बच्चों की देखभाल, संरक्षण तथा विकास के लिए गैर संस्थागत आधारभूत सेवाएं प्रदान करने के लिए गैर सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान देने के वास्ते बेसहारा बच्चों के कल्याणार्थ इस मंत्रालय की एक योजना है।

रसोई गैस के निजी आयातक

3942. श्रीमती राणी चित्रलेखा भोंसले : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रसाई गैस आयात करने वाली निजी कम्पनियों ने भारतीय तेल निगम और अन्य राष्ट्रीयकृत तेल कम्पनियों से विपणन संबंधी सहयोग मांगा है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या रसोई गैस के निजी आयातकों के साथ सहयोग करने की संभावना का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) सरकार की उदारीकरण की नीति के अनुसार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की तेल कंपनियों द्वारा विपणित एल.पी.जी. को अनुपूरित करने के लिए अप्रैल, 1993 में एल.पी.जी. का आयात नियंत्रणमुक्त कर दिया गया और समानांतर विपणन योजना के अंतर्गत बाजार आधारित मूल्यों पर निजी पक्षकारों द्वारा एल.पी.जी. का आयात संभव बनाने हेतु एल. पी.जी. नियंत्रण आदेश में संशोधन किया गया। इस बात पर विचार करते हुए कि निजी पक्षकरों के पास एल.पी.जी. का आयात करने के लिए वांछित मूलभूत सुविधाएँ और विशेषज्ञता नहीं थी और निजी पक्षकारों को एल.पी.जी. के आयात के लिए स्वयं की मूलभूत सुविधाओं का विकास करने में समय लगेगा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की तेल कम्पनियों को, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की तेल कम्पनियों के अपने आयात में बाधा डाले बिना, निजी आयातों को सुविधा उपलब्ध कराने का परामर्श दिया गया। तदनुसार कुछ निजी पक्षकारों ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सुविधाओं के माध्यम से एल.पी.जी. का आयात किया।

अब तक 8 निजी पक्षकारों ने विभिन्न पत्तन स्थानों पर अपनी स्वयं की आयात सुविधाओं का विकास किया है और इन्हें आरम्भ किया है। इसके अलावा 7 और निजी पक्षकार एल.पी.जी. की आयात सुविधाओं का विकास कर रहे हैं और यह निर्माण के विभिन्न चरणों में है।

(ख) और (ग) चूंकि यह आवश्यक नहीं था, इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की तेल कम्पनियों द्वारा एल.पी.जी. के समानांतर विपणनकर्त्ताओं के साथ सहयोग करने की संभाव्यता का मूल्यांकन करने के लिए कोई विशेष सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

गहरे जल का अन्वेषण

3943. श्री टी.आर. बालू :
श्री रंजीव बिस्वाल :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम ने देश के गहरे जल अपतटीय क्षेत्रों में तेल और गैस के नए क्षेत्रों का पता लगाने के वास्ते कोई नया अन्वेषण कार्य किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा कावेरी बेसिन के अपतटीय क्षेत्र में भी ये अन्वेषण किए गए हैं;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा कावेरी बेसिन के अपतटीय क्षेत्र के गहरे जल में अन्वेषण कार्य शुरू करने के लिए क्या कार्ययोजना तैयार की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) जी, हाँ। ओ.एन.जी.सी. ने गहन जल में अन्वेषण के लिए कार्यनीति तैयार की है। अर्जित किए गए भूकंपीय आंकड़ों के निर्वचन के आधार पर अन्वेषणात्मक वेधन के लिए पश्चिमी और पूर्वी तट पर चार-चार संभावनाओं को प्राथमिकता दी गई है।

(ग) और (घ) जी, हाँ। ऊपर उल्लिखित प्राथमिकता वाले स्थानों में से 2600 मीटर की लक्ष्य गहराई के साथ 771 मीटर की जल गहराई में पूर्वी तट में कावेरी अपतट में एक कूप सी डी डब्ल्यू-1 का फिलहाल वेधन किया जा रहा है।

(ङ) लागू नहीं होता।

(च) कावेरी बेसिन में भविष्य की कार्रवाई योजना, वर्तमान में प्रगत्याधीन अन्वेषणात्मक वेधन के परिणामों पर निर्भर होगी।

राज्य मानव अधिकार आयोग

3944. श्री अनिल बसु :
श्री वसुदेव आचार्य :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ राज्यों में राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना नहीं की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, अभी तक असम, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब, जम्मू व कश्मीर तथा उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग स्थापित कर लिए हैं। शेष राज्यों ने अभी तक अपने राज्य आयोग स्थापित नहीं किए हैं।

जिन राज्य सरकारों ने अभी तक अपने राज्य मानवाधिकार आयोग स्थापित नहीं किए हैं, उन्हें समय-समय पर सलाह दी गई है कि वे अपने-अपने राज्यों में राज्य आयोग स्थापित करें। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 में धारा 21 से 29 तक के अधीन राज्य सरकारों द्वारा राज्य मानवाधिकार आयोग स्थापित करने के संबंध में सामर्थ्यकारी प्रावधान हैं।

संगठित क्षेत्र के कर्मकार

3945. डॉ. मदन प्रसाद जायसवाल : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कृषि सहित संगठित और असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) कृषि में कितने प्रतिशत लोग नियोजित हैं और उद्योगों में कितने प्रतिशत लोग नियोजित हैं और शेष क्षेत्रों में कितने लोग नियोजित हैं;

(ग) गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले सामान्य कृषि श्रमिक की औसत आय कितनी है; और

(घ) कृषि श्रमिकों की स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है और उसके लिए क्या समय सीमा/कार्यक्रम निर्धारित किया गया है?

श्रम मंत्री (डॉ. सत्यनारायण जटिया) : (क) कुल कर्मकारों की संख्या नीचे दी गयी है :

कुल	कृषि	
285932	185300	
	गैर-कृषीय	
कुल	संगठित	असंगठित
100632	26819	73813

(स्रोत : जनगणना 1991 और रो.वा. सूचकांक कार्यक्रम आंकड़े हजारों में)

(ख) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा आयोजित सर्वेक्षण के अनुसार, कृषि कार्यों में नियोजित व्यक्तियों की संख्या 62.60% है, निर्माण क्षेत्र 10.72% व्यक्तियों को नियोजित करता है। शेष कार्य जल खनन और उत्खनन, निर्माण और अन्य व्यवसायों, परिवहन, वित्तीय और सामुदायिक सेवाओं में नियोजित हैं।

(ग) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के 43वें दौर (1987-88) के अनुसार सम्पूर्ण भारत के लिए कृषीय पुरुष कर्मकारों की औसत मजदूरी/वेतन से आय 14.58 रुपये प्रतिदिन थी और महिलाओं के लिए 10.65 रुपये थी। गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले औसत कृषीय कार्यबल की औसतन आय का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(घ) सरकार अनेक गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन योजनाओं अर्थात् एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, रोजगार आश्वासन योजना, स्व-रोजगार के लिए युवाओं को प्रशिक्षण, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल मिलियन वैल्स स्कीम, इन्दिरा आवास योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना, सूखा-उन्मुख क्षेत्र कार्यक्रम और पड़ती भूमि विकास कार्यक्रम आदि कार्यान्वित कर रही है जिन्हें विशेष रूप से कृषि श्रमिकों सहित ग्रामीण निर्धनों के लाभार्थ तैयार किया गया है। ये योजनाएं सतत् प्रकृति की होती हैं।

बेल्लारी में भविष्य निधि कार्यालय

3946. श्री के.सी. कोंडय्या : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बेल्लारी में भविष्य निधि अंशदाताओं की संख्या कितनी है;

(ख) क्या दावों को जल्दी निपटाने एवं ऋण की स्वीकृति हेतु अंशदाताओं की मदद के लिए बेल्लारी में कोई स्वतः पूर्ण भविष्य निधि कार्यालय है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) बेल्लारी में इस तरह का कार्यालय खोलने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्री (डॉ. सत्यनारायण जटिया) : (क) 20,674

(ख) से (घ) फिलहाल कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के उपबंधों के प्रवर्तन हेतु एक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का निरीक्षणालय बेल्लारी में कार्यरत है। उप-क्षेत्रीय कार्यालय, हुबली के कार्यालय द्वारा दावों के निपटान, ऋण की संस्वीकृति आदि से संबद्ध कार्य किया जाता है। कार्यभार, अंशदाताओं की सेवा, दूरी आदि जैसे पैमानों को देखते हुए केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि की कार्यकारिणी समिति ने अभी तक बेल्लारी में सम्पूर्ण भविष्य निधि कार्यालय खोलने का निर्णय नहीं लिया है।

एच.आई.वी. विषाणु से संक्रमित रोगियों का इलाज नहीं करने की शिकायत

3947. श्री सी.पी.एम. गिरियप्पा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एच.आई.वी. विषाणु से पीड़ित अनेक मरीजों के उपचार से अनेक सरकारी अस्पताल इन्कार कर रहे हैं;

(ख) क्या इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) और (ख) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों से ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) एच.आई.वी. रोगियों का इलाज बिना भेदभाव के करने के अनुदेश देश के सभी सरकारी अस्पतालों को दिए गए हैं।

पारादीप में तेलशोधन परियोजना

3948. श्री पृथ्वीराज वा. चव्हाण
प्रो. पी. जे. कुरियन
श्री अर्जुन सेठी
श्री गिरिधर गमांग

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम तथा कुवैत पेट्रोलियम निगम के संयुक्त उद्यम के रूप में पारादीप में स्थापित की जाने वाली तेल शोधन परियोजना को मंत्रिमंडल से अभी तक स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है जबकि इस परियोजना को तकनीकी एवं पर्यावरण संबंधी मंजूरी प्राप्त हो चुकी है और समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर हो चुके हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) परियोजना पर अनुमानित कितना व्यय होगा;

(घ) क्या इस परियोजना को पूर्वी क्षेत्र से दक्षिण क्षेत्र में स्थानान्तरित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) सरकार ने 2484 करोड़

रुपए के विदेशी मुद्रा घटक सहित 8270 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत (मई, 1998 के मूल्य) पर कुवैत पेट्रोलियम कारपोरेशन (के. पी.सी.) के साथ संयुक्त उद्यम में उड़ीसा के अंतर्गत अभयचंद्रपुर में 9 एम.एम.टी.पी.ए. क्षमता वाली रिफाइनरी की स्थापना के लिए आई.ओ.सी. के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। परियोजना में आई.ओ.सी. का इक्विटी अंशदान 860 करोड़ रुपए होगा।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन

3949. श्री रघुवंश प्रसाद सिंह :
श्री ए. गणेशमूर्ति :

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1997 के दौरान मुख्य मंत्रियों और खाद्य मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हाँ, तो उसमें किन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई; और

(ग) उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) जी, हाँ। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन की समीक्षा करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य मंत्रियों और खाद्य मंत्रियों का सम्मेलन 30 सितम्बर, 1997 को आयोजित किया गया था।

(ख) और (ग) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों का आवंटन, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पात्रता और गरीबी संबंधी अनुमान सम्मेलन में चर्चा के मुख्य मुद्दे थे। सम्मेलन में निम्नलिखित मुद्दों पर आम सहमति उभर कर आई :

(1) राज्यों को खाद्यान्नों के आवंटन की समीक्षा उनकी आवश्यकता के आधार पर की जाए। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कोटे से अतिरिक्त आवंटन गरीबी रेखा से ऊपर परिवारों के लिए लागू सब्सिडी प्राप्त मूल्यों पर किया जाए।

(2) यद्यपि गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के आवंटन में वृद्धि की जाए तथापि गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के आवंटन में कोई कमी नहीं की जानी चाहिए।

इन मुद्दों पर निम्नलिखित कार्रवाई की गई है :

(1) केन्द्रीय पूल में स्टाक की उपलब्धता और खाद्य राजसहायता की बाधाओं को ध्यान में रखते हुए 1.12.1997 से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को गरीबी रेखा से ऊपर की आबादी के लिए लागू मूल्यों पर अतिरिक्त आवंटन किए जा रहे हैं।

(2) गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के आवंटन में कमी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। खाद्यान्न स्टाक की बाधाओं और इसमें शामिल अधिक सब्सिडी को ध्यान में रखते हुए गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के आवंटन के वर्तमान स्तर को बनाए रखा गया है।

[अनुवाद]

अस्पतालों का आधुनिकीकरण

3950. श्री रामदास आठवले :
श्री प्रभाष चंद्र तिवारी :
श्री महेश कुमार कनोडिया :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आधुनिक बनाए जाने वाले और विस्तार किए जाने वाले अस्पतालों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में राज्य सरकारों के साथ परामर्श किया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विश्व बैंक की सहायता से नए अस्पताल/औषधालय खोले गए हैं अथवा 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खोले जाने वाले अस्पतालों/औषधालयों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलिराम एजिलमलाई) : (क) से (ग) संविधान के अन्तर्गत ''स्वास्थ्य'' राज्य का विषय होने के कारण राज्य सरकारें स्थानीय मांग तथा संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर अस्पताल खोलने के लिए अपनी योजनाएं तैयार करते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के पास राज्यों में अस्पतालों के आधुनिकीकरण और उनके विस्तार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) से (च) विश्व बैंक सहायता प्राप्त राज्य स्वास्थ्य प्रणाली परियोजना के अन्तर्गत मौजूदा जिला उप सम्भागीय और तालुक स्तर के अस्पतालों को लाया जाना है और उनका नवीकरण किया जाना है। ये परियोजनाएं चरणवार ढंग से लागू की जा रही हैं। चरण-1 और चरण-2 परियोजनाएं क्रमशः आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब और पश्चिम बंगाल में चलाई जा रही हैं। चरण-3 में ऐसी ही एक परियोजना चलाने के लिए उड़ीसा का तथा चरण-4 के लिए महाराष्ट्र का चयन किया गया है।

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के ऐसे ही परियोजना प्रस्ताव विश्व बैंक सहायता के लिए भेजे गए हैं। ऐसी राज्य परियोजनाएं विश्व बैंक के साथ विस्तृत विचार विमर्श से तैयार की जाती है। इसलिए इस स्थिति में इन परियोजनाओं के अंतिम आयामों और घटकों पर कोई टिप्पणी करना संभव नहीं है।

अवैध अप्रवासी

3951. श्रीमती लक्ष्मी पनवाका : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार अवैध अप्रवासी गैर नागरिक कार्ड देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है जो कार्य-परमिट के समकक्ष होगा और वे मताधिकार को छोड़कर सभी सुविधाएं पाने के हकदार होंगे;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिया जाएगा और

(ग) इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने पर विचार किया जा रहा है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) जी हाँ, श्रीमान्। देश में रह रहे 14 वर्ष और इससे अधिक आयु के सभी नागरिकों/गैर-नागरिकों को अनिवार्य रूप से पंजीकृत करने और उन्हें बहुउद्देश्यीय राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने का प्रस्ताव है। इस योजना को शुरू करने तथा सभी पात्र व्यक्तियों को पहचान पत्र जारी करने से पहले इस संबंध में ब्यौरे अभी तैयार किए जा रहे हैं।

रसोई गैस कोटा

3952. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में कुछ डीलरों को रसोई गैस का विशेष कोटा दिया गया था; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) जी, हाँ। सार्वजनिक क्षेत्र तेल कंपनियों ने गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में कुछ एक डिस्ट्रीब्यूटरों को बिना पारी आधार पर 13275 एल.पी.जी. कनेक्शन जारी किए हैं। ये कनेक्शन या तो अनेक विशिष्ट लोगों/अति विशिष्ट लोगों से प्राप्त सलाह के आधार पर अथवा सुधा जोशी समिति द्वारा संस्तुत अभिप्रेरण योजना के तहत ग्राहकों को उत्कृत सेवा प्रदान कर रहे डिस्ट्रीब्यूटरों को प्रोत्साहित करने के लिए जारी किए गए हैं।

चीनी का नहीं उठाया जाना

3953. श्री एच.जी. रामुलू : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में लायी गयी है कि कर्नाटक में गंगावती चीनी मिल के गोदाम से लगभग दस करोड़ रुपये मूल्य की चीनी नहीं उठाई जा रही है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त मिल को चीनी बेचने की अनुमति देने के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, जुलाई, 1998 मास के लिए खुली बिक्री की चीनी का कोटा रिलीज करने के बाद और अगस्त, 1998 मास के लिए लेवी चीनी का कोटा रिलीज करने के पश्चात्, कर्नाटक में स्थिति गंगावती शुगर मिल के पास 1997-98 (अक्टूबर, 97 - सितम्बर, 98) मौसम के उत्पादन से संबंधित 2617.2 टन चीनी का स्टाक है। चीनी के कुल उत्पादन में से 40 प्रतिशत उत्पादन लेवी के अधीन रिलीज किया जाता है और शेष 60% उत्पादन खुले बाजार में बिक्री करने के लिए रिलीज किया जाता है। अच्छी पेराई की 5-6 महीने की अवधि के दौरान जिस चीनी का उत्पादन किया जाता है उसका उपयोग पूरे वर्ष किया जाना होता है और इसलिए फैक्ट्रियों के पास पड़े स्टाक के प्रति आनुपातिक आधार पर मासिक निर्मुक्तियां की जाती हैं। तद्नुसार कर्नाटक में स्थित गंगावती शुगर मिल का शेष स्टाक बाद के महीनों में रिलीज किया जाएगा।

स्वास्थ्य मंत्रियों का क्षेत्रीय सम्मेलन

3954. श्री सी. कुप्पुसामी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में हैदराबाद में हुए दक्षिणी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के क्षेत्रीय सम्मेलन में लिए गए निर्णयों को ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को निजी स्वास्थ्य क्षेत्र को कुछ विनियमों के साथ शामिल करने के लिए स्वास्थ्य नीति की समीक्षा करने हेतु उनसे कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) एड्स, यौन संक्रमण रोगों, क्षय रोग और अन्य गंभीर बीमारियों की रोकथाम/नियंत्रण/उपचार हेतु उन्होंने कौन से अन्य विशिष्ट उपाय सुझाए हैं;

(ङ) सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य के लिए कुल कितनी धनराशि नियत की जानी है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वजित एजिलमलाई) : (क) दक्षिणी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के 19-20 जून, 1998 को हैदराबाद में हुए क्षेत्रीय सम्मेलन में निम्नलिखित विषयों पर व्यापक सहमति थी :

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 1983 की समीक्षा करने पर सहमति हुई ताकि उसमें निम्नलिखित उभरते विषयों को शामिल किया जा सके - प्राइवेट क्षेत्र, गुणवत्ता और मानकों के निर्धारण के लिए विनियामक ढांचा सुनिश्चित करना, जनशक्ति तैनाती और सुविधाओं की अवस्थिति संबंधी मानदण्डों को पुनःपरिभाषित करना, अधिक आयु वाले व्यक्तियों एंव वृद्धों की परिचर्या के लिए नीतियां शामिल करना, एलोपैथी और भारतीय चिकित्सा पद्धति के अन्तर्गत डॉक्टरों का पंजीकरण करना, ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों की अनुपस्थिति में कमी लाने की नीतियां सुनिश्चित करना, पंचायतों की अधिकाधिक भागीदारी के लिए ढांचा तैयार करना, और संचारी रोगों, जनसंख्या स्थिरीकरण और प्रजनन स्वास्थ्य परिचर्या से जुड़े सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करना।

(ख) और (ग) प्राइवेट क्षेत्र की भूमिका पर चर्चा हुई और यह सहमति हुई कि (1) गुणवत्ता के लिए कड़े मानक निर्धारित करने के लिए विनियामक ढांचा तैयार किए जाने और (2) स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वालों के अधिकाधिक दायित्व को सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली तैयार करने में सहायता के लिए सभी डॉक्टरों का पंजीकरण किए जाने की आवश्यकता है।

(घ) एड्स, यौन संचारित रोगों, क्षय रोग तथा अन्य गंभीर रोगों जैसे संचारी रोगों के बारे में इस बात पर सहमति हुई कि इन्हें और फैलने से रोकने के लिए समय पर निधियां रिलीज की जाएं, संरचनात्मक ढांचे की स्थापना की जाए, घनिष्ट मानीटरिंग की जाए और उपयुक्त समय सीमा के अन्दर विशेष रूप से एड्स के लिए कार्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने में स्वास्थ्य के अलावा अन्य विभागों का भी सहयोग लिया जाए।

(ङ) और (च) इन कार्यक्रमों के लिए निधियों का राज्यवार आवंटन संसद द्वारा बजट पास करने पर किया जाएगा।

[हिन्दी]

पेट्रोल संरक्षण

3955. श्री सुरेश चन्देल :
श्री हरिकेवल प्रसाद :
श्री नरेन्द्र बुडानिया :
श्री हरिन पाठक :
श्री वसुदेव आचार्य :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पेट्रोलियम उत्पादों का वार्षिक उत्पादन और खपत कितनी है;

(ख) उक्त उत्पादों का कितना वार्षिक आयात किया जाता है और उन पर कितनी धनराशि व्यय की जाती है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान स्वदेशी उत्पादन से पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों की कितनी प्रतिशत मांग पूरी की गई और अगले तीन वर्षों के दौरान कितने प्रतिशत मांग पूरी किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) पेट्रोलियम आयात के खर्चे को कम करने और देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पेट्रोल के संरक्षण और पेट्रोलियम उत्पादों के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित की हैं। इनमें जागृति अभियान, परिवहन क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम, औद्योगिक क्षेत्र में अकुशल बायलरों, भट्टियों और अन्य तेल प्रचलित उपस्करों का कुशल बायलरों, भट्टियों और अन्य उपस्करों से प्रतिस्थापन, कृषि क्षेत्र में मौजूदा पम्पों को और अधिक ऊर्जा कुशल बनाने के लिए उनकी मरम्मत, गृहस्थ क्षेत्र में मिट्टी तेल और एल.पी.जी. के स्टोव जैसे ईंधन कुशल उपस्करों और उपकरणों का विकास और उनको प्रोत्साहन देना आदि शामिल है।

विवरण

पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन और उनकी खपत

(मात्रा मिलियन टन)

वर्ष	उत्पादन	उपभोग
1995-96	55.08	74.67
1996-97	59.01	79.16
1997-98*	61.31	82.78

कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के आयातों की मात्रा और मूल्य

वर्ष	मात्रा (मिलियन टन)		मूल्य (करोड़ रुपये)	
	कच्चा तेल	उत्पाद	कच्चा तेल	उत्पाद
1995-96	27.34	20.34	11517	12578
1996-97	33.91	20.26	18538	15634
1997-98*	34.49	19.54	15897	12432

पिछले तीन वर्षों के दौरान घरेलू उत्पादन से पूरी की गई पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों की मांग का प्रतिशत

वर्ष	पेट्रोल की कुल मांग के प्रतिशत के रूप में पेट्रोल का घरेलू उत्पादन	कुल खपत के प्रतिशत के रूप में पेट्रोलियम उत्पादों का घरेलू उत्पादन
1995-96	95.3	73.8
1996-97	94.8	74.5
1997-98*	94.2	74.1

अगले तीन वर्षों के दौरान पूरी किए जाने के लिए अनुमानित पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों की मांग का प्रतिशत

	पेट्रोल	पेट. उत्पाद
	92.1 प्रतिशत	71.5 प्रतिशत
1999-00	87.4 प्रतिशत	69.3 प्रतिशत
2000-01	104.0 प्रतिशत	84.6 प्रतिशत

* अनन्तिम।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों की पुनरीक्षा

3956. श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्तमान में चल रहे स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों की कोई पुनरीक्षा की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ग्रामीण क्षेत्र के अस्पतालों को एम्बुलेंस और निशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराई गई हैं;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु क्या व्यवस्था की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है एवं इसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

शल्य उपकरणों का उत्पादन

3957. श्री जयसिंहजी चौहान :
श्री दिलीप संघाणी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिरिंजों तथा केवल एक ही बार उपयोग में लाई जाने वाले अन्य शल्य-उपकरणों का उत्पादन करने वाली विभिन्न विदेशी कम्पनियां देश में छाई हुई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने आल इंडियन सिरिंजेज एंड नीडल्स मेनुफेक्चरिंग एसोसिएशन से इस संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त किया है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों को संरक्षण प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) आयात नीति के अन्तर्गत डिस्पोजेबल सिरिंजों एवं सुइयों का आयात देश में ओपन जनरल लाइसेंस के तहत किया जा सकता है।

(ख) और (ग) अगस्त, 1997 में अखिल भारतीय सिरिंज एवं सुई निर्माता संगठन से गलत ब्रांड/गलत लेबल वाले सिरिंजों एवं सुइयों के आयात पर रोक लगाने के लिए एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

सिरिंजों एवं सुइयों के आयात के लिए औषधि एंव प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के प्रावधानों में निर्धारित वैध आयात लाइसेंस (फार्म 10) की आवश्यकता होती है जिसके साथ गुणवत्ता सुनिश्चित करने, लेबल लगाने आदि का प्रमाण पत्र (फार्म 9) भी लगा होना चाहिए। केन्द्रीय औषध नियंत्रण एवं मानक संगठन के पोर्ट अधिकारियों को इन खेपों को जारी करने के पहले यह सुनिश्चित करना होता है कि आयातित खेप औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियमों के संगत प्रावधानों को पूरा करते हैं। लेबल संबंधी आवश्यकताओं में यदि कोई खामी पाई गई हो तो उसे जारी करने के पहले आयातकों के द्वारा सही करवाना होता है।

निर्माता संगठन से अभ्यावेदन प्राप्त करने के बाद पोर्ट अधिकारियों को डिस्पोजेबल सिरिंजों के आयात पर और अधिक चौकसी बरतने हेतु सचेत कर दिया गया है।

(घ) देश में कुछ ऐसे निर्माता हैं जो सिरिंजों एवं सुइयों को जोड़ते (एसेम्बल) हैं एवं उनका निर्माण करते हैं। सरकार सिरिंजों एवं सुइयों के निर्माण करने के लिए घरेलू उद्योग को प्रोत्साहित करती है तथा सिरिंजों एवं सुइयों के निर्माण व विपणन के लिए किसी स्वदेशी एकक के आवेदन करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

अनिवार्य पंजीकरण

3958. श्री माधवराव सिंधिया : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजधानी में आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सभी निवासियों और दिल्ली आने वाले व्यक्तियों के लिए अनिवार्य पंजीकरण कराने और उन्हें पहचान पत्र जारी करने की किसी योजना को स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्य उद्देश्य क्या हैं;

(ग) योजना की लागत और इसके वित्त पोषण हेतु सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि कितनी है; और

(घ) संविधान के अन्तर्गत प्रत्येक नागरिक के घूमने-फिरने की आजादी और भारत के किसी भाग में रहने की आजादी मौलिक अधिकारों का यह किस प्रकार हनन करती है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (घ) ऐसी कोई योजना अभी तक मंजूर नहीं की गई है। फिर भी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार द्वारा इस मुद्दे से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच की जा रही है।

आयल इंडिया लिमिटेड

3959. श्री ए. गणेशमूर्ति : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयल इंडिया लिमिटेड ने गैर सरकारी तेल कम्पनियों से स्पर्धा करने के लिए क्या बाजार नीति तैयार की है;

(ख) क्या गैर सरकारी तेल कम्पनियों के चलते आयल इंडिया लिमिटेड को अपनी परियोजनाओं के समक्ष किसी खतरे का आभास हो रहा है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार का इस संबंध में क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) देश में कच्चे तेल की मांग और आपूर्ति के बीच अत्यधिक अंतर को ध्यान में रखते हुए ऑयल इंडिया लिमिटेड को निकट भविष्य में निजी तेल कंपनियों से किसी प्रतिस्पर्द्धा की आशंका नहीं है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठते।

हथियारों के आयात पर प्रतिबंध

3960. श्री इन्द्रजीत सिंह राव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में हथियारों के आयात पर प्रतिबंध लगाया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि नहीं, तो विशेषतः खुले बाजार में बिना लाइसेंस की खुली उपलब्धता के मद्देनजर हवा में मार करने वाले हथियारों और गोला बारूद के आयात पर जारी प्रतिबंध के क्या कारण हैं; और

(घ) सुरक्षा बलों द्वारा आंतकवादियों के छुपने के ठिकानों पर मारे गए छापों के दौरान जब्त किए गए हवा में मार करने वाले हथियारों जैसे एयर पिस्तौल और एयर रायफलों की संख्या क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) समान के हिस्से के रूप में और उपहार योजना के अन्तर्गत अग्नेयास्त्रों के आयात पर 13.11.1986 से प्रतिबंध लगा दिया गया था। ट्रांसफर ऑफ रेसीडेन्स रूल्स के अन्तर्गत कुछ शर्तों पर और मानव संसाधन विकास मंत्रालय, युवा कार्य और खेल विभाग की सिफारिशों पर खेल-कूद के प्रयोजनार्थ ख्याति प्राप्त निशानेवाजों/राईफल क्लबों के लिए हवा में मार करने वाले हथियारों सहित अग्नेयास्त्रों का आयात अनुज्ञेय है।

(ग) प्रश्न के भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) चूंकि, हवा में मार करने वाले हथियारों का प्रयोग मुख्यतः मेलों में, लक्षित निशानेबाजी जैसे खेल के प्रयोजनार्थ किया जाता है अतः इस बात की संभावना कम ही है कि इन हथियारों का उपयोग आंतकवादियों द्वारा किया जाय, जो घातक और अत्याधुनिक स्वचालित हथियार रखने के लिए जाने जाते हैं।

[हिन्दी]

गाड़ियों पर "प्रैस" लिखने का प्रचलन

3961. डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया
श्री आनन्द रत्न मौर्य :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाड़ियों में गैर कानूनी रूप से "प्रैस" लिखने के प्रचलन में वृद्धि हुई है और असामाजिक तत्व इसका अनुचित लाभ उठा रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस प्रचलन पर रोक लगाने हेतु सरकार ने कोई अभियान चलाया है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) दिल्ली पुलिस को किसी ऐसे विशिष्ट दृष्टांत का पता नहीं लगा है जिसमें

किसी ऐसे व्यक्ति ने, जो कि प्रैस का न हो, अपने वाहन पर "प्रैस" शब्द का प्रदर्शन कर रखा हो। तथापि, इस प्रकार के कदाचारों का सहारा लेने से इंकार नहीं किया जा सकता तथा यदि ऐसी कोई घटना जानकारी में लाई जाती है तो उस पर उचित कार्रवाई की जा सकती है।

मान्यताप्राप्त श्रमिक संगठनों के लिए मतदान प्रणाली

3962. श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मान्यता प्राप्त श्रमिक संगठनों के चुनाव के लिए गुप्त मतदान प्रणाली शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो किस समय तक इसके आरम्भ किए जाने की संभावना है;

कृषि तथा अन्य क्षेत्रों में लगे असंगठित श्रमिकों की न निपटने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) कृषि तथा अन्य क्षेत्र में कार्यरत असंगठित बाल श्रमिकों से संबंधित समस्याओं का हल करने के बावत सुझाव देने हेतु अब तक कितने आयोगों का गठन किया गया है; और

(ङ) उक्त आयोगों के द्वारा दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (डॉ. सत्यनारायण जटिया) : (क) और (ख) मामला सरकार के विचाराधीन है।

(ग) से (ङ) कृषि को भी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन "उद्योग" शब्द की परिभाषा के दायरे के भीतर रखा गया है और उक्त अधिनियम के प्रावधान कृषि पर लागू होते हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 आदि जैसे अन्य श्रम कानूनों के अन्तर्गत भी असंगठित क्षेत्र को शामिल किया गया है। असंगठित कृषि क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में लगे हुए बाल श्रम की समस्या को हल करने के लिए सुझाव देने के लिए भी अभी तक किसी आयोग का गठन नहीं किया गया है। तथापि राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग ने इस समस्या का अध्ययन किया है और कतिपय सिफारिशें की हैं। इन सिफारिशों में अन्यों के साथ-साथ, (i) राज्य द्वारा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा केन्द्रों के लिए कानून बनाया जाना, (ii) प्रारंभिक शिक्षा के लिए परिव्यय में वृद्धि करना, (iii) कामकाजी बालकों के माता/पिता के लिए मजदूरी शुदा रोजगार की गारंटी देना, (iv) अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों का सृजन करना और (v) बाल श्रम के विरुद्ध जागरूकता सृजित करना आदि शामिल है।

मिलों के द्वारा चीनी की आपूर्ति

3963. श्री विठ्ठलतुपे :
श्री माधवराव पाटील :

क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों को मासिक लेवी चीनी कोटा का आवंटन जिलावार/फैक्ट्रीवार किया जा रहा है;

(ख) क्या कभी-कभी कुछ फैक्ट्रियों केन्द्र सरकार द्वारा जारी किये गये लेवी चीनी कोटा भेजने से इन्कार कर देती हैं;

(ग) यदि हाँ, तो क्या राज्य सरकारों ने विशेषकर महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से इसका विकल्प ढूंढने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) केन्द्रीय सरकार राज्यों का लेवी चीनी का कोटा विनिर्दिष्ट फैक्ट्रियों से आबंटित करती है जबकि राज्य के समूचे कोटे में से जिलावार आबंटन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

(ख) से (घ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का लेवी चीनी का मासिक कोटा दो महीने पहले आवंटित किया जाता है। वर्तमान चीनी मौसम 1997-98 (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान महाराष्ट्र सरकार को कुछ फैक्ट्रियों से आवंटन किए गए थे जिनके बारे में बाद में सूचना मिली कि उन्होंने अपना पेराई कार्य आंरभ नहीं किया और इसलिए महाराष्ट्र सरकार के अनुरोध पर वैकल्पिक प्रबंध किए गए थे।

[अनुवाद]

कृषि श्रमिक

3964. श्री भगवान शंकर रावत :
श्री चेतन चौहान :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि विश्वविद्यालयों से बेरोजगार डिप्लोमा/डिग्री धारकों की संख्या कितनी है;

(ख) इन अर्हता प्राप्त तकनीकी बेरोजगार युवाओं को रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है; और

(ग) सरकार द्वारा उन्हें बेहतर रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्री (डॉ. सत्य नारायण जटिया) : (क) 30.6.94 की स्थिति के अनुसार, कृषि उपाधि (स्नातक एवं स्नातकोत्तर) के साथ, रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर पंजीकृत रोजगार चाहने वालों की संख्या, यह आवश्यक नहीं कि सभी बेरोजगार हों, 33000 (नवीनतम उपलब्ध) थी।

(ख) और (ग) नौवीं योजना दृष्टिकोण में पर्याप्त उत्पादक रोजगार सृजित करने तथा गरीबी का उन्मूलन करने की दृष्टि से

कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देने की परिकल्पना की गई है। बेरोजगारी एवं अल्प रोजगार की उच्च दरों की प्रवृत्ति वाले क्षेत्रों में श्रम सघन सैक्टरों, सब-सैक्टरों तथा प्रौद्योगिकियों पर संकेन्द्रण से विकास प्रक्रिया में अधिक उत्पादक रोजगार स्वतः ही सृजित होगा।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986

3965. श्री मुकुल वासनिक : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में संशोधन करने हेतु सुझाव देने के लिए विशेषज्ञ दल का गठन किया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या विशेषज्ञ दल ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं;

(ग) यदि हाँ, तो की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) से (घ) मंत्रिमंडल सचिवालय की सिफारिश पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को अधिक कारगर और प्रयोजनमूलक बनाने के लिए उसमें उचित संशोधनों का सुझाव देने हेतु एक विशेषज्ञ दल का गठन किया गया था। विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद एक नोट का मसौदा तैयार किया गया है और उसको संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भेजकर उनकी टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं।

[हिन्दी]

आई.एस.आई. एजेंटों की गतिविधियां

3966. श्री मणीभाई रामजीभाई चौधरी :
श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र :
श्री नृपेन गोस्वामी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई.एस.आई. के एजेन्ट और पाकिस्तान द्वारा प्रशिक्षित उग्रवादी पूर्वोत्तर राज्यों के साथ जुड़ी भारत बंगलादेश सीमा के रास्ते से भारतीय क्षेत्र में आसानी से प्रवेश कर रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने अपराधियों को पकड़ा गया; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) भारत-बंगालदेश सीमा लगभग 4000 कि.मी. लम्बी और सुभेव है। संपूर्ण सीमा पर प्रत्येक स्थान पर आदमी तैनात करना और घुसपैठ को रोकना अत्यंत कठिन है। रिपोर्टों से पता चला है कि हमारी सुरक्षा के हितों के विरुद्ध गतिविधियां चलाने के लिए पाकिस्तान की आई.एस.आई. बंगलादेश के क्षेत्र प्रयोग कर रही है। हमारे पास सीमा पार से यदा-कदा घुसपैठ करने वाले ऐसे विरोधी तत्वों की रिपोर्टें हैं।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1995-97 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों की संख्या 3399 है। इनमें से कुछ को पाकिस्तान की आई.एस.आई. द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है।

(घ) सुरक्षा के मामलों पर बंगलादेश सरकार के साथ बातचीत और सहयोग के लिए संस्थागत प्रबन्ध किए गए हैं। विद्रोहियों की सीमापार से अवैध आवागमन को रोकने के लिए सरकार द्वारा अनेक उपाय किए गए हैं। इन उपायों में सीमा सुरक्षा बल की अतिरिक्त बटालियनें बनाना, सीमा चौकियों के बीच का अंतर कम करना; भूमि और नदी तटीय सीमा, दोनों पर गश्त तेज करना; सीमा निगरानी बुर्जों की संख्या बढ़ाना; निगरानी रखने के उपकरणों की व्यवस्था करना; सीमा सड़कों और बाड़ निर्माण कार्यक्रम को तेज करना, शामिल हैं। इसके अलावा, पूर्वोत्तर की राज्य सरकारों को पाकिस्तान की आई.एस.आई. के एजेंटों की गतिविधियों के बारे में सुग्राही बनाया गया है।

खाद्यान्नों की खरीद में हेराफेरी

3967. श्री मोहन सिंह : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993 से अब तक पंजाब में भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं और चावल की खरीद में की गई अनियमितता संबंधी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों से खरीदे गए और विभिन्न राज्यों को भेजे गए खाद्यान्नों की गुणवत्ता के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा वर्ष 1993 से लेकर अब तक पंजाब में गेहूं और चावल की वसूली में अनियमितताएं करने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) से (घ) पंजाब क्षेत्र में 1993-94 से 1996-97 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों को प्रेषित किए गए 401.07 लाख टन खाद्यान्नों

में से 2.03 लाख टन खाद्यान्नों के संबंध में 166 गुणवत्ता संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। शिकायतें मुख्यतया मौसम की अनिश्चितता के कारण भारत सरकार की छूट प्राप्त विनिर्दिष्टियों के अधीन खरीदे गए चावल की गुणवत्ता के संबंध में थीं। तथापि, चूककर्ता अधिकारियों के विरुद्ध तत्परता से अनुशासनिक कार्यवाहियां शुरू की गई हैं।

चीनी विकास निधि

3968. श्री राम नगीना मिश्र : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य से विशेष रूप से उत्तर प्रदेश से चीनी विकास निधि में वर्ष-वार प्राप्त राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उत्तर प्रदेश की रुग्ण चीनी मिलों को चीनी विकास मे अब तक कितनी राशि प्राप्त हुई है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) वर्ष 1994-95 से 1996-97 के दौरान एकत्रित चीनी उपकर की राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) 1997-98 तक उत्तर प्रदेश में रुग्ण चीनी मिलों को चीनी विकास निधि से ऋण के रूप में 87.49 लाख रुपए की राशि मुहैया की गई है।

विवरण

चीनी विकास निधि के लिए एकत्र किए गए उपकर की राशि की राज्यवार स्थिति

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष		
		1994-95	1995-96	1996-97
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	971.01	1015.36	1054.24
2.	असम	4.05	6.24	8.54
3.	बिहार	246.20	481.33	424.77
4.	गोवा	16.98	21.24	26.02
5.	गुजरात	1289.21	926.27	1142.02
6.	कर्नाटक	1163.57	1402.21	1483.46
7.	केरल	570.80	7.69	15.35
8.	मध्य प्रदेश	53.73	57.01	128.96
9.	महाराष्ट्र	4269.15	5898.29	6611.59
10.	उड़ीसा	26.03	55.84	102.01
11.	राजस्थान	15.00	24.05	43.64
12.	तमिलनाडु	1530.61	2195.51	1594.10
13.	*उत्तर प्रदेश*	*3943.09*	*4337.65*	*5128.70*
14.	पश्चिम बंगाल	5.44	10.05	5.84
15.	चंडीगढ़	369.61	421.17	811.17
16.	रा.रा.क्षेत्र दिल्ली	454.92	380.69	578.04

[अनुवाद]

कैस्ट्राल इंडिया लिमिटेड

3969. श्री तसलीमुद्दीन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केस्ट्राल इंडिया लिमिटेड उस अवधि के दौरान जब बेस आयल वितरण पर सरकारी चैनलों के माध्यम से नियंत्रण था उस अवधि के दौरान उन्हें बेस आयल के आबंटित कोटे से अधिक मात्रा में तैयार उत्पाद बाजार में बेच रही थी;

(ख) यदि हाँ, तो वह कंपनी पुनः शोधित तेल का प्रयोग कर रही थी; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और बाजार में इस प्रकार का मिलावटी तेल बेचने के लिए कंपनी के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) अप्रैल, 1992 तक ल्यूब बेस आयल का आयात/वितरण नियंत्रणाधीन था। तदनुसार छोटी तेल कंपनियों की बेस आयल की मांग सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित आबंटन के कुछ सिद्धान्तों के आधार पर पूरी की गई।

1992 तक की अवधि के दौरान, कैस्ट्राल इंडिया लिमिटेड (जिसे 1979 से 1990 तक की अवधि के दौरान इंडराल लुब्रीकैंट्स एण्ड स्पेशलिटीज के नाम से जाना जाता था) ने तैयार ल्यूब्स की उस संभावित मात्रा से अधिक मात्रा की बिक्री की जिसका उत्पादन बेस आयल के आबंटन की दी गई मात्रा का प्रयोग करते हुए किया जा सकता था।

यद्यपि कोई विशिष्ट ब्यौरा उपलब्ध नहीं है, फिर भी यह समझा जाता है कि कैस्ट्राल इंडिया लिमिटेड और अन्य निजी क्षेत्र कम्पनियां बाजार में उपलब्ध रिक्लेमड प्रयुक्त तेल और कुछ निकर्षणों को उपयोग में ला रही थी।

पुनःपरिशोधित तेल का उपयोग करने के लिए छोटी तेल कम्पनियों के विरुद्ध कोई गंभीर कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि संरक्षण के उपाय के रूप में, सरकार, प्रयुक्त तेलों के पुनःपरिशोधन द्वारा प्राप्त बेस आयल के उपयोग को बढ़ावा दे रही है।

बीड़ी कामगारों के लिए चिकित्सा सुविधाएं

3970. श्री वीर सिंह महतो : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में बीड़ी कामगारों को मुहैया कराई गई चिकित्सा सुविधाओं का ब्यौरा क्य है;

(ख) इस संबंध में क्या प्रगति की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्री (डॉ. सत्यनारायण जटिया) : (क) देश में पश्चिम बंगाल सहित, बीड़ी कामगारों के कल्याण के लिए तैयार की गई विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं का ब्यौरा देने वाला एक विवरण संलग्न है। इसके अलावा, पश्चिम बंगाल में बीड़ी कामगारों के लिए एक चेस्ट क्लीनिक सहित 16 औषधालयों की स्थापना की गई है। साथ ही, मुर्शिदाबाद (पश्चिम बंगाल) जिले के धुलियान में बीड़ी कामगारों के लिए 50 बिस्तरों वाला एक अस्पताल भी स्थापित किया जा रहा है।

(ख) और (ग) 1997-98 के दौरान विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं से 3,91,348 बीड़ी कामगार लाभान्वित हुए हैं। तथा पश्चिम बंगाल राज्य में विभिन्न औषधालयों में 2,36,969 रोगियों का उपचार किया गया है।

विवरण

बीड़ी कामगारों के लिए स्वास्थ्य योजनाओं की सूची

1. बीड़ी कामगारों के लिए तपेदिक अस्पतालों में बिस्तरों के आरक्षण की योजना।
2. तपेदिक ग्रस्त बीड़ी कामगारों के घरेलू उपचार की योजना।
3. बीड़ी कामगारों (घरखाता कामगार सहित) को चश्मे की खरीद के लिए वित्तीय सहायता अनुदान की योजना।
4. बीड़ी कामगारों के लिए कुष्ठ राहत योजना।
5. मानसिक रोगग्रस्त कामगारों का इलाज तथा निर्वाह भत्ता अनुदान और ऐसे कामगारों के लिए अन्य लाभ।
6. महिला बीड़ी कामगारों के लिए प्रसूति लाभ योजना के तहत वित्तीय सहायता योजना।
7. बीड़ी कामगारों को बंध्याकरण हेतु अतिरिक्त मौद्रिक मुआवजे के भुगतान की योजना।
8. कैंसरपीड़ित बीड़ी कामगारों को वास्तविक उपचार शुल्कों की प्रतिपूर्ति की योजना।
9. हृदय रोग पीड़ित बीड़ी कामगारों को वित्तीय सहायता के रूप में व्यय की प्रतिपूर्ति की योजना।
10. गुर्दा प्रत्यारोपण आदि के लिए बीड़ी कामगारों को वित्तीय सहायता के रूप में व्यय की प्रतिपूर्ति की योजना।
11. बीड़ी कामगारों के लिए समूह बीमा योजना।

[हिन्दी]

"कृभको" कर्मचारियों का दौरा

3971. डॉ0 रमेश चंद तोमर : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषक भारती कोआपरेटिव (कृभको) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अन्य कर्मचारियों ने गत दो वर्षों के दौरान कितने विदेशी दौरे किए;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ये दौरे किस उद्देश्य से किए गए थे तथा ये दौरे किस हद तक लाभप्रद साबित हुए; और

(घ) उक्त दौरों के दौरान कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ ए. के. पटेल) : (क) से (घ) कृषक भारती कोआपरेटिव लि. (कृभको) के प्रबंध निदेशक और अन्य अधिकारियों द्वारा गत दो वर्षों अर्थात् 1996-97 और 1997-98 के दौरान 171 विदेशी दौरे किए गए। उद्देश्य और व्यय की गई विदेशी मुद्रा के साथ इन दौरों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

परियोजना से संबंधित दौरों से, जिनमें से अधिकांश ओमान में संयुक्त उद्यम उर्वरक परियोजना के संबंध में है, परियोजना पूर्व क्रियाकलापों में तेजी लाने में सहायता मिली है। ओ. डी. ए. परियोजना दौरों से लगभग 80 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता की मंजूरी प्राप्त करने में सहायता मिली है।

विवरण

दौरे का उद्देश्य	दौरों की संख्या		अमरीकी डालर में व्यय	
	1996-97	1997-98	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5
क. संबंधित परियोजना				
(I) संयुक्त उद्यम				
- ओमान	59	58	1,01,876	1,22,251
- ईरान	-	4	-	2,520

1	2	3	4	5
(II) इजीरा विस्तार और गोरखपुर परियोजनाएं	-	6	-	13,469
ख. सम्मेलन/ सेमिनार/संगोष्ठी	7	11	13,793	35,215
ग. प्रशिक्षण कार्यक्रम	8	5	31,243	16,411
घ. ओ.डी.ए. (डी.एफ.आई.डी.) परियोजनाएं	5	8	*	*
कुल	79	92	1,46,912	1,89,866

ओ.डी.ए. द्वारा वहन किया गया व्यय।

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों/जनजातियों पर अत्याचार

3972. श्री एस. अजय कुमार : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत एक वर्ष के दौरान देश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के लोगों पर अत्याचार की राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी घटनाएं हुईं;

(ख) इन अत्याचारों के कारण अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कितने लोग मारे गए; और

(ग) राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्रवार दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कितने मामले दर्ज किए गए?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

1997 के दौरान अनु. जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रति हुए अपराधों की घटनाएं

क्र.सं	राज्य	अनुसूचित जाति के प्रति हुए अपराधों की कुल घटनाएं	हत्या	अनु. जन जाति के प्रति हुए अपराधों की कुल घटनाएं	हत्या
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1880	33	236	11
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0
4.	बिहार	710	33	158	6
5.	गोवा	2	0	0	0
6.	गुजरात	1831	18	384	9
7.	हरियाणा	93	5	5	0
8.	हिमाचल प्रदेश	61	1	1	0
9.	जम्मू व कश्मीर	8	0	11	0
10.	कर्नाटक	1227	10	78	5
11.	केरल	755	4	139	6
12.	मध्य प्रदेश	4269	66	1400	27
13.	महाराष्ट्र	831	8	189	3
14.	मणिपुर	0	0	0	0
15.	मेघालय	0	0	13	1
16.	मिजोरम	0	0	0	0
17.	नागालैण्ड	0	0	0	0
18.	उड़ीसा	485	10	169	4
19.	पंजाब	11	0	0	0
20.	राजस्थान	5624	53	1445	9
21.	सिक्किम	18	0	31	0
22.	तमिलनाडु	1403	11	227	8
23.	त्रिपुरा	0	0	0	0
24.	उत्तर प्रदेश	8500	261	86	6
25.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0
	कुल (राज्य)	27708	513	4572	95
26.	अ. व नि. द्वीप समूह	0	0	2	0

1	2	3	4	5	6
27.	चंडीगढ़	1	0	0	0
28.	दा. व न. हवेली	0	0	1	0
29.	दमन व दीव	0	0	0	0
30.	दिल्ली	19	0	0	0
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
32.	पांडिचेरी	23	0	0	0
	कुल (संघ शासित क्षेत्र)	43	0	3	0
	कुल (अखिल भारत)	27751	513	4575	95

कोचीन में एल.एन.जी. टर्मिनल

3973. श्री वी.एम. सुधीरन : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में विद्युत उत्पादन के लिये कोचीन में तरलीकृत प्राकृतिक गैस टर्मिनल स्थापित करने के लिए केरल सरकार से कोई व्यापक प्रस्ताव हुआ है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है/किये जाने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, नहीं। तथापि, केरल सरकार ने कोचीन में एल.एन.जी. टर्मिनल स्थापित करने के लिए अपेक्षित भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में सहायता का प्रस्ताव किया है।

(ख) भारत के लिए एल.एन.जी. आयात करने के लिए गैस अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन, इंडियन आयल कारपोरेशन तथा भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड को शामिल करते हुए एक संयुक्त उद्यम कंपनी नामतया पेट्रोनेट एल.एन.जी. लिमिटेड, तैयार की गई है जिसमें इन उद्यमों का समांशता अंश कुल समांशता का 50 प्रतिशत है तथा शेष वित्तीय संस्थाओं इत्यादि को प्रस्तावित है। कोचीन विचार किए जा रहे स्थानों में से एक है। एल.एन.जी. की खरीद के लिए बोली प्रक्रिया भी आरम्भ की गई है और इसके संबंध में पेट्रोनेट एल.एन.जी. लि. द्वारा आगे कार्रवाई की जा रही है।

अ.जा./अ.ज.जा. के लिए आरक्षण

3974. श्री के.डी. सुल्तानपुरी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की विभागीय पदोन्नतियों तथा एन.डी.एम.सी. आवासों के आवंटन में आरक्षण नियमों का पालन किया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) सेवाओं और रिहायशी आवासों के आवंटन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों के लिए आरक्षण के मामले में केन्द्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए निर्धारित अनुदेशों का नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् द्वारा भी अनुपालन किया जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

तेल और प्राकृतिक गैस निगम के खोज कार्य

3975. श्री नरेश पुगलीया : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम की खोज कार्यों संबंधी गतिविधियां संतोषजनक पाई गई हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम की खोज कार्यों संबंधी गतिविधियों को तेज करने के लिए क्या प्रयास किए जाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) 8वीं योजना अवधि के दौरान ओ. एन.जी.सी. के भण्डारों में वृद्धि अन्वेषणात्मक निवेशों के अनुरूप नहीं रही है।

(ख) हाइड्रोकार्बन अन्वेषण में निवेश और उत्पादन के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। हाल के वर्षों में कम भण्डार वृद्धि के संभवतः निम्नलिखित कारण हो सकते हैं :

(1) भूवैज्ञानिक रूप से साधारण तट क्षेत्रों में और अपेक्षाकृत कम गहराई वाले क्षेत्रों में बड़े और मध्यम आकार के पूर्वेक्षण स्थलों में संभवतः वर्तमान प्रौद्योगिकियों के माध्यम से खोजें की गई हैं।

(2) भविष्य में खोजें संभवतः भूवैज्ञानिक और तार्किक तौर पर कठिन क्षेत्रों में और गहनतर जल क्षेत्रों में की जा सकती है जिसके लिए ऐसे क्षेत्रों में अन्वेषण के लिए नए दृष्टिकोण/कार्यनीति के अलावा आधुनिकतम प्रौद्योगिकियों की आवश्यकता है।

(3) अब तक अन्वेषणात्मक प्रयास मुख्यतः 6 पेट्रोलयुक्त कैट/बेसिनों में किए जाते रहे और अन्य बेसिनों में कोई प्रयास नहीं किए गए।

अन्वेषण क्रियाकलापों को तेज करने के लिए ओ.एन.जी.सी. ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए एक ''रीकास्ट'' कार्यक्रम तैयार किया है। भौतिक निवेशों और दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नलिखित हैं :

- आधुनिकतम संसाधन और निर्वचन हार्डवेयर/साफ्टवेयर का इस्तेमाल आरम्भ करना।

- त्रिआयामी अर्जन के लिए और अधिक निवेश।

- मूल नौवीं योजना से अधिक अतिरिक्त द्विआयामी भूकम्पीय सर्वेक्षणों और कूपों के लिए निवेश।

  कुल 367 पूर्वेक्षण स्थलों की सूची में से लगभग 298 नए पूर्वेक्षण स्थलों में अन्वेषण करने का प्रस्ताव है।

- गहरे जल वाले क्षेत्रों और नए सीमावर्ती क्षेत्रों में गहन अन्वेषण क्रियाकलापों की योजना है।

- ज्ञात बेसिनों में थ्रस्ट फोल्ड बेल्ट्स, सब-ट्रापीयन सीक्वेंसेज और अधिक गहरे पूर्वेक्षण स्थलों जैसे भूवैज्ञानिक रूप से जटिल क्षेत्रों में सब-सर्फेस इमेंजिग में वृद्धि करने के लिए आधुनिकतम प्रौद्योगिकियों को अपनाया जाना।

[हिन्दी]

बंधुआ मजदूर

3976. श्री हरि केवल प्रसाद :
श्री रामपाल उपाध्याय :
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में 14 वर्ष से कम की उम्र वाले कितने बच्चे बंधुआ मजदूर के रूप में कार्य कर रहे हैं;

(ख) इन बंधुआ बाल मजदूरों को मुक्त करने, उनका पुनर्वास करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है/किये जाने का विचार है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में राज्यवार मुक्त किये गये और पुनर्वास किये गये बंधुआ बाल मजदूरों का ब्यौरा और उनकी संख्या क्या है ?

श्रम मंत्री (डॉ. सत्यनारायण जटिया) : (क) निम्नलिखित राज्य सरकारों ने बंधुआ श्रमिक के रूप में कार्य कर रहे 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की पहचान की सूचना दी है :

1. आन्ध्र प्रदेश - 29
2. महाराष्ट्र - 4
3. तमिलनाडु - 1942

इन बच्चों को मुक्त करवा दिया गया है और उनके माता-पिता को सौंप दिया गया है।

(ख) बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत पहचान, मुक्ति और तत्पश्चात् मुक्त करवाये गये बंधित श्रमिकों के पुनर्वास की सीधी जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। अधिनियम के अंतर्गत, बाल और वयस्क बंधुआ श्रमिक के बीच कोई विभेद नहीं किया गया है अतः बंधित श्रमिकों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकारों को दिये गये दिशानिर्देश बंधित बाल श्रमिकों पर भी लागू होते हैं।

पुनर्वास के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत प्रत्येक मुक्त बंधित श्रमिक को 10,000 रुपये की अधिकतम सीमा तक सहायता प्रदान की जाती है। यह व्यय केन्द्र और संबंधित राज्य सरकार द्वारा (50:50) आधार पर समान रूप से वहन किया जाता है। राज्य सरकारों को बंधित श्रमिकों के पुनर्वास के लिए केन्द्र प्रायोजित योजनाओं को अन्य गरीबी उन्मूलन योजनाओं जैसे आई.आर.डी.पी., जे.ए.वाई., जे.आर.वाई., ट्राईसेम, डी.डब्ल्यू.सी.आर.ए., स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान/सब-प्लान के साथ एकीकृत करना/जोड़ना चाहिए जिससे कि बंधित श्रमिकों के कारगर पनुर्वास के लिए स्रोतों को मिलाया जा सके।

(ग) बंधित श्रमिकों का आयु-वार और वर्ष-वार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। तथापि, दिसम्बर, 1996 में राज्य सरकारों द्वारा कराए गये सर्वेक्षण में निम्नलिखित संख्या में बंधित श्रमिकों के पहचान किये जाने की रिपोर्ट है :

1.	अरुणाचल प्रदेश	3517
2.	बिहार	106
3.	कर्नाटक	19
4.	मध्य प्रदेश	18
5.	महाराष्ट्र	2
6.	उत्तर प्रदेश	237
7.	तमिलनाडु	25008
	कुल	28907

[अनुवाद]

अमान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त डेन्टल डिग्री

3977. श्री अजय कुमार एस. सरनायक : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विश्वविद्यालयों की डेन्टल डिग्रियों को इस समय मान्यताप्राप्त पंजीकृत नहीं माना जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन डिग्रियों को मान्यता दे दी गई है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इन विश्वविद्यालयों से निकलने वाले स्नातकों का क्या भविष्य है; और

(च) सरकार ने इनको मान्यता प्रदान करने के संबंध में क्या कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) से (च) दन्त चिकित्सक अधिनियम की धारा 10 (2) के अंतर्गत विश्वविद्यालयों को उनके द्वारा दी गई बी.डी.एस. डिग्री को दन्त चिकित्सक अधिनियम 1948 की अनुसूची के भाग-1 में शामिल करने के लिए केन्द्रीय सरकार को आवेदन करना पड़ता है। इस समय अमरावती विश्वविद्यालय, शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर से प्राप्त आवेदन सरकार के विचाराधीन हैं। बम्बई उच्च न्यायालय ने शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर के कुछ छात्रों द्वारा दायर की गई 1997 की रिट याचिका संख्या 4657 के संदर्भ में दिनांक 3.12.97 के अपने अन्तरिम आदेश के तहत यह निर्देश दिया है कि इन रिट याचकों को अनन्तिम पंजीकरण दे दिया जाए।

खाद्य तेलों के स्वदेशी प्रसंस्करण

3978. श्री के.पी. नायडू : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य तेलों के अधिक आयात से बाजार में उनकी अधिक उपलब्धता के परिणामस्वरूप घरेलू कोल्हू बेकार हो गए हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो घरेलू प्रसंस्करों को बचाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) और (ख) घरेलू विलायक निस्सारण संयंत्र अपनी अधिष्ठापित क्षमता में कहीं कम क्षमता पर कार्य कर रहे हैं। इसका कारण ''आयल बियरिंग'' सामग्री की कमी होना न हो कि खाद्य तेलों के आयात में कमी होना। वर्तमान में मांग और आपूर्ति के बीच 14-15 लाख टन के बीच अन्तर होने का अनुमान है। इस अन्तर को देखते हुए वित्तीय वर्ष 1997-98 में 11.3 लाख टन खाद्य तेल आयात करने संबंधी मात्रा को अधिक नहीं माना जा सकता।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली/पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करना

3979. श्री सतनाम सिंह कैंथ :
श्री टी. गोविन्दन :
श्री रघुवंश प्रसाद सिंह :
श्रीमती जयन्ती पटनायक :
श्री जॉर्ज ईडन :

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने का है;

(ख) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली/पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करने तथा उसे आम आदमी को राहत प्रदान करने के लिए पूर्ण रूप से सुसज्जित करने के लिए राज्य सरकारों से सुझाव प्राप्त किए गए हैं;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने के लिए कोई अल्पसंख्यक अभिकरण गठित करने का है जिससे कि गरीब परिवारों को राशन की सुविधाएं प्राप्त हो सकें;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) जून, 1997 में ''सभी क्षेत्रों में गरीबों पर केन्द्रित'' लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के शुरू होने से ''गरीब क्षेत्रों में सभी'' पर केन्द्रित सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली निरर्थक हो गई है।

(ख) और (ग) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के शुरू होने के बाद खाद्यान्न आवंटन में कमी, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए 10 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति माह प्रति परिवार अपर्याप्त होने और गरीबी संबंधी अनुमानों के बारे में विभिन्न सुझाव/अभ्यावेदन प्राप्त हुए। 30 सितम्बर, 1997 को हुए मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के

क्रियान्वयन की समीक्षा की गई थी और निम्नलिखित मुद्दों पर आम सहमति उभर कर सामने आई :

(1) राज्यों को खाद्यान्नों के आवंटन की समीक्षा उनकी आवश्यकता के आधार पर की जाए। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कोटे से अतिरिक्त आंबटन गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए लागू सब्सिडी प्राप्त मूल्यों पर किया जाए।

(2) यद्यपि गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के आवंटन में वृद्धि की जाए तथापि गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के आंवटन में कोई कमी नहीं की जाना चाहिए।

इन मुद्दों पर निम्नलिखित कार्रवाई की गई है :

(1) केन्द्रीय पूल में स्टॉक की उपलब्धता और खाद्य राजसहायता की बाधाओं को ध्यान में रखते हुए 1.12.1997 से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को गरीबी रेखा से उपर की आबादी के लिए लागू मूल्यों पर अतिरिक्त आवंटन किए जा रहे हैं।

(2) गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के आंबटन में कमी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। खाद्यान्न स्टाक की बाधाओं और इसमें शामिल अधिक सब्सिडी को ध्यान में रखते हुए गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के आंबटन के वर्तमान स्तर को बनाए रखा गया है।

(घ) से (च) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए एक अलग मानीटरिंग एजेंसी का गठन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। लेकिन तालुक, जिला और राज्य स्तर पर उचित दर दुकानों पर सतर्कता समितियों के गठन पर जोर दिया गया है। राज्य सरकारों से भी इन सतर्कता समितियों में सांसदों को नामित करने के लिए अनुरोध किया गया है।

पुलिस द्वारा परेशान किया जाना

3980. श्रीमती आभा मडतो : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 26 मई, 1998 के "दि हिन्दु" में "हॉक्स कॉलम नाऊ कॉपस प्ले दि गेम" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिखाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या पुलिसकर्मी मनोरंजन पार्क के मालिकों को अनावश्यक रूप से परेशान करते रहते हैं;

(घ) यदि हाँ, तो क्या केन्द्र सरकार इस संबंध में जांच करने पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी हाँ, श्रीमान।

(ख) से (च) इस मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा सतर्कता जांच की है और बताया जाता है कि रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

सीमा विवाद

3981. श्री राजकुमार धंग्वा :
श्री चन्द्रशेखर साहू :
श्री जयंत रंगपी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को असम और अरुणाचल प्रदेश, अन्य पूर्वोत्तर राज्यों तथा मध्य प्रदेश और उड़ीसा के बीच निरंतर सीमा विवाद की जानकारी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार असम और अरुणाचल प्रदेश, अन्य पूर्वोत्तर राज्यों तथा मध्य प्रदेश और उड़ीसा के बीच काफी समय से लम्बित सीमा विवाद की समस्या के समाधान के लिये त्रिपक्षीय समिति बनाने का है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) जी हाँ, श्रीमान्। पूर्वोत्तर राज्यों के बीच मुख्य सीमा विवाद निम्नानुसार है :

(1) असम - अरुणाचल प्रदेश

(2) असम - नागालैण्ड

(3) असम - मिजोरम

(4) असम - मेघालय; और

उपलब्ध जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश और उड़ीसा के बीच विवाद 3 गांवों को लेकर है।

(ग) से (ङ) यह पता चला है कि मध्य प्रदेश और उड़ीसा के अधिकारियों के बीच आपसी बातचीत द्वारा एक समझौता हुआ है।

जहां तक पूर्वोत्तर राज्यों के सीमा विवादों का प्रश्न है त्रिपक्षीय समिति के निर्णय संबंधित राज्यों पर बाध्य नहीं हैं और इसलिए इस मसले को हल करने में सहायका नहीं हैं। अतः त्रिपक्षीय समितियां गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, भारत सरकार एक सीमा आयोग का गठन कर सकती है यदि दोनों अन्तर्गस्त राज्य सरकारें ऐसे आयोग के गठन पर सहमत होती हैं तथा विचारार्थ विषय और आगे इस बात पर सहमत होती है कि निर्णय अन्तिम तथा दोनों राज्यों के लिए बाध्यकारी होगा।

पिछड़ा क्षेत्र विकास आयोग का गठन

3982. श्री बच्ची सिंह रावत ''बच्चदा'' : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक पिछड़ा क्षेत्र विकास आयोग का गठन करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो इसका गठन कब तक कर दिये जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने आयोग को विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के व पर्वतीय जिलों के पिछड़े क्षेत्रों की समस्याएं देखने को कहा है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

विशेष केन्द्रीय सहायता

3983. श्री बलीराम कश्यप : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1992 से 31 मार्च, 1998 की अवधि के दौरान सरकार द्वारा मध्य प्रदेश को कोई विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को इस धनराशि के उपयोग के संबंध में कोई ब्यौरा दिया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, हाँ। सरकार ने वर्ष 1992 से 31 मार्च, 1998 के दौरान मध्य प्रदेश सरकार को अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आदिवासी उप-योजना को संपूरित करने के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान की है।

(ख) ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

वर्ष	विशेष संघटक योजना को दी गई विशेष केन्द्रीय सहायता (रु० लाख में)	आदिवासी उप योजना को दी गई विशेष केन्द्रीय सहायता (रु० लाख में)
1992-93	1839.09	6785.01
1993-94	2803.81	8117.65
1994-95	2097.57	7535.72
1995-96	2425.33	9579.66
1996-97	1910.39	7695.71
1997-98	1945.24	9207.83

(ग) मध्य प्रदेश सरकार ने ब्यौरे प्रस्तुत कर दिए हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

स्वतंत्रता सेनानी पेंशन

3984. श्री भर्तृहरि मेहताब :
श्री पी. उपेन्द्र :
कर्नल सोनाराम चौधरी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत कई आवेदन-पत्र सरकार के पास लम्बित पड़े हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्यवार अद्यतन ब्यौरा क्या है;

(ग) इन आवेदन पत्रों को अंतिम रूप से निपटान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) केन्द्र से ''सम्मानन पेंशन'' पाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या पांचवें वेतन आयोग की सिफारिश के बाद सरकार स्वतंत्रता सेनानियों के लिए पेंशन संबंधी लाभों को भी संशोधित करने के बारे में विचार कर रही है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) माह जून, 1998 में निम्नलिखित राज्य सरकारों के माध्यम से प्राप्त केवल 17 नए आवेदन लम्बित हैं :

उत्तर प्रदेश : 2

जम्मू व कश्मीर : 15

जबकि जितना जल्दी हो सके मामलों को निपटाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाते हैं, आवेदन प्राप्ति और निपटान की एक सतत् प्रक्रिया है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय के निर्णय को देखते हुए आवेदन प्राप्ति के लिए कोई अन्तिम तिथि निर्धारित नहीं की जा सकती।

(घ) उन मामलों, जिनमें केन्द्र सरकार द्वारा 30.6.1998 तक स्वतंत्रता सेनानियों को "सम्मान पेंशन" स्वीकृत की गयी है, का विवरण संलग्न है।

(ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

विवरण

उन मामलों की राज्य-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण जिनमें 30.6.98 तक स्वतंत्रता सेनानी पेंशन स्वीकृत की गई है

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उन मामलों की संख्या जिनमें स्वतंत्रता सेनानी पेंशन स्वीकृत की गई
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	11194
2.	असम	4346
3.	बिहार	24810
4.	गोवा	911
5.	गुजरात	3576
6.	हरियाणा	1671
7.	हिमाचल प्रदेश	598
8.	जम्मू और कश्मीर	1805
9.	कर्नाटक	10003
10.	केरल	2828
11.	मध्य प्रदेश	3351
12.	महाराष्ट्र	16538
13.	मणिपुर	62
14.	मेघालय	86
15.	मिजोरम	04
16.	नागालैंड	03
17.	उड़ीसा	4180
18.	पंजाब	6921
19.	राजस्थान	796
20.	तमिलनाडु	4081
21.	त्रिपुरा	886
22.	उत्तर प्रदेश	17966
23.	पश्चिम बंगाल	22415
24.	अ.नि. द्वीप समूह	02
25.	चंडीगढ़	89
26.	दमन और दीव	33
27.	दिल्ली	2038
28.	आई.एन.ए.	22312
29.	पांडिचेरी	314
	कुल	1,63,827

परिवार कल्याण के लिए स्वंयसेवी संगठन

3985. डॉ. लक्ष्मीनारायण पांडेय : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1995 के दौरान आज तक केन्द्र सरकार द्वारा परिवार कल्याण के लिए प्रदान की गई मध्य प्रदेश की स्वंयसेवी संगठनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस खर्च की उपयोगिता का पता लगाने के लिए कोई जांच की है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) 1995-96, 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के दौरान केन्द्र सरकार से मध्य प्रदेश राज्य में परिवार कल्याण हेतु अनुदान प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

इसके अलावा, स्वैच्छिक संगठनों को सहायता देने हेतु 1995-96 के दौरान भारत जनसंख्या परियोजना VII के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार को 15 लाख रुपये रिलीज किए गए।

(ख) से (घ) यह मंत्रालय समय-समय पर राज्यों में जनसंख्या अनुसंधान केन्द्रों सहित बाहरी एजेंसियों द्वारा गैर-सरकारी संगठन परियोजनाओं का मूल्यांकन कराता है। जब कभी प्रतिकूल मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त होती है, तो संबंधित संगठनों के खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाही की जाती है।

विवरण

मध्य प्रदेश राज्य में 1995-96 के दौरान वित्तीय सहायता प्रदत्त गैर सरकारी संगठनों की सूची

मध्य प्रदेश

क्र.सं.	गैर सरकारी संगठन का नाम	जारी की गई राशि
1	2	3
1.	श्री आधार केन्द्र, धार, मध्य प्रदेश	2,06,175/-
2.	श्री गोपाल शिक्षा एवं समाज सेवा समिति, मुरैना, मध्य प्रदेश	93,320/-
3.	परिवार कल्याण एवं मातृ शिक्षा संघ, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	1,83,875/-
4.	श्रमजीवी शिक्षा प्रसार समिति, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	2,18,175/-
5.	महिला उत्कर्ष संस्थान, इंदौर, मध्य प्रदेश	2,06,175/-
6.	वरशिप हैल्थ एंड सोशल डिवलेपमेंट सोसायटी, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	1,83,875/-
7.	श्रीवल्लभ शिक्षा प्रसार समिति, मुरैना, मध्य प्रदेश	2,18,875/-
8.	उत्थानम समिति, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	2,18,175/-
9.	अराधना ग्रामीण सेवा समिति, मुरैना, मध्य प्रदेश	2,18,175/-
10.	सुमन शिक्षा एंव समाज कल्याण समिति, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	1,54,380/-
11.	विवेकानंद समाज कल्याण संस्थान, भिंड, मध्य प्रदेश	80,885/-
12.	प्रगति महिला मंडल, मुरैना, मध्य प्रदेश	2,18,175/-
13.	श्याम शिक्षा एवं समाज कल्याण संस्थान, मुरैना, मध्य प्रदेश	1,49,530/-
14.	ग्रामीण विकास महिला मंडल, भिंड, मध्य प्रदेश	2,29,750/-
15.	श्रीनाथ सेवा संस्थान, भिंड, मध्य प्रदेश	1,91,480/-
16.	रुचि समाज सेवा समिति, भोपाल, मध्य प्रदेश	1,54,380/-
17.	क्लीयर (एफटीईएम प्रोजेक्ट-ई.आई.पी.)	4,49,772/-
18.	सपना समाज सेवा समिति, भोपाल, मध्य प्रदेश	1,09,235/-
19.	सरस्वती देवी शिक्षा प्रसार समिति, मुरैना, मध्य प्रदेश	1,08,375/-
20.	सोसाइटी फार हैल्थ एजुकेशन डिवलेपमेंट, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	51,460/-
21.	सोसायटी फार सोशल डिवलेपमेंट, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	2,29,750/-
22.	ब्राइट पब्लिक स्कूल समिति, मुरैना, मध्य प्रदेश	77,085/-
23.	श्रीमती सरस्वती देवी शिक्षा प्रसार समिति, भिंड, मध्य प्रदेश	1,08,375/-
24.	सोसाइटी फार कम्युनिटी डिवलेपमेंट, भोपाल, मध्य प्रदेश	1,08,375/-
25.	ग्राम भारतीय संस्थान, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	2,16,750/-
26.	श्री शांति निकेतन शिक्षा प्रसार समिति, मुरैना, मध्य प्रदेश	2,17,350/-
27.	अत्तोबाई शिक्षा प्रसार समिति, भिंड, मध्य प्रदेश	2,16,750/-
28.	अराधना ग्रामीण सेवा समिति, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	2,16,750/-
29.	श्रीमती सरस्वती देवी शिक्षा प्रसार समिति, भिंड, मध्य प्रदेश	1,08,375/-
30.	अशोक प्रसूति मंदिर, बिलासपुर	60,075/-
31.	कस्तूरबा गांधी नेशनल मैमोरियल ट्रस्ट, कस्तूरबाग्राम	61,225/-
32.	लोक बिरादरी, 6-ए, स्नेह नगर, इंदौर	98,250/-
33.	रामकृष्ण मिशन आश्रम, नारायणपुर, बस्तर	12,150/-
34.	रिसार्स डिवलेपमेंट इंस्टीट्यूट, छितकटनी नगर, भोपाल	40,000/-

1	2	3
35.	सेवा केन्द्र, पानीगांव, धार रोड़, इंदौर	58,000/-
36.	संभव सोशल सर्विस आर्गेनाइजेशन, 19, न्यू विवेकानंद कालोनी, ग्वालियर	84,000/-
37.	तरुण संस्कार, 1784, इंद्रा मार्केट, रणजी, जबलपुर	40,000/-
38.	उज्जैन सीनियर सिटीजन फोरम, 37, दुर्गा निवास, कोठी रोड़ उज्जैन	58,051/-
39.	मेडिकल काउंसिलिंग सेंटर, 13-14, पंचशील नगर, भोपाल	41,975/-
40.	गुरु समाज सेवा समिति, जागव सागर रोड़, ओल्ड शिवपुर, मध्य प्रदेश	69,250/-

मध्य प्रदेश राज्य में 1996-97 के दौरान वित्तीय सहायता प्रदत्त गैर सरकारी संगठनों की सूची

	सरकारी संगठन का नाम	जारी की गई राशि
1.	सोसाइटी फार रूरल डिवलेपमेंट, एम-1309, न्यू दर्पण कालोनी, थाथीपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	1,99,480/-
2.	श्री गणेश ग्रामीण समाज, सेवा समिति, म.न. 55, बी.एम.लेन, नेहरू नगर (कोटसा), भोपाल, मध्य प्रदेश	1,59,380/-
3.	सांधीपानी महिला एवं बाल कल्याण समिति, 89, गांधी कालोनी मुरैना, मध्य प्रदेश	1,09,235/-
4.	ग्रामीण विकास सेवा समिति, भोपाल, मध्य प्रदेश	1,49,530/-
5.	श्रीनाथ समाज सेवा संस्थान, भिंड, मध्य प्रदेश	1,09,230/-
6.	चेतना समाज समिति, भोपाल, मध्य प्रदेश	46,585/-
7.	श्री शांति निकेतन शिक्षा प्रचार समिति, जिला-मुरैना, मध्य प्रदेश	1,99,480/-
8.	ग्रामीण विकास महिला मंडल, जिला भिंड, मध्य प्रदेश	2,06,775/-
9.	अराधना ग्रामीण सेवा समिति, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश	2,06,775/-
10.	ब्राइट पब्लिक स्कूल समिति, मुरैना, मध्य प्रदेश	77,085/-
11.	गीता ग्रामीण समाज सेवा समिति, राजीव नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश	1,09,235/-
12.	जिला साक्षरता समिति, दुर्ग	2,68,580/-
13.	डॉ. पाठक वूमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर सोसायटी, ग्वालियर	1,41,664/-
14.	गायत्री शक्ति पीठ, भोपाल	2,80,730/-
15.	हरिहर शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति, ग्वालियर	2,80,730/-
16.	अशोक प्रसूति मंदिर, बिलासपुर	58,200/-
17.	कस्तूरबा गांधी नेशनल मैमोरियल ट्रस्ट, कस्तूरबाग्राम	30,125/-
18.	लोक बिरादरी, 6-ए, स्नेह नगर, इंदौर	44,100/-
19.	रामकृष्ण मिशन आश्रम, नारायणपुर, बस्तर	18,675/-
20.	रिसोर्स डिवलेपमेंट इंस्टीट्यूट, डिकटनी नगर, भोपाल	59,400/-
21.	सेवा केन्द्र, पाणीगांव, धार रोड़, इंदौर	45,700/-
22.	संभव सोशल सर्विस आर्गेनाइजेशन, 19, न्यू, विवेकानंद कालोनी, ग्वालियर	45,650/-
23.	तरुण संस्कार, 1784, इंद्रा मार्केट, रणजी, जबलपुर	47,100/-
24.	उज्जैन सीनियर सिटीजन फोरम, 37, दुर्गा निवास, कोठी रोड़ माधव नगर, उज्जैन	1,02,340/
25.	मेडिकल कांउसिलिंग सेंटर, 13-14, पंचशील नगर, भोपाल	30,000/-

मध्य प्रदेश राज्य में 1997-98 के दौरान वित्तीय सहायता प्रदत्त गैर सरकारी संगठनों की सूची

क्र.सं	गैर सरकारी संगठन का नाम	जारी की गई राशि
1.	शांति ग्रामीण सेवा एंव कल्याण समिति, दतिया, मध्य प्रदेश	46,585/-
2	स्व. श्री गैंडालाल समाज कल्याण संस्थान, मुरैना, मध्य प्रदेश	1,09,235/-
3.	सुमन शिक्षण एवं समाज कल्याण समिति, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	1,48,330/-

1	2	3
4.	अराधना ग्रामीण सेवा समिति, मुरैना, मध्य प्रदेश	2,06,775/-
5.	श्री राम किशोरी महिला विकास एवं समाज कल्याण मंडल, मुरैना	2,06,175/-
6.	सोसायटी फार सोशल डिवलेपमेंट, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	2,06,775/-
7.	तरुण संस्कार, 1784, इंद्रा मार्केट, रणजी, जबलपुर	80,225/-

1998-99 के दौरान वित्तीय सहायता प्रदत्त गैर सरकारी संगठनों की सूची

1.	सोसायटी फार रूरल डिवलेपमेंट, एम-1309, न्यू दर्पण कालोनी ग्वालियर, मध्य प्रदेश	1,91,480/-

[हिन्दी]

उर्वरकों की कीमतें

3986. श्रीमती जयाबहन भरतकुमार ठक्कर : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में उर्वरकों के समर्थन मूल्य में वृद्धि की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) खुले बाजार में खुदरा दुकानों और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेचे गये उर्वरकों का मूल्य कितना है;

(घ) यदि हाँ, तो इस बढ़ोत्तरी का लोगों पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(ङ) उर्वरकों के मूल्य में निरंतर वृद्धि के क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ ए. के. पटेल) : (क) से (ङ) उर्वरकों के लिए कोई समर्थन मूल्यनहीं है। तथापि, किसानों को यूरिया की बिक्री नियंत्रित मूल्य पर की जाती है। यूरिया का वर्तमान मूल्य 3360 रुपये प्रति टन है। यह वही मूल्य है जो 21.2.1997 से 1.6.98 तक चलता रहा। मूल्य 3.66 रुपये प्रति किलोग्राम है अथवा 50 किलोग्राम के प्रति बोरे के 183 रुपये जमा राज्य बिक्री कर, यदि कोई हो।

इसी प्रकार, किसानों को कुछ फास्फेटिक और पोटासिक उर्वरक भी निर्दिष्ट मूल्य पर उपलब्ध हैं क्योंकि भारत सरकार लागत में सब्सिडी देती है। इस निर्दिष्ट मूल्य में 1.4.97 से कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में सहकारी चीनी मिलें

3987. श्री सुरेश वरपुडकर : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में सहकारी चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति संकटपूर्ण है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा इसके कारण क्या हैं;

(ग) विगत दो वर्षों के दौरान तथा मार्च, 1998 तक राज्य में कितनी चीनी मिलें रुग्ण तथा बंद पड़ी हैं; और

(घ) सरकार द्वारा बंद रुग्ण चीनी मिलों को फिर से चालू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) भारत सरकार चीनी मिलों के संबंध में लाभ-हानि लेखा नहीं रखती है। महराष्ट्र राज्य से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार, महाराष्ट्र में कुछ सहकारी चीनी मिलें संकटपूर्ण स्थिति में हैं।

(ख) महाराष्ट्र में रुग्ण चीनी इकाइयों के मुख्य कारण सूखे की स्थिति की वजह से पर्याप्त गन्ना उपलब्ध न होना, पर्याप्त जल उपलब्ध न होना, कुछेक सहकारी मिलों में कुछ प्रशासनिक कमियां होना, आदि हैं।

(ग) महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार, पिछले दो वर्षों के दौरान बन्द पड़ी चीनी मिलों की संख्या निम्नानुसार है :

वर्ष	बन्द पड़ी इकाइयों की संख्या
1996-97	10
1997-98	24

औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर) से प्राप्त सूचना के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य से रुग्ण चीनी मिलों के रूप में तीन मामले पंजीकृत हुए हैं और पिछले दो वर्षों के दौरान राज्य से कोई रुग्ण चीनी मिल पंजीकृत नहीं की गई है।

(घ) रुग्ण फैक्ट्रियों की समस्याओं का अध्ययन करने और उनके पुनर्स्थापन के लिए उपचारी उपायों का सुझाव देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने श्री शिवाजीराव पाटील, संसद सदस्य की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी।

महाराष्ट्र सरकार रुग्ण और आर्थिक दृष्टि से कमजोर इकाइयों के पुनर्स्थापन के लिए सुगम शर्तों पर ऋण और पुनर्स्थापन हेतु ऋण दिलवाने में सहकारी शक्कर कारखानों की सहायता कर रही

है। राज्य सरकार रुग्ण इकाइयों की वित्तीय स्थिति पर विचार करते हुए ऋणों की समय अनुसूची पुनः तैयार करने से संबंधित प्रस्तावों पर भी विचार करती है।

पुनर्स्थापन/पुनः आरंभ करने के लिए चीनी मिलों को स्वयं स्कीमें तैयार करनी होती हैं और वित्तीय संस्थाओं से मंजूर करवानी होती हैं। ऐसी पुनर्स्थापन स्कीमों के लिए ब्याज की रियायती दर पर चीनी विकास निधि से वित्तीय सहायता भी उपलब्ध है बशर्ते कि चीनी विकास निधि नियमों में निर्धारित की गई शर्तें पूरी कर दी जाएं।

स्वैच्छिक संगठन

3988. श्री एम. राजैया : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने दो वर्षों के दौरान विकलांग बच्चों पर ने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को धनराशि प्रदान की ह, और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी क्या उपलब्धि रही ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, हाँ।

(ख) वर्ष 1997-98 के दौरान, विकलांग शिक्षा और पुनर्वास केन्द्र, नई दिल्ली, को ''विकलांग बच्चों का स्तर अध्ययन तथा सामान्य शिक्षा प्रणाली में उनकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए हस्तक्षेप कार्यनीति'' नामक परियोजना एक वर्ष के लिए मंजूर कर दी गई है, जो चल रही है।

नीलम तेल क्षेत्र

3989. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे तेल के उत्पादन में कमी को रोकने में असमर्थ रहने के कारण तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को प्रतिदिन एक मिलियन डालर का घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो उत्पादन में इतनी अधिक कमी के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार रेवा, पन्ना और मुक्ता तेल क्षेत्रों की भांति नीलम तेल क्षेत्र का भी विदेशी कम्पनियों को हस्तांतरण किए जाने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या निर्णय लिए जाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) नीलम तेल क्षेत्र से उत्पादन मूल्य पूर्वानुमानों के मुताबिक नहीं रहा है। इस उत्पादन में निम्नांकित कारणों की वजह से अप्रैल, 1995 के 90,000 बी. ओ.पी.डी. के स्तर से वर्तमान में लगभग 37,000 बी.ओ.पी.डी. के लिए गिरावट आयी है :

(1) विकास वेधन परिणामों के मूल्यांकन पर भूवैज्ञानिक प्रतिमान में परिवर्तन तथा स्थानिक आंरभिक तेल में कमी का पता चला है।

(2) कतिपय कूपों में असमय जल का बहाव तथा अधिक गैस तेल अनुपात।

(ग) और (घ) खोजे गए क्षेत्रों के विकास के लिए निजी भागीदारी से संबंधित नीति सरकार के विचाराधीन है।

धनराशि जारी किया जाना

3990. श्री पद्मा नाबा बेहेरा : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के कंधामाल जिले के बालीगंदा आई.टी.डी. ए. के लिए सरकार द्वारा जारी की गई धनराशि का वर्षों से समुचित उपयोग हो पा रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में पूर्ण रूप से जांच करवाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) केन्द्र सरकार केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत निधियों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की निर्मुक्ति करती है न कि जिलों को।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सीमा सुरक्षा बल द्वारा परेशान किया जाना

3991. श्री नेपाल चन्द्र दास : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत बंगलादेश सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के जवान अपनी चौकियां छोड़कर बस यात्रियों, पैदल चलने वाले आवश्यक अनावश्यक वस्तुएं ले जा रहे व्यापारियों को असम के करीमगंज जिले में परेशान करते हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो लोगों की शिकायतों के समाधान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

जम्मू व कश्मीर में आतंकवाद

3992. प्रो० पी. जे. कुरियन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने जम्मू व कश्मीर में सीमा पार से आंतकवाद को समाप्त करने के लिए कोई नई कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक अपनाये गये दृष्टिकोण में भिन्नता का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) सीमा पर से प्रयोजित उग्रवाद की समस्या से निपटने के उद्देश्य से सरकार ने एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें अन्य के साथ-साथ शामिल हैं – सीमा प्रबन्धन को मजबूत करना, उग्रवादियों के खिलाफ भीतरी क्षेत्रों में सक्रिय कार्रवाई करके उनके इरादों को विफल करना, आसूचना तन्त्र को सक्रिय बनाना, विकास के कार्यक्रम को तेज करना तथा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया को मजबूत करना, इत्यादि। यह एक कारगर दृष्टिकोण है जिसकी पुनरीक्षा निरन्तर की जाती रहती है ताकि उग्रवादियों की बदलती हुई रणनीति का सामना किया जा सके।

[हिन्दी]

गेहूं तथा चावल की किफायती तथा उपरि लागत

3993. श्री चन्द्रशेखर साहू :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996-97, 1997-98 के दौरान तथा आज तक भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों के क्रय, भंडारण तथा परिवहन पर प्रति क्विंटल कितना व्यय हुआ;

(ख) क्या उपर्युक्त अवधि के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल तथा गेहूं पर निर्धारित की गई किफायती तथा उपरि लागत में वृद्धि की गई;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या खाद्यान्नों की वास्तविक मूल्य की तुलना में खाद्यान्नों की देख रेख पर काफी बड़ी राशि खर्च की जा रही है;

(ङ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) भारतीय खाद्य निगम द्वारा इस लागत में कमी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

(क) वर्ष 1996-97 से 1997-98 के दौरान उत्पादक राज्यों से उपभोक्ता राज्यों तक खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण और ढुलाई में भारतीय खाद्य निगम द्वारा वहन किया गया प्रति क्विंटल खर्च निम्नानुसार था :

(रुपये प्रति क्विंटल)

मन	1996-97 (अनंतिम/वास्तविक)		1997-98 (संशोधित अनुमान)	
	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल
खरीद	525.09	689.40	624.88	750.90
भंडारण	11.44	14.45	17.50	17.60
ढुलाई	44.07	55.81	66.62	66.70

(ख) और (ग) वर्ष 1996-97 से 1997-98 के दौरान गेहूं और चावल की इकानामिक और उपरि (ओवरहेड) लागत के ब्यौरे निम्नानुसर हैं :

(रुपये प्रति क्विंटल)

	1996-97 (अनंतिम/ वास्तविक)	1997-98 (संशोधित अनुमान)
1	2	3
गेहूं		
(क) अनाज की एकीकृत लागत	381.62	494.42
(ख) उपरि-लागत		
(1) वसूली प्रासंगिक खर्च	101.96	107.69
(2) राज्य एजेंसियों को रख-रखाव प्रभार	41.51	22.77
(3) वितरण लागत	115.06	175.62
(ग) इकानामिक लागत (क+ख)	640.15	800.50

1	2	3
चावल		
(क) अनाज की एकीकृत लागत	627.99	686.75
(ख) उपरि-लागत		
(1) वसूली प्रासंगिक खर्च	61.41	64.15
(2) वितरण लागत	158.29	189.50
(ग) इकानामिक लागत (क) + (ख)	847.69	940.40

लागतों में वृद्धि मुख्यतया न्यूनतम समर्थन मूल्य/अनाज की "नेक्स्ड" लागत में वृद्धि और सांविधिक प्रभारों में भी हुई यथामूल्य वृद्धि तथा 50 किलोग्राम की बोरियों में पैकिंग शुरू करने के रूप अनाज की एकीकृत लागत के बढ़ जाने के कारण

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल

3994. श्री चेतन चौहान : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित अस्पतालों की संख्या अलग-अलग कितनी है;

(ख) कितने अस्पतालों में मरीजों के लिए बिस्तर उपलब्ध हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बिस्तरों की सुविधा वाले अस्पतालों की संख्या बढ़ाने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) और (ख) (I) 30.6.97 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश राज्यों में चल रहे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या इस प्रकार है :

	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
उत्तर प्रदेश	3761	262
हिमाचल प्रदेश	260	42

(II) मानदंडों के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमशः 4-6 और 30 पलंग होने चाहिए लेकिन यह संख्या एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न-भिन्न है।

(ग) और (घ) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बुनियादी न्यूनतम कार्यक्रम के अधीन स्थापित किए जाते हैं जिसके आधार पर राज्य सरकारें प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सहित सात बुनियादी न्यूनतम सेवाओं में से प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का चयन करती हैं। बुनियादी न्यूनतम सेवा के अंतर्गत आवंटन में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता भी शामिल है। जिसे इस प्रयोजन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यह मंत्रालय राज्य सरकारों पर अपने-अपने बुनियादी न्यूनतम सेवा कार्यक्रम के अधीन प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या में कमियों को पूरा करने के लिए उच्च प्राथमिकता प्रदान करने की आवश्यकता के संबंध में दबाव डालता रहा है।

गेहूं, चावल और चीनी का भंडार

3995. श्री तथागत सत्पथी : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान और केन्द्रीय पूल में चावल, गेहूं और चीनी का कितना भंडार है;

(ख) क्या सरकार का विचार वर्षा ऋतु के आगमन से पूर्व विभिन्न राज्यों में खाद्यान्नों और चीनी का अतिरिक्त भंडार तैयार करने का है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा भारतीय खाद्य निगम द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) 1.6.98 को स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में चावल और गेहूं का स्टाक क्रमशः 126.77 लाख टन और 159.29 लाख टन था।

चीनी के संबंध में कोई केन्द्रीय पूल नहीं है। तथापि, चीनी फैक्ट्रियों द्वारा उत्पादित चीनी की कुछ प्रतिशतता सरकार द्वारा लेवी के रूप में ली जाती है। अगस्त, 1998 माह से संबंधित मासिक लेवी चीनी के कोटे की निर्मुक्ति करने के पश्चात लेवी चीनी खाते में 5.20 लाख टन की मात्रा उपलब्ध है।

(ख) और (ग) जी, हाँ। भंडारण क्षमता की आवश्यकता और उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न राज्यों को खाद्यान्नों का संचलन करने के लिए प्रत्येक माह विस्तृत संचलन योजना तैयार की जाती है। जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्व राज्यों जैसे राज्यों को सड़क द्वारा भी स्टाक का संचलन किया जाता है।

लेवी चीनी के मासिक आवंटन 1½ माह अग्रिम में किए जाते हैं ताकि भारतीय खाद्य निगम और सीधे आवंटन किए जाने वाले राज्यों की अन्य उठान एजेंसियां उपभोक्ताओं को चीनी की सुचारु उपलब्धता सुनिश्चित कर सकें। विभिन्न राज्यों के लिए जुलाई, 1998 माह की संचलन योजना विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

जुलाई, 1998 माह के लिए भारतीय खाद्य निगम की संचलन योजना

(हजार टन में)

राज्य	उत्तर भारत से		मध्य प्रदेश से		आन्ध्र प्रदेश से		जोड़		कुल
	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल	खाद्यान्न
असम	50	196*	–	–	–	–	50	196	246
पश्चिम बंगाल	50	10	–	–	–	–	50	10	60
बिहार	20	10	–	–	–	–	20	10	30
उड़ीसा	26	–	–	–	–	–	26	–	26
महाराष्ट्र	50	150	–	–	–	–	50	150	200
केरल	–	20	–	40	–	60	–	120	120
कर्नाटक	–	80	–	–	–	–	–	80	80
तमिलनाडु	–	20	–	20	–	60	–	100	100
दिल्ली	50	2	–	–	–	–	50	2	52
हिमाचल प्रदेश	15	15	–	–	–	–	15	15	30
जोड़	261	503	–	60	–	120	261	683	944

* नोट इसमें सड़क द्वारा किया गया 76,000 टन का संचलन शामिल है जिसमें पश्चिम बंगाल से 31,000 टन, बिहार से 15,000 टन और उत्तर प्रदेश से 30,000 टन किया गया संचलन शामिल है।

मध्य प्रदेश में गेहूं खरीद केन्द्र

3996. श्री दादा बापूराम परांजपे :
श्री रामानन्द सिंह :
श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी :

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद करने संबंधी किसी नीति की घोषणा की है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस नीति से किसान लाभान्वित हुए हैं;

(ग) क्या मध्य प्रदेश में रीवा, सतना और जबलपुर के किसानों को राज्य में सरकारी एजेंसियों द्वारा गेहूं की खरीद न किए जाने के कारण समर्थन मूल्य का लाभ नहीं मिल रहा है;

(घ) क्या इन जिलों में मात्र कुछेक गेहूं खरीद केन्द्र हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई करने का विचार किया है ?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव) : (क) सरकार की घोषित नीति के अधीन सरकारी वसूली एजेंसियों द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित वसूली मूल्य/न्यूनतम समर्थन मूल्य पर समर्थन योजना के अधीन गेहूं की वसूली की जाती है। मूल्य समर्थन के अधीन गेहूं की वसूली किसानों के लिए पूर्णतः स्वैच्छिक होती है।

(ख) जी, हाँ।

(ग) भारतीय खाद्य निगम की ओर से मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम रीवा, सतना और जबलपुर जिलों सहित मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में 535 रुपए प्रति क्विंटल, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य के 455 रुपए, केन्द्रीय बोनस 55 रुपए और राज्य बोनस 25 रुपए शामिल है, की दर से गेहूं की खरीद कर रहा है।

(घ) जी, नहीं। गेहूं की वसूली के लिए पर्याप्त संख्या में क्रय केन्द्र खोले गये हैं। मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम रीवा जिले में 26, सतना जिले में 40 और जबलपुर जिले में 22 क्रय केन्द्र चला रहा है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

नयी कार्य योजना

3997. श्री कांति लाल भूरिया : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के संबंध में केन्द्र सरकार को कोई नई कार्य योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपर्युक्त कार्य योजना को कब तक अनुमोदित कर दिया जाएगा ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. ए.के. [illegible]) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश सरकार ने लगभग 320 करोड़ [illegible] परिव्यय से 1997 से 2002 तक की अवधि के लिए एक योजना प्रस्तुत की थी, जिस पर भोपाल गैस रिसाव विभीषिका संबंधी मंत्रियों के दल ने 30 जुलाई, 1997 को हुई अपनी बैठक में विचार किया था। मंत्रियों के दल (जी.ओ.एम.) के निर्णयानुसार 258 करोड़ रुपए के संशोधित परिव्यय से मौजूदा कार्य योजना की अवधि 30 सितम्बर, 1998 तक बढ़ायी गई थी। जी.ओ.एम. ने यह भी निर्णय किया था कि कार्य योजना, 1990-97 में शामिल योजनाओं के अलावा गैस पीड़ितों के राहत और पुनर्वास के लिए राज्य सरकार द्वारा सृजित सुविधाओं के अनुरक्षण, आवर्ती व्यय तथा प्रस्तावित नई योजनाओं के लिए धनराशियां योजना आयोग के परामर्श से राज्य योजना के भाग के रूप में प्रदान की जाएं।

निगमित क्षेत्र में सुरक्षा

3998. डॉ0 महादीपक सिंह शाक्य : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारत में निगमित क्षेत्र की सुरक्षा के लिए बढ़ रही मांग की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या इन कम्पनियों की सुरक्षा के संबंध में दोहरा और उपेक्षापूर्ण रुख अपनाने के लिए इन्होंने सरकार के विरुद्ध शिकायतें की हैं;

(ग) यदि नहीं, तो विभिन्न उच्चायोगों/दूतावासों और अन्य कम्पनियों में कितनी कम्पनियां कार्यरत हैं; और

(घ) सरकार द्वारा निगमित क्षेत्र को और अच्छी सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (घ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार चूंकि "पुलिस" राज्य का विषय है, अतः कारपोरेट सेक्टर समेत उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले विभिन्न संगठनों को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराना राज्य सरकारों का कार्य है। केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि कारपोरेट और अन्य गैर-सरकारी सैक्टर प्राइवेट सुरक्षा गार्डों और एजेन्सियों की सेवाएं ले रहे हैं। जनशक्ति के अभाव और अन्य कारणों से राज्य सरकारें इनकी बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने में समर्थ नहीं हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार, देश में करीब 3000 प्राइवेट सुरक्षा एजेन्सियां कार्यरत हैं।

बेहतर गुणवत्ता वाली प्राइवेट सुरक्षा सेवाएं उपलब्ध कराने तथा प्राइवेट सुरक्षा गार्डों और एजेन्सियों के कार्यकरण को विनियमित करने के लिए दिसम्बर, 1994 में राज्य सभा में इस आशय का एक विधेयक पेश किया गया था।

उच्चायुक्त/दूतावास, यदि वे चाहें, तो उनकी सुरक्षा आवश्यकताएं राज्य/संघ शासित क्षेत्र पुलिस द्वारा पूरी की जाती हैं।

पेट्रोल पम्प मालिकों को भूमि का आबंटन

3999. डॉ0 सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** 28 मई, 1998 के अतारांकित प्रश्न संख्या 261 के दिए गए उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल कंपनियों (आई.ओ.सी., एच.पी.सी., बी.पी.सी. और आई.बी.पी.) ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द किए गए पेट्रोल पम्प आबंटनों की स्थिति के बारे में डी.डी.ए. को जानकारी दी है;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे आबंटियों की संख्या कितनी है जिनके मामले सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से प्रभावित नहीं हुए हैं और जो डी.डी.ए. द्वारा भूमि आबंटन की प्रतीक्षा कर रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लिए विदेशी सहायता

4000. श्री चिन्मयानंद स्वामी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए विदेशी सहायता उपलब्ध कराई है;

(ख) यदि हाँ, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक राज्य में वर्ष-वार कितनी राशि खर्च की गई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एझिलमलाई) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए उपलब्ध करवाई गई विदेशी सहायता 1995-96 में 446.83 करोड़ रुपये, 1996-97 में 495.98 करोड़ रुपये और 1997-98 में 358.88 करोड़ रुपये थी।

मुख्य बाह्य सहायताप्राप्त परियोजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जारी की गई धनराशि का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है। संलग्न आंकड़ों में इन परियोजनाओं को वस्तुगत सहायता और घरेलू वित्त पोषित घटक भी शामिल हैं।

विवरण

परिवार कल्याण कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रदान की गई विदेशी सहायता सहित केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा

(रुपये लाखों में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सी.एस.एस.एम. कार्यक्रम			प्रजनक शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम	क्षेत्र परियोजनाएं		
		1995-96	1996-97	1997-98	1997-98	1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	1769.09	2202.24	1999.07	723.55	1634.00	2700.00	.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	142.39	148.85	201.15	138.66	.00	.00	.00
3.	असम	971.02	1022.99	1329.69	370.26	300.00	1450.00	2300.00
4.	बिहार	2439.17	3181.85	3085.61	559.36	1800.00	.00	.00
5.	गोवा	35.52	50.09	55.48	31.70	.00	.00	.00
6.	गुजरात	1222.94	1473.29	1453.02	574.13	126.00	.00	900.00
7.	हरियाणा	632.82	685.40	686.28	669.11	66.00	.00	600.00
8.	हिमाचल प्रदेश	252.14	368.49	385.25	157.25	.00	622.00	.00
9.	जम्मू व कश्मीर	362.53	384.88	390.36	193.23	171.00	.00	.00
10.	कर्नाटक	1392.09	1751.59	1313.11	563.63	2600.00	4097.00	.00
11.	केरल	770.43	860.53	1058.52	356.05	.00	.00	27.00
12.	मध्य प्रदेश	2575.75	3019.98	3031.20	924.69	300.00	313.00	.00
13.	महाराष्ट्र	2380.53	2941.62	2083.52	647.84	1866.00	2354.00	157.00
14.	मणिपुर	137.08	139.25	208.02	120.80	.00	.00	.00
15.	मेघालय	107.60	127.10	155.56	121.36	.00	.00	.00
16.	मिजोरम	65.51	78.36	119.27	52.26	.00	.00	.00
17.	नागालैंड	100.10	116.68	135.69	84.98	.00	.00	.00
18.	उड़ीसा	996.53	1315.10	1340.18	482.66	1043.00	.00	152.00
19.	पंजाब	734.41	824.55	837.95	467.04	265.00	100.00	.00
20.	राजस्थान	1783.84	2544.08	1805.16	847.93	2366.00	2673.00	116.00
21.	सिक्किम	47.37	62.54	87.01	54.60	.00	.00	.00
22.	तमिलनाडु	1678.26	2137.55	1789.23	895.14	2016.00	873.00	.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.	त्रिपुरा	97.14	134.79	160.49	57.16	.00	.00	.00
24.	उत्तर प्रदेश	4723.80	5860.20	4287.40	1100.48	4200.00	2050.00	2916.00
25.	पश्चिम बंगाल	1788.04	2066.99	2472.29	282.63	1500.00	2598.00	.00
26.	अं.नि. द्वीपसमूह	28.56	37.79	49.06	.00	.00	.00	.00
27.	चंडीगढ़	27.63	35.19	32.40	20.66	.00	.00	.00
28.	दादरा व नगर हवेली	11.35	21.74	26.30	.00	.00	.00	.00
29.	दिल्ली	250.17	296.84	345.71	51.18	1000.00	800.00	.00
30.	दमन व दीव	11.43	26.03	38.64	22.00	.00	.00	.00
31.	लक्षद्वीप	10.71	17.78	24.59	.00	.00	.00	.00
	पांडिचेरी	40.46	49.07	75.80	58.32	.00	.00	.00
		27584.41	33983.13	31063.01	10628.64	21253.00	20360.00	7168.00

आंकड़े अनंतिम

स्नेहक तेल की खरीद

4001. श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड स्कूटरों आदि में प्रयोग किये जाने हेतु मैसर्स फ्लेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मैसर्स प्रसाद पोलीपैक लिमिटेड, मद्रास आदि जैसे विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं से स्नेहक तेल की खरीद कर रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या कार्पोरेशन ने खरीद संबंधी कतिपय शर्तें निर्धारित की हैं;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और निदेशक, विपणन इन शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

वृद्धाश्रम

4002. श्री रामचन्द्र बैदा : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कार्यरत वृद्धाश्रमों और अनाथालयों की राज्य-वार अलग-अलग संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्य में इस तरह के और वृद्धाश्रम और अनाथालय खोलने का है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) वयोवृद्धों से संबंधित कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना के अंतर्गत वृद्धावस्था गृहों के संबंध में सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। तथापि, अनाथालयों से संबंधित सूचना एकत्रित करनी पड़ेगी और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) जी, हाँ

(ग) और (घ) उपर्युक्त योजना के अंतर्गत कोई राज्यवार आंबटन नहीं किए गए हैं। तथापि, वर्तमान वित्त वर्ष, 1998-99 के दौरान नए केन्द्रों को खोलने के लिए बजट प्रावधान किया गया है।

विवरण

वयोवृद्धों से संबंधित कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना के अंतर्गत वृद्धावस्था गृहों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वृद्धावस्था गृह
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	62
2.	असम	1

1	2	3
3.	बिहार	2
4.	गुजरात	1
5.	हरियाणा	3
6.	कर्नाटक	10
7.	केरल	2
8.	मध्य प्रदेश	4
9.	महाराष्ट्र	1
10.	मणिपुर	7
11.	उड़ीसा	19
12.	पंजाब	1
13.	तमिलनाडु	18
14.	त्रिपुरा	2
15.	उत्तर प्रदेश	33
16.	पश्चिम बंगाल	20
17.	पांडिचेरी	1
	कुल	187

[हिन्दी]

श्रमिकों का कल्याण

4003. श्री गौरी शंकर चतुर्भुज बिसेन : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रमिकों के कल्याण के लिए राज्यवार कितने केन्द्रीय औषधालय चलाए जा रहे हैं;

(ख) जिला बालघाट (मध्य प्रदेश) में भारवेली में केन्द्रीय औषधालय ने कब से कार्य करना आरंभ किया और इसके रख-रखाव के लिए कौन सा प्राधिकरण जिम्मेदार है;

(ग) क्या श्रमिकों और स्थानीय लोगों को इस औषधालय से लाभ प्राप्त हो रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कार्यकरण में सुधार हेतु क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है ?

श्रम मंत्री (डॉ० सत्यनारायण जटिया) : (क) श्रम कल्याण संगठन बीड़ी उद्योग, लौह अयस्क, मैग्नीज अयस्क और क्रीम अयस्क खानों, चूनापत्थर और डोलोमाइट खानों और अभ्रक खानों में नियोजित कर्मकारों के कल्याण के लिए देश में 274 औषधालय संचालित कर रहा है। उन औषधालयों का राज्य-वार संवितरण दर्शाने वाला एक विवरण संग्लन है।

(ख) लौह अयस्क, मैग्नीज अयस्क और क्रोम अयस्क खान श्रम कल्याण निधि के अधीन स्थापित एक 50 बिस्तरों वाला केन्द्रीय अस्पताल 27.11.1998 से भारवेली, जिला बालाघाट में कार्य कर रहा है। श्रम कल्याण संगठन कल्याण आयुक्त, जबलपुर के माध्यम से इसके रखरखाव के लिए जिम्मेदार है।

(ग) और (घ) भारवेली, जिला-बालाघाट (मध्य प्रदेश) स्थित केन्द्रीय अस्पताल बीड़ी उद्योग और लौह अयस्क, मैग्नीज अयस्क और क्रोम अयस्क खानों में नियोजित कर्मकारों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान कर रहा है।

विवरण

राज्य	औषधालयों की संख्या	
आन्ध्र प्रदेश	24	
तमिलनाडु	19	
मध्य प्रदेश	41	
कर्नाटक	30	
केरल	12	
गुजरात	10	
राजस्थान	23	
हरियाणा	01	
बिहार	32	
उत्तर प्रदेश	20	
हिमाचल प्रदेश	01	
महाराष्ट्र	19	
उड़ीसा	24	
वेस्ट बंगाल	16	(एक चेस्ट क्लीनिक सहित)
असम	01	
त्रिपुरा	01	
कुल	274	

[अनुवाद]

निजी क्षेत्र के कर्मचारी

4004. श्री तारिक अनवर : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी/निजी क्षेत्र के कर्मचारियों का भविष्य अंधकारमय है;

(ख) क्या कम्पनियों के स्वामी बिना किसी-कारण के व्यक्तियों की सेवाएं समाप्त कर देते हैं;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय ने 6 अप्रैल, 1998 को यह आदेश पारित किया है कि बिना कारण बताए किसी भी व्यक्ति की सेवाओं को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए;

(घ) यदि हाँ, तो क्या प्रबंधन इन आदेशों का क्रियान्वयन कर रही है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इन क्षेत्रों के कर्मचारियों की सेवाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्री (डॉ. सत्यनारायण जटिया) : (क) से (ङ) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25 (घ) में की गई व्यवस्था के अनुसार किसी उद्योग में नियोजित किसी कर्मकार की जो किसी नियोक्ता के अधीन कम से कम एक वर्ष से लगातार सेवा में है, उस नियोक्ता द्वारा छंटनी नहीं की जाएगी जब तक कि उस कर्मकार को लिखित में एक माह का नोटिस नहीं दिया जाता है और उस नोटिस में छंटनी के कारण नहीं बताए जाते हैं और नोटिस की अवधि समाप्त नहीं हुई है, अथवा कर्मकार को ऐसे नोटिस के स्थान पर, नोटिस अवधि के लिए मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है।

इस मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 6 फरवरी, 1998 के आदेशों का सार, जैसा कि इण्डियन फैक्ट्रीज एण्ड लेबर रिपोर्ट 1998 (79) नामक जर्नल के पृष्ठ 233 पर रिपोर्ट किया गया है, कि कर्मचारी को एक माह या तीन माह के नोटिस या उसके स्थान पर वेतन की अदायगी करके मनमाने ढंग से और बिना कोई कारण बताए सेवा से मुक्त नहीं किया जा सकता है चाहे प्रमाणित स्थायी आदेशों या सेवा संविदा में इस प्रकार का कोई निर्धारण किया गया हो।

प्रबन्धन के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना आवश्यक है, जो कि इस देश का शीर्षस्थ न्यायालय है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों/आदेशों का सभी नागरिकों द्वारा पालन किया जाना अनिवार्य है।

पूर्वोत्तर राज्यों को सहायता

4005. श्री भीम दाहाल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कृषि कार्यकलापों के लिये पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के लिये केन्द्रीय सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हाँ, तो गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इन राज्यों को दी गयी सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन राज्यों द्वारा उपयोग की गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 1998-99 के लिए इन राज्यों के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि निर्धारित की गई?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान कृषि प्रयोजनार्थ पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम को उपलब्ध की गई केन्द्रीय सहायता के रिलीज और उपयोग को दर्शाने वाला विवरण

(रुपये लाखों में)

राज्य	1996-97		1997-98	
	रिलीज	उपयोग*	रिलीज	उपयोग
अरुणाचल प्रदेश	221.08	498.83	499.80	392.43
असम	1054.31	1009.85	397.48	654.80
मणिपुर	1228.69	1360.17	1135.85	495.81
मेघालय	442.29	432.44	256.77	152.56
मिजोरम	515.54	408.87	717.23	581.54
नागालैण्ड	786.50	1120.85	875.88	661.80
सिक्किम	314.72	484.08	340.66	275.40
त्रिपुरा	379.39	405.19	533.97	395.75

* उपयोग आंकड़ों में पिछले वर्षों से खर्च न किए गए बकाया के संबंध में उपयोग की गई राशि भी सम्मिलित है।

वर्ष 1998-99 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यें के लिए 7434.61 लाख रुपये निर्धारित किए गए हैं। राज्य-वार आंवटन को अभी अंतिम रूप देना बाकी है।

[हिन्दी]

आदिवासी विकास योजना

4006. श्री पी.सी. थामस :
श्री भेरू लाल मीणा :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आदिवासी विकास योजनाओं के अंतर्गत उपयोजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्यों में चालू आदिवासी विकास योजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1991 से लेकर मार्च, 1998 तक केन्द्र सरकार द्वारा आदिवासी विकास योजना के अंतर्गत आबंटित राशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) इस योजना के अंतर्गत राजस्थान के प्रत्येक जिले में कितने लोगों को लाभ पहुंचा है; और

(ङ) आदिवासी उपयोजना विकास विभागों द्वारा उदयपुर डोंगरपुर, बांसवाड़ा, निरोही और कोटा हडोटी में किए गए कार्य से कितने आदिवासियों को सीधा लाभ पहुंचा है?,

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ङ) सूचन एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

प्राकृतिक गैस की आपूर्ति

4007. श्रीमती भावना कर्दम दवे : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को फैडरेशन आफ सेरेमिक इंडस्ट्रीज, थानगढ़ और ग्लो टाइल्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, मारबी, गुजरात से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ताकि उनका उत्पादन कम लागत और प्रदूषण फैलाए बिना बढ़ सके; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी नहीं। परंतु, सरकार को गुजरात की कुछ सेरामिक इकाइयों से गैस के आबंटन के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ख) सरकार ने अब तक गुजरात में सेरामिक उद्योग को 0.279 एम.एम.एस.सी.एम.डी.गैस का आबंटन किया है। वर्तमान में गैस का और आबंटन संभव नहीं है क्योंकि गैस की अनुमानित उपलब्धता का संपूर्णतः आबंटन हो गया है।

प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट का लागू किया जाना

4008. कुमारी किम गंगटे : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिबन्धित क्षेत्र परमिट मणिपुर और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में 1975 में लागू किया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उसे लागू करने के उद्देश्य क्या थे अथवा उन उद्देश्यों की प्राप्ति कहां तक हुई है;

(घ) क्या इन प्रतिबन्धों का राज्यों की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ङ) यदि हाँ, तो क्या केन्द्र सरकार इन प्रतिबन्धों को हटाने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हाँ, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (च) मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्य विदेशी (संरक्षित क्षेत्र) आदेश, 1958 के अंतर्गत संरक्षित क्षेत्र शासन में आते हैं। इन राज्यों को, अन्तर्राष्ट्रीय सीमा का सन्निकटता, सामान्य कानून और व्यवस्था तथा सुरक्षा परिदृश्य, क्षेत्रों की संवेदनशीलता और विद्रोही तत्वों की उपस्थिति आदि जैसे कारणों की वजह से संरक्षित क्षेत्रों के अन्तर्गत रखा गया था। प्रतिबन्धित/संरक्षित क्षेत्र प्रशासन की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। 19.5.1995 को असम, मेघालय और त्रिपुरा राज्यों पर से संरक्षित क्षेत्र शासन पूर्ण रूप से हटा लिया गया था। इसी प्रकार, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में कुछ अतिरिक्त क्षेत्रों को संरक्षित क्षेत्र शासन से मुक्त कर दिया गया है ताकि पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके और इन राज्यों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाया जा सके।

[हिन्दी]

घर-घर स्वास्थ्य योजना

4009. श्रीमती शीला गौतम : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर जाकर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए मात्र 50 रुपये प्रतिमाह न्यून वेतन पर 1977 से कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी सेवा शर्तों में सुधार लाने के लिए उनकी मांग पर विचार करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में किसी समिति का गठन किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस दिशा में समिति द्वारा की गई प्रगति का क्या ब्यौरा है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (जिनका अब ग्रामीण स्वास्थ्य गाईड नाम रखा गया है) को समुदाय को उनकी स्वैच्छिक सेवाओं के लिए 1997 से 50 रुपये प्रति माह का मानदेय दिया जा रहा है।

(ख) से (घ) योजना का उपयोगिता का मूल्यांकन करने और यदि आवश्यक हो तो उसमें आशोधन या सुधारों का सुझाव देने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। समिति इस विषय पर विभिन्न राज्य सरकारों और ग्रामीण स्वास्थ्य गाइड एसोसिएशनों से परामर्श कर रही है और इसने अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी है।

सूखा/बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को खाद्यान्नों का वितरण

4010. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरन सूखा और बाढ़ प्रभावित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय पूल से वर्षवार कितने खाद्यान्न का वितरण किया गया;

(ख) क्या हाल ही में सूखे का सामना करने के संबंध में कुछ राज्यों द्वारा कोई मांग की गई है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय पूल से सूखा/बाढ़ प्रभावित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आंवटित की गई खाद्यान्नों की मात्रा निम्नानुसार है:

(टन में)

वर्ष	चावल	गेहूं	जोड़
1995-96	1,43,000	21,000	1,64,000
1996-97	98,000	25,961	1,23,961
1997-98	1,29,716	65,497	1,95,213

(ख) जी, हाँ।

(ग) और (घ) असम सरकार से अनुरोध प्राप्त होने पर राज्य को बाढ़ राहत के लिए 20000 टन चावल का आवंटन किया गया है जिसके उठान की वैधता अविध 31 अक्टूबर, 1998 तक है। इसी प्रकार गुजरात सरकार के अनुरोध पर राज्य को 20000 टन साधारण चावल का आवंटन किया गया है जिसके उठान की वैधता अवधि 31 अगस्त, 1998 तक है।

दूसरे देशों के कब्जे में पूर्वोत्तर के क्षेत्र

4011. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पूर्वोत्तर सीमा क्षेत्र में ऐसे क्षेत्र की लंबाई क्या है जो कि वर्ष 1962 के बाद से भारत के कब्जे में नहीं है और इनमें से कितनी लंबाई के क्षेत्र ऐसे हैं जो कि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं समझे जाते; और

(ख) भारतीय भूमि को अपने स्वामित्व में लेने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) चीन, अरुणाचल प्रदेश में भारत-चीन सीमा के पूर्वी सेक्टर में भारतीय भू-भाग के लगभग 90,000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र का दावा करता है।

(ख) भारत और चीन, सीमा विवाद का उचित, तर्कसंगत और परस्पर स्वीकार्य हल निकालने के लिए वचनबद्ध है। दोनों देश, भारत-चीन संयुक्त कार्य ग्रुप और भारत-चीन विशेषज्ञ ग्रुप के ढांचे के अन्दर सीमा विवाद पर विचार-विमर्श कर रहे हैं। 1993 में सीमा शांति और अमन-चैन संधि पर हस्ताक्षर होने से और नवम्बर, 1996 में विश्वास-निर्माण उपायों पर हुए समझौते से सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और अमन-चैन बनाए रखने में सहायता मिली।

[अनुवाद]

कुष्ठ रोग प्रवण क्षेत्र

4012. श्री एन. डेनिस :
श्री वसुदेव आचार्य :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कुष्ठ रोगियों की संख्या अन्य देशों की तुलना में सबसे अधिक है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके कारणों सहित ऐसे रोगियों का देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में कुष्ठ रोग प्रवण क्षेत्रों की पहचान की है;

(घ) यदि हाँ, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने देश में कुष्ठ रोग उन्मूलन के लिए क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वलित एजिलमलाई) : (क) जी, हाँ।

(ख) रोगियों का देश-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। भारत में रोगियों की अधिक संख्या के कारण हैं :

(i) आरम्भ में, उच्चतर रोगी भार, जब प्रभावकारी उपचार लागू किया गया था।

(ii) अपर्याप्त सफाई प्रबन्ध, रोगों और इसके साध्य पहलुओं के संबंध में लोगों की लापरवाही, गर्म, आर्द्र, उष्णकटिबन्धीय जलवायु के साथ अत्यधिक जनसंख्या।

(ग) और (घ) देश में कोई कुष्ठ प्रवण क्षेत्र नहीं है। भारत में बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश राज्यों में कुष्ठ रोगियों की संख्या सर्वाधिक है।

(ङ) जन स्वास्थ्य समस्या के रूप में कुष्ठ उन्मूलन हेतु उठाए गए कदम इस प्रकार हैं :

(i) राज्यों में छिपे हुए मामलों को प्रकाश में लाने के लिए संशोधित कुष्ठ उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है।

(ii) सामान्य स्वास्थ्य परिचर्या स्टाफ की सहायता से रोगियों को मुफ्त चिकित्सा उपलब्ध कराने हेतु निम्न स्थानिक-मारी वाले क्षेत्रों में चल-कुष्ठ उपचार यूनिटों की तैनाती।

(iii) देश भर में जिला-कुष्ठ सोसाइटियों के माध्यम से सभी कुष्ठ रोगियों को मुफ्त बहु-औषध उपचार।

(iv) विकलांग और अल्सर के उपचार को बढ़ावा दिया जा रहा है।

विवरण

16 स्थानिक-मारी वाले देशों में दर्ज किए गए कुष्ठ रोगी

क्र. सं.	देश	1997 से शुरू होकर दर्ज किए गए मामले
1.	भारत	553793
2.	ब्राजील	105744
3.	इन्डोनेशिया	33739
4.	बंगलादेश	13385
5.	म्यांमार	18758
6.	नाइजीरिया	14309
7.	नेपाल	12828
8.	डी.आर. कोंगो	6082
9.	मोजाम्बिक	10905
10.	इथियोपिया	8272
11.	मेडागास्कर	6656
12.	सूडान	3471
13.	फिलिपिन्स	8663
14.	कम्बोडिया	2960
15.	तंजानियां	3077
16.	गिनी	3732
	कुल	806347

पाइरेजिनामाइड उत्पादन

4013. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में पाइरेजिनामाइड का कुल कितना उत्पादन हुआ/मांग है;

(ख) किस स्त्रोत से इस कमी को पूरा किया जाता है;

(ग) पाइरैजिनामाइड की उत्पादन लागत और बाजार मूल्य क्या है; और

(घ) क्या इस औषधि का बिक्री मूल्य नियत किया गया है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. ए. के. पटेल) : (क) पायराजिनामाइड का अधिकांशतः उत्पादन लघु क्षेत्र की इकाइयों द्वारा किया जाता है, जिनके उत्पादन की मानीटरिंग इस विभाग द्वारा नहीं की जाती है। जहां तक जानकारी उपलब्ध है, पिछले 3 वर्षों के दौरान संगठित क्षेत्र की इकाइयों का उत्पादन इस प्रकार रहा :

1994-95	49.40 टन
1995-96	83.93 टन
1996-97	24.33 टन (अनुमानित)

नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए औषधों एवं भेषजों संबंधी कार्य दल ने मांग का अनुमान इस प्रकार लगाया है :

1998-99	333 एम.टी.
1999-2000	366 एम.टी.
2000-01	403 एम.टी.
2001-02	443 एम.टी.

(ख) निर्यात और आयात नीति के अनुसार पायराजिनेमाइड ओ.जी.एल. के अंतर्गत है। यदि कोई कमी हो तो आयात के जरिए उसे पूरा किया जा सकता है। फिलहाल, आयात नगण्य रहा है और इस औषध की समस्त मांग स्वदेशी उत्पादन के जरिए पूरी की गयी है।

(ग) और (घ) पूर्ववर्ती डी.पी.सी.ओ. के अनुसार, 25.11.93 की अधिसूचना के तहत, पायराजिनेमाइड का अन्तिम अधिसूचित मूल्य 1679 रुपए प्रति किलोग्राम था। डी.पी.सी.ओ., 1995 के अनुसार यह मूल्य नियंत्रण के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

[हिन्दी]

बीड़ी कामगार के लिए सुविधाएं

4014. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान "बीड़ी" कामगार के लिए कितने अस्पताल स्थापित किए गए हैं;

(ख) कितने अस्पतालों का शिलान्यास किया जा चुका है लेकिन अब तक भवन निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है उनके शिलान्यास की तारीख कौन सी थी; और

(ग) इन अस्पतालों के भवन कब तक बनकर तैयार होने की आशा है ?

श्रम मंत्री (डॉ. सत्यनारायण जटिया) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बीड़ी कर्मकारों के लिए कोई अस्पताल स्थापित नहीं किया गया है। तथापि, इस अवधि के दौरान बीड़ी कर्मकारों के लिए 51 और औषधालयों को मंजूरी प्रदान की गई है।

(ख) बीड़ी कर्मकारों के लिए मुक्कुदल (तमिलनाडु) और सागर (मध्य प्रदेश) में एक-एक तीस बिस्तरों वाले अस्पताल का शिलान्यास क्रमशः 22.7.1995 और 7.2.1997 को किया गया है।

(ग) सागर (मध्य प्रदेश) और मुक्कुदल (तमिलनाडु) में बीड़ी कर्मकारों के लिए अस्पतालों के निर्माण का व्यय उठाने के लिए वर्तमान में बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि के अंतर्गत पर्याप्त धन बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1976 में के लिए एक विधेयक 3.6.1998 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया है जिसका उद्देश्य ऐसी परियोजनाओं को वित्त पोषित करने और अन्य कल्याण क्रियाकलापों के कारण बढ़े हुए दायित्वों को पूरा करने के लिए बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि की समग्र निधि में वृद्धि करना है। निधि की समग्र राशि में वृद्धि के पश्चात् ही निर्माण कार्य आरंभ करना संभव हो पायेगा।

एन.एफ.एल. के खाली बोरे

4015. श्री रामानन्द सिंह : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरक नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत उर्वरक कंपनियों के नए बोरों का खुला प्रयोग तथा बिक्री आपराधिक कार्य के रूप में निषिद्ध है;

(ख) क्या जबलपुर के अतिरिक्त मैजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक ने ''राष्ट्रीय कैमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेड'' तथा ''कृषक भारती कोआपरेटिव लिमिटेड'' के खाली ताजा बोरों को नकली उर्वरकों हेतु व्यापारियों के द्वारा खुले बाजार में बेचते हुए जप्त किया है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने दोषी व्यक्तियों तथा कंपनियों के विरुद्ध क्या कदम उठाए हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. ए. के. पटेल) : (क) उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के अन्तर्गत उर्वरक कम्पनियों को नए बोरों की बिक्री को विनियमित करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

दलित ईसाइयों और मुसलमानों के लिए आरक्षण

4016. श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के दलित ईसाइयों और मुसलमानों को आरक्षण का लाभ देने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) ईसाई धर्म में परिवर्तित अनुसूचित जातियों के लोग इस समय असम, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और तमिलनाडु राज्यों तथा चंडीगढ़, दमन और दीव तथा पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूचियों में उनके शामिल होने के कारण अन्य पिछड़े वर्गों के लिए लागू आरक्षण लाभों के लिए पात्र हैं। अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में श्रेणीबद्ध समुदायों के मुस्लिम सदस्य अन्य पिछड़े वर्गों के लिए लागू आरक्षण लाभों के लिए पात्र हैं। अनुसूचित जनजातियां भी जो इस्लाम को स्वीकार करती हैं अनुसूचित जनजातियों को उपलब्ध आरक्षण लाभ के लिए पात्र हैं।

सूरजमुखी

4017. श्री अनूपलाल यादव : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के सहरसा जिले में सुपोल में सूरजमुखी की काफी पैदावार होती है;

(ख) क्या किसी औद्योगिक इकाई के अभाव में किसानों को अपनी उपज को नष्ट करना पड़ता है;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य में सूरजमुखी के उपयोग करने के लिए किसी औद्योगिक इकाई की स्थापना करने और किसानों को उनकी उपज का उचित लाभ देने का है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार का विचार क्या वैकल्पिक प्रबन्ध करने का है ?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) जी, नहीं। बिहार राज्य में सूरजमुखी महत्वपूर्ण फसल नहीं है क्योंकि इसका उत्पादन केवल

4.6 से 5.0 हजार टन के बीच की रेंज में है। बिहार में सूरजमुखी की फसल के अधीन क्षेत्र 6.9 से 10.7 हजार एकड़ की रेंज के बीच है।

(ख) बिहार राज्य में 8 विलायक निस्सारण यूनिट और 6 वनस्पति यूनिट हैं। चूंकि 25.1.1991 से वनस्पति तेल उद्योग से लाइसेंस समाप्त कर दिया गया है इसलिए बिहार में तिलहन पिराई यूनिटों की संख्या के बारे में प्रमाणिक सूचना उपलब्ध नहीं है। अतः औद्योगिक यूनिट के अभाव में किसानों द्वारा अपना उत्पाद नष्ट करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) से (ङ) वनस्पति तेल क्षेत्र में कोई यूनिट स्थापित करने के संबंध में केन्द्रीय सरकार की कोई योजना नहीं है। तथापि, नेफेड, जो समय-समय पर सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम मूल्य पर किसानों का उत्पाद खरीदने के लिए नोडल एजेंसी है, किसानों से सूरजमुखी का उत्पाद खरीदने के लिए जिम्मेदार है।

पीत ज्वर फैलना

4018. श्री रवि सीताराम नायक : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने देश में पीत ज्वर फैलने की संभावना की चेतावनी दी है;

(ख) यदि हाँ, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जिस आधार पर देश में पीत ज्वर फैलने की आंशका व्यक्त की है उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस बीमारी को फैलने में किसी विदेशी ताकत का हाथ होने की संभावना है क्योंकि उन्होंने देश में कुछ विषाणु परीक्षण किए होंगे; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस प्रकार की घटना से निपटने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वलित एजिलमलाई) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) पीत ज्वर के प्रकोप की संभावना को नकारा नहीं जा सकता क्योंकि जिस वेक्टर से यह रोग फैलता है वह व्यापक रूप से व्याप्त है। इस जोखिम से बचने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमों जिनमें अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तनों और पोत पत्तनों पर एडीज मुक्त क्षेत्र और पीत ज्वर प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों का पीत ज्वर से बचाव के लिए वैध टीकाकरण हेतु जांच निर्धारित की गई है को सख्ती से लागू किया जा रहा है।

पुनर्वास प्रस्ताव योजना

4019. श्री समर चौधरी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा सरकार ने, समर्पण करने वाले उग्रवादी गिरोहों, जिन्होंने अपनी भूमिगत गतिविधियां छोड़ दी थी और मुख्यधारा में शामिल हो गए थे, के लिए पुनर्वास प्रस्ताव योजना प्रस्तुत की थी;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा अंतिम निर्णय कब तक लिया जाएगा; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा उग्रवादियों की भूमिगत गतिविधियों को छुड़वाने और उन्हें मुख्य धारा में शामिल करने के लिए अनुकूल परिस्थिति पैदा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) 1993 में आल त्रिपुरा ट्राईबल फोर्स के जिन कार्यकर्त्ताओं ने आत्मसमर्पण किया था उनके पुनर्स्थापन/पुनर्वास हेतु योजनाओं पर व्यय करने के लिए त्रिपुरा राज्य सरकार ने जून, 1994 में 71.49 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता का अनुरोध किया था। राज्य सरकार द्वारा प्रक्षेपित योजनाओं पर उचित विचार करके केन्द्रीय सहातया के रूप में 2.38 करोड़ रुपये की राशि मार्च, 1995 में उन योजनाओं के लिए जारी की गई जो आत्मसमर्पणकर्त्ताओं के पुनर्वास से सीधी जुड़ी थी। अन्य योजनाएं जो इस प्रकार के पुनर्वास से सीधे नहीं जुड़ी थी, को केन्द्रीय सहायता के लिए स्वीकार नहीं किया गया।

(ग) राज्य का आर्थिक विकास करने और रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की जा रही हैं। भारत सरकार ने संबंधित ग्रुपों के साथ बातचीत करने की इच्छा बार-बार जताई है ताकि उनकी समस्याओं और शिकायतों पर चर्चा की जा सके और उन्हें सुलझाया जा सके।

पेट्रोलियम विक्रय केन्द्र

4020. डॉ. उल्हास वासुदेव पाटील : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे पेट्रोल और डीजल पम्पों की संख्या क्या है जिन्हें दो अलग-अलग पेट्रोल और डीजल पम्पों में परिवर्तित किया गया है;

(ख) क्या पेट्रोलियम कंपनियां नए पेट्रोल पम्पों के आवंटन के लिये निर्धारित कानून तथा प्रक्रिया का उल्लघंन करने का प्रयास कर रही हैं तथा एक ही व्यक्ति को दो पेट्रोल पम्प आवंटित किये जा रहे हैं;

(ग) यदि हाँ, तो इसका औचित्य क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

राज्यों से पलायन

4021. कर्नल सोनाराम चौधरी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पानी की अनुपलब्धता के कारण बाड़मेर, जैसलमेर और जालोर से काफी संख्या में लोग अपने परिवारों और बच्चों को छोड़कर पड़ोसी राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा और गुजरात में आ गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

ग) क्या सरकार का विचार रेगिस्तानी जिलों के सूखा प्रवण के लोगों के लिए कोई रोजगार योजना शुरू करने का है ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

कार्बनिक कीटनाशक और उर्वरक

4022. श्री अनंत कुमार हेगड़े : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उपयोग किए जा रहे कार्बनिक कीटनाशकों और उर्वरकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार इसके प्रयोक्ताओं और संभावित प्रयोक्ताओं को कोई प्रोत्साहन दे रही है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या इस दिशा में सरकार की कोई योजना है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. ए. के. पटेल): (क) कार्बनिक पेस्टिसाइड शब्द किसी भी पेस्टिसाइड्स, जिसमें कार्बनिक मोलीक्यूल्स हों, के लिए प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे अनेक पेस्टिसाइड्स का विनिर्माण और प्रयोग देश में हो रहा है। फिलहाल, यदि जैव पेस्टिसाइड्स के लिए कार्बनिक पेस्टिसाइड्स शब्द का अधिक यथार्थ रूप में प्रयोग किया जाता है तो वह विनिर्दिष्ट किया जाएगा कि बीटी (कुसटाकी), बीटी (इजरालेनसिस) का भारत में व्यापक रूप सं प्रयोग किया जा रहा है। देश में जो प्रमुख कार्बनिक उर्वरक (मेन्योर्स) प्रयोग किए जा रहे हैं उनमें फार्म यार्ड मेन्योर, कम्पोस्ट, ग्रीन मेन्योर, एजोला, ब्ल्यू ग्रीन ऐल्गी आदि शामिल हैं।

(ख) से (घ) कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार ''जैव उर्वरकों का विकास तथा प्रयोग'' संबंधी राष्ट्रीय परियोजना तथा उर्वरकों के संतुलित तथा समेकित प्रयोग संबंधी एक योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। इन योजनाओं के अंतर्गत जैव उर्वरक उत्पादन इकाइयां तथा कम्पोस्ट संयंत्र स्थापित करने के लिए राजसहायता दी जा रही है।

जैव प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार, जीवाणु मूलक सूत्रयोग विकसित करने के लिए, जो कि लागत प्रभावी होते हैं तथा विभिन्न पेस्टिसाइड्स के लिए वाणिज्यिक तौर पर व्यवहार्य प्रौद्योगिकी सृजित करने के लिए ''पादप पेस्ट्स, बीमारियों तथा अपतृणों पर जैविक नियंत्रण'' संबंधी कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहा है।

कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल

4023. श्री एस. मल्लिकार्जुनय्या : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा (ई.एस.आई.) अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों, शल्य चिकित्सा विषयक कर्मचारियों और आधुनिक उपकरणों की सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हाँ, तो कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों में उपलब्ध ऐसी सुविधाओं का अस्पताल-वार, राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों में उक्त सुविधाएं उपलब्ध कराना आरम्भ करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्रम मंत्री (डॉ. सत्यनारायण जटिया) : (क) से (घ) क.रा.बी. अधिनियम के अन्तर्गत, चिकित्सा देख-रेख के संचालन का उत्तरदायित्व, दिल्ली और नोएडा को छोड़कर जहां इसका संचालन सीधे क.रा.बी.नि. द्वारा किया गया जा रहा है, राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों का है। तथापि चिकित्सा देख-रेख पर होने वाला व्यय 7:1 अनुपात में क.रा.बी.नि. और राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है। निगम ने विशेषज्ञों सहित स्टाफ मुहैया कराने और विशेषज्ञ इलाज/परामर्श के लिए आवश्यक उपकरण मुहैया कराने हेतु मानक निर्धारित किए हैं। क.रा.बी. अस्पतालों में, वाह्य रोगी देख-रेख जैसी सुविधाएं, अंतर्गत रोगी सुविधाएं आपातकालीन और निदान संबंधी सेवाएं, एम्बूलेंस सेवाएं आदि जैसी सुविधाएं क.रा.बी. लाभानुभागियों को मुहैया करायी जानी अपेक्षित हैं। बीमित व्यक्तियों को उच्च कोटि का इलाज प्रदान करने के लिए देश के ख्यातिप्राप्त चिकित्सा संस्थानों के माध्यम से जरूरी व्यवस्था की गई है। क.रा.बी. चिकित्सा देख-रेख की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए क.रा.बी. निगम ने क.रा.बी. अस्पतालों में अल्ट्रासोनी ग्राफी, कार्डियक मानिटर आटो एनालाइजर, रिससिटेशन उपकरणों, पल्स आक्सीमीटर, डैंटल और ब्लड बैंक यूनिटों आदि की सुविधा की व्यवस्था करने की योजना की है। निगम ने राज्य

सरकारों को क.रा.बी. अस्पतालों के भीतर कम से कम एक उच्च कोटि का रेफरल केन्द्र बनाने की सलाह दी है जिसमें कार्डियोलोजी, कार्डियोथेरासिक सर्जरी, न्यूरोलोजी, न्यूरो-सर्जरी यूरोलाजी गैस्ट्रियोन्ट्रीलोजी सेवाएं जैसी उच्च कोटि की सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

[हिन्दी]

केन्द्रीय पूल में चीनी का योगदान

4024. श्री प्रभाष चन्द्र तिवारी : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1997-98 के दौरान आज तक राज्यों द्वारा केन्द्रीय पूल में योगदान का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : चीनी के लिए कोई केन्द्रीय पूल नहीं है। तथापि, चीनी फैक्ट्रियों द्वारा उत्पादित चीनी की एक निश्चित प्रतिशतता सरकार द्वारा लेवी के रूप में ली जाती है।

15.5.98 की स्थिति के अनुसार वर्तमान चीनी मौसम 1997-98 (अक्टूबर-सितम्बर) के दौरान (अगस्त, 98 तक लेवी रिलीज के लिए) लेवी अंशदान का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्तमान चीनी मौसम 1997-98 (अक्टूबर-सितम्बर) के दौरान लेवी चीनी की राज्यवार प्राप्ति

(15.5.98 को स्थिति के अनुसार)

(मात्रा लाख टन में)

क्र.सं	राज्य	लेवी चीनी की प्राप्ति
1	2	3
1.	पंजाब	0.63
2.	हरियाणा	0.77
3.	राजस्थान	0.09
4.	उत्तर प्रदेश	8.46
5.	मध्य प्रदेश	0.18
6.	गुजरात	2.15
7.	महाराष्ट्र	11.92
8.	बिहार	0.85
9.	असम	0.01
10.	उड़ीसा	0.13
11.	पश्चिम बंगाल	0.02
12.	आन्ध्र प्रदेश	2.15
13.	कर्नाटक	2.67
14.	तमिलनाडु	2.59
15.	पांडिचेरी	0.15
16.	केरल	0.04
17.	गोवा	0.03
18.	नागालैंड	–
	अखिल भारत	32.84

क्षेत्रीय भाषा

4025. श्री विजय कुमार खंडेलवाल : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ''स्वदेशी'' भावना फैलाने के लिए राजभाषा हिन्दी को उचित स्थान देने हेतु विशेषकर क्षेत्रीय भाषाओं के विकास के लिए कुछ विशेष प्रयास कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस तरह के लिए जाने वाले संभावित उपायों का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) क्षेत्रीय भाषाओं के विकास के लिए सरकार ने वर्ष 1969 में मैसूर में एक केन्द्रीय संस्थान की स्थापना की है। इसके तात्वावधान में क्षेत्रीय भाषाओं के प्रसार एवं विकास के लिए अनेकानेक गतिविधियां चलाई जा रही हैं। विशेषकर, शिक्षा के माध्यम के रूप में क्षेत्रीय भाषाओं का स्थान सुदृढ़ करने के लिए पाठ्य तथा शिक्षण सामग्री का सृजन, क्षेत्रीय भाषाओं के क्षेत्र की स्वयंसेवी संस्थाओं तथा राज्यों की एजेंसियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना, क्षेत्रीय भाषाओं में लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए पुस्तक लेखन पुरस्कार प्रदान करना, आधुनिक संयत्रों के माध्यम से शिक्षण/अध्यापन के क्षेत्र में सुविधाएं उपलब्ध करवाना, इत्यादि। इससे भाषाओं को उनका उचित स्थान तो मिलता ही है, साथ-साथ स्वदेशी भावना भी सुदृढ़ होती है।

[अनुवाद]

व्यावसायिक व्याधि केन्द्र

4026. श्री ए. सिवराजू : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा बंगलौर में सभी उद्योगों के कर्मचारियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक व्यावसायिक व्याधि केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो कितने कर्मचारी इसमें लाभान्वित होंगे; और

(ग) 1998-99 के दौरान इस पर कितना खर्च किए जाने का प्रस्ताव है ?

श्रम मंत्री (डॉ. सत्यनारायण जटिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

महिलाओं को रोजगार

4027. श्रीमती मीरा कुमार : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोजगार कार्यालय के माध्यम से नौकरी खोजने वाली महिलाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है परन्तु उनके लिए नौकरियों में तदनुरूप वृद्धि नहीं हो रही है;

(ख) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार महिलाओं के लिए अलग से रोजगार कार्यालय खोलने का है;

यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (डॉ. सत्यनारायण जटिया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) से (ङ) चूंकि रोजगार चाहने वाली महिलाओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यमान प्रणाली पर्याप्त समझी जाने के कारण महिलाओं हेतु पृथक रोजगार कार्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विदेशों से अनुदान

4028. श्री विजय सिंह सोय : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ गैर-सरकारी संगठन विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत विदेशी/अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों से अनुदान प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दिये गये अनुदान की धनराशि कितनी है और किन-किन परियोजनाओं के लिये ऐसा अनुदान दिया जाता है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) जी हाँ, श्रीमान्। वर्ष 1996-97 के दौरान 12136 एसोसिएशनों ने विदेशी अभिदाय प्राप्त करने की सूचना दी है।

(ग) इस प्रकार की प्राप्ति के प्रयोजन-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

वर्ष 1996-97 के लिए विदेशी अभिदाय की प्रयोजन-वार प्राप्ति

क्र.सं.	प्रयोजन	अभिदाय की राशि (रुपये हजार में)
1	2	3
1.	उपासना स्थलों का रखरखाव/मरम्मत	691793
2.	उपासना स्थलों का निर्माण/विस्तार	418759
3.	धार्मिक साहित्य का प्रकाशन	202334
4.	धार्मिक गुरुओं/पादरियों की शिक्षा	536539
5.	धार्मिक समारोह	747434
6.	अनाथों की देखभाल	2107727
7.	गरीबों, वृद्धों और बेसहारों की मदद	1713578
8.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	2845726
9.	प्राकृतिक विपदाओं के लिए राहत	250695
10.	स्कूल/कालेज भवनों का निर्माण/विस्तार	973075
11.	स्कूल/कालेज भवनों की मरम्मत/रखरखाव	702080
12.	अन्य भवनों का निर्माण/विस्तार	1430285
13.	अन्य भवनों की मरम्मत/रखरखाव	414859
14.	अनुसंधान	1387875
15.	छात्रवृत्ति/वजीफे	470925
16.	कृषि कार्य	175152
17.	पशुपालन	90251
18.	ग्रामीण विकास	2742432
19.	स्वच्छता	20709
20.	आवास	107766
21.	पर्यावरण	35440
22.	सांस्कृतिक कार्यक्रम	41721
23.	थियेटर/फिल्म	117202
24.	ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थानों का रखरखाव	1416
25.	विविध	7491166
	कुल	25716939

लोक शिकायत आयोग

4029. श्री अमर राय प्रधान : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लोगों की शिकायतें दूर करने हेतु लोक शिकायत आयोग की नियुक्ति के लिये दिल्ली सरकार को स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा आयोग की संरचना क्या है; और

(ग) आयोग द्वारा अपनी स्थापना से अब तक दूर की गई शिकायतों का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विभागों, स्थानीय निकायों, स्वायत्तशासी संगठनों/उपक्रमों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के स्वामित्व वाले या पर्याप्त आर्थिक सहायता प्राप्त अन्य संस्थानों में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के भूल-चूक कृत्यों की शिकायतों के त्वरित निपटान हेतु उत्तरदायी, स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करने के लिए एक जन शिकायत निवारण आयोग का गठन किया है। इस आयोग का एक अध्यक्ष और तीन (दो अंशकालिक सदस्यों सहित) सदस्य हैं। सरकार ने, इस आयोग के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत दिल्ली पुलिस को भी लाने के लिए हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को सलाह दी है।

(ग) 30.6.98 तक इस आयोग ने 231 मामलों में जन शिकायतों को दूर किया है।

रुग्ण एककों को पुनः चालू करना

4030. श्री सुनील खाँ : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कुल कितने यूरिया का उत्पादन आयात और खपत हुई और आयात पर कितना खर्च हुआ;

(ख) क्या सरकार का विचार यूरिया को सस्ते दामों पर उपलब्ध कराने के लिए एच.एफ.सी. और एफ.सी.आई. के रुग्ण उर्वरक एककों को पुनः चालू करने का है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन एककों को पुनः चालू करने के लिए कितने धन की आवश्यकता है; और

(घ) इन एककों को पुनः चालू करने के लिए निधियों को स्वीकृति देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. ए. के. पटेल) : (क) उत्पादन, उपभोग और आयात से संबंधित वांछित सूचना को नीचे सरणीबद्ध किया गया है :

वर्ष	उत्पादन (लाख मी. टन)	खपत (लाख मी. टन)	आयात (लाख मी. टन)	आयात पर किया गया व्यय (करोड़ रु.) लागत एवं भाड़ा मूल्य)	आयात पर सब्सिडी (करोड़ रु.)
1995-95	158.20	179.08	37.82	2840.13	1935.00
1996-97	156.20	190.25	23.28	1701.75	1163.08
1997-98	185.96	200.08 (अनु.)	23.89	1296.57	729.36

(ख) से (घ) सरकार ने हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.एफ.सी.) के नामरूप एकक के पुनरुद्धार को 350 करोड़ रुपए के अनुमानित नव निवेश पर अनुमोदित किया है। कम्पनी ने पुनरुद्धार योजना को कार्यान्वित करने हेतु ठोस कदम उठाए हैं और आवश्यक इनपुट तथा आवधिक ऋणों की व्यवस्था कर रही है। फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (एफ.सी.आई.) तथा एच.एफ.सी. के शेष एककों के संबंध में औद्योगिक एंव वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्तावों को एकक-वार व्यवहार्यता तथा वित्त पोषण व्यवस्था के बारे में विचारों के आधार पर अंतिम रूप दिया जाएगा।

उड़ीसा के पिछड़े क्षेत्रों में कल्याणकारी योजनाएं

4031. श्री रामचन्द्र मलिक : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के पिछड़े क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही कल्याणकारी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा इन योजनाओं की समीक्षा कर ली गई है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ग) उड़ीसा राज्य और इसके पिछड़े क्षेत्रों सहित देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए निम्नलिखित केन्द्रीय तथा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा की गई है और इनका कार्यान्वयन किया जा रहा है :

1. अनुसूचित जातियों की विशेष संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता।

2. अनुसूचित जाति विकास निगमों को इक्विटा सहायता।

3. सफाई कर्मचारियों को उनके आश्रितों की मुक्ति एवं पुनर्वास संबंधी राष्ट्रीय योजना।

4. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति।

5. अस्वच्छ व्यवसायों में लगे लोगों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति।

6. अनुसूचित जाति लड़कों एवं लड़कियों के लिए होस्टल।

7. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए पुस्तक बैंक।

8. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए कोचिंग तथा सम्बद्ध योजना।

9. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों की प्रतिभा का उन्नयन।

आदिवासी उप योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता।

11. संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के प्रथम परन्तुक के अंतर्गत अनुदान।

12. अनुसूचित जनजाति के लड़कों एवं लड़कियों के लिए होस्टल।

13. आदिवासी उप-योजना क्षेत्र में आश्रम स्कूल।

14. आदिवासी क्षेत्र में व्यावसायिक प्रशिक्षण।

15. कम साक्षरता वाले पॉकेटों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए शैक्षिक परिसर।

16. राज्य आदिवासी विकास सहकारी निगमों, वन विकास निगमों को सहायता।

17. ग्राम अन्न बैंक योजना।

विदेशी सहायता

4032. श्री चमन लाल गुप्त : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में विदेशी सहायता के कई मदरसे और अन्य शैक्षणिक संगठन काम कर रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जम्मू एवं कश्मीर में ऐसे मदरसों के कुछ मालिक/अध्यापक विध्वंसकारी और आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त पाए गए हैं;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उनकी गतिविधियों को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ङ) भारत, जोकि एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश है, में मदरसों जैसे संस्थान देश में बहुत से भागों में चल रहे हैं। ऐसी रिपोर्टें उपलब्ध हैं जिनसे यह पता चलता है कि इनमें से कुछ संस्थानों को विदेशी सहायता मिल रही है और जम्मू व कश्मीर में ऐसे संस्थानों के कुछ मालिक/अध्यापक संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त हैं। ऐसी रिपोर्टों का सत्यापन किया जा रहा है ताकि संगत कानूनों के अंतर्गत उपयुक्त कार्रवाई की जा सके।

परिवार कल्याण कार्यक्रम द्वारा उपलब्धियां

4033. डॉ० टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार परिवार कल्याण योजनाएं लागू करने के मामले में देश में तीसरे स्थान पर है;

(ख) यदि हाँ, तो अन्य राज्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा राज्यों में परिवार नियोजन कार्यक्रमों पर कुल कितनी राशि व्यय की गई;

(घ) क्या राज्य में सभी परिवार नियोजन कार्यक्रमों को लागू करने हेतु राज्य सरकार को पर्याप्त धन दिया गया; और

(ङ) यदि हाँ, तो आन्ध्र प्रदेश राज्य के उन जिलों का क्या नाम है जहां परिवार नियोजन कार्यक्रम शत-प्रतिशत सफल रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वजित एजिलमलाई) : (क) और (ख) परिवार कल्याण कार्यक्रम में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कार्यनिष्पादन के आधार पर उनका (रैंकिंग) निर्धारित करने की पद्धति नहीं है।

(ग) 1996-97 के दौरान सरकार ने आन्ध्र प्रदेश में परिवार नियोजन कार्यक्रम कार्यान्वित करने पर 135.86 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। 1996-97 के दौरान सभी राज्यों को भुगतान किया गया कुल सहायता अनुदान 1190 करोड़ रुपये था।

(घ) जी, हाँ। परिवार कल्याण कार्यक्रम का 100 प्रतिशत वित्तपोषण केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है और भारत सरकार राज्यों को इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक सभी निधियां प्रदान करती रही है।

(ङ) परिवार नियोजन कार्यक्रम के संबंध में केन्द्रीय विनिर्धारित विधि विशिष्ट लक्ष्य पद्धति का अप्रैल, 1996 से परित्याग कर दिया गया है। परिवार कल्याण में 100 प्रतिशत सफलता का अर्थ है प्रजनन आयु समूह की प्रत्येक महिला को और 5 वर्ष से नीचे की आयु के प्रत्येक बच्चे को प्रजनक और बाल स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना तथा जन संख्या को स्थिर करना है। सफलता का ऐसा स्तर निश्चित रूप से राज्यों में प्राप्त नहीं किया गया है फिर भी परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत उस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।

अधिवक्ताओं द्वारा अश्लील भाषा का प्रयोग

4034. श्री दिलीप संघाणी : क्या **गृह मंत्री** 10 जुलाई, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 190 के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 23 मई, 1996 को सिविल जज तीस हजारी की अदालत में प्रतिवादी के विरुद्ध निन्दात्मक और अश्लील भाषा का प्रयोग करने वाले अधिवक्ताओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन अधिवक्ताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या वादी के दबदबे के कारण इन अधिवक्ताओं ने ऐसा अनुशासनहीन और गन्दा व्यवहार किया;

(घ) यदि हाँ, तो इस मामले में वादी का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अदालतों में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है या किए जाने का विचार है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नक्सलवादी गतिविधियों से निबटने के लिए धनराशि का जारी किया जाना

4035. श्री एस.एस. ओवेसी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध प्रदेश राज्य सरकार द्वारा बार-बार आग्रह करने के बावजूद केन्द्र सरकार ने नक्सलवादी गतिविधियों से निबटने के लिए आवश्यक धनराशि जारी नहीं की है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कब तक धनराशि जारी कर दी जायेगी?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) राज्य के पुलिस ढांचे के आधुनिकीकरण के उद्देश्यों से, अन्य बातों के साथ-साथ नक्सलवादी समस्या से निपटने के लिए, केन्द्र सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश के लिए 22.28 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। इसके अलावा, आन्ध्र प्रदेश अपने पुलिस संबंधी ढांचे के उन्नयन के लिए दसवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान का भी लाभ उठा रहा है।

अनुसूचित जनजातियों का विलुप्त होना

4036. डॉ0 जयंत रंगपी : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ अनुसूचित जनजातियों के विलुप्त होने का खतरा है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके लिए जिम्मेवार सामाजिक, आर्थिक कारकों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में समस्या से निबटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आदिवासियों के संरक्षण और विकास के लिए विभिन्न सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम आदिवासी उप-योजना के अंतर्गत आरंभ किए जाते हैं। भारत सरकार आदिवासी समूहों के लिए विशेष आबंटनों का प्रावधान करती है और यहां तक कि अनुपूरण के सिद्धांत पर भी जोर नहीं देती। आदिम जाति समुदायों के लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम 100% अनुदान के आधार पर चलाए जाते हैं। आदिम आदिवासी समूहों को अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान आदिमजाति आदिवासी समूहों के विकास संबंधी एक नई स्कीम को कार्यान्वित किया जाएगा। प्रत्येक स्कीम में प्रत्येक जनजाति तथा इसके पर्यावरण की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अन्तर्निर्मित लचीलापन होगा।

दलितों पर अत्याचार

4037. श्री आरिफ मोहम्मद खां : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि 1996-97, 1997-98 और अप्रैल-मई, 1998 के दौरान उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में दलितों पर अत्याचार के राज्य-वार और माह-वार कितने मामले प्रकाश में आए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : वर्ष 1996, 1997 और 1998 के दौरान अनुसूचित जातियों के साथ हुए अत्याचारों के मामलों के बारे में उपलब्ध सूचना नीचे दी गयी है :

राज्य का नाम	1996	1997	1998
बिहार	810	710	उपलब्ध नहीं
मध्य प्रदेश	4075	4269	1059 (मार्च तक)
महाराष्ट्र	1352	831	241 (अप्रैल तक)
राजस्थान	6623	5624	1226 (मार्च तक)
उत्तर प्रदेश	10963	8500	825 (फरवरी तक)

पैराफिन मोम

4038. श्री टी. गोविन्दन : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक अधिसूचना द्वारा 1.4.98 से पैराफिन मोम से हर प्रकार के नियंत्रण को समाप्त करने का निर्णय लिया है जिसके फलस्वरूप केरल में 1100 पंजीकृत लघु उद्योग बंद होने के कगार पर हैं जिससे इन उद्योगों से जुड़े एक लाख से भी अधिक लोग बेरोजगार हो जाएंगे;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा गरीब मजदूरों के हितों के रक्षार्थ इस निर्णय पर फिर से विचार करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) देश में पैराफिन मोम की उपलब्धता को बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 5.1.1997 से पैराफिन मोम के वितरण का आंशिक रूप से उदारीकरण कर दिया था। सरकार ने 1.4.1998 से प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था समाप्त करने के लिए एक वचनबद्ध कार्यक्रम का निर्णय लिया है। तदनुसार, पैराफीन मोम के मूल्य और वितरण को 1.4.1998 से नियंत्रणमुक्त कर दिया गया है तथा तेल कंपनियों को बाजार परिस्थितियों के आधार पर मूल्य निर्धारित करने की अनुमति दे दी गई है। इसके अतिरिक्त 1.4.1992 से पैराफीन मोम को नियंत्रणमुक्त कर दिया गया है तथा इस प्रकार औद्योगिक उपभोक्ता अपनी मांग पूरी करने के लिए मोम का आयात करने के लिए स्वतंत्र हैं।

व्यावसायिक पाठ्यक्रम

4039. श्री माधवराव पाटील :
श्री डी.एस. अहिरे :
श्री विठ्ठल तुपे :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से शिक्षुता अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कुछ व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को शामिल करने के बारे में अनुरोध किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है; और

(घ) इन पाठ्यक्रमों को कब तक शिक्षुता अधिनियम, 1961 के अंतर्गत लाए जाने की आशा है ?

श्रम मंत्री (डॉ. सत्यनारायण जटिया) : (क) जी, हाँ।

(ख) महाराष्ट्र सरकार ने शिक्षु अधिनियम, 1961 के अंतर्गत 7 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों नामतः इलैक्ट्रानिक्स टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल टेक्नोलॉजी, आटो इंजीनियरिंग तकनीशियन, इलैक्ट्रिकल मोटरों की मरम्मत, अनुरक्षण एवं रिवाइंडिंग करना, बागवानी, नानबाई एंव मिठाई बनाना तथा पाक-कला को शामिल करने हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

(ग) और (घ) ऊपर उल्लिखित सात पाठ्यक्रमों में से ''बागवानी'' को शिक्षु अधिनियम, 1961 के तहत तकनीशियन (व्यावसायिक) शिक्षुओं हेतु पहले ही विषय क्षेत्र के रूप में नामोदिष्ट् किया जा चुका है। शेष छह पाठ्यक्रमों को व्यवसाय शिक्षुओं की श्रेणी हेतु समान अथवा अन्य नामों से शिक्षु अधिनियम, 1961 के अंतर्गत पहले ही शामिल किया जा चुका है। सरकार की नीति के अनुसार, व्यवसाय शिक्षुओं तथा तकनीशियन (व्यावसायिक) शिक्षुओं की श्रेणियों के अंतर्गत व्यवसायों/विषय क्षेत्रों की पुनरावृत्ति से बचा जाता है। तथापि, महाराष्ट्र सरकार की निरंतर मांग को देखते हुए, शेष छह व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को शिक्षु अधिनियम, 1961 के अंतर्गत शामिल करने के प्रस्ताव की जांच करने हेतु विषय वस्तु विशेषज्ञ समितियों का गठन किया जा रहा है।

एन.सी.सी.एफ. के आपूर्तिकर्ता

4040. डॉ. विजय सोनकर शास्त्री : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ के बारे में 2 जून, 1998 के अतारांकित प्रश्न संख्या 916 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ के 22 सूचीबद्ध आपूर्तिकर्ताओं द्वारा पिछले छह महीनों के दौरान उक्त संघ को किन-किन ब्राण्डों की मदों की आपूर्ति किस दर पर की गई; और

(ख) केन्द्रीय भण्डार और सुपर बाजार की आपूर्ति और बिक्री दरों पर पृथक रूप से तुलनात्मक ब्यौरा क्या है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ की दिल्ली शाखा द्वारा पिछले छः महीनों के दौरान 22 सप्लायरों से खरीदे गए विद्युत समानों से संबंधित ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(ख) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ, सुपर बाजार और केन्द्रीय भंडार वाणिज्यिक संगठन हैं जिनकी अपनी क्रय और विक्रय नीतियां हैं। सुपर बाजार, केन्द्रीय भंडार और राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ में पूर्ति और बिक्री की दरों को सत्यापित करने की कोई प्रणाली नहीं है।

पी.सी.आर. वैन

4041. श्री शांतिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अपराधों को रोकने में पी.सी.आर. वैन असमर्थ हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इन पी.सी.आर. जिप्सियों को अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप आधुनिक बनाए जाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान। तथापि, केन्द्रीय पुलिस नियंत्रण कक्ष और पी. सी.आर. वाहनों के बीच समन्वय में सुधार लाने के लिए दिल्ली पुलिस ने मोडमूलर डिजाइन के साथ अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेन्सी डिजीटल ट्रंक्ड रेडियो सिस्टम खरीदने की योजना बनाई है जिसमें भविष्य में विस्तार का सामर्थ्य हो और जिसमें पुलिस नियंत्रण कक्ष और पी.सी.आर. वाहनों के बीच कम्प्यूटर सम्पर्क की सुविधा हो।

दिहाड़ी कर्मचारियों का शोषण

4042. श्री कृष्ण लाल शर्मा :
श्री भेरूलाल मीणा :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुकम्पा के आधार पर कितने दिहाड़ी कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं;

(ख) उन्हें नियमित नौकरी दिए जाने के बजाय दिहाड़ी आधार पर नियुक्त किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या अनुकम्पा के आधार पर मृतक कर्मचारी के किसी एक बच्चे/परिवार के सदस्य को नौकरी देने की यह प्रथा और निर्णय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किए दिशा-निर्देशों और नीतियों के अनुरूप हैं;

(घ) यदि नहीं, तो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिशा निर्देशों/अनुदेशों का उल्लंघन करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) अनुकम्पा के आधार पर नियोजित मृतक के परिवार के सदस्यों के नाम सरकारी आवास विनियमित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (घ) मृतक सरकारी कर्मचारियों के 18 आश्रितों, जिन्हें अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति कोटे के अन्तर्गत नियमित रिक्तियां न होने के कारण ग्रुप ''घ'' में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त नहीं किया जा सका, को गृह मंत्रालय में दिहाड़ी पर लगाया गया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी अनुदेशों में यह प्रावधान है कि एक वर्ष में ग्रुप ''ग'' अथवा ''घ'' में सीधी भर्ती कोटे में आने वाली रिक्तियों की अधिकतम 5 प्रतिशत नियुक्तियां, सेवा करते हुए मरने वाले कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त करके भरी जाएं। इन अनुदेशों का अनुपालन किया जा रहा है।

(ङ) पात्र कार्यालयों में अनुकम्पा के आधार पर नियोजित मृत कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों के नाम सरकारी आवास नियमित करने का कार्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी संगत अनुदेशों के अनुसार सम्पदा निदेशालय द्वारा किया जाता है।

एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए भूमि का आवंटन

4043. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए आशय पत्र धारकों को भूमि का आवंटन करने के लिए मौजूदा नीति में परिवर्तन करते हुए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उन दिशा-निर्देशों में किन मुख्य-मुख्य बातों का उल्लेख किया गया है; और

(ग) इन दिशा-निर्देशों को कब तक क्रियान्वित किए जाने की आशा है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) जी हाँ। उन आशय-पत्र धारकों की मदद करने के लिए भूमि के आबंटन संबंधी दिशानिर्देशों में हाल ही में संशोधन किया गया है, तो दिल्ली में विशिष्ट विज्ञापित स्थानों पर भूमि उपलब्ध न होने के कारण उन्हें आबंटित डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को शीघ्र आरंभ करने में कठिनाई का सामना कर रहे थे। दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

1. *भूस्वामी एजेंसियों द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भूमि के आबंटन के लिए मानदंड :*

भूमि की उपलब्धता के काफी समय से लंबित् होने के कारण खुदरा बिक्री केन्द्र और एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के लिए भूस्वामी एजेंसियों द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भूमि के आबंटन के लिए आशय-पत्र की तारीख से वरिष्ठता के वर्तमान मानदंड को बनाए रखने का निर्णय लिया गया है।

2. *स्थान में परिवर्तन :*

स्थान में परिवर्तन से संबंधित केवल उन प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा, जो ट्रेफिक के बंद होने, फ्लाइओवर के निर्माण आदि जैसी अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण आवश्यक हैं। तेल कंपनी उद्योग की बैठक में चर्चा के लिए अपनी रिपोर्ट सभी सहायक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करेगी।

3. *राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कहीं भी प्रस्तावित खुदरा बिक्री केन्द्रों के लिए स्थानों का परिवर्तन :*

चूंकि विज्ञापनों में उल्लिखित स्थानों के अनुसार ऐसे नए खुदरा बिक्री केन्द्रों के विकास के लिए स्थानों की व्यवस्था कर पाना संभव नहीं है जिनकी चयन प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है/विशिष्ट स्थानों के लिए आशय पत्र जारी किए जा चुके हैं, इसलिए

सरकार द्वारा विशिष्ट स्थान पर खुदरा बिक्री केन्द्र के विकास के लिए प्रतिबंध उठाने का निर्णय लिया गया है। भविष्य में दिल्ली में खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों से संबंधित सभी विज्ञापन स्थानों को निर्दिष्ट किए बिना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए जारी किए जाने चाहिए।

4. *पहले से ही आबंटित ऐसे स्थानों के संबंध में निर्णय जहां आशय-पत्र रद्द किए जा चुके हैं :*

(क) तेल कंपनियां स्थान का आबंटन रद्द करेगी और तेल उद्योग (कंपनी) के लंबित आशय-पत्रों के वरिष्ठता के क्रम में पुनः आबंटन के विचारार्थ स्थान को पूल में रखेंगी।

(ख) संबंधित तेल कंपनी द्वारा स्थान अपने पास रखा जाएगा और उस तेल कंपनी के अगले सबसे वरिष्ठ आशय-पत्र धारक को आबंटित किया जाएगा।

डी.डी.ए. द्वारा किराए का भुगतान विशेष स्थान के कब्जे की तारीख से लिया जाएगा।

6. दिल्ली विकास प्राधिकरण/भू स्वामी एजेंसियां खुदरा बिक्री केन्द्रों के उद्देश्य के लिए केवल मानक आकार के प्लाट अर्थात् 36x30 मीटर काटेंगी।

7. जहां कहीं भी तेल कंपनियां निजी पक्षकारों (पट्टादाताओं) से कानूनी समस्याओं का सामना कर रही हैं, वहां दिल्ली विकास प्राधिकरण/भू स्वामी एजेंसियों को भूमि उपयोग में परिवर्तन न करने का प्रावधान करना चाहिए। अगर ऐसे स्थान कानूनी कार्रवाई में खो जाते हैं तो सरकार को खुदरा बिक्री केन्द्र प्रचालनों के उद्देश्य के लिए उनका अधिग्रहण कर लेना चाहिए।

8. स्थान विशेष मामलों में जहां आशय-पत्र जारी किए जा चुके हैं और उस स्थान की भूमि दिल्ली विकास प्राधिकरण/भू स्वामी एजेंसियों द्वारा उपलब्ध करा दी गई है, वहां ऐसे आशय-पत्र धारकों को विशिष्ट विज्ञापित स्थान पर प्राथमिकता पर वह भूमि आवंटित की जाएगी। यदि भूमि विज्ञापित स्थान पर उपलब्ध नहीं है, तब आशय-पत्र धारक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कहीं भी निजी भूमि की व्यवस्था करने के लिए स्वतंत्र होगा। तथापि, यदि आशय-पत्र धारक सरकारी भूमि/भूमि प्रदान करने वाली एजेंसियों का चयन करता है, तो उसे अन्य आशय-पत्र धारकों के साथ ऐसी भूमि के लिए आबंटन की तारीख के आधार पर पंक्ति में रखा जाएगा। भविष्य में जारी किए जाने वाले सभी विज्ञापन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए होंगे और यह स्थान विशेष के लिए नहीं होंगे।

आन्ध्र प्रदेश में विश्व बैंक सहायताप्राप्त आई.सी.डी. परियोजनाएं

4044. श्री आर. साम्बासिवा राव : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने राज्य में 430 करोड़ रुपये की विश्व बैंक सहायताप्राप्त आई.सी.डी. परियोजना शुरू करने की घोषणा की है;

(ख) क्या परियोजना में 459 मंडलों को शामिल किया जायेगा;

(ग) इस परियोजना से बच्चों तथा महिलाओं को होने वाले लाभों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) आंध्र प्रदेश आर्थिक पुनः संरचना (एपीईआर) परियोजना में 392 करोड़ रुपए की लागत का एक आईसीडीएस घटक है, जिसको एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में लिए जाने का प्रस्ताव है।

(ख) इस परियोजना में 143 नए शामिल न किए गए ग्रामीण ब्लाकों तथा 108 विद्यमान आईसीडीएस ब्लाकों सहित आईसीडीएस योजना के अंतर्गत कुल 251 ब्लाकों को शामिल करने का प्रस्ताव है।

(ग) इस परियोजना से 6 वर्ष की आयु से कम के बच्चों के पोषण स्वास्थ्य, संज्ञान तथा मनोवैज्ञानिक-सामाजिक स्तर में सुधार, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं तथा किशोरियों के पोषण तथा स्वास्थ्य में सुधार, बड़ी हुई जागरूकता के माध्यम से महिलाओं को शक्ति प्रदान करने की संभावना है जिससे उनके व्यक्तिगत तथा घर के लोगों के स्वास्थ्य तथा पोषण संबंधी आवश्यकताओं की बेहतर देखभाल की जा सके।

(घ) आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने के लिए परियोजना प्रस्ताव पर कार्रवाई की गई है।

घुसपैठ विरोधी योजना

4045. श्री रंजीव बिस्वाल : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने घुसपैठ-विरोधी योजना तैयार की है;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या तैयार की गई इस योजना का उद्देश्य पाकिस्तान को कश्मीर पर अपनी भारत विरोधी नीति छोड़ने के लिए मजबूर करना है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (घ) जम्मू व कश्मीर में सीमा पार से प्रायोजित उग्रवाद की समस्या से निपटने के लिए और उनके प्रयासों को विफल करने के लिए सरकार ने

बहुउद्देश्यीय दृष्टिकोण अपनाया हुआ है जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं :

अंतर्राष्ट्रीय सीमा और जम्मू व कश्मीर में नियंत्रण रेखा के माध्यम से दोनों ओर से घुसपैठ को रोकने के लिए सीमा प्रबन्धों को मजबूत करना।

पूर्वोत्तर राज्यों में कार्यरत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और परिवार नियोजन केन्द्र

4046. श्री नृपेन गोस्वामी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1998 तक पूर्वोत्तर राज्यों में विशेषकर असम में कार्यरत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और परिवार नियोजन केन्द्रों की संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा इन केन्द्रों को वर्ष-वार और राज्य-वार कितनी धनराशि स्वीकृत की गई; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा इन केन्द्रों को वर्ष-वार और राज्य-वार कितनी धनराशि जारी की गई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) से (ग) विवरण संलग्न है।

विवरण

(लाख रुपये में)

राज्य	प्राथमिक स्वा. के.	ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र				शहरी परिवार कल्याण केन्द्र				जिला स्तरीय प्रसवोत्तर केन्द्र				उपजिलास्तरीय प्रसवोत्तर केन्द्र			
	31.12.97	30.6.98	1995-96	1996-97	1997-98	30.6.98	1995-96	1996-97	1997-98	30.6.98	1995-96	1996-97	1997-98	30.6.98	1995-96	1996-97	1997-98
	कार्यरत	कार्यरत	आवंटन			कार्यरत	आवंटन			कार्यरत	आवंटन			कार्यरत	आवंटन		
अरूणाचल प्रदेश	47	उ.न.		उ.न.	उ.न.	6	3.00	10.00	20	0	0.00	0.00	0.00	1	3.50	5.00	7.00
असम	619	134	430	420.00	543.00	10	15.00	12.00	30	11	33.00	33.00	52.00	30	89.00	89.00	119.00
मणिपुर	72	31	93	93.00	126.00	2	4.00	5.00	7	3	13.00	13.00	21.00	1	3.50	5.00	7.00
मेघालय	82	23	68	68.00	93.00	1	2.00	2.50	3.00	3	11.00	11.00	17.00	1	3.50	5.00	7.00
मिजोरम	38	14	42	42.00	57.00	1	2.00	2.50	3.00	2	10.00	10.00	16.00	4	15.00	20.00	27.00
नागालैंड	33	7	21	21.00	28.00	0.	0.00	0.00	0.00	1	4.00	4.00	8.00	1	3.50	5.00	7.00
सिक्किम	24	15	60	60.00	61.00	1	2.00	2.50	3.00	1	5.50	5.50	8.00	2	10.00	10.00	14.00
त्रिपुरा	56	35	105	105.00	142.00	9	7.00	7.00	9.00	1	5.00	5.00	8.00	3	10.50	15.00	20.00

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बुनियादी न्यूनतम सेवा कार्यक्रम परिव्यय से स्थापित किए जाते हैं।

[हिन्दी]

भोपाल गैस त्रासदी पर कार्य-योजना

4047. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भोपाल गैस त्रासदी की कार्य-योजना के अन्तर्गत भोपाल में अस्पताल भवनों के अतिरिक्त निर्मित भवनों का ब्यौरा क्या है,

(ख) प्रत्येक भवनों के निर्माण पर कितनी धनराशि खर्च हुई थी और इन भवनों का निर्माण-कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है;

(ग) कार्य-योजना के अंतर्गत निर्मित प्रत्येक भवन का उद्देश्य क्या था; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. ए. के. पटेल) : (क) से (घ) मध्य प्रदेश सरकार से जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

सी.जी.एच.एस. औषधालयों में दवाइयां

4048. श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (जहानाबाद) : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली के गोल मार्किट और डी.आई.जेड. क्षेत्रों में स्थिति सी.जी.एच.एस. औषधालयों में लाभार्थियों को विशेषज्ञों द्वारा संस्तुत की गई दवाओं के स्थान पर अन्य वैकल्पिक दवाएं इन्डेन्ट और उपलब्ध करवाई जाती हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) ऐसी दवाओं को इन्डेन्ट करने के संबंध में सरकार की नीति क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का है;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं कि सी.जी.एच.एस. कार्ड धारकों को विशेषज्ञों द्वारा संस्तुत दवाइयां ही दी जाएं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वलित एजिलमलाई) : (क) से (ग) सरकार की नीति के अनुसार यदि दवाएं विशेषज्ञ द्वारा ब्रांड नाम से लिखी जाती हैं, तो उन्हें तब सप्लाई करना जरूरी नहीं समझा जाता जब उसी जेनेरिक संघटन वाली दवाएं औषधालय में उपलब्ध हों। यदि उसी जेनेरिक संघटन वाली दवाएं औषधालय में उपलब्ध न हों तो अलग-अलग सूचियों पर लिखी गई दवाएं ब्रांड नाम से अधिकृत स्थानीय कैमिस्टों से खरीदी जाती हैं और रोगियों को सप्लाई की जाती हैं।

(घ) से (च) उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

अम्बेडकर गांव

4049. श्रीमती ऊषा वर्मा : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में अम्बेडकर गांव के संबंध में 12.9.96 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5431 और 5.8.97 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2203 के उत्तर में दी गई सभी जानकारी को क्रियान्वित कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो स्थानवार/जिलेवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में की गई/प्रस्तावित कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश सरकार से अपेक्षित सूचना प्राप्त हो गई है और तदनुसार अतारांकित प्रश्न संख्या 5431 तथा 2203 क्रमशः दिनांक 12.9.96 तथा 5.8.97 के संबंध में दिए गए दो आश्वासनों को अलग से पूरा किया जा रहा है।

[अनुवाद]

प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र

4050. श्री जॉर्ज ईडन : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव "फैक्ट" - उद्योग मण्डल - केरल में कोई प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. ए. के. पटेल) : (क) और (ख) फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि. (फैक्ट) में प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र के लिए सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सल्फयूरिक एसिड संयंत्र आरम्भ किए जाने के दौरान एस ओ2 निःस्राव की बढ़ी हुई मात्रा के रख-रखाव के लिए फैक्ट 85 लाख रुपए की लागत से अपने कोचीन प्रभाग में एक चालू कास्टिक स्क्रवर की स्थापना कर रही है। परियोजना के 1998-99 में पूर्ण होने की संभावना है। फास्फोरिक एसिड संयंत्र के राक ग्राइन्डिग एकक के लिए एक स्क्रबिंग तंत्र की स्थापना भी फैक्ट द्वारा 12.6 लाख रुपए की लागत से की जा रही है ताकि रॉक कणों के निःस्राव को कम किया जा सके। यह अभी आरम्भण स्तर पर है।

जाली नोट

4051. श्री डी.एस. अहिरे
श्री माणिकराव होडल्या गावीत
श्री मोहन रावले
श्री पी.एस. गढ़वी
श्री वस्ता मेघे
श्री मोतीलाल वोरा
श्री अनूप लाल यादव
श्री कृष्ण लाल शर्मा
श्री राजवंशी महतो

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में जाली नोट चल रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र-वार अनुमानतः कितनी राशि के जाली नोट जब्त किये गये;

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जाली नोट का धंधा करने वाले कितने रैकटों का पर्दाफाश किया गया;

(घ) कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में लोगों को आगाह करने का है; और

(च) यदि हाँ, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस खतरे का मुकाबला करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) देश के कुछ भागों से जाली मुद्रा नोटों के परिचालन संबंधी सूचनाएं समय-समय पर मिलती रही हैं।

(ख) और (ग) इस बारे में उपलब्ध जानकारी संलग्न विवरण में दी गयी है।

(घ) उपलब्ध जानकारी के अनुसार पिछले दो वर्षों के दौरान देश के विभिन्न भागों से 195 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे।

(ङ) और (च) जनता को असली और जाली नोटों के बीच अन्तर करने के समर्थ बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, समय-समय पर, प्रैस विज्ञप्तियां जारी करता है।

जाली मुद्रा नोटों के परिचालन को रोकने की दृष्टि से नोट अब अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था के साथ छापे जा रहे हैं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने केवल जाली मुद्रा नोटों की ही जांच के लिए एक विशेष यूनिट स्थापित की है। सीमा सुरक्षा बल ने अपनी अग्रिम टुकड़ियों को अधिक चौकस रहने के लिए सतर्क कर दिया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी मुद्रा को तस्करी करके देश में न लाया जा सके।

विवरण

वर्ष 1995 से 1997 के दौरान बरामद/जब्त जाली नोट

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	वर्षों के दौरान बरामद/जब्त किए गए जाली नोटों का कुल मूल्य		
		1995	1996	1997
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	22550	21940	35742
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	1000	0
3.	असम	3600	1620	13085
4.	बिहार	45040	38530	34890
5.	गोवा	22790	0	310
6.	गुजरात	42460	66250	91440
7.	हरियाणा	10	2120	2090
8.	हिमाचल प्रदेश	600	300	1110
9.	जम्मू व कश्मीर	0	0	0
10.	कर्नाटक	62184	83982	99770
11.	केरल	17900	14964	52540
12.	मध्य प्रदेश	2490	1180	750
13.	महाराष्ट्र	181900	215670	241592
14.	मणिपुर	10800	0	30300
15.	मेघालय	0	0	0
16.	मिजोरम	0	2000	700
17.	नागालैंड	500	0	87100
18.	उड़ीसा	3790	1710	5990
19.	पंजाब	0	600	420
20.	राजस्थान	41710	50460	205930
21.	सिक्किम	0	0	0
22.	तमिलनाडु	67080	48912	100470
23.	त्रिपुरा	700	300	0
24.	उत्तर प्रदेश	41820	30706	79932
25.	पश्चिम बंगाल	59450	36671	74840
26.	अ. व नि. द्वीप समूह	0	0	43700
27.	चंडीगढ़	1500	2500	2300
28.	दा. व न. हवेली	0	0	0
29.	दमन व दीव	0	0	100
30.	दिल्ली	216680	125350	250770
31.	लक्षद्वीप	0	0	0
32.	पांडिचेरी	130	0	5900
कुल (समस्त भारत)		845684	746765	1461771

चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा सरकारी दौरे

4052. श्री सत्यपाल जैन : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चंडीगढ़ प्रशासन/नगर निगम के कुछ अधिकारी विदेश/अध्ययन दौरों पर गए थे;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उस पर कुल कितना खर्च आया;

(ग) क्या इन अधिकारियों ने वापस आने पर अपनी उपलब्धियों के बारे में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन रिपोर्टों को क्रियान्वित करने के बाद क्या लाभ प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) से (ङ) अपेक्षित सूचना, संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

गत दो वर्षों के दौरान चंडीगढ़ प्रशासन/चंडीगढ़ नगर निगम के अधिकारियों द्वारा सरकारी दौरों पर विदेश जाने से संबंधित ब्यौरे निम्नानुसार हैं

(क) अधिकारियों की एक टीम जिसमें श्री के.के. जेराथ, मुख्य इंजीनियर-सचिव इंजीनियरी, श्री एस.एल. अग्रवाल, तत्कालीन अधीक्षण इंजीनियर, चंडीगढ़ नगर निगम और श्री के.बी. शर्मा, अधीक्षण इंजीनियर (बी एंड आर), चंडीगढ़ नगर निगम शामिल थे, ने 29 नवम्बर से 7 दिसम्बर, 1996 तक लघु अध्ययन दौरे के रूप में बैंकाक और सिंगापुर का दौरा किया ताकि नागर सेवाओं के क्षेत्र में आधुनिक प्रौद्योगिकी की अध्ययन किया जा सके। वापस आने पर टीम ने एक दौरा रिपोर्ट प्रस्तुत किया और इस रिपोर्ट कुछ सिफारिशें स्वीकार कर ली गईं ताकि नागर सेवाओं में सुधार लाया जा सके। उक्त दौरे पर 4.00 लाख रुपये व्यय हुए।

(ख) चंडीगढ़ के प्रशासक के तत्कालीन सलाहकार श्री प्रदीप मेहरा ने ओखिनावा में आयोजित क्षेत्रीय औद्योगीकरण और विकास संबंधी अध्ययन बैठक में एशियाई उत्पादकता संगठन के नामित सदस्य के रूप में भाग लेने के लिए 13 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 1996 तक जापान का दौरा किया। उन्होंने हांगकांग, बैंकांक और सिंगापुर का भी दौरा किया। इस दौरे पर रुपये 1,81,720 व्यय हुए।

(ग) श्रीमती अनुराधा गुप्ता ने (पर्यटन) के सचिव और चंडीगढ़ औद्योगिक और पर्यटन विकास निगम के निदेशक की हैसियत से और श्रीमती कल्पना मित्तल बरूआ, चंड़ीगढ़ औद्योगिक और पर्यटन विकास निगम की तत्कालीन प्रबंध निदेशक ने एशिया ट्रेवल मार्केट एग्जीविशन में भाग लेने के लिए 24 अक्टूबर से 26 अक्टूबर, 1996 तक सिंगापुर का दौरा किया। इसपर 3.03 लाख रुपये व्यय हुए।

(घ) श्री सी.एस.आर. रेड्डी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, चंडीगढ़ ने 9 से 13 जून, 1997 तक हैलासिंकी, फिनलैंड में जाली यात्रा दस्तावेजों के संबंध में आयोजित अन्तरांष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरे पर 1,05,060 रुपये व्यय हुए।

(ङ) संघ राज्य क्षेत्र चंड़ीगढ़ के प्रशासक के सलाहकार श्री जगदीश सागर ने 1 दिसम्बर से 12 दिसम्बर, 1997 तक वाशिंगटन (अमेरिका) में आयोजित ''पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप्स फार रिवाइटलाइजेशन स्ट्रेटीज टू आर्गनाइज गवर्नमेंट बिजनेस एंड दि कम्युनिटी टू क्रिएट दि ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी सिटी'' पर एक प्रशिक्षण कार्यशाला में भाग लिया। इस दौरे पर 3.30 लाख रुपये व्यय हुए।

(च) श्री एस.के. शर्मा, मुख्य महाप्रबंधक और श्री ए.के. थापर, मुख्य लेखाधिकारी, चंडीगढ़ औद्योगिक और पर्यटन विकास निगम लिमि. ने 7 मार्च से 11 मार्च, 1998 तक बर्लिन में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन मेले में भाग लिया। इस पर 3.13 लाख रुपये व्यय हुए।

2. चंडीगढ़ प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार ऊपर (ख) से (च) तक दौरों के संबंध में कोई दौरा रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। चंडीगढ़ प्रशासन से कह दिया गया है कि भविष्य में सरकारी दौरे पर विदेश जाने वाले अधिकारियों को निपवपाद रूप से अपना दौरा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए।

[हिन्दी]

पाकिस्तान द्वारा मानव बम का संप्रेक्षण

4053. श्री आनन्द रत्न मौर्य :
श्री रामपाल सिंह :
डॉ0 रामकृष्ण कुसमरिया :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14 मई, 1998 के ''दैनिक जागरण'' में ''भारत में मानव बम भेजने की फिराक में है पाकिस्तान'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वार पाकिस्तान की इस तरह की गतिविधियों पर अकुंश लगाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) सरकार को मिथी, सिन्ध और पाकिस्तान में उग्रवादियों को प्रशिक्षण दिए जाने की सूचना प्राप्त हुई है। स्थिति पर निकट से निगरानी रखी जा रही है।

(ग) सरकार को, उग्रवादी और विघटनकारी गतिविधियां प्रायोजित करके भारत को अस्थिर करने के पाकिस्तान आसूचना एजेंसी के नापाक इरादों की जानकारी है।

चीनी मिलें बन्द करना

4054. श्री प्रभुनाथ सिंह :
डॉ. उल्हास वासुदेव पाटील :
श्री प्रभाष चन्द्र तिवारी :

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान गन्ना पिराई प्रक्रिया को पूरा करने वाली चीनी मिलों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) चालू वर्ष के दौरान गन्ने की कमी के कारण भारी घाटा होने और वित्तीय संकट के कारण बंद की गई चीनी मिलों का राज्यवार अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार बन्द पड़ी चीनी मिलों को विशेष रूप से बिहार में पुनः चालू करने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें (30.6.98 तक उपलब्ध सूचना के अनुसार) उन चीनी मिलों की राज्यवार संख्या दी गई जिन्होंने पेराई कार्य पूरा कर लिया है/जो पेराई कर रही हैं और जो वर्तमान चीनी मौसम 1997-98 के दौरान बन्द रही हैं।

(ग) और (घ) पुनः आरम्भ करने/पुनर्स्थापन/आधुनिकीकरण आदि के लिए चीनी मिलों को स्वंय स्कीमें तैयार करनी होती हैं और वित्तीय संस्थाओं से मंजूर करवानी होती हैं। ऐसी पुनरुत्थापन/पुनर्स्थापन/आधुनिकीकरण की स्कीमों के लिए ब्याज की रियायती दर पर चीनी विकास निधि से वित्तीय सहायता भी उपलब्ध है बशर्ते कि इस प्रयोजन के लिए निर्धारित की गई शर्तें पूरी कर दी जाएं।

जहां तक बिहार का संबंध है, सार्वजनिक क्षेत्र में सभी पन्द्रह चीनी मिलें रुग्ण/बन्द हैं। राज्य स्तर पर सर्वदलीय बैठक में निजीकरण के पक्ष में निर्णय लिया गया है। तीन चीनी मिलों को उनके मूल मालिकों को अन्तरित करने बारे में सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। राज्य सरकार निजी/सहकारी क्षेत्र में अन्य बारह चीनी मिलों के पुनर्स्थापन के लिए परियोजना रिपोर्टों हेतु चीनी प्रौद्योगिकी मिशन और राष्ट्रीय सहकारी चीनी मिल संघ से लगातार सम्पर्क में है। पुनर्स्थापन की योजना बनाते समय राज्य में निगम की देयता को असम्बद्ध करने विषयक उच्च न्यायालय के आदेश को भी ध्यान में रखा जा रहा है। ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन समूह की तीन और चीनी मिलें रुग्ण/बंद हैं। बड़ाचकिया और वनपतिया स्थित दो चीनी मिलें इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त सरकारी परिसमापक के अधीन हैं और मढ़ौरा स्थित अन्य चीनी मिल औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर) के विचाराधीन हैं।

विवरण

उन चीनी मिलों की राज्यवार स्थिति बताने वाला विवरण जिन्होंने वर्तमान चीनी मौसम 1997-98 (अक्टूबर-सितम्बर) के दौरान पेराई कार्य पूरा कर लिया है/जो पेराई कर रही हैं और जिन्होंने पेराई आरम्भ नहीं की है

(30.6.98 को स्थिति)

क्र. सं.	राज्य	चीनी मिलें जिन्होंने पेराई पूरी कर ली है/जो पेराई कर रही हैं	चीनी मिलें जिन्होंने पेराई आरम्भ नहीं की है
1	2	3	4
1.	पंजाब	21	01
2.	हरियाणा	13	–
3.	राजस्थान	03	–
4.	उत्तर प्रदेश	120	02
5.	मध्य प्रदेश	07	02
6.	गुजरात	18	02
7.	महाराष्ट्र	96	24
8.	बिहार	11	17
9.	असम	02	01
10.	आन्ध्र प्रदेश	35	08
11.	कर्नाटक	27	05
12.	तमिलनाडु	35	–
13.	केरल	01	01
14.	उड़ीसा	07	01
15.	पश्चिम बंगाल	01	01
16.	नागालैंड	–	01
17.	पांडिचेरी	02	–
18.	गोवा	01	–
	कुल जोड़	400	66

गन्ना पिराई परियोजना

4055. श्री प्रदीप कुमार यादव : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और मार्च 1998 तक सरकार द्वारा कितनी गन्ना पिराई परियोजना स्वीकृत की गईं;

(ख) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम द्वारा उद्योग को अनअर्थक्षम घोषित किया गया है और इन्हें कोई ऋण न देने का निर्णय लिया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो इस नीति के कारण कितने एककों को बंद किया गया है; और

(घ) सरकार द्वारा इन एककों को अर्थक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं ?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) वर्ष 1996, 1997 और 1998 (मार्च तक) के दौरान देश में नई चीनी मिलें स्थापित करने के लिए उद्योग मंत्रालय द्वारा 159 आशय-पत्र जारी किए गए हैं।

(ख) से (घ) वित्तीय संस्थाओं अर्थात् भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार, उन्होंने न तो गन्ना उद्योग को अनअर्थक्षम घोषित किया है और न ही उन्होंने उन्हें कोई ऋण न देने का निर्णय किया है। तथापि, सरकार का विचार है कि देश में वर्तमान चीनी उद्योग वित्तीय दृष्टि से एक स्वस्थ उद्योग नहीं समझा जाता है। इस क्षेत्र में लाभ की कम दर की दृष्टि में, नई उत्पादन क्षमता अपेक्षित गति के साथ सृजित नहीं की जा रही है। सामान्यतया, सार्वजनिक वित्तीय संस्थाएं भी नई चीनी क्षमता के सृजन के लिए वित्त-पोषण करने संबंधी प्रस्तावों पर अनुकूल दृष्टि से विचार नहीं कर रही हैं। चीनी उद्योग के खराब वित्तीय कार्यनिष्पादन के मुख्य कारण निम्नानुसार हैं :

(1) चीनी सांविधिक लेवी के अधीन है और इसके वितरण पर भी नियंत्रण है। सरकार द्वार लेवी के अधीन प्राप्त की गई चीनी की मात्रा पर चीनी मिलों को लाभ उस लाभ से काफी कम होता है जो उन्हें उस चीनी को खुले बाजार के मूल्यों पर बेचने से प्राप्त होता। वितरण पर नियंत्रण होने से भी चीनी मिलों द्वारा स्वतंत्र विपणन नीति अपनाने के अवसर कम हो जात हैं।

(2) ऐतिहासिक दृष्टि से, चीनी उद्योग में अत्यधिक चक्रीय परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन सिद्धांत रूप से गन्ने की उपलब्धता में वृद्धि अथवा कमी के कारण होते हैं जो किसानों को अन्य प्रतियोगी फसलों की तुलना में गन्ने की खेती करने की प्रेरणा से जुड़े होते हैं।

(3) जिन वर्षों में चीनी का अधिक उत्पादन होता है, उन वर्षों में चीनी मिलों को चीनी के अत्यधिक स्टाक को रखने की लागत वहन करनी पड़ती है।

खाद्यान्नों का उत्पादन

4056. श्रीमती सूर्यकांता पाटील : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरक उद्योग की एक रिपोर्ट के अनुसार उर्वरकों के उत्पादन में असंतुलन होने के कारण खाद्यान्नों के उत्पादन में निरन्तर कमी आई है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने पिछले दस सालों से उर्वरक उद्योग को गम्भीरता से नहीं लिया है;

(ग) क्या देश पूरी तरह से आयातित उर्वरकों पर निर्भर है और किसानों को आयातित उर्वरकों के लिए अधिक मूल्य चुकाना पड़ता है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार का विचार क्या मानदण्ड अपनाने का है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. ए. के. पटेल) : (क) और (ख) खाद्यान्नों का उत्पादन अनेक घटकों पर निर्भर करता है जिनमें से एक उर्वरकों की खपत है। सिवाय 1995-96 के जबकि खरीफ 1995 में मानसून आने में विलम्ब तथा रबी 1995-96 के दौरान दाना भराई के समय प्रतिकूल मौसम स्थितियों के कारण कमी हुई थी, वर्ष 1991-92 से 1996-97 के दौरान खाद्यान्नों के उत्पादन में निन्तर वृद्धि हुई है। वर्ष 1995-96 में प्रमुख व्यापारिक फसलों का उत्पादन रिकार्ड स्तर पर पहुंच गया।

(ग) और (घ) वर्ष 1997-98 के दौरान, उर्वरकों का स्वदेशी उत्पादन, नाइट्रोजन और फास्फेट दोनों पोषकों की अनुमानित खपत का लगभग 86.6 प्रतिशत हुआ। आयातित अथवा स्वदेशी यूरिया का फारमगेट मूल्य नियंत्रित है। प्रतिटन 3660 रुपये का वर्तमान मूल्य इस क्षेत्र में सबसे कम मूल्यों में से है। नियंत्रणमुक्त फास्फेटिक और पोटासिक उर्वरकों की बिक्री पर रियायत भी प्रदान की जा रही है ताकि इनकी खपत को प्रोत्साहित किया जा सके और पौध पोषकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके। घरेलू उद्योग को उत्पादन लागत में कमी करने और आयातित उत्पाद की अपेक्षा प्रतिस्पर्धी बने रहने में समक्ष बनाने की दृष्टि से स्वदेशी और आयातित डाई-अमोनियम फास्फेट पर रियायत के स्तरों के बीच 1500 रुपये प्रति मी. टन का अन्तर रखा गया है।

[अनुवाद]

गन्ना अनुसंधान केन्द्र

4057. श्री विक्रम देव कोशरी : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में गन्ना अनुसंधान केन्द्रों का स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ख) गन्ना उत्पादन वाले क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिनकी इन केन्द्रों द्वारा देखभाल की जाती है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य में इन केन्द्रों के लिए आबंटन का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उड़ीसा राज्य के सभी जिलों में विशेषतः कालाहाण्डी में गन्ना अनुसंधान केन्द्र नहीं खोले गए हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) उड़ीसा में निम्नलिखित स्थलों पर गन्ना अनुसंधान कार्य किया जा रहा है :

(1) शुगरकेन रिसर्च स्टेशन, पानीपाइला, पी.ओ. बालूगांव, जिला नयागढ़

(2) शुगरकेन एडेप्टिव ट्रायल सब-स्टेशन, रायगड़ा।

(3) शुगरकेन एडेप्टिव ट्रायल सब-स्टेशन, वारवाली बाया बारगढ़।

(ख) रायगड़ा, अस्का, बारगढ़, नयागढ़, कटक, बोलंगीर, कालाहांडी, धेनकनाल, सम्बलपुर आदि जिलों में लगभग 22,000 हैक्टेयर क्षेत्र में गन्ना उगाया जाता है। इन देशों में गन्ने और चीनी की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए उपर्युक्त (क) में उल्लिखित गन्ना अनुसंधान केन्द्र स्थल से संबंधित विशिष्ट प्रयोग कर रहे हैं।

(ग) अखिल भारत गन्ना समन्वित अनुसंधान परियोजना (आई.सी.ए.आर.) के केन्द्रों में से एक केन्द्र पानीपोइला, जिला नयागढ़ में स्थित है। अखिल भारत गन्ना समन्वित अनुसंधान परियोजना (आई.सी.ए.आर.) ने इस केन्द्र के सुचारू कार्यकरण के लिए 1998-99 के लिए 8.59 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया है। इसके अतिरिक्त संघ सरकार ने संकर बीज के उत्पादन और गन्ने के बारे में प्रमुख जानकारी देने के लिए प्रदर्शनों का आयोजन करने हेतु आई.सी.ए.आर. के जरिये 2.47 लाख रुपये मुहैया किए हैं।

(घ) और (ङ) कालाहांडी जिले में उगाए जाने वाले गन्ने के लिए अनुसंधान संबंधी आवश्यकताएं रायगढ़ स्थित अनुसंधान केन्द्र से पूरी की जाती हैं। अतः यह महसूस किया जाता है कि कालाहांडी में नया केन्द्र खोलने की आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

अल्पसंख्यकों/अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आबंटन

4058. प्रो. जोगेन्द्र कवाड़े : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1997-98 के दौरान अल्पसंख्यकों/अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के आर्थिक उत्थान के लिए सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) क्या आबंटित कुल धनराशि का उपयोग कर लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए आबंटित धनराशि में से अल्पसंख्यक समुदायों के कुल कितने लोगों को ऋण और अनुदान दिया गया ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) 30,021 (30.6.1998 तक)।

विवरण

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अल्पसंख्यकों के आर्थिक उत्थान संबंधी विभिन्न योजनाओं के संबंध में 1997-98 के लिए आबंटित धनराशि (संशोधित अनुमानों के अनुसार) तथा किए गए व्यय को दर्शाने वाला विवरण

	वर्ष 1997-98 के लिए आबंटित धनराशि (संशोधित अनुमान)	(रु. करोड़ में) व्यय
अनुसूचित जातियां		
1. विशेष संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता।	308.27	308.80
2. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम	20.23	20.23
3. अनुसूचित जाति विकास निगम	45.00	45.00
4. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम	4.75	4.75
5. सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों की मुक्ति एवं पुनर्वास संबंधी राष्ट्रीय योजना	90.00	90.00
अनुसूचित जनजातियां		
1. आदिवासी उप योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	330.00	330.00
2. संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परन्तुक (1) के अंतर्गत अनुदान	75.00	75.00
3. लघुवन उत्पाद संबंधी कार्यों के लिए राज्य आदिवासी विकास सहकारी निगमों को सहायता	8.23	8.23
4. ट्राइफेड में निवेश	23.00	23.00
5. ट्राइफेड को मूल्य समर्थन	1.00	1.00
अल्पसंख्यक		
1. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम	-	-

उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों का बंद होना

4059. श्री आदित्यनाथ :
श्री रामनगीना मिश्र :

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में विशेषतः पूर्वी उत्तर प्रदेश की चीनी मिलें बंद होने के कगार पर हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं तथा इनके बंद होने का गन्ना उत्पादक किसानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ग) क्या इस संबंध में कोई मूल्यांकन किया गया है;

(घ) क्या इन मिलों को बंद होने से बचाने के लिए कोई योजना बनाई गयी है;

(ङ) इनके बंद होने के परिणामस्वरूप कुल कितने किसान और गन्ना उगाये जाने वाले क्षेत्र प्रभावित होंगे; और

(च) इससे देश में चीनी का उत्पादन कितना घटेगा ?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) से (च) पूर्वी उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों के बन्द होने के कगार पर होने के बारे में कोई सूचना नहीं है। तथापि, उल्लेखनीय है कि निम्नलिखित दो चीनी मिलें विभिन्न कारणों से कार्य नहीं कर रही हैं :

क्र	चीनी मिल का नाम	जब से कार्य नहीं कर रही हैं
1.	नसस स्वदेशी माइनिंग एण्ड मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लि०, आनन्दनगर, जिला-महाराजगंज	1994-95
2.	कानपुर शुगर वर्क्स लि., गौरीबाजार, जिला-देवरिया	1996-97

[अनुवाद]

विकलांग बच्चों के लिए विद्यालय

4060. श्री ए.एफ. गुलाम उस्मानी : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों विशेषकर बारपेटा (असम) में विकलांग बच्चों के लिए स्कूल खोलने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं,तो इसके क्या कारण हैं ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ग) विकलांग बच्चों के लिए विशेष स्कूल की स्थापना संबंधी योजना के अंतर्गत-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान गुण-दोष के आधार पर निर्मुक्त किया जाता है, बशर्ते कि वह आवेदन पत्र संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के माध्यम से उनकी सिफारिशों के साथ भेजा गया हो। तथापि, असम राज्य सरकार ने बारपेटा जिले में ऐसे स्कूल के लिए किसी गैर-सरकारी संगठन के संबंध में अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है।

विदेशों में तेल की खोज

4061. श्री भुवनेश्वर कालिता :
श्री पंकज चौधरी :
श्री एस.एस. ओवेसी :
डॉ० टी. सुब्बारामी रेड्डी :
श्री रामपाल सिंह :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास भारत के तेल संसाधनों को बढ़ाने के लिए भारतीय तेल कंपनियों को विदेशों में तेल की खोज की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) तेल की खोज के लिए अब तक कौन से देशों को चुना गया है;

(घ) इन देशों में तेल की खोज कब से आरंभ किए जाने की संभावना है; और

(ङ) सार्वजनिक क्षेत्र की तथा अन्य कौन सी तेल कंपनियों को विदेशों में तेल की खोज की अनुमति दी गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ङ) जी, हाँ। ओ.एन.जी.सी. विदेश लि., जो आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन की पूर्णस्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, निम्नांकित देशों में तेल अन्वेषण/उत्पादन परियोजनाओं के लिए पैरवी कर रही है :

(1) वियतनाम

(2) कजाखस्तान

(3) अजरबैजान

(4) रूस

(5) इराक

जब कि वियतनाम और कजाखस्तान के संबंध में अनुमोदन ओ.एन.जी.सी. विदेश लि० के पक्ष में पहले ही दे दिए गए हैं, शेष देशों के संबंध में अन्वेषण/उत्पादन परियोजनाओं के लिए अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्रयास प्रगति पर हैं।

इसके अतिरिक्त, आयल इंडिया लि. ओमान में एक अन्वेषण परियोजना में प्रतिभागिता हित प्राप्त करने के मामले को भी आगे बढ़ा रही है।

अजरबैजान, रूस, इराक और ओमान में अन्वेषण क्रियाकलापों की शुरूआत, ऐसे प्रयासों के निष्कर्ष पर निर्भर करेगी, जो प्रगति पर हैं।

विभिन्न रोगों के उन्मूलन हेतु कार्यक्रम

4062. डॉ० वाई.एस. राजशेखर रेड्डी :
श्री एस.एस. ओवेसी :
श्री अशोक नामदेवराव मोडोल :
श्रीमती राणी चित्रलेखा भोंसले :
डॉ० सरोजा वी. :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री था० चौबा सिंह :
श्री अजय मुखोपाध्याय :
श्री चन्द्रशेखर साहू :
श्रीमती जयन्ती पटनायक :
श्री शंकर प्रसाद जायसवाल :
श्री मणीभाई रामजीभाई चौधरी :
डॉ० टी. सुब्बारामी रेड्डी :
श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र :
श्री जी.एम. बनातवाला :
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में एड्स, तपेदिक, मलेरिया, कोढ़, कैंसर, पोलियो और अन्य संक्रामक रोगों के मामलों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हाँ, तो वर्तमान वृद्धि का राज्य-वार प्रतिशत क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य-वार कितने व्यक्ति इन रोगों से पीड़ित/मृत बताए गए थे और कितने व्यक्तियों की इन रोगों से मृत्यु हो गई;

(घ) क्या देश में इन रोगों के उन्मूलन के लिए कोई केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(च) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान अब तक प्रत्येक कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य-वार कितने लोग लाभान्वित हुए हैं;

(छ) उक्त अवधि के दौरान इन कार्यक्रमों के लिए अलग-अलग राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ज) क्या सरकार योजनानुसार 2000 ई. तक इन रोगों का उन्मूलन करने के लिए प्रतिबद्ध है;

(झ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ञ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा विभिन्न क्षेत्रों में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ट) देश में व्याप्त इस चिंताजनक स्थिति का मुकाबला करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) से (ट) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

लेवी चीनी उठाने में सड़क परिवहन शुल्क

4063. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को लेवी चीनी मूल्य अधिग्रहण निधि योजना के अंतर्गत लेवी चीनी उठान के संबंध में वास्तविक सड़क परिवहन प्रभार पर भत्ते की अनुमति के लिए गुजरात सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या अन्य राज्यों से भी ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो अनुमति कब तक दी जाएगी ?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) से (घ) जी, हाँ। लेवी चीनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये बाजार मूल्य से कम मूल्य पर बेची जाती है ताकि आम-जनता इसे खरीद सके। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन बेची जाने वाली चीनी का निर्गम मूल्य समस्त देश में एक-समान है। इस मूल्य ढांचे में विकार से बचने के लिए 1.4.1989 से स्थानीय करों और शुल्क लगाना अस्वीकार्य माना गया था और निर्णय की सूचना राज्य सरकारों को दे दी गई थी। इसके लिए केन्द्रीय सरकार ने लेवी चीनी मूल्य समान कीमत निधि योजना के अधीन लेवी चीनी उठाने के संबंध में वास्तविक सड़क ढुलाई प्रभारों पर छूट की अनुमति नहीं दी है।

[हिन्दी]

जनगणना

4064. प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :
श्री के.सी. कोंडय्या :
श्री चिन्ता मोहन :
श्री जी.एम. बनातवाला :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में अगली जनगणना शताब्दी के अन्त में कराने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो अगली जनगणना का कार्य कब तक आरम्भ किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या जनगणना के दौरान देश के नागरिकों को जनजाति संबंधी जानकारी भी इकट्ठी की जाएगी;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या पिछली जनगणनाओं के दौरान भी नागरिकों के जाति पर आधारित आंकड़े इकट्ठे किए गए थे?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) देश में अगली जनगणना फरवरी-मार्च, 2001 में होने वाली है।

(घ) ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

(च) 1951 की जनगणना से जाति के आधार पर नागरिकों के आंकड़े एकत्र नहीं किए गए थे।

तथापि, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बारे में आंकड़े एकत्रित किए गए थे।

शिशु गृह का निर्माण

4065. श्री कांतिलाल भूरिया : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से शिशु गृह के निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार राज्य को कब तक अपना अनुमोदन प्रदान कर देगी?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) वर्ष 1997-98 के दौरान, मंत्रालय ने किशोर सामाजिक कुसंमजन निवारण एवं नियंत्रण की योजना के अंतर्गत 7 प्रेक्षण गृहों (लड़कियों के लिए) तथा 2 किशोर गृहों के निर्माण के लिए प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त किए। तथापि, राज्य सरकार के पास पिछले वर्षों में निर्मुक्त राशियों में से खर्च न की गई धनराशि रह जाने के कारण नया अनुदान निर्मुक्त नहीं किया जा सका, इसके अतिरिक्त, उस सरकार से कतिपय स्पष्टीकरण देने का भी अनुरोध किया गया है।

[अनुवाद]

रसोई गैस की मांग और आपूर्ति

4066. श्री अमरपाल सिंह :
डॉ0 मदन प्रसाद जायसवाल :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :
श्री विट्ठल तुपे :
श्री संदीपान थोरात :
श्री रामदास आठवले :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान रसोई गैस का अनुमानित उत्पादन और खपत कितनी रही;

(ख) चालू वर्ष और अगले तीन वर्षों के लिए रसोई गैस की कितनी मांग है और गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार इसकी मांग और आपूर्ति की स्थिति क्या थी;

(ग) सरकार द्वारा रसोई गैस की कमी का अनुमान लगाने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष किन-किन क्षेत्रों में इसकी कमी का पता चला है; और

(ङ) आपूर्ति को सामान्य बनाने के लिए और डीलरों/वितरकों द्वारा की जा रही विपणन संबंधी धोखाधड़ी को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की तेल कंपनियों द्वारा एल.पी.जी. का उत्पादन और बिक्री निम्नानुसार है :

वर्ष	उत्पादन (टी.एम.टी.)	बिक्री (टी.एम.टी.)
1995-96	3253	3849
1996-97	3356	4183
1997-98	3444 (अनंतिम)	4183 (अनंतिम)

कमी आयात के माध्यम से पूरी की जाती है।

(ख) वर्तमान वर्ष और अगले तीन वर्षों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की तेल कंपनियों के संबंध में अनुमानित अखिल

भारतीय मांग निम्नानुसार है:

वर्ष	अखिल भारतीय एल.पी.जी. मांग (टी.एम.टी.)
1998-99	5357
1999-2000	6514
2000-01	7095
2001-02	7548

अगले तीन वर्षों में मांग प्रत्येक वर्ष 40 लाख नए उपभोक्ताओं के अनुमानित नामांकन पर आधारित है।

(ग) किसी डिस्ट्रीब्यूटर के लिए एल.पी.जी. के रीफिलों की आपूर्ति में बैकलाग/कमी की गणना निम्नानुसर की जाती है :

(क) डिस्ट्रीब्यूटर के यहां लंबित रीफिल आदेशों (बुकिंग) की कुल संख्या।

(ख) 24 घंटों के भीतर रीफिल आदेश की बुकिंग की संख्या।

(ग) डी.बी.सी. उपभोक्ताओं द्वारा बुक कराए गए रीफिल आदेशों की संख्या।

(घ) रीफिल बैकलॉग - क - (ख+ग)

पिछले वर्ष के दौरान घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा औसत एल.पी.जी. खपत लगभग 140 कि.ग्रा. थी।

(घ) और (ङ) देश में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की तेल कंपनियों के पास पंजीकृत एल.पी.जी. उपभोक्ताओं की मांग पिछले तीन वर्षों के दौरान कमोबेश पूरी तरह से पूरी की गई है। तथापि, जब कभी भी कानून और व्यवस्था की समस्याओं, आई.आर. समस्याओं, बाढ़ अथवा किसी भी उत्पादन स्रोत पर आपातकालीन बंदी के कारण उपलब्धता में किसी रुकावट की वजह से एल.पी.जी. का बैकलाग हो जाता है, तो तब तेल कंपनियां एल.पी.जी. के बैकलाग को समाप्त करने के लिए एल. पी.जी. के आयात को अधिकतम करके और बढ़ाए गए घंटों और रविवार व अवकाश के दिनों में एल.पी.जी. भरण संयंत्रों का प्रचालन करके प्रभावित बाजारों में मांग को पूरा करने के लिए त्वरित उपाय करती हैं।

विभिन्न विपणन बेईमानियों और कपटों को नियंत्रित करने के लिए चूककर्ता डिस्ट्रीब्यूटरों के विरुद्ध विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाती है, जिसमें जुर्माना, निलंबन और समाप्ति शामिल हैं।

[हिन्दी]

रुग्ण चीनी मिलें

4067. श्री पंकज चौधरी :
डॉ० टी. सुब्बारामी रेड्डी :
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :
श्री हरिकेवल प्रसाद :
श्री प्रभुनाथ सिंह :

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निजी और सहकारी क्षेत्र, राज्य चीनी निगम और सरकारी उपक्रमों द्वारा अलग-अलग राज्यवार चलाई जा रही चीनी मिलों की संख्या कितनी है;

(ख) वर्तमान में राज्यवार अलग-अलग रुग्ण चीनी मिलों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या रुग्ण चीनी मिलों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है;

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) वर्तमान में राज्यवार कितनी मिलें मुनाफे/घाटे पर चल रही हैं;

(च) क्या सरकार को इन मिलों का पुनरुत्थान करने के लिए राज्यों से विशेषकर उत्तर प्रदेश से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(छ) यदि हाँ, तो केन्द्र सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है;

(ज) क्या इन रुग्ण मिलों का विस्तार करने और उन्हें आधुनिक बनाने के संबंध में कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(झ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ञ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) सार्वजनिक, निजी और सहकारी क्षेत्र में चल रही चीनी मिलों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) देश में चीनी इकाइयों को तीन क्षेत्रों अर्थात् सार्वजनिक, निजी और सहकारी क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाता है। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित रुग्ण चीनी इकाइयां रुग्ण औद्योगिक

कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 के उपबंधों के दायरे में आती हैं। इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन स्थापित औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) के अनुसार, 30.6.1998 तक उनके पास 37 रुग्ण चीनी मिलें पंजीकृत की गई हैं। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के पास पंजीकृत रुग्ण चीनी मिलों की राज्यवार संख्या निम्नानुसार है :

राज्य	मिलों की संख्या
आंध्र प्रदेश	3
बिहार	3
केरल	1
कर्नाटक	4
[illegible]	2
[illegible]	3
पंजाब	1
राजस्थान	1
तमिलनाडु	2
उत्तर प्रदेश	16
पश्चिम बंगाल	1
कुल	37

(ग) और (घ) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार, रुग्ण चीनी मिलों की संख्या में लगातार वृद्धि नहीं हो रही है।

(ङ) सरकार चीनी मिलों का लाभ और हानि खाता नहीं रखती है।

(च) और (छ) उत्तर प्रदेश सरकार से रुग्ण चीनी मिलों के पुनरुत्थान करने से संबंधित कोई अभ्यावेदन सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है।

(ज) से (ञ) सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के अधीन रुग्ण मिलों के लिए औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को रुग्णता का निर्धारण करने और कम्पनी के संबंध में किए जाने वाले उपायों के बारे में लिखना अपेक्षित होता है। सहकारी क्षेत्र के अधीन रुग्ण चीनी मिलों के लिए औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के पास पंजीकृत करवाना अपेक्षित नहीं होता है और उनके बारे में राज्य सहकारी समिति अधिनियमों के अधीन कार्रवाई की जाती है। सहकारी क्षेत्र के मामले में, राज्य सरकारें इकाइयों की वित्तीय स्थिति के बारे में विचार करती हैं और जहां आवश्यक समझा जाता है वहां कार्रवाई आरम्भ करती हैं। भारत सरकार 5000 टी.सी.डी. तक क्षमता का विस्तार/आधुनिकीकरण करने और गन्ने का विकास करने के लिए चीनी विकास निधि से ब्याज की रियायती दर पर वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।

विवरण

स्थापित चीनी फैक्ट्रियों की राज्यवार और क्षेत्रवार संख्या बताने वाला विवरण (31.05.1998) को स्थिति के अनुसार

क्र. सं.	राज्य	स्थापित चीनी फैक्ट्रियों की कुल संख्या			
		सार्वजनिक	निजी	सहकारी	जोड़
1	2	3	4	5	6
1.	पंजाब	–	6	16	22
2.	हरियाणा	–	3	10	13
3.	राजस्थान	1	1	1	3
4.	उत्तर प्रदेश	35	55	32	122
5.	मध्य प्रदेश	1	5	3	9
6.	गुजरात	–	–	20	20
7.	महाराष्ट्र	–	5	116	121
8.	बिहार	14	14	–	28
9.	असम	–	1	2	3
10.	उड़ीसा	–	4	4	8
11.	पश्चिम बंगाल	1	1	–	2
12.	नागालैंड	1	–	–	1
13.	आंन्ध्र प्रदेश	6	17	18	41
14.	कर्नाटक	3	10	19	32
15.	तमिलनाडु	3	17	15	35
16.	पांडिचेरी	–	1	1	2
17.	केरल	–	1	1	2
18.	गोवा	–	–	1	1
19.	दादर और नगर हवेली	–	–	–	–
20.	मणिपुर	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6
21.	हिमाचल प्रदेश	–	–	–	–
22.	जम्मू और कश्मीर	–	–	–	–
	जोड़	65	141	259	465

टिप्पणी : इस विवरण में 6 चीनी फैक्ट्रियां अर्थात् तलाजा (गुजरात), पचरूखी (बिहार), डालिमा नगर (बिहार), सिवकामी (आन्ध्र प्रदेश) मैलपट्टी (तमिलनाडु), मन्नाम (केरल) शामिल नहीं हैं क्योंकि ये पिछले 10 वर्ष से अधिक समय से नहीं चल रही हैं और उनकी क्षमता को निष्क्रिय मान लिया गया है।

[अनुवाद]

शराब की अवैध बिक्री

4068. श्री देवेन्द्र बहादुर राय : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में शराब की अवैध बिक्री बढ़ी है;

(ख) यदि हाँ, तो कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे कितनी शराब पकड़ी गयी; और

(ग) शराब की अवैध बिक्री रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान्। चालू वर्ष के प्रथम छः माह के दौरान शराब की कथित अवैध बिक्री के 2074 मामले दर्ज किए गए जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 3437 मामले दर्ज किए गए थे। इस प्रकार, इस वर्ष इसी अवधि में 2212 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 3709 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे।

(ग) पिछली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शराब की अवैध बिक्री को रोकने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए हैं :

(i) सूचना संग्रहण तंत्र को सुदृढ़ किया गया है;

(ii) झुग्गी समूहों और सीमा क्षेत्रों में गश्त को बढ़ाया गया है;

(iii) शराब की तस्करी में लिप्त होने की शंका वाले ट्रांस्पोर्टरों/पब्लिक केरियरों के गोदामों पर विशेष निगरानी रखी जाती है।

(iv) ऐसे दुश्चरित्र व्यक्तियों पर नजर रखी जाती है जिन पर शराब की अवैध बिक्री में लिप्त होने का संदेह होता है;

(v) शराब की अवैध बिक्री की समस्या से प्रभावी रूप से निपटने के लिए पुलिस स्टेशनों में तैनात स्टाफ को अपने स्रोत विकसित करने के लिए निदेश दिए गए हैं।

[हिन्दी]

दवाइयों पर व्यय

4069. श्री राम टहल चौधरी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा बिहार में विशेषकर झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में दवाई उपलब्ध कराने में प्रति व्यक्ति कितनी राशि व्यय की गई;

(ख) क्या उपरोक्त राशि में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में कितनी राशि वहन करनी पड़ेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में ग्रामीण अस्पताल

4070. श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में इस समय कितने ग्रामीण अस्पताल कार्य कर रहे हैं;

(ख) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का स्तर बढ़ा कर उन्हें ग्रामीण अस्पतालों का दर्जा देने के लिए प्रमुख मानदण्ड क्या हैं;

(ग) क्या खोले गए अधिकांश स्वास्थ्य उपकेन्द्र कर्मचारियों की कमी के कारण ठीक से काम नहीं कर रहे हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) 31.12. 97 को उपलब्ध सूचना के अनुसार तमिलनाडु राज्य में 72 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (30 पलंग वाले अस्पताल) कार्य कर रहे हैं।

(ख) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एक दूसरे से भिन्न हैं और इनके अलग-अलग कार्य हैं। यदि एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का विस्तार किया जाता है और इसका

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में उन्नयन किया जाता है तो भी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा कवर किए जाने वाले एक बड़े क्षेत्र में छोटे जनसंख्या समूहों की अनिवार्य जन स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कतिपय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की आवश्यकता होगी।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र दोनों की स्थापना जनसंख्या मानकों के आधार पर की जाती है जो इस प्रकार है :

केन्द्र	जनसंख्या	
	मैदानी क्षेत्र	पहाड़ी/आदिवासी क्षेत्र
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	30,000	20,000
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	1,20,000	80,000

ग) और (घ) सरकार को पता चला है कि रिक्तियों, स्थिति आदि के कारण कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उपकेन्द्रों में अपर्याप्त कर्मचारी हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उपकेन्द्रों में स्टाफ की भर्ती और तैनाती राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है जिनको समय-समय पर ग्रामीण स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और कार्मिकों की ऐसी कमी को पूरी करने की सलाह दी जाती है।

[हिन्दी]

उद्योगों का बंद होना

4071. श्री शैलेन्द्र कुमार :
श्री वसुदेव आचार्य :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "त्रिवेणी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड" इलाहाबाद तथा "मोदी स्टोन लिमिटेड" बम्बई के बंद होने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या इन उद्योगों के अवैध रूप से बंद किए जाने के कारण श्रम सचिव, श्रम आयुक्त तथा उपायुक्त के स्तर पर त्रिपक्षीय वार्ता हुई है;

(ग) यदि हाँ, तो वार्ता की मुख्य बातें क्या थीं; और

(घ) उन उद्योगों तथा कार्यालयों को खोलने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं?

श्रम मंत्री (डॉ. सत्यनारायण जटिया) : (क) से (घ) इस मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार त्रिवेणी इंजीनियरिंग इन्डस्ट्रीज लिमिटेड इलाहाबाद की बंदी के लिए बताए गए कारण पर्याप्त आदेशों की कमी और वित्तीय हानि है। जबकि प्रबन्धन द्वारा बताए गए अनुसार मोदी स्टोन लिमिटेड बम्बई की बंदी के लिए कामगारों की अनुशासनहीनता और अवज्ञाकारिता आदि कारण हैं। त्रिवेणी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज को पुनः खोलने और उत्पादन प्रक्रिया को पुनः शुरू करने के मुद्दे पर श्रम मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, श्रम आयुक्त, उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश सरकार की उपस्थिति में आयोजित त्रिपक्षीय बैठकें निष्फल रहीं। मोदी स्टोन लिमिटेड के विवाद को निपटाने के लिए श्रम आयुक्त, महाराष्ट्र सरकार द्वारा बुलाई गई बैठक में प्रबंधन पक्ष की ओर से किसी के भाग न लेने के परिणामस्वरूप गतिरोध आया। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने त्रिवेणी इंजीनियरिंग इन्डस्ट्रीज लिमिटेड के प्रबंधन के खिलाफ गैर-कानूनी बंदी के लिए अभियोजन कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं और इलाहाबाद के कलेक्टर की 14,12,153/- रुपये की कर्मकारों की बकाया राशि कर्मकारों को भुगतान करने के लिए वसूली प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं।

[अनुवाद]

पड़ोसी देशों के साथ व्यापार

4072. श्री के.ए. सांगतम : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में पड़ोसी देशों के साथ, विशेष रूप से नागालैंड और म्यांमार सीमा पर व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) यातायात को सुगम बनाने और व्यापार संबंधित सुविधाएं प्रदान करने के लिए सीमा सड़कों में सुधार लाने/निर्माण करने के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) सरकार ने म्यांमार के साथ व्यापार को बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए हैं। म्यांमार के साथ सीमा व्यापार समझौते में प्रारंभ में मणिपुर में मोरेह और मिजोरम में चम्फाई के माध्यम से सीमा व्यापार शुरू करने का प्रावधान है। जबकि मणिपुर सैक्टर में म्यांमार के साथ सीमा व्यापार 12.4.95 से शुरू हो चुका है, लेकिन मिजोरम सैक्टर में म्यांमार की ओर से सकारात्मक जवाब न आने के कारण अभी शुरू होना शेष है। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, नागालैंड समेत अन्य स्थानों के माध्यम से म्यांमार के साथ व्यापार करने पर अभी बाद में विचार किया जाना है। दोनों ओर सीमा क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों की रहन-सहन की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद देने हेतु, इस बात पर भी सहमति हो चुकी है कि साप्ताहिक हाटों (बाजार) की व्यवस्था के लिए सीमा क्षेत्र में स्थानों की पहचान की जाएगी तथा इन हाटों को चालू करने के लिए प्रारम्भिक कार्रवाई शुरू की जाएगी। नागालैंड में, मोन जिले में लुंगवा गांव तथा त्येंगसांग जिले में पांगशा और पौंगरो गावों की पहचान की गई है।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

पेट्रोल/डीजल की कालाबाजारी

4073. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पांडिचेरी में स्थित माहे में वितरण के लिए निर्धारित काफी मात्रा में पेट्रोल/डीजल को केरल के कन्नानौर और कालीकट जिलों में कुछ पेट्रोल बैंकर्स को कालाबाजारी के लिए अपवर्तित कर दिया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, नहीं। पांडिचेरी में माहे में वितरण के लिए नियत पेट्रोल/डीजल के केरल के कन्नानूर और कालीकट जिलों को विपथन के किसी मामले की रिपोर्ट सरकार को नहीं मिली है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

चिकित्सक जनसंख्या अनुपात में अन्तर

4074. श्री अशोक नामदेवराव मोडोल :
श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय :
श्री के.पी. नायडू :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान समय में चिकित्सक जनसंख्या के अनुपात में भारी अन्तर है;

(ख) क्या प्रति 12,000 लोगों पर केवल एक चिकित्सक उपलब्ध है;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या वर्तमान में स्वास्थ्य सुविधाओं पर 1.66 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च किया जा रहा है;

(ङ) यदि हाँ, तो सरकार किस प्रकार 2000 इस्वी तक ''सभी के लिए स्वास्थ्य'' के लक्ष्य को प्राप्त करने का विचार रखती है जो कि छठी पंचवर्षीय योजना में अभिकल्पित की गई थीं; और

(च) इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) से (ग) भारतीय चिकित्सा परिषद् के अनुसार एलोपैथिक डॉक्टरों के संबंध में डॉक्टर-जनसंख्या अनुपात लगभग 1:1980 है। यह अनुपात दक्षिण एशिया क्षेत्र के अन्य देशों की तुलना में बहुत अच्छा है। भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के चिकित्सकों को मिलाकर यह अनुपात अभी भी बेहतर है तथापि, डॉक्टरों की उपलब्धता में असमानता कुछ राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यमान है जिसके लिए अलग-अलग राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न उपाय किए गए हैं।

(घ) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति सरकारी खर्चा, निजी उपभोग व्यय मिलाकर 239 रुपये बैठता है। ये आंकड़े चालू मूल्य पर 1995-96 के लिए हैं और इसमें परिवार कल्याण अथवा नगर पालिकाओं जैसे स्थानीय निकायों से किया गया खर्च शामिल नहीं है।

(ङ) और (च) ''सभी के लिए स्वास्थ्य'' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण स्वास्थ्य आधारभूत ढांचे का एक व्यापक नेटवर्क पूरे देश में अलग-अलग राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों द्वारा पूरे देश में चलाया जा रहा है जिसके अंतर्गत, 1,36,339 उपकेन्द्र, 22,010 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 2,622 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शामिल हैं। केन्द्र सरकार द्वारा एड्स मलेरिया, क्षयरोग, कुष्ठ तथा दृष्टिहीनता जैसे रोगों को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रमों की सहायता के लिए बाह्य मदद की व्यवस्था की गई है।

विश्व बैंक की सहायता से चुनिंदा राज्यों में द्वितीयक स्वास्थ्य सुविधाओं का भी उन्नयन किया जा रहा है।

भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्यापैथी के विकास को प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि लोगों के लिए उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं के नेटवर्क को बढ़ाया जा सके। महिलाओं और शिशुओं की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक व्यापक प्रजनक एवं शिशु स्वास्थ्य परियोजना है।

उत्पादन में भागीदारी के ठेके

4075. श्री वी.वी. राघवन :
श्री पृथ्वीराज वा. चव्हाण :
श्री के.एस. राव :
श्री नादेन्ला भास्कर राव :
प्रो० पी.जे. कुरियन :
श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेल की खोज के लिए काफी समय से लंबित पड़े विदेशी निवेश प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हाँ, तो दिए गए ठेकों का ब्यौरा क्या है तथा उसके परिणामस्वरूप देश में किए जाने वाले निवेशों की अनुमानित राशि कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने हाल ही में तेल की खोज के लिए उद्यम क्षेत्रवार की बजाय ब्लाक-वार आबंटन करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा और उसके कारण क्या हैं;

(ङ) हाल ही के वर्षों में तेल की खोज के लिए दिए गए ब्लाकों का ब्यौरा क्या है और अभी तक कितने ब्लाकों ने तेल की खोज की है और उसमें कितना खर्च हुआ है;

(च) अब तक उत्पादन में भागीदारी के ठेकों के लिए दिए जाने वाले ब्लाकों का ब्यौरा तथा कंपनियों के नाम क्या हैं; और

(छ) शेष उत्पादन में भागीदारी वाले ठेकों पर कब तक हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) भारत सरकार ने हाल में संबंधित कंपनियों को 18 अन्वेषण ब्लाकों के लिए संविदाओं हस्ताक्षर करने की अपनी इच्छा के बारे में सूचित कर दिया इनमें से 6 अन्वेषण ब्लाकों के लिए संविदाओं पर पहले ही 30.6.98 को हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। निवेश, इन संविदाओं के कार्यान्वयन के समय किया जाएगा।

(ग) और (घ) तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण के लिए संविदाएं संबंधित अन्वेषण ब्लॉकों के लिए हस्ताक्षरित की जाती हैं और तेल व गैस के उत्पादन के लिए संविदाएं संबंधित खोजे गए क्षेत्रों के लिए हस्ताक्षरित की जाती हैं। यह पिछले कई वर्षों से पालन की जा रही पद्धति के अनुसार है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

(ङ) से (छ) भारत सरकार ने 1992 से अब तक 35 अन्वेषण ब्लॉक प्रदान करने का अनुमोदन कर दिया है। इन 35 ब्लॉकों में से 15 अन्वेषण ब्लॉकों के लिए उत्पादन डिस्सेदारी संविदाओं पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। कंपनियों से कतिपय मुद्दों के संबंध में मांगे गए स्पष्टीकरण के प्राप्त होने पर 12 अन्य अन्वेषण ब्लॉकों के लिए संविदाओं पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। 5 ब्लॉकों के लिए संविदाओं को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका और मामला समाप्त कर दिया गया है। शेष 3 ब्लाकों में अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

15 अन्वेषण ब्लॉकों में से, जिनके संविदाओं पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं, नौ ब्लॉकों में अन्वेषण कार्य आरंभ हुआ जिन पर कंपनियों ने अब तक लगभग 120 मिलियन अमरीकी डालर की राशि खर्च कर दी है।

विवरण

क्र. सं.	ब्लाक का नाम	किस परिसंघ के साथ संविदा हस्ताक्षरित की गई
1	2	3
1.	केजी-ओएस-90/1	(1) हार्डी आयल एण्ड गैस, यू.के.
		(2) हिन्दुस्तान आयल एक्सप्लोरेशन कं., भारत
		(3) नीको रिर्सोसेज, कनाडा
		(4) नागार्जुन उर्वरक और रसायन लि., भारत
2.	जीएन-ओएन-90/3	(1) एच.ओ.ई.सी., भारत
		(2) मफतलाल इंडस्ट्रीज, भारत
3.	सीवाई-ओएस-90/1	(1) वाल्को एनर्जी इंक, यू.एस.ए.
		(2) एच.ओ.ई.सी., भारत
		(3) टाटा पेट्रोडाइन लि., भारत
		(4) ओ.एन.जी.सी.
4.	आरजे-ओएन-90/1	(1) शेल इंडिया प्रोड्क्शन डेवलपमेंट बी.वी., नीदरलैंड्स
5.	बीबी-ओएस/5	(1) एस्सार आयल लि., भारत
6.	सीवाई-ओएस/2	(1) वाल्को एनर्जी इंक, यू.एस.ए.
		(2) एच.ओ.ई.सी., भारत
		(3) टाटा पेट्रोडाइन लि., भारत
7.	आरजे-ओएन-90/4	(1) एस्सार आयल लि., भारत
		(2) पोलिश आयल एण्ड गैस कं., पोलैंड
8.	आरजे-ओएन-90/5	(1) एसर आयल लि., भारत
		(2) पोलिश आयल एण्ड गैस कं., पोलैंड
9.	सीबी-ओएस/1	(1) वाल्को एनर्जी इंक, यू.एस.ए.
		(2) एच.ओ.ई.सी., भारत
		(3) टाटा पेट्रोडाइन लि., भारत
		(4) ओ.एन.जी.सी.
10.	सीबी-ओएस/2	(1) केर्न एनर्जी एंडिया प्रा. लि., आस्ट्रेलिया
		(2) टाटा पेट्रोडाइन (पी) लि.
		(3) ओ.एन.जी.सी.

1	2	3
11.	केजी-ओएस/6	(1) केर्न एनर्जी इंडिया प्रा. लि., आस्ट्रेलिया
		(2) वीडियोकॉन इटरनेशनल लि.
		(3) ओ.एन.जी.सी.
12.	सीआर-ओएन-90/1	(1) एस्सार आयल लि.
		(2) हिन्दुस्तान आयल एक्सप्लोरेशन क० लि० (एच.ओ.ई.सी.)
		(3) ओ.एन.जी.सी.
13.	आरजे-ओएन/6	(1) फीनिक्स ओवरसीज लि०
		(2) ओ.एन.जी.सी.
14.	जीके-ओएन/4	(1) फीनिक्स ओवरसीज लि०
		(2) ओ.एन.जी.सी.
15.	एएपी-ओएन-94/1	(1) हिन्दुस्तान आयल एक्सप्लोरेशन क०
		(2) जनरल फाइबर्स डीलर्स लि०
		(3) ओ.आई.एल.

बीड़ी मजदूरों के लिए कल्याण निधि

4076. डॉ० असीम बाला : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में बीड़ी निर्माण में लगे मजदूरों के लिए कल्याण निधि में वृद्धि कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार देश में महिला बीड़ी मजदूरों के लिए किसी विशेष कल्याणकारी योजना पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्री (डॉ. सत्यनारायण जटिया) : (क) और (ख) जी, हाँ। सरकार ने बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि की संकलित राशि के संग्रह को बढ़ाने के लिए उद्देश्य से बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर (संशोधन) विधेयक, 1998 पुरःस्थापित किया है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। तथापि, महिला बीड़ी कर्मकारों को बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि के अधीन बीड़ी कर्मकारों को देय प्रसूति प्रसुविधा सहित सभी लाभ प्रदान किए जाते हैं।

[हिन्दी]

जम्मू एवं कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां

4077. श्री सी.डी. गामीत : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 मई, 1998 के "दैनिक जागरण" में "अब पूंछ व डोडा में 10 हिन्दुओं की हत्या इतने ही का अपहरण पूंछ में हिंसा के बाद सेना का फ्लेग मार्च, कर्फ्यू" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस समाचार में प्रकाशित तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को दक्षिण कश्मीर में स्कूल बस में हुए बम विस्फोट के बारे में भी जानकारी है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों का मूल्यांकन कर लिया है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और भविष्य में ऐसी हत्याओं को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) सरकार ने समाचार को देखा है। 4 और 5 मई को डोडा जिले में एक विशिष्ट समुदाय के 9 व्यक्तियों सहित 4 वी.डी.एस. के सदस्य तथा जम्मू व कश्मीर का एक कांस्टेबल मारा गया था। इस घटना में 10 व्यक्तियों के लापता होने की रिपोर्ट थी। तथापि, बाद में सभी लापता व्यक्ति अपने-अपने घर लौट आए थे। पुंछ जिले के सूरनकोट टाउन में 5 से 6 जून को हुई एक अन्य घटना में उग्रवादियों ने एक सेवानिवृत्त वन अधिकारी के घर पर हमला कर 4 व्यक्तियों की हत्या कर दी। सूरनकोट की घटना के परिणामस्वरूप पुंछ जिले में तनाव हो गया जिससे सेना को बुलाना अनिवार्य हो गया था।

(ग) और (घ) 1 मई, 1998 को, पुलवामा जिले में बस स्टैंड, सोपियान के निकट एक सैनिक स्कूल बस में एक विस्फोट हुआ जिस कारण तीन व्यक्ति और तीन स्कूली बच्चों को चोटें आईं। बस भी क्षतिग्रस्त हुई।

(ङ) और (च) एकीकृत मुख्यालय और सरकार द्वारा राज्य में सुरक्षा की स्थिति की निरन्तर पुनरीक्षा की जाती है। राज्य सरकार द्वारा हिंसा को भड़काने से रोकने के लिए राज्य पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा चलाए जा रहे अभियानों समेत, सीमा/नियंत्रण रेखा पर दोनों ओर से घुसपैठ रोकने के लिए कड़ी निगरानी और गहन गश्त लगाकर, आतंकवाद-विरोधी तलाशी अभियान चलाकर, आसूचना तंत्र को मजबूत बनाकर तथा विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल बिठाने जैसे सभी आवश्यक उपाय किये जा रहे हैं। ग्रामीण सुरक्षा समितियों का भी गठन किया जा रहा है।

[अनुवाद]

पीपावाव परियोजना के लिए ताप्ती गैस का आबंटन

4078. श्री पी.एस. गढ़वी :
श्रीमती भावना देवराजभाई चिखलिया :
श्री हरिन पाठक :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** 2 जून, 1998 के तारांकित/अतारांकित प्रश्न संख्या 1100 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गुजरात सरकार को पीपावाव गैस आधारित विद्युत परियोजना के लिए ताप्ती गैस के आबंटन के प्रति वचनबद्धता दर्शायी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ताप्ती गैस फील्ड से सारी गैस एच.बी.जे. पाइपलाइन अपवर्तित कर दी गई है;

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) 1989 में मध्य और दक्षिण ताप्ती क्षेत्रों, जिन्हें अभी विकसित किया जाना है, से पीपावाव में स्थापित किए जाने वाली विद्युत संयंत्र को गैस का आबंटन करने और गांधार क्षेत्रों में एच.बी.जे. पाइपलाइन प्रणाली में गैस लाने का निर्णय लिया गया। तथापि, बाद में इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मध्य और दक्षिण ताप्ती क्षेत्रों का विकास करने के लिए निवेश निर्णय अभी लिए जाने थे, एच.बी.जे. पाइपलाइन प्रणाली के आसपास वर्तमान वचनबद्धताओं को पूरा करने के लिए गांधार क्षेत्र में 600 मेगावाट प्रत्येक की क्षमता वाली दो गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं के लिए गांधार गैस का आबंटन करने और मध्य तथा दक्षिण ताप्ती क्षेत्रों में गैस लेने का निर्णय लिया गया। गुजरात सरकार को तदनुसार परामर्श दे दिया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उपेक्षित विधवा

4079. डॉ० प्रभा ठाकुर :
कुमारी किम गंगटे :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि लाखों की संख्या में उपेक्षित विधवाओं, निःसहाय परित्यक्त महिलाओं और वयावृद्ध व्यक्तियों को आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्यवार इन विधवाओं और वयोवृद्ध व्यक्तियों की सहायता के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार की नीति के तहत इस तरह के सभी व्यक्तियों को आर्थिक सुरक्षा और पेंशन उपलब्ध कराने की कोई योजना बनाई है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

अमरनाथ यात्रा

4080. इंजीनियर शंकर पन्नू : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने तीर्थयात्रियों ने अमरनाथ यात्रा की;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि अपर्याप्त मूलभूत सुविधाओं के कारण तीर्थयात्रियों को यात्रा के दौरान भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है;

(ग) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार द्वारा अमरनाथ तीर्थयात्रियों को कोई आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है; और

(ङ) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों के दौरान तीर्थयात्रियों को प्रतिवर्ष कितनी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) पिछले 3 वर्षों के दौरान अमरनाथ की यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या निम्न प्रकार है :

1995	60,000
1996	1,20,000
1997	79,035

(ख) और (ग) 1996 की यात्रा के दौरान हुई दुर्घटना के उपरान्त सेनगुप्ता समिति ने भविष्य में अमरनाथ यात्रा के तीर्थयात्रियों को अतिरिक्त सुरक्षा/सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अनेक कदमों/उपायों की सिफारिश की थी। इन सिफारिशों को जम्मू व कश्मीर सरकार को भेज दिया गया था चूंकि यात्रियों के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने समेत यात्रा का प्रबन्ध राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। वर्ष 1997 के बाद से यात्रियों की सुखद यात्रा के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रबन्धों में शामिल हैं - जम्मू से पहलगाम तक परिवहन हेतु सहायता, टैन्टों में आवास की व्यवस्था जिसमें बिस्तर और शेल्टर-शैड शामिल हैं, रियायती दरों पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना तथा स्वयंसेवी संगठनों द्वारा लंगर लगाना, पेयजल देना, डॉक्टरों और सहायक चिकित्सा स्टाफ की ड्यूटी पर तैनाती सहित चिकित्सा शिविर लगाना, ईंधन, जलाने की लकड़ी और आवश्यक वस्तुएं जैसे चावल, चीनी आटा, रबड़ के जूते, इत्यादि सरकारी नियंत्रित मूल्यों पर उपलब्ध कराना तथा जनरेटर द्वारा बिजली की आपूर्ति की व्यवस्था करना। इन प्रबन्धों में ट्रैकों का उन्नयन, सभी स्टेशनों पर एस. टी.डी./आई.एस.डी./पी.सी.ओ. की सुविधाएं, दूरदर्शन, आकाशवाणी आदि के माध्यम से समय-समय पर मौसम की पूर्व-सूचना का प्रसार करना भी शामिल है।

(घ) जी नहीं, श्रीमान।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

एड्स एवं कुष्ठ रोग केन्द्र

4081. श्रीमती राणी चित्रलेखा भोंसले : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में विशेषतः महाराष्ट्र में कार्यरत एड्स और कुष्ठ रोग उन्मूलन केन्द्रों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) सरकार द्वारा पिछले दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इन सभी केन्द्रों को स्वीकृत और जारी की गई वित्तीय सहायता की राशि कितनी थी;

(ग) क्या इन केन्द्रों द्वारा मरीजों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वलित एजिलमलाई) : (क) देश के अलग-अलग क्षेत्रों में एड्स निगरानी केंद्रों एवं कुष्ठ उन्मूलन केंद्रों की संख्या को दर्शाने वाले विवरण संलग्न विवरण-I तथा II पर रखे गए हैं।

(ख) एड्स निगरानी केंद्रों को वित्तीय सहायता राज्य सरकारों के जरिए पहुंचायी जाती है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत आबंटित निधियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-III और IV पर दिया गया है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत महाराष्ट्र राज्य समेत देश के सभी जिलों को बहु औषधीय उपचार के लिए औषधें मुहैया करायी गई हैं ताकि कुष्ठ रोगियों को निःशुल्क उपचार प्रदान किया जा सके। चल रहे राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यकलाप संक्रमण की रोकथाम करने के लिए अशिकांश रूप से निर्देशित हैं। बीच-बीच में होने वाले संक्रमणों का उपचार करने हेतु औषधों पर होने वाले खर्च को वहन करने का अब विचार किया गया है।

विवरण-I

देश में एड्स की जांच करने वाले केंद्रों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	केंद्रों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	5
2.	अरुणाचल प्रदेश	1
3.	असम	1
4.	बिहार	1
5.	गोवा	1
6.	गुजरात	1
7.	हरियाणा	1
8.	हिमाचल प्रदेश	1
9.	जम्मू और कश्मीर	2
10.	कर्नाटक	3
11.	करेल	2
12.	मध्य प्रदेश	3
13.	महाराष्ट्र	12
14.	मणिपुर	1
15.	मेघालय	1
16.	मिजोरम	1
17.	नागालैंड	2
18.	उड़ीसा	2
19.	पंजाब	1
20.	राजस्थान	1
21.	सिक्किम	1

1	2	3
22.	तमिलनाडु	3
23.	त्रिपुरा	1
24.	उत्तर प्रदेश	4
25.	पश्चिम बंगाल	1
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1
27.	चंडीगढ़	1
28.	दादरा और नगर हवेली	–
29.	दिल्ली	3
30.	लक्षद्वीप	1
31.	पांडिचेरी	2
	दमण और दीव	1
	कुल	62

विवरण–II

देश में कार्यरत कुष्ठ उन्मूलन केन्द्रों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एल.सी.यू./एम.सी.यू.	यू.एल.सी.	सेट	डी.एल.यू.	टी.एच.डब्ल्यू.	एस.एस.एफ.	बी.ओ.	एम.एल.टी.यू.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	94	91	164	31	53	3	45	–
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	–	31	–	1	–	3	8
3.	असम	9	16	250	6	5	1	6	22
4.	बिहार	89	71	1044	22	29	3	22	36
5.	गोवा	1	2	31	1	1	–	–	1
6.	गुजरात	21	21	369	7	9	2	17	13
7.	हरियाणा	–	3	2	–	–	1	1	14
8.	हिमाचल प्रदेश	6	1	15	5	1	1	1	15
9.	जम्मू व कश्मीर	8	2	37	–	2	–	1	14
10.	कर्नाटक	41	50	673	20	22	3	22	14
11.	केरल	20	45	254	8	5	3	11	10
12.	मध्य प्रदेश	54	72	530	23	14	5	7	40
13.	महाराष्ट्र	42	258	970	24	23	1	27	21
14.	मणिपुर	4	1	17	4	1	–	2	9
15.	मेघालय	2	1	16	–	2	–	1	7
16.	मिजोरम	2	1	7	2	1	1	–	3
17.	नागालैंड	2	2	30	3	2	–	–	6
18.	उड़ीसा	55	16	140	10	11	1	17	–
19.	पंजाब	0	17	–	1	1	1	1	17
20.	राजस्थान	5	5	8	4	4	–	7	39
21.	सिक्किम	2	6	13	1	1	–	1	2
22.	तमिलनाडु	102	82	26	22	52	7	31	–
23.	त्रिपुरा	3	4	20	1	1	1	1	3
24.	उत्तर प्रदेश	122	60	1023	65	17	1	48	44
25.	पश्चिम बंगाल	91	71	35	15	30	4	14	3
26.	अ. व नि. द्वीप समूह	–	3	10	1	1	1	–	1
27.	चण्डीगढ़	–	–	–	–	–	–	–	1
28.	दादरा नगर हवेली	–		–	2	–	–	–	1
29.	दमण व दीव	–	–	–	–	–	–	–	3
30.	दिल्ली	–	3	–	–	–	–	3	2
31.	लक्षद्वीप	–	–	3	–	–	–	–	–
32.	पांडिचेरी	1	3	24	2	1	–	1	1
	कुल	778	907	5744	278	290	40	290	350

एल.सी.यू./एम.सी.यू. – कुष्ठ नियंत्रण यूनिटों/संशो. नियंत्रण यूनिट
यू.एल.जी. – शहरी कुष्ठ केन्द्र
सेट – सर्वेक्षण शिक्षा और उपचार केन्द्र
डी.एल.यू. – जिला कुष्ठ यूनिट
टी.एच.डब्ल्यू. – अस्थायी अस्पतालीकरण वार्ड
एस.एस.ए.यू. – नमूना सर्वेक्षण मूल्यांकन यूनिट
बी.ओ. – स्वैच्छिक संगठन
एम.एल.टी.यू. – चल कुष्ठ उपचार यूनिट

विवरण-III

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम-निधियों का जारी होना - राज्य और संघ राज्यक्षेत्र-वार (लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1996-97 जारी अनुदान
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	425.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	00.00
3.	असम	100.00
4.	बिहार	25.00
5.	गोवा	25.00
6.	गुजरात	300.00
7.	हरियाणा	130.00
8.	हिमाचल प्रदेश	115.00
9.	जम्मू व कश्मीर	25.00
10.	कर्नाटक	350.00
11.	केरल	225.00
12.	मध्य प्रदेश	425.00
13.	महाराष्ट्र	900.00
14.	मणिपुर	200.00
15.	मेघालय	35.00
16.	मिजोरम	150.00
17.	नागालैंड	190.00
18.	उड़ीसा	50.00
19.	पंजाब	225.00
20.	राजस्थान	375.00
21.	सिक्किम	50.00
22.	तमिलनाडु	1700.00
23.	त्रिपुरा	50.00
24.	उत्तर प्रदेश	450.00
25.	पश्चिम बंगाल	600.00
26.	पांडिचेरी	400.00
27.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	7.00
28.	चंडीगढ़	45.91
29.	दादरा व नगर हवेली	46.93
30.	दमन व दीव	17.00
31.	दिल्ली	19.00
32.	लक्षद्वीप	16.71

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम निधियों का जारी होना - राज्य और संघ राज्य क्षेत्र वार (लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1997-98 जारी अनुदान
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	425.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	25.00
3.	असम	100.00
4.	बिहार	50.00
5.	गोवा	50.00
6.	गुजरात	250.00
7.	हरियाणा	75.00
8.	हिमाचल प्रदेश	225.00
9.	जम्मू और कश्मीर	25.00
10.	कर्नाटक	175.00
11.	केरल	100.00
12.	मध्य प्रदेश	150.00
13.	महाराष्ट्र	950.00
14.	मणिपुर	150.00
15.	मेघालय	25.00
16.	मिजोरम	100.00
17.	नागालैंड	155.00
18.	उड़ीसा	75.00
19.	पंजाब	75.00
20.	राजस्थान	225.00
21.	सिक्किम	50.00

1	2	3
22.	तमिलनाडु	2000.00
23.	त्रिपुरा	50.00
24.	उत्तर प्रदेश	495.00
25.	पश्चिम बंगाल	100.00
26.	पांडिचेरी	25.00
27.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00
28.	चंडीगढ़	31.09
29.	दादरा और नगर हवेली	28.00
30.	दमण और दीव	16.00
31.	दिल्ली	24.22
	लक्षद्वीप	15.42

विवरण-IV

गत दो वर्षों के दौरान आबंटित निधियां

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	राज्य	1996-97			1997-98		
		नगद	वस्तुगत	कुल	नगद	वस्तुगत	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	200.00	236.29	436.29	203.00	150.00	353.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	16.00	1.74	17.74	20.00	6.95	26.95
3.	असम	20.00	16.56	36.56	21.00	21.00	42.00
4.	बिहार	112.00	262.90	374.90	115.00	265.00	380.00
5.	गोवा	0.45	3.94	4.39	1.45	1.00	2.45
6.	गुजरात	16.00	45.11	61.11	19.00	115.00	134.00
7.	हरियाणा	6.80	1.85	8.65	8.00	5.80	13.80
8.	हिमाचल प्रदेश	6.80	-	6.80	8.00	7.80	15.80
9.	जम्मू व कश्मीर	4.45	2.21	6.66	49.45	3.50	52.95
10.	कर्नाटक	100.00	20.70	120.70	103.00	148.00	251.00
11.	केरल	76.00	35.55	111.55	77.00	103.76	180.76
12.	मध्य प्रदेश	135.00	157.54	292.54	138.00	246.40	384.40
13.	महाराष्ट्र	14.00	255.31	269.31	29.00	235.40	264.40
14.	मणिपुर	3.50	2.47	5.97	4.10	3.85	7.95
15.	मेघालय	8.00	2.65	10.65	9.00	3.50	12.50
16.	मिजोरम	16.00	0.24	16.24	19.00	3.56	22.56
17.	नागालैंड	7.00	3.49	10.49	8.00	3.56	11.56
18.	उड़ीसा	150.00	26.40	176.40	171.00	191.52	362.52
19.	पंजाब	21.00	3.49	24.49	24.00	1.72	25.72
20.	राजस्थान	29.00	50.98	79.98	30.00	22.00	52.00
21.	सिक्किम	20.00	0.24	20.24	21.00	2.80	23.80
22.	तमिलनाडु	114.00	404.98	518.98	117.00	146.50	263.50
23.	त्रिपुरा	19.00	3.99	22.99	20.00	3.90	23.90
24.	उत्तर प्रदेश	187.00	293.43	480.43	197.00	255.40	452.40
25.	पश्चिम बंगाल	95.00	196.15	291.15	98.00	164.52	262.52
26.	अंडमान व नि. द्वीप समूह	6.50	0.33	6.83	6.50	1.00	7.50
27.	चण्डीगढ़	0.50	0.63	1.13	0.50	1.00	1.50
28.	दादरा व नगर हवेली	0.50	0.96	1.46	0.50	2.00	2.50
29.	दमण व दीव	4.50	1.79	6.29	4.50	1.00	5.50
30.	दिल्ली	0.50	5.00	5.50	0.50	1.00	1.50
31.	लक्षद्वीप	2.00	0.14	2.14	2.00	1.00	3.00
32.	पांडिचेरी	2.50	1.00	3.50	3.50	10.50	14.00
	उपयोग	1394.00	2038.06	3432.06	1528.00	2129.94	3657.94
	केन्द्रीय क्षेत्र	3100.72	0.00	3100.72	3921.00	0.00	3921.00
	योग	4494.7	2038.1	6532.78	5449	2129.94	7578.94

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं

4082. डॉ. मदन प्रसाद जायसवाल :
श्री बरोगा प्रसाद सरोज :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 से 1997-98 के दौरान देश में ग्रामीण

क्षेत्रों में उपलब्ध कराई गई चिकित्सा सुविधाओं पर सरकार ने वर्षवार कितनी राशि व्यय की; और

(ख) अनुवर्ती वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में राज्यवार खर्च की जाने वाली संभावित राशि के संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, उपकेन्द्रों, ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों तथा प्रसवोत्तर केन्द्रों के नेटवर्क के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करायी जाती हैं। राज्य सरकार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की बुनियादी न्यूनतम सेवा कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थापना और अनुरक्षण करती है। इसके लिए योजना आयोग राज्य सरकारों को निधियां आबंटित करता है। ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों एवं प्रसवोत्तर केन्द्रों के रखरखाव हेतु 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता मुहैया करायी जाती है। 1995-96, 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान इन केन्द्रों को आबंटित निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(ख) 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान और अधिक धनराशियां प्रदान करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।

विवरण

एम.एन.पी. के अंतर्गत व्यय और एफ.डब्ल्यू.टी.सी. के अंतर्गत जारी सहायता अनुदान 1995-96 से 1997-98 के दौरान उप मंडलीय स्तर पर उपकेंद्र तथा पी.पी. कार्यक्रम

राज्य	एमएनपी			ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र			उप केन्द्र			पी.पी. कार्यक्रम उप-मंडलीय स्तर		
	1995-96	1996-97	1997-98	1995-96	1996-97	1997-98	1995-96	1996-97	1997-98	1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आंध्र प्रदेश	500.00	600.00	1700.00	1237.00	1237.00	1540.00	1400.00	1400.00	1433.00	162.00	162.00	216.00
अरूणाचल प्रदेश	448.00	881.00	943.00	0.00	0.00	-	22.00	22.00	27.00	3.50	5.00	7.00
असम	2048.00	2673.00	3834.00	430.00	430.00	543.00	830.00	830.00	1216.00	89.00	89.00	119.00
बिहार	2400.00	उ.न.	4699.45	1700.00	1700.00	2153.00	890.00	810.00	2577.00	158.00	157.00	200.00
गोवा	170.00	170.00	169.00	39.00	39.00	48.00	14.00	14.00	20.00	0.00	0.00	
गुजरात	2280.00	1000.00	12177.00	740.00	744.00	921.00	938.00	938.00	1519.00	162.00	162.00	216.00
हरियाणा	1069.00	1501.12	3575.57	262.00	262.00	341.00	310.00	310.00	461.00	59.00	59.00	79.00
हिमाचल प्रदेश	1400.00	1713.25	2659.10	228.00	228.00	283.00	210.00	210.00	339.00	65.00	65.00	87.00
जम्मू व कश्मीर	1945.00	3105.00	5223.53	240.00	240.00	301.00	232.50	232.50	336.00	18.00	18.00	24.00
कर्नाटक	3168.95	उ.न.	-	795.00	800.00	987.00	664.00	664.00	1525.00	190.00	188.00	245.00
केरल	0.00	426.00	-	490.00	495.00	598.00	970.00	970.00	1245.00	177.00	175.00	230.00
मध्य प्रदेश	2919.00	5498.62	4556.18	1355.00	1366.50	1687.00	1010.00	1350.00	2087.00	220.00	220.50	290.00
महाराष्ट्र	7034.00	9480.00	-	1260.00	1270.00	1570.00	1673.00	1670.00	1992.00	203.00	204.00	272.00
मणिपुर	231.50	269.00	271.65	93.00	93.00	126.00	80.00	80.00	80.00	3.50	5.00	7.00
मेघालय	946.00	1345.00	1898.00	68.00	68.00	93.00	60.00	60.00	60.00	3.50	5.00	7.00
मिजोरम	400.00	780.00	1651.00	42.00	42.00	57.00	21.00	21.00	25.00	15.00	20.00	27.00
नागालैण्ड	311.00	1003.00	1017.00	21.00	21.00	28.00	70.00	70.00	70.00	3.50	5.00	7.00
उड़ीसा	1293.00	1961.20	2910.20	925.00	925.00	1150.00	730.00	730.00	1218.00	175.00	175.00	231.00
पंजाब	819.00	1575.00	963.00	380.00	380.00	475.00	205.00	205.00	326.00	103.00	103.00	137.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
राजस्थान	7504.00	9585.00	7005.00	685.00	685.00	851.00	1430.00	1430.00	1875.00	295.00	295.00	430.00
सिक्किम	184.80	206.30	237.15	60.00	60.00	61.00	80.00	80.00	60.00	10.00	10.00	13.83
तमिलनाडु	2831.00	3163.37	-	1130.00	1155.00	1405.00	770.00	1110.00	1776.00	258.00	254.00	339.00
त्रिपुरा	345.00	549.00	619.00	105.00	105.00	142.00	70.00	70.00	101.00	10.50	15.00	20.00
उत्तर प्रदेश	5098.00	10066.00	8383.00	2655.00	2685.00	3327.00	4800.00	3800.00	3800.00	430.00	430.00	558.00
पश्चिम बंगाल	500.00	1725.00	1400.00	990.00	1010.00	1229.00	1470.00	1470.00	1861.00	162.00	162.00	216.00
अ. व नि. द्वीप समूह	330.00	455.00	671.00									
चंडीगढ़	119.56	268.40										
दादर व नगर हवेली	45.00	77.65	207.50									
दमण व दीव	50.00	68.70										
	0.00	100.00		9.00	15.00	21.75	0.00	0.00	0.00	11.25	30.00	22.00
लक्षद्वीप	39.35	87.15	151.77									
पांडिचेरी	214	181.57	209.05	22.5	34.00	44.00	0	0	0	1.16	0.38	

[अनुवाद]

कर्नाटक में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत अस्पतालों को मान्यता

4083. श्री के.सी. कॉडय्या : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत कर्नाटक में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा उपचार कराने के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हृदय संस्थानों सहित अस्पतालों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा हृदय रोगों संबंधी उपचार के लिए सरकार द्वारा बंगलौर स्थित वॉकहार्ट हास्पिटल एंड हैल्थ इंस्टिट्यूट को मान्यता दी गई है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा उक्त अस्पताल को मान्यता देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं चूंकि इस अस्पताल को सशस्त्र सेनाओं के जवानों और उनके परिवारों को हृदय रोगों संबंधी उपचार के लिए मान्यता प्राप्त है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एझिलमलाई) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (घ) वॉक हार्ड हास्पिटल एंड हार्ट इंस्टीट्यूट, 14, कनिंघम रोड़, बैंगलूर-52 को केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना बैंगलूर के अन्तर्गत हृदयवक्ष विशिष्टता के लिए मान्यता प्रदान की गई है।

विवरण

1. चिन्मय मिशन हास्पिटल, फर्स्ट स्टेज, इंदिरा नगर, बैंगलूर-38 :

सामान्य उपचार और नैदानिक प्रक्रियाएं।

2. एम.एस. रमैया मेडिकल टीचिंग हास्पिटल, गोकुला एक्सटेंशन, बैंगलूर-51 :

विकिरण चिकित्सा को छोड़कर अन्य सभी प्रयोजनों के लिए।

3. चर्च ऑफ साउथ इंडिया हास्पिटल, 2, कॉल. हिल रोड़, बैंगलूर-57 :

सामान्य उपचार और नैदानिक प्रक्रियाएं।

4. मेडिनोवा डायग्नोस्टिक सर्विसेज लिमिटेड, 55, इन्फेंट्री रोड़, बैंगलूर-27 :

विशिष्टीकृत और सामान्य दोनों नैदानिक प्रक्रियाएं।

5. के.आई.एम.एस. हास्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, वी.वी.पुरम, के.आर. रोड़, बैंगलूर-4 :

सामान्य उपचार और नैदानिक प्रक्रियाएं।

6. येलम्मा दासप्पा हास्पिटल, 27, एंड्री रोड़, शांती नगर. बेंगलूर-27 :

सामान्य उपचार और नैदानिक प्रक्रियाएं।

7. पी.डी. हिंदुजा सिंधी हास्पिटल, सांपांगीराम, बेंगलूर-27.

8. रिपब्लिक हास्पिटल, लोंग फोर्स गार्डन, बेंगलूर-25 :

सामान्य उपचार और नैदानिक प्रक्रियाएं।

9. बेंगलूर बेपटिस्ट हास्पिटल, बेल्लारी रोड़, बेंगलूर-19 :

सामान्य उपचार और नैदानिक प्रक्रियाएं।

10. सेवाक्षेत्र हास्पिटल, 81, बी.टी. रोड़, बेंगलूर-19 :

सामान्य उपचार और नैदानिक प्रक्रियाएं।

11. मेल्लिग मेडिकल सेंटर. 31/32, क्रिसेंट रोड़, बेंगलूर-1:

सामान्य उपचार और नैदानिक प्रक्रियाएं।

12. सेंट जान्स मेडिकल कालेज हास्पिटल, जोन नगर, कोरमंगला, बेंगलूर-34 :

विकिरण चिकित्सा को छोड़कर अन्य सभी प्रयोजनों के लिए।

13. माल्या हास्पिटल, न. 2, चेटल मल्लया रोड़, बेंगलूर-1:

विकिरण चिकित्सा को छोड़कर अन्य सभी प्रयोजनों के लिए।

14. मनिपाल हास्पिटल, 98, रुस्तम बाग, एयरपोर्ट रोड़, बेंगलूर-17 :

सभी प्रयोजनों के लिए।

15. वॉकहार्ड हास्पिटल एंड हार्ट इंस्टीट्यूट, 14, कुनिंघम रोड़, बेंगलूर-52 :

हृदयवक्ष विशिष्टता के लिए।

16. बेंगलूर हास्पिटल/सुश्रुत मेडिकल ऐड एंड रिसर्च हास्पिटल लिमिटेड, 202, आर.वी.रोड़, बेंगलूर-4 :

सभी प्रयोजनों के लिए।

[हिन्दी]

घटिया आई.वी. फ्लयूडों के कारण मौतें

4084. श्री रामेश्वर पाटीदार :
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाजार में आपूर्ति किए जा रहे घटिया आई.वी. फ्लयूडों के सेवन के कारण भी मौतें हुई थीं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 में संशोधन करने का है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो आई.वी. फ्लयूडों की घटिया गुणवत्ता को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार 1996-98 की अवधि के दौरान विनिर्मित और बाजार में सप्लाई किए गए अन्तःशिरा द्रवों के इस्तेमाल के कारण कोई मौत सूचित नहीं की गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) अन्तःशिरा द्रवों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(i) अन्तःशिरा द्रवों के विनिर्माण के लिए लाइसेंस प्रदान करने/उनके नवीकरण की क्रियाविधि को विनियमित करने और कारगर बनाने के लिए औषध और प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के नियम 68क में यह अपेक्षित है कि लाइसेंस केन्द्रीय लाइसेंस अनुमोदन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा प्रदान किए जा सकते हैं/उनका नवीकरण किया जा सकता है।

(ii) राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकारियों और केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन के जोनल अधिकारियों को वार्षिक सांविधिक परामर्शदात्री समिति के जरिए समय-समय पर सलाह दी जाती है कि अन्तःशिरा द्रवों के विनिर्माण के लिए लाइसेंस प्रदान करने/नवीकरण करने से पूर्व परिसरों का यह पता लगाने के लिए गहन निरीक्षण किया जाना चाहिए कि क्या लाइसेंसधारी उत्कृष्ट विनिर्माण पद्धतियों का अनुपालन कर रहे हैं।

(iii) विनिर्मित और बेची गई औषध की गुणवत्ता की मानीटरिंग करने हेतु विनिर्माण और विक्रय परिसरों से जांच अथवा विश्लेषण के लिए अन्तःशिरा द्रवों के यादृच्छिक नमूनें लिए जाते हैं।

अनुसूचित जाति की सूची में नोनिया जाति को शामिल किया जाना

4085. श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिहार की नोनिया जाति को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने पर विचार करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) बिहार सरकार ने अपने दिनांक 27.8.1997 के पत्र के अंतर्गत, उस राज्य की अनुसूचित जातियों की सूची में नोनिया जाति को शामिल करने की सिफारिश की है।

(ग) कोई विशेष समय अनुसूची सूचित नहीं की जा सकती।

गैस एजेन्सियों का आबंटन

4086. **श्री रामदास आठवले :**
श्री प्रभाष चन्द्र तिवारी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव अनुसूची जातियों/अनुसूचित जनजाति के लोगों को गैस एजेन्सियों के आबंटन के लिए कोटा जारी करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) विद्यमान नीति के मुताबिक 25 प्रतिशत एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपें विज्ञापन जारी होने तथा डीलर चयन बोर्ड के माध्यम से चयन की सामान्य चयन प्रक्रिया के जरिए आबंटन हेतु अ.जा./अ.ज.जा. के लिए आरक्षित की जाती हैं। तद्नुसार एल.पी.जी. विपणन योजना 1996-98 के तहत कुल 1702 एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपों में से 445 एल. पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपें अ.जा./अ.ज.जा. श्रेणी के लिए आरक्षित की गई हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पिछड़े क्षेत्रों की घोषणा

4087. **श्रीमती लक्ष्मी पनवाक** : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में चौबीस जिलों की पहचान कर उन्हें पिछड़े जिले घोषित किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उनके विकास के लिए सरकार द्वारा कोई कदम उठाए जाने का विचार है ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

विशेष केन्द्रीय दलों/अधिकारियों का दौरा

4088. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :**
श्री के.एस. राव :
श्री मोहन सिंह :
श्री जी.एम. बनातवाला :
श्री जंग बहादुर सिंह पटेल :
डॉ. संजय सिंह :
श्री मगुन्टा श्रीनिवासुलु रेड्डी :
श्री नृपेन गोस्वामी :
श्री एस. अजय कुमार :
श्री टी. गोविन्दन :
श्री मोतीलाल वोरा :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानून व्यवस्था की स्थिति के आकलन हेतु विशेष केन्द्रीय दल/अधिकारी हाल ही में कुछ राज्यों में भेजे गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दल के सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ग) प्रत्येक केन्द्रीय दल/अधिकारी के निष्कर्ष क्या रहे;

(घ) ऐसी रिपोर्टों पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन दलों/अधिकारियों के प्रति राज्यों का व्यवहार सहयोगपूर्ण था;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या केन्द्र सरकार अन्य केन्द्रीय दलों/अधिकारियों को अन्य राज्यों में भेजने पर विचार कर रही है; और

(ज) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे दलों/अधिकारियों को भेजने हेतु अपनाए गए मानदण्ड क्या हैं ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ज) जून, 1998 में दो केन्द्रीय दल, एक बिहार और दूसरा पश्चिम बंगाल भेजे गए थे। बिहार के लिए दल, राज्य में प्रचलित कानून और व्यवस्था की स्थिति और जन प्रतिनिधियों की हत्या की वारदातों को ध्यान में रखकर आम लोगों में विश्वास की भावना पैदा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का आकलन करने

के लिए भेजा गया था। पश्चिम बंगाल के लिए एक दल को पंचायत चुनावों के दौरान कुछ वर्गों के लोगों के विरुद्ध किए गए अपराध के विशिष्ट मामलों की ओर आम जनता में विश्वास पैदा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जांच के लिए भेजा गया था। प्रत्येक दल में तीन अधिकारी थे और अध्यक्ष गृह मंत्रालय के एक अपर सचिव थे। टीम की रिपोर्टें संबंधित राज्यों में कानून और व्यवस्था की स्थिति से संबंधित है।

कुछ राजनैतिक नेताओं, विशेषकर पश्चिम बंगाल के नेताओं द्वारा राज्यों में केन्द्रीय दलों के भेजे जाने की संवैधानिकता के बारे में विचार व्यक्त किए गए थे।

भारत के संविधान का अनुच्छेद 355 संघ की यह ड्यूटी निर्धारित करता है कि वह (संघ) न केवल बाहरी आक्रमण बल्कि आन्तरिक गड़बड़ियों से भी प्रत्येक राज्य की रक्षा करें और यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार चले। इन कर्त्तव्यों के निवर्हन में, केन्द्र सरकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सभी राज्यों की गतिविधियों की जानकारी रखे। केन्द्रीय अधिकारियों के राज्यों के दौरे इसी प्रक्रिया का एक अंग है।

इस समय किसी भी राज्य में केन्द्रीय दल को भेजने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

त्वरित कार्य बल

4089. कुमारी ममता बनर्जी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार त्वरित कार्यबल (रेपिड एक्शन फोर्स) की कितनी बटालियनें कार्यरत हैं;

(ख) क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना ऐसी बटालियन तैयार करना आरम्भ कर दिया है और इनका राजनीतिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा रहा है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार इन बटालियनों का विस्तार करनें का है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) त्वरित कार्य बल की दस बटालियनें हैं। तीन बटालियनें उत्तर प्रदेश और एक-एक बटालियन बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में तैनात है।

(ख) और (ग) राज्य सरकारों को, अपने संसाधनों से राज्य पुलिस बल खड़ी करने के लिए केन्द्र सरकार की स्वीकृति की जरूरत नहीं होती है। यह बात ध्यान में आयी है कि कुछ राज्यों ने अपने राज्यों में, विशेष विंग या विशेष बल खड़े किए हैं, जिनके नाम के आगे या पीछे त्वरित कार्य बल नाम का प्रयोग किया है। सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों को सलाह दी गयी है कि वे अपने विशेष बलों को खड़ा करते समय उनके नाम के आगे या पीछे त्वरित कार्य बल के नाम का प्रयोग न करें और न ही वह वर्दी निर्धारित करें जो त्वरित कार्य बल की है।

(घ) जी नहीं, श्रीमान्।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

कर्नाटक के चिकित्सा महाविद्यालयों में अधिक विद्यार्थियों का दाखिला किया जाना

4090. श्री एच.जी. रामुलू : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम की धारा 10क का उल्लघंन करके कर्नाटक में विद्यार्थियों के अधिक दाखिले किए गए थे;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय ने अधिक दाखिलों को गंभीरता से लिया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

गैस उपयोगिता नीति

4091. श्री सुरेश चंदेल : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक गैस उपयोगिता नीति तैयार करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) सरकार ने गैस के उपयोग के संबंध में नीति पहले से ही तैयार की हुई है।

(ख) वर्तमान नीति में विद्युत और उर्वरक क्षेत्रों के लिए वरीयता के अधीन प्राकृतिक गैस के उपयोग के आरोपित आर्थिक मूल्य के अनुसार गैस के आंबटन का प्रावधान है। इसमें, जहां कहीं संभव हो, प्राकृतिक गैस से सी2/सी3 और एल.पी.जी. जैसे अधिक मूल्य के घटकों की निकासी का भी प्रावधान है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

हड़ताल में श्रम दिवसों की हानि

4092. श्री रविन्द्र कुमार पाण्डेय :
श्री अनन्त कुमार हेगड़े :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान और मई, 1998 तक हड़तालों और तालाबन्दी के कारण कितने श्रम दिवसों की हानि हुई;

(ख) इन हड़तालों के परिणामस्वरूप हुई उत्पादन की हानि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी हानियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्री (डॉ० सत्यनारायण जटिया) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान, अप्रैल, 1998 तक हड़तालों और तालाबंदियों के कारण राज्य-वार नष्ट हुए श्रम दिवसों की संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। मई, 1998 तक की सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) उपलब्ध अद्यतन सूचना के अनुसार, 1996, 1997 और 1998 (जनवरी से अप्रैल) के दौरान हड़तालों और तालाबंदियों के कारण उत्पादन की क्षति क्रमशः 504.57 करोड़ रुपये, 436.87 करोड़ रुपये और 43.79 करोड़ रुपये थी।

(ग) देश में औद्योगिक संबंधों की स्थिति पर सरकार कड़ी और सतत् नजर रखती रही है। केन्द्रीय और राज्य दोनों ही स्तरों पर औद्योगिक संबंध तंत्र संराधन, मध्यस्थता, विमोचन और न्याय-निर्णयन के माध्यम से विवादों को निपटाने और कार्यबंदियों को कम करने के लिए उपयुक्त कदम उठाते हैं। नियोजकों और कामगारों के संगठन के साथ नियमित परामर्श और द्विपक्षीय विचार-विमर्श हानि को काम करने में सहायक हुआ है।

विवरण

चुनिन्दा राज्यों द्वारा 1996-98 के दौरान श्रम दिवसों की हानि (हजारों में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1996 (अ)			1997 (अ)			1998 जनवरी से अप्रैल (अ)		
	ह.	ता.	कु.	ह.	ता.	कु.	ह.	ता.	कु.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आन्ध्र प्रदेश	610	1523	2138	274	1083	1357	113	153	272
बिहार	151	131	282	213	106	319	-	-	-
दिल्ली	6	28	33	0	0	0	0	3	3
गोवा, दमन दीव	124	0	124	101	1	13	13	13	13
गुजरात	1521	312	1833	587	493	1080	92	109	201
हरियाणा	175	22	197	195	635	830	52	63	115
कर्नाटक	458	455	913	361	68	429	29	64	93
केरल	151	1300	1451	635	203	638	1	0	1
मध्य प्रदेश	367	14	330	108	0	108	22	0	22
महाराष्ट्र	355	1467	1823	482	820	1302	1	0	1
उड़ीसा	60	175	234	62	69	151	0	0	0
पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
पंजाब	434	5	439	184	28	212	-	-	-
राजस्थान	243	398	641	580	741	1321	39	38	77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
तमिलनाडु	1109	355	1464	1386	538	1925	184	233	417
उत्तर प्रदेश	127	557	684	313	697	1010	0	1	1
पश्चिम बंगाल	1600	5677	7277	696	5165	5861	40	445	485
अन्य	327	45	372	119	70	189	9	94	102
कुल	78138	12467	20285	6295	10738	17033	595	1209	1804

ह = हड़तालों के कारण श्रम दिवसों की हानि।
ता = तालाबंदियों के कारण श्रम दिवसों की हानि।
क = श्रम दिवसों की कुल हानि।
अ = अनंतिम।
00 = उपलब्ध नहीं।
0 = शून्य या 500 से कम।
आंकड़ों को पूर्णांकों में बदलने के कारण यह आवश्यक नहीं कि योग मेल खाये।
स्रोत : श्रम ब्यूरो, शिमला।

[हिन्दी]

औषधि उत्पादन

4093. श्री जयसिंह जी चौहान : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुछ दवाओं का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन नहीं हो रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसी औषधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन दवाओं की पैनल में शामिल एजेन्सियों द्वारा विदेश से आयात कर आपूर्ति की जा रही है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने दवाओं के निश्चित मूल्य को समाप्त कर दिया है/निकट भविष्य में समाप्त करने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. ए. के. पटेल) : (क) से (च) औषध का निर्माण विभिन्न कारकों पर निर्भर होता है, जैसे देश में इसकी मांग/विपणन, उत्पादन की न्यूनतम आर्थिक क्षमता की व्यवहार्यता, कच्चे माल की उपलब्धता, प्रौद्योगिकी आदि। किसी देश के लिए यह संभव नहीं है कि वह अपने लिए अपेक्षित सभी औषधों का उत्पादन कर सके, क्योंकि देश और विदेश में विद्यमान मांग/विपणन ताकतें इनकी प्रमुख निर्णायक होती हैं। आपूर्ति में कमी को दूर करने के लिए लगभग सभी मामलों में मुक्त आयात अनुमत्य है। आयात सरणीबद्ध नहीं है। औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1987 की 26.8.1987 को घोषणा के बाद पूलिस कीमत की अवधारणा समाप्त कर दी गई थी।

[अनुवाद]

दिल्ली में "कैट" सेवा केन्द्रों के नेटवर्क

4094. श्री माधवराव सिंधिया :
श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य महानगरों की तुलना में दिल्ली में अपेक्षाकृत अधिक लोगों की मृत्यु समय से डाक्टरी सहायता न मिलने के कारण हो जाती है;

(ख) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान ऐसी परिस्थितियों में दिल्ली में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई;

(ग) क्या सरकार ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के समीप पूर्णतया सुसज्जित ट्रॉमा सैंटर की स्थापना किए जाने के किसी प्रस्ताव को स्वीकृत किया था;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक इस केन्द्र की स्थापना न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस बात को नोट किया है कि सरकार दिल्ली में केन्द्रीय दुर्घटना और मानसिक आघात सेवा (कैट्स) केन्द्रों के नेटवर्क की स्थापना करने में विफल रही है;

(च) यदि हाँ, तो आयोग द्वारा इस संबंध में दिए गए अनुदेशों/निदेशों का ब्यौरा क्या है;

(छ) अब तक कितने कैट्स केन्द्रों की स्थापना की गई है और दिल्ली में पर्याप्त संख्या में ऐसे केन्द्रों की स्थापना किए जाने में असफलता के क्या कारण हैं; और

(ज) इन केन्द्रों की स्थापना कब तक कर दिए जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) चूंकि मौतें विभिन्न कारणों से होती हैं जिनमें चिकित्सीय और गैर-चिकित्सीय कारण जैसे दुर्घटना चोटें आदि शामिल हैं इसलिए शहरवार सूचना संकलित नहीं की जाती है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं के कारण जिन लोगों की मृत्यु हुई उनकी संख्या इस प्रकार है :

1995	-	2074
1996	-	2091
1997*	-	1983

* 15.11.97 तक।

इनमें से बहुत सी मौतें तत्काल हुईं और उन्हें समय पर चिकित्सीय सहायता न मिलने से संबद्ध नहीं किया जा सकता है।

(ग) से (ज) दिल्ली के लिए लगभग 16.00 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय से एक केन्द्रीकृत दुर्घटना और आघात सेवा स्थापित करने के लिये एक परियोजना को व्यय वित्त समिति द्वारा 1984 में स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी। हास्पिटल सर्विसेज कन्सल्टेंसी कारपोरेशन ने 78.55 करोड़ रुपये की लागत पर एक 125 पलंगों वाला आघात केन्द्र स्थापित करने के लिए एक संशोधित लागत अनुमान तैयार किया है जिसमें स्टाफ की जरूरत संबंधी अनुमान शामिल नहीं हैं। उच्च लागत और उच्च आवर्ती प्रभारों तथा संचालन संबंधी खर्चे को पूरा करने हेतु उपयोगकर्ता से प्रभारों को एकत्र करने की गुंजाइश की कमी को देखते हुए वाह्य सहायता प्राप्त करने की संभावना का भी पता लगाया गया है। सरकार ने दिनांक पहली अप्रैल, 1998 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भेजी गई अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों को साथ शहर के प्रमुख अस्पतालों में आपाती सेवाओं में वृद्धि करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। सरकार को आयोग से आगे कोई अनुदेश/निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1984 में कैट्स की एक योजना स्कीम के रूप में परिकल्पना की गई थी। उसके परिणामस्वरूप दिल्ली प्रशासन द्वारा जून, 1989 में एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में कैट्स सोसायटी बनाई गई। पूरी दिल्ली में सड़कों पर 20 अत्यधिक खतरे वाले स्थानों पर कैट्स एम्बुलैंस तैनात की जाती हैं और उनकी निगरानी एक केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष द्वारा की जाती है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा फीस में बढ़ोतरी

4095. श्री के.एस. राव : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने विद्यार्थियों की फीस बढ़ाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विद्यार्थियों, रेजीडेंट डॉक्टरों तथा वैज्ञानिकों ने फीस में बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव के विरोध में आन्दोलन किया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) से (ङ) संस्थान में चलाए गए सभी पाठ्यक्रमों के लिए शुल्कों में बढ़ोत्तरी से संबंधित एक प्रस्ताव पर संस्थान के विभिन्न मंचों पर विचार विमर्श किया गया। यह पाया गया कि संस्थान में आयोजित किए जा रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों के शिक्षण शुल्कों एवं अन्य प्रभारों में संस्थान के शुरू होने से ही कोई संशोधन नहीं किया गया है। यह निर्णय लिया गया है कि की गई बढ़ोतरी को भावी अभ्यर्थियों पर लागू किया जाना चाहिए। इस मामले को शासी निकाय के समक्ष 17.6.98 को प्रस्तुत किया गया।

अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण

4096. श्री ए. गणेशमूर्ति :
श्री वैको :
श्री अमर राय प्रधान :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के अन्तर्गत शैक्षणिक संस्थाओं में अन्य पिछड़े वर्गों को 27 प्रतिशत आरक्षण देने पर विचार करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में चालू सत्र के दौरान सरकार द्वारा क्या निर्णय लिए गए; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ग) अन्य पिछड़े वर्गों को शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण प्रदान करने के लिए एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

पेट्रोल में मिलावट

4097. डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश के विभिन्न पेट्रोल पम्पों द्वारा पेट्रोल में दूसरे तेलों की मिलावट करने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1996-97 और 1998 में अब तक

मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों के प्रट्रोल पम्पों के खिलाफ प्राप्त शिकायतों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) पेट्रोल में की जाने वाली मिलावट को रोकने और इन पेट्रोल पम्पों के मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1996-97, 1997-98 तथा अप्रैल से जून, 1998 तक के दौरान खुदरा बिक्री केन्द्रों के विरुद्ध प्राप्त की गई मिलावट से संबंधित शिकायतों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) पेट्रोल/डीजल की मिलावट को रोकने के लिए मिट्टी तेल की फरफ्युरल डोपिंग, मिट्टी तेल को नीला रंग देना और घनत्व जांच जैसे कदम उठाए जाते हैं तथा खुदरा बिक्री केन्द्रों पर तेल कंपनियों के क्षेत्राधिकारियों द्वारा नियमित/औचक निरीक्षण, संयुक्त उद्योग टीमों, चल प्रयोगशालाओं तथा राज्य सरकार की प्रवर्तन एजेन्सियों द्वारा निरीक्षण किए जाते हैं।

तेल उद्योग, कदाचारों, जिनमें खुदरा बिक्री केन्द्रों पर मिलावट सम्मिलित है, को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाता रहा है तथा ग्राहकों को शिक्षित बनाने के लिए अभियान चलाता रहा है।

गलती करने वाले डीलरों के विरुद्ध विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों के अधीन कार्रवाई की जाती है। राज्य सरकार प्रवर्तन एजेन्सियों द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा एम एस/एच एस डी नियंत्रण आदेश के अधीन कार्रवाई भी की जाती है।

विवरण

वर्ष 1996-97, 1997-98 तथा अप्रैल से जून, 1998 तक के दौरान खुदरा बिक्री केन्द्रों के विरुद्ध प्राप्त की गई मिलावट से संबंधित शिकायतों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1996-97	1997-98	अप्रैल-जून, 98
1	2	3	4	5
1.	बिहार	4	1	-
2.	गोवा	-	1	-
3.	गुजरात	1	1	-
4.	कर्नाटक	3	5	-
5.	केरल	4	7	-
6.	मध्य प्रदेश	3	3	-
7.	महाराष्ट्र	11	9	12
8	पंजाब	1	1	1
9.	राजस्थान	1	-	-
10.	तमिलनाडु	-	3	-
11.	उत्तर प्रदेश	4	-	-
12.	पश्चिम बंगाल	-	1	3
13.	चंडीगढ़	1	-	-
14.	दिल्ली	-	8	-

देश की जनसंख्या

4098. श्री के.एच. मुनियप्पा :
श्री जगदंबी प्रसाद यादव :
श्री उल्हास वासुदेव पाटील :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की वर्तमान जनसंख्या कितनी है तथा वर्तमान जन्म दर क्या है;

(ख) क्या सच है कि कुछ राज्यों में जनसंख्या में वृद्धि वार्षिक रूप से लगभग 5 प्रतिशत है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकार का चीन द्वारा लागू किए जा रहे कार्यक्रम/कार्यवाही का पालन करने का प्रस्ताव है;

(ङ) परिवार कल्याण कार्यक्रम को और प्रभावी बनाने के लिए नई योजना तैयार करने के संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(च) क्या सरकार ने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए विभिन्न जिलों के ऐसे डिवीजनों और प्रखंडों में कार्यरत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण अधिकारियों/कार्यकर्ताओं को मासिक कोटा देने के विषय में सोचा है; और

(छ) यदि हाँ, तो राज्य सरकार के सहयोग से इस कार्य को व्यावहारिक रूप देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) 1 मार्च, 1998 की स्थिति के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या लगभग 966 मिलियन होने का अनुमान है। नमूना पंजीयन पद्धति से उपलब्ध ताजा अनुमान के अनुसार 1996 में जन्म दर प्रति हजार जनसंख्या पर 27.5 होने का अनुमान लगाया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं। यह सरकार का विचार है कि देश में जनसंख्या स्थिरीकरण को अनिवार्यतः नागरिकों को सेवाओं की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित करके और नागरिकों को सूचना, शिक्षा और संचार द्वारा ऐसी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करके हासिल किया जाना चाहिए। सरकार जनसंख्या स्थिरीकरण को हासिल करने के लिए जोर-जबर्दस्ती के खिलाफ है।

(ङ) प्रजनक और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जो परिवार कल्याण कार्यक्रम की एक एकीकृत कार्यनीति है, को नौवीं पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वित किया जा रहा है। प्रजनक और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की संकल्पना लाभार्थी को आवश्यकता आधारित, उपयोगकर्ता केन्द्रित, मांग उत्पन्न करने वाली और उच्च गुणवत्ता की सेवाएं प्रदान करना है। इसे विभिन्न विशिष्ट कार्यक्रमों के अन्तर्गत परिवार कल्याण सेवाओं के लिए सुविधाओं में सुधार करके प्राप्त करने प्रयास किया जा रहा है।

(च) जी, नहीं। परिवार नियोजन के लिए केन्द्रीय विनिर्धारित विधि विशिष्ट लक्ष्यों की पद्धति का सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अप्रैल, 1996 से परित्याग कर दिया गया है क्योंकि ऐसे लक्ष्यों/कोटा के आधार पर कार्यकरण में अनेक रुकावटें पैदा होती हैं और नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित होती है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

दक्षिणी गैस ग्रिड

4099. श्री फ्रांसिस्को सारदीना :
श्री टी. गोविन्दन :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार दक्षिणी गैस ग्रिड योजना का भागीदार है;

(ख) यदि हो, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना से गोवा को कितनी मदद मिलेगी;

(ग) क्या राज्य में रसोई गैस की कमी का समाधान करने के लिये इस योजना को केरल तक बढ़ाने का विचार है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) सरकार ने दक्षिणी गैस ग्रिड की अवधारणा को सिद्धांततः स्वीकार कर लिया है।

(ख) दक्षिणी गैस ग्रिड का उद्देश्य आयातित प्राकृतिक गैस/एल.एन.जी. द्वारा अनुपूरित गैस का पश्चिमी अपतटीय क्षेत्रों से परिवहन करना है। गोवा को इस अवधारणा के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) दक्षिणी गैस ग्रिड की संकल्पना एल.पी.जी. मांग को उसी रूप में पूरा करने के लिए नहीं की गई है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिये प्रमुख पहलू

4100. श्री थावर चन्द गेहलोत :
श्री अरुण सेठी :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग से अनेक प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उन प्रतिवेदनों में उठाये गये मुद्दों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या सरकार ने हाल ही में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण में क्रमशः 5 प्रतिशत और 4 प्रतिशत की कमी करने के आदेश जारी किये हैं;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इन परिवर्तनों के क्या औचित्य हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग ने संविधान (65वां संशोधन) अधिनियम, 1990 की धारा 2 खंड (5) उप खंड (घ) के अंतर्गत अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में अपनी वार्षिक रिपोर्टें प्रस्तुत कीं। इस अधिनियम की धारा 6 के अनुसार, की गई कार्रवाई रिपोर्ट के साथ ये रिपोर्टें सभा पटल पर रखी जानी हैं।

रिपोर्ट की खास-खास बातें तथा की गई कार्रवाई की एक बार रिपोर्टों को सभा पटल पर रखे जाने पर दर्शाया जा सकेगा।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की कमी

4101. **डॉ० सुगुण कुमारी चलामेला :**
श्री आनन्द रत्न मौर्य :
श्री प्रदीप कुमार यादव :
श्री महेश कनोडिया :
श्री चन्दू लाल अजमीरा :
श्री के. येरननायडू :
श्री गुरुदास कामत :
श्री राम कृष्ण बाबा पाटील :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांडला पत्तन में हाल ही में आये तूफान का उत्तरी क्षेत्रों में तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता पर कोई प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या विभिन्न अन्य शहर भी पेट्रोलियम उत्पादों की कमी से प्रभावित हुए हैं;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) डीजल, रसोई गैस और पेट्रोलियम उत्पादों की कमी दूर करने के लिए क्या आकस्मिक योजना विकसित की गयी है; और

(ङ) कांडला भटिंडा (पंजाब) पाइपलाइन कब तक सामान्य रूप से काम करना शुरू करेगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) एक प्रचण्ड चक्रवातीय तूफान के उपरांत दिनांक 9 जून, 1998 से कांडला में एल.पी.जी. समेत सभी पी.ओ.एल. संबंधित प्रचालन बंद कर दिए गए थे। इससे कुछ सीमा तक उत्तरी क्षेत्र में उत्पाद उपलब्धता प्रभावित हुई थी। लेकिन देश के सभी भागों की मांग को पूरा करने के संबंध में कोई कमी नहीं होने दी गई थी।

वैकल्पिक स्रोतों से गतिविधि आरंभ करके तथा समान सूचियों का उपयोग करते हुए देश भर में सभी पेट्रोलियम उत्पादों की पूर्ण मांग पूरी की गई थी जिसमें उत्तरी क्षेत्र सम्मिलित था जिसकी उत्पाद मांग आंशिक रूप से कांडला से आयातों के जरिए पूरी की जाती हैं।

(घ) डीजल, एल.पी.जी. एवं अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की कमी के निवारण के लिए निम्नांकित कार्रवाइयां योजनाबद्ध एवं आरंभ की गई हैं :

(1) स्वदेशी उत्पादन का इष्टतमीकरण।

(2) वैकल्पिक स्रोतों के लिए पी.ओ.एल. उत्पादों की सड़क/रेल द्वारा ढुलाई का, उत्तरी क्षेत्र के लिए इष्टतमीकरण किया गया।

(3) स्थिति की आवधिक रूप से पुनरीक्षा करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा एक कार्य दल गठित किया गया है।

(4) कांडला में बंदरगाह सुविधाओं का शीघ्र पुनः स्थापन सुनिश्चित करने के लिए स्थिति की कड़ी निगरानी की जा रही है। एल.पी.जी. के सिवाय कांडला में अधिकांश पी.ओ.एल. संभाल सुविधायें पहले ही पुनः स्थापित कर ली गई हैं। कांडला से प्रमुख वितरण माध्यम, नामतया कांडला-भटिंडा पाइपलाइन, पूर्णतया प्रचालनीय हो गई है तथा कांडला से रेल एवं सड़क द्वारा प्रेषण भी आरंभ हो गया है।

(5) मंगलौर में एल.पी.जी. आयात में वृद्धि।

(6) अन्य बंदरगाहों के माध्यम से पी.ओ.एल. उत्पाद के आयात में वृद्धि।

(7) प्रति व्यक्ति एल.पी.जी. खपत को गत वर्ष के औसत पर स्थिर रखना।

(8) रेलवे से एल.पी.जी. रेकों को मुंबई तथा उरण से उत्तर-पश्चिम तक लाने-ले जाने के विषय में उच्चतम वरीयता देने का अनुरोध किया गया है।

(ङ) कांडला-भटिंडा पाइपलाइन में पंपिंग 22 जून, 1998 को आरंभ हुई तथा सामान्य पंपिंग 23 जून, 1998 को पुनः आरंभ हुई।

चीनी उद्योग का उदारीकरण

4102. **श्री बालासाहिब विखे पाटील :**
श्री आर. सम्बासिवा राव :

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी उद्योग अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाएगा;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव चीनी एकक को पूरी छूट देने का है;

(घ) सरकार द्वारा चीनी उद्योग पर नियंत्रण को न्यूनतम करने किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं;

(ङ) क्या सरकार का प्रस्ताव चीनी की खुली बिक्री के अनुपात को बदलने का है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) भारतीय चीनी उद्योगों ने सरकार से किस सीमा तक चीनी उद्योग का उदारीकरण करने का अनुरोध किया है;

(ज) क्या सरकार का विचार खुले बाजार से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चीनी खरीदने का है; और

(झ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) से (च) मार्च, 1997 में सरकार चीनी उत्पादक अन्य देशों की तुलना में भारत में चीनी उद्योग विकास और वृद्धि का अध्ययन करने तथा आधुनिकीकरण के माध्यम से उत्पादन और दक्षता में वृद्धि करने के लिए मौजूदा किसी नियम और नियंत्रण में संशोधन, आशोधन करने अथवा इन्हें निरस्त करने के लिए सुझाव देने हेतु पूर्व खाद्य सचिव श्री बी.बी. महाजन की अध्यक्षता में उच्च शक्तिप्राप्त समिति का गठन किया था। समिति में दिनांक 15.4.98 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। समिति की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

(छ) उद्योग ने समय-समय पर विशिष्ट क्षेत्रों के लिए उदारीकरण की मांग की है।

(ज) जी, हाँ। केवल चालू वर्ष के लिए सरकार ने चीनी मिलों के मुक्त बिक्री के कोटे से चीनी की खरीद करके चीनी के लेवी कोटे की कमी को पूरा करने का निर्णय लिया है।

(झ) प्रश्न नहीं उठता।

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न 12 बजे पुनः समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए]*

.....(व्यवधान)

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी (दक्षिण कलकत्ता) : हम चाहते हैं कि महिलाओं से संबंधित विधेयक पेश किया जाए। मैं अपनी पार्टी की नेता हूँ। मुझे संसदीय दलों के नेताओं की बैठक में नहीं बुलाया गया।.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए।

अपराह्न 12.01 बजे

(इस समय कुमारी ममता बनर्जी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए)

अध्यक्ष महोदय : ममता जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। कृपया मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए।

अपराह्न 12.02 बजे

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष महोदय : जैसाकि सदस्यों को ज्ञात है, कल, अर्थात् 13 जुलाई, 1998 की शाम को इस सदन में बहुत ही असंसदीय और अनुशासनहीन दृश्य देखने को मिला और मुझे सदन को पूरे दिन के लिए स्थगित करने के लिए बाध्य होना पड़ा। माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि जब सभा स्थगनों के बाद 5.30 बजे पुनः समवेत हुई तो कई सदस्य गुस्सैल अंदाज में सभा के बीच में आए और मेरे आसन के चारों ओर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे। एक सदस्य, श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (जहानाबाद) ने मरी मेज से कुछ पेपर तक भी छीन लिए। सूची अनुसार कार्य संचालन के लिए, मैंने डॉ. एम. तम्बीदुरई, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री को संविधान (84वां संशोधन) विधेयक, 1998, जो पुरःस्थापन के लिए कल की कार्यसूची में दसवें स्थान पर सूचीबद्ध था, को पुरःस्थापित करने के लिए कहा। जब माननीय मंत्री सदन की अनुमति ले रहे थे, वही सदस्य, श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (जहानाबाद) तथा एक अन्य सदस्य, श्री अजित कुमार मेहता ने मंत्री के हाथ से जबरदस्ती पेपर छीने और उन्हें विधेयक को पुरःस्थापित करने से रोका। उसके पश्चात् सदन में भारी हंगामा हुआ। इन परिस्थितियों में, मेरे पास सदन को पूरे दिन के लिए स्थगित करने तथा दुखी मन से सभा से उठ कर चले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।

मुझे विवश होकर यह टिप्पणी करनी पड़ रही है कि इस तरह के उपद्रवी दृश्यों, विशेष रूप से सदस्यों के अनुशासनहीन व्यवहार से सदन की अवमानना हुई है और यह निंदनीय है। यदि लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधि इस तरह से व्यवहार करेंगे तो इस लोकतांत्रिक संस्था की विश्वसनीयता समाप्त हो जायेगी।

मैं श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (जहानाबाद) और श्री अजीत कुमार मेहता के व्यवहार की कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। मैं लोक सभा में संसदीय दलों के नेताओं से अनुरोध करता हूँ कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके सदस्य अपनी हैसियत के अनुरूप सदन में व्यवहार करें।

अपराह्न 12.04 बजे

[अनुवाद]

सदस्यों के निलम्बन के बारे में प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (जहानाबाद) और प्रो. अजित कुमार मेहता, जो इस सभा के सदस्य हैं, को सोमवार, 13 जुलाई, 1998 को सभा में सदस्य की हैसियत के अनुरूप आचरण न करने के कारण चालू सत्र की शेष अवधि के लिए सभा की सेवा से निलम्बित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (जहानाबाद) और प्रो. अजित कुमार मेहता, जो इस सभा के सदस्य हैं, को सोमवार, 13 जुलाई, 1998 को सभा में सदस्य की हैसियत के अनुरूप आचरण न करने के कारण चालू सत्र की शेष अवधि के लिए सभा की सेवा से निलम्बित किया जाए।"

.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ममता जी कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

अपराह्न 12.06 बजे

(इस समय कुमारी ममता बनर्जी और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने स्थानों पर वापस चल गए)

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा) : अध्यक्ष महोदय, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में.....*(व्यवधान)* संसदीय इतिहास में कल जो अशोभनीय घटना घटी।.....*(व्यवधान)* आसन के प्रति हमारा आदर है, सम्मान है।.....*(व्यवधान)* संसदीय इतिहास में माननीय अध्यक्ष जी का आसन.....*(व्यवधान)* कल जो घटना घटी, उस घटना को हमने भी पंसद नहीं किया है।.....*(व्यवधान)* हम इस घटना के प्रति खेद व्यक्त करते हैं, हम माफी मांगते हैं। हमारे माननीय सदस्यों के कारण कल जो घटना घटी, उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं.....*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : जहां तक संसदीय प्रक्रिया का सवाल है।....*(व्यवधान)* माननीय लालू जी ने अभी जो बात कहीं, मैं उसका समर्थन करता हूं और हम यह स्वीकार करते हैं।.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं है।

.....(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : हम यह स्वीकार करते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अध्यक्ष का पद सर्वोच्च है। हम किसी भी कीमत पर.....*(व्यवधान)* कल जो घटना घटी, उसको सपोर्ट देने के पक्ष में हम भी नहीं रहे।.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री खारवेल स्वाईं (बालासर) : महोदय, मैंने विशेषाधिकार हनन के लिए पूर्वसूचना दी है। .....*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री मुलायम सिंह यादव के वक्तव्य के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : कल आपके साथ और माननीय मंत्री जी के साथ जो कुछ हुआ, उसे हम अच्छा नहीं मानते हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारे माननीय सदस्य इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे और कल जो घटना हुई, उसका हमें खेद है। इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं।.....*(व्यवधान)*

श्री शरद पवार (बारामती) : अध्यक्ष महोदय, कल जो कुछ हुआ।.....*(व्यवधान)* कुछ माननीय सदस्यों ने आपके साथ और मंत्री जी के साथ जो व्यवहार किया, वह संसदीय लोकशाही के लिए, प्रजातंत्र के लिए बड़ी शर्मनाक बात थी। इसका कोई समर्थन नहीं करेगा। पिछले साल जब देश की स्वतंत्रता के 50 साल पूरे हुए और उसके लिए जो खास अधिवेशन हुआ, उसमें हम सबने एक रेज्योलूशन पारित किया था कि हम कहां तक सदन में जायेंगे, कहां कर अपना क्रोध या रोष रखेंगे, उसकी सीमा तक की गयी थी। कल का व्यवहार इस सीमा के बाहर था। हर राज्य के सदन में, इस सदन के बारे में हमेशा अलग तरह से सोचने की परिस्थिति रहती है। वहां जब कुछ समस्या आती है तो स्टेट में हमेशा यह बात कही जाती है कि लोक सभा में जब ऐसी परिस्थिति पैदा हुई तब क्या तय किया गया था, उसका आधार लेकर हम प्रदर्शन करेंगे। इसलिए यह सदन पूरे देश की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की मार्गदर्शक संस्था है, सर्वोच्च संस्था है। इसकी गारिमा रखने के लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी और इसमें कुछ कमियां होंगी तो उसका प्रहार पूरी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पर होगा। इसलिए जो कुछ कल हुआ, उसका समर्थन किसी को भी नहीं करना चाहिए।

मुझे खुशी है कि श्री मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद ने सदन के सामने अपने सदस्यों के वर्ताव के बारे में अनकंडीशनल, अनक्वालीफाइड माफी मांगी और ऐसी परिस्थिति यहां दुबारा नहीं होगी, ऐसा विश्वास उन्होंने दिया। मुझे विश्वास है कि उनके सभी सदस्य, जो उन्होंने कहा, उस पर अमल करेंगे। मैं अपनी पार्टी की तरफ से सदन और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपकी प्रतिष्ठा और सदन की गरिमा रखने के लिए मेरा और मेरे सब साथियों का आपको हमेशा समर्थन रहेगा।

---

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ और सभा में हुई इस अशोभनीय घटना की निन्दा करता हूँ।

महोदय, विपक्ष के नेता ने हमें हमारे संसदीय लोकतंत्र के इस सर्वोच्च मंच पर अपने आचरण के बारे में इस सभा में सर्वसम्मति से पारित संकल्प द्वारा लिए गए निर्णय के बारे में सही समय पर याद दिलाया है। यह बड़े दुःख की बात है कि स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में समारोह जो कि हम 15 अगस्त, 1998 को आयोजित करने जा रहे हैं का अंत होने से पहले ऐसी घटना हो गई। आज हम केवल इसी बात से अपने आपको सांत्वना दे सकते हैं कि इस सभा का प्रत्येक वर्ग इस घटना की भर्त्सना कर रहा है। जिसका मैं भी अपने तथा अपने दल की ओर से भर्त्सना करता हूँ। हम इस सदन को संसदीय लोकतंत्र का केवल सर्वोच्च मंच मानते हैं बल्कि यह एक ऐसा स्थान है जहां राष्ट्र तथा संसदीय लोकतंत्र से संबंधित भिन्न-भिन्न विचारों, भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों का आदान प्रदान होता है। हम एक-दूसरे के साथ विचार विनियम करते हैं ताकि राष्ट्र, हो सकता है सभा के बहुमत से किसी निर्णय स्थिति पर पहुंच सके। लेकिन हमें इस हद तक आवेश में नहीं आना चाहिए चाहे उठाए जा रहे मुद्दे का स्वरूप कुछ भी हो, कि हमें सभा के अन्दर बाहुबल का प्रयोग करना पड़े।

महोदय, जो कुछ भी इस सभा में हुआ है वास्तव में उस पर दुःख, अपनी वेदना व्यक्त करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं हैं। हमें ऐसी अशोभनीय घटनाओं का अनुकरण करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, चाहे वह कहीं भी घटित क्यों न हुई हो। कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ अन्य स्थानों पर हो रही ऐसी घटनाओं का भी उल्लेख किया है। हमें उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। हमारे इस सदन को संसदीय कार्य संचालन के सर्वोच्च मानक स्थापित करने चाहिए ताकि अन्य इससे प्रेरणा ले सकें।

अतः महोदय, मैं इस घटना की निन्दा करने में तथा भर्त्सना करने में आपके साथ हूँ। चूंकि संबद्ध ग्रुप के नेताओं ने बिना शर्त माफी मांग ली है, मैं अध्यक्ष महोदय से तथा उनके माध्यम से, माननीय संसदीय कार्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह अपने प्रस्ताव पर आगे कार्यवाही न करें ताकि स्थिति को सामान्य बनाया जा सके। महोदय, मुझे विश्वास है कि सदस्य स्वयं भी यह महसूस कर रहे हैं कि कल जो कुछ भी उन्होंने किया वह सही नहीं था। इस सदन में भविष्य में इस तरह की कोई घटना नहीं होनी चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : यहां कल जो कुछ भी घटित हुआ मैं उस से वास्तव में बहुत व्यथित हुआ, मुझे बहुत वेदना हुई। मैं जानता हूँ कि इस तरह की घटनाएं राज्य विधान सभाओं में भी हुई हैं। लेकिन आखिर यह लोक सभा है। भारत की संसद है एक सर्वोच्च संस्था है, जिससे समूचे देश में सभी लोगों तथा सभी दलों के लिए सभी क्षेत्रों में मानक स्थापित करने की आशा की जाती है। अतः मुझे याद नहीं आता कि इस सदन में अपने तीस वर्षों से अधिक के कार्यकाल के दौरान मैंने लोक सभा में कभी कोई ऐसी घटना देखी हो। हाँ सभा की कार्यवाही में रुकावट आई हो। यह सच है। कभी-कभी कई सप्ताह कार्यवाही रुकी रही। हमने उन दृश्यों को देखा है जब सदस्य सभा की कार्यवाही को चलने में रुकावट डालते हैं। लेकिन कल जो कुछ हुआ मैं समझता हूँ उसने सभी सीमाएं लांघ ली है।

मैं बहुत चिन्तित हूँ और व्यथित हूँ कि यदि कुछ अच्छे उपाय न किए गए तो यह मात्र शुरूआत हो सकती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम अपने लिए इतनी खतरनाक स्थिति उत्पन्न नहीं करेंगे कि हमारे लिए उससे उभरना कठिन हो जाए। आखिर, हम यहाँ एक खास उद्देश्य से आते हैं।

हम यहां वाद-विवाद, चर्चा, तर्क-वितर्क तथा एक-दूसरे के तर्कों को सुनने आते हैं और फिर लोकतंत्रात्मक तरीके से निर्णय लेते हैं, यदि आवश्यक हुआ तो बहुमत द्वारा निर्णय लेते हैं। यदि हमें यह प्रक्रिया पंसद नहीं है तो हमें इस सदन में आने की आवश्यकता नहीं है। हम सड़क पर खड़े होकर अपने झगड़े सुलझा सकते हैं। लेकिन हम इस उद्देश्य से यहां नहीं आते हैं।

मुझे खुशी है कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के दोनों नेताओं ने बिना शर्त माफी मांगी है। समाजवादी दल के एक नेता इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोले हैं लेकिन मुझे यह पता चला है कि वह राष्ट्रीय जनता दल नेता के विचारों से सहमत हैं. .....*(व्यवधान)*

कुछ माननीय सदस्य : वह बोले हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ठीक है।

लेकिन मुझे और भी खुशी होती अगर वह सदस्य, जिन्होंने माननीय अध्यक्ष महोदय के हाथ से तथा माननीय मंत्री महोदय के हाथ से दस्तावेज छीने थे वह इस सभा के सदस्य हैं, उनके दल के नेताओं को उनकी ओर से माफी मांगना सही है, इस सभा में खड़े होकर अपना खेद व्यक्त करते.....*(व्यवधान)* एक अथवा दो, मैं नहीं जानता। मैं पता नहीं लगा सका था लेकिन मैंने आज समाचार-पत्र में दो नाम पढ़े हैं।

मेरा अपना सुझाव, जिसे मैंने आज सुबह दिया था किंतु जिसका किसी ने समर्थन नहीं किया वह यह था कि उन सदस्यों के विरुद्ध कुछ कार्यवाही की जानी चाहिए।.....*(व्यवधान)* क्या कार्यवाही करनी है इसका निर्णय सभा की स्वीकृति से आपको करना है। किंतु कुछ माननीय सदस्यों कुछ दलों के नेताओं का मानना है कि किसी सदस्य के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करना उचति नही है, ऐसा उससे पूर्व सुनने में आया कि वे सामूहिक क्षमायाचना करने जा रहे हैं। उससे पूर्व मैंने यह प्रस्ताव किया क्योंकि मैंने महसूस किया कि यदि कुछ उपाय नहीं किया गए या कुछ कदम नहीं उठाए गए तो यह एक प्रकार से इस तरह के उदण्ड व्यवहार को अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन देने के समान होगा और इसके बाद में भयानक परिणाम हो सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय का क्या होगा, मैं नहीं जानता, कोई भी आ सकता है और माननीय अध्यक्ष के मुंह पर तमाचा

मार सकता है और जा सकता है तथा कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी...*(व्यवधान)*, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता...*(व्यवधान)*।

तथापि यदि दलों के नेता महसूस करते हैं कि फिलहाल किसी के विरुद्ध कठोर कदम उठाने की आवश्यकता नहीं है तो मैं अपने सुझाव पर आग्रह नहीं करता हूँ। किंतु मुझे प्रसन्नता है कि श्री लालू प्रसाद और श्री मुलायम सिंह जी ने अपने दल के सदस्यों के अशिष्ट आचरण के लिए बिना शर्त माफी मांगी है। मैं एक बार पुनः उन सदस्यों से अनुरोध करता हूँ वे अपने दिल व मन में झांके और यदि वे उचित समझते हैं तो वे भी माफी मांग सकते हैं और जो कुछ घटित हुआ उसके लिए खेद व्यक्त कर सकते हैं।

मुझे आशा है कि कल की घटना से पूरी सभा गंभीर सबक लेगी। हर किसी ने कल की घटना की बेहिचक निंदा की है। महोदय, इसलिए मुझे आशा है कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। हम आपको न केवल अपना सहयोग देते हैं अपितु जो कुछ कल हुआ उसके लिए आपके साथ मेरी सहानुभूति भी है क्योंकि यह अध्यक्षपीठ की गरिमा और प्रतिष्ठा बनाए रखने का तरीका नहीं है। हो सकता है हम सदैव अध्यक्षपीठ से सहमत न हों किंतु अध्यक्षपीठ की गरिमा और प्रतिष्ठा संसदीय लोकतंत्र का अभिन्न अंग है। महोदय, इसलिए मुझे खुशी है कि कोई और घटना न हुई और मुझे आशा है कि अब आगे इस प्रकार की घटना नहीं होगी.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

मैं बैठ रहा हूँ। आपको अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए कह रहे हैं बैठिए, बैठिए। हमको भी कल अच्छा नहीं लग रहा था।

[अनुवाद]

मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करने का जा रहा हूँ। मेरे कई मित्रों ने मुझसे पूछा कि आप आजकल की और 20-25 वर्ष पूर्व की संसदीय कार्यवाही में मुख्य अन्तर क्या पाते हैं। मैं केवल एक बात कह सकता हूँ। असहिष्णुता की भावना इतनी बढ़ गई है कि कोई भी दूसरे व्यक्ति की बात को सुनना नहीं चाहता है.....*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी वे हुक्म चलाना चाहते हैं .....*(व्यवधान)*

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आखिर, आप भी उस बात का प्रतिवाद करने के लिए स्वतंत्रत हैं जो दूसरा व्यक्ति कह रहा है। आप अपनी असहमति व्यक्त कर सकते हैं। आप अपनी राय जाहिर कर सकते हैं। आपको कोई नहीं रोक रहा है। किंतु यदि आप अन्य लोगों को बोलने से रोकना चाहते, आप उनकी बात नहीं सुनना चाहते हैं और आप नहीं चाहते कि उनकी बात सुनी जाए तो इस तरह की बात बर्दाश्त नहीं की जा सकती है और यह हमारे संपूर्ण संसदीय लोकतंत्र का अन्त होगा।

हाल ही में संसदीय अध्ययन और प्रशिक्षण ब्यूरो ने मुझे आमंत्रित किया था। अन्य सदस्यों को भी नवनिर्वाचित सदस्यों को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया था। मुझे बताया गया था कि मुझे उन्हें सभा में शिष्टाचार के बारे में संबोधित करना है। मैंने विनम्रता से इंकार किया और कहा, ''मैं इस कार्य को करने में सक्षम नहीं हूँ। मैं नहीं जानता कि शिष्टाचर के बारे में मैं किस प्रकार का भाषण दे सकता हूँ। इसलिए इसके लिए मुझे क्षमा किया जाए।''

मुझे यह कहना है। मुझे आशा है कि यह कल की घटना पर प्रकाश डालेगा। अब हम उस मार्ग का अनुसरण कर आगे बढ़ सकते हैं जिसके अनुसरण की हमसे अपेक्षा की जाती है।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल (जालन्धर) : अध्यक्ष महोदय, कल रात मेरे लिए बड़ी कष्टकारक रात थी, कल रात मुझे मेरे परिचित-अपरिचित लोगों के कई टेलीफोन आए जिन्होंने कल की घटना को टेलीविजन पर देखा और मुझसे कहा, ''क्या मैं ऐसी सभा में बैठने का पात्र हूँ।'' मैं नहीं जानता कि उनको क्या उत्तर दूं। मेरा सिर शर्म से झुक गया। हमारे गणतंत्र की अर्द्धसदी में संसद में ऐसा अशिष्ट आचरण कभी देखने को नहीं मिला। मेरे विचार से हम सबने अपना अपमान किया है और जनता के मन से इस छाप को मिटने में लम्बा समय लगेगा कि हम वास्तव में उनके प्रतिनिधि हैं जो न केवल उनकी आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं अपितु इस राष्ट्र के गरिमापूर्ण सदाचार का भी प्रतिनिधित्व करते हैं।

हमारा राष्ट्र एक सभ्य राष्ट्र है। लोगों ने हमें यहां बड़ी आशा के साथ भेजा है। वे यह तो चाहते ही हैं कि हम उनका प्रतिनिधित्व करें किंतु वे यह भी चाहते हैं कि हम उनका प्रतिनिधित्व गरिमा और शिष्टता से करें। कल ही घटना से में दुखी हूँ। इस घटना से हुए दुख को मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। अपने जीवन के अधिकांश हिस्से में मुझे इस सभा व दूसरी सभा में बैठने का मौका मिला है। मुझे ऐसी घटना कभी देखने को नहीं मिली और मैं नहीं जानता कि इस बारे में क्या कहूं और किससे कहूं। मैं नहीं जानता कि क्या हम सभी इस अपमान के पात्र हैं या नहीं।

मुझे आशा है और मैं प्रार्थना करता हूँ कि कम से कम इस अवस्था में हम सभी दलीय संबद्धता को ध्यान में न रखते हुए बैठें और अपने बारे में सोचें तथा एक बार पुनः मतदाताओं से वायदा करें कि हम उन्हें निराश नहीं करेंगे।

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। कल हिस्टोरिक डे था, जिस दिन महिला बिल इंट्रोडक्शन होने की बात थी। इस बिल को पहले भी इंट्रोड्यूस करने की बात हुई थी लेकिन तब यह सलैक्ट कमेटी में भेज दिया गया था। कल हमने सोचा था कि स्वर्ण जयंती वर्ष के समाप्त होने के पहले सारे देश में हमारी एक आवाज जाए, जिसमें हमारे देश की महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत रिजर्वेशन हो सके। ओबीसी और माइनोरिटी के आरक्षण

की बात को हम लोगों ने भी कहा था, लेकिन कल हमने कहा था कि आप बिल इंट्रोड्यूस होने दीजिए उसके बाद आप अपनी बात कह सकते हैं। उसमें हम भी अपना ओपिनियन देंगे। हम भी उसके फेवर में हैं लेकिन कल जो हाउस में हुआ है वह हमारे इतिहास में एक काला दिन माना जाएगा। महोदय, हम उसको कंडेम करते हैं। इसे कंडेम करना चाहिए। कल महिला बिल फाड़ कर, आपको ह्युमिलिएट करके, महिलाओं की इज्जत के ऊपर जो टक्कर दी गई है, जिस तरह से उसे ठुकराया गया है। उससे हर महिला ही नहीं बल्कि देश की आम जनता भी दुखी है, इसको कंडेम करना चाहिए।

महोदय, लीडर्स ने अपोलोजाइस किया है, उसके लिए हम खुश हैं, लेकिन लीडर्स ने ही उनको उकसाया था कि आप इनसे पेपर छीन लीजिए।.......*(व्यवधान)* महोदय, अपोलोजी मांगी है, यह ठीक किया। कल आपने महिला बिल को पेश नहीं होने दिया लेकिन आज यह बिजनेस में पहले नवम्बर पर है। मैं पार्टी की एक छोटी लीडर हूं। इस बिल को पोस्टपोन करने के बारे में बात हुई थी लेकिन मुझे नहीं बुलाया गया। इसलिए हम चाहते हैं कि कल जो कुछ हुआ उसको कंपनसेट करने के लिए आज महिला बिल को [illegible] करना चाहिए, इसके लिए हम आपको पूरा कोआपरेट [illegible]....*(व्यवधान)*

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, कल मैं हाउस की सारी कार्यवाही देख रहा था। मैं हमेशा सोचता हूं कि हमें हाउस में डेकोरम एंड डिग्निटी मेनटेन करने की बहुत आवश्यकता है। मुझे कल सुबह ओरिएंटेशन क्लासेस में बुलाया गया और मैंने वहां भी नये माननीय सदस्यों को बोला था कि हाउस में डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए।.......*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : हम लोगों ने माफी मांग ली है। ....*(व्यवधान)* अगर उसके बाद भी हमें ह्युमिलिएट किया जाएगा तो फिर जो चाहे, कर लीजिए.......*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री फातमी, कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

.......*(व्यवधान)*

श्री मधुकर सरपोतदार : इस हाउस की इज्जत, हर व्यक्ति की इज्जत और हमारे देश की इज्जत रखने की आवश्यकता है। आप यदि महिला विधेयक का बिना किसी कारण से विरोध करना चाहते हैं, आखिर यह एक लोकतांत्रिक समाज है, आप उसका विरोध कर सकते हैं लेकिन इसके लिए यह कोई प्रासिजर नहीं है। यह चरमोत्कर्ष था.......*(व्यवधान)*

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभगा) : महोदय, हमें भी बोलने का मौका दीजिए।.......*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मधुकर सरपोतदार : जब आपके हाथ से और संबंधित मंत्री के हाथ से कागज छीने गए और उन्हें बेंचों पर फेंका गया तो यह और भी अपमानजनक था.......*(व्यवधान)* यह जो कुछ हो रहा था, इसकी जानकारी दोनों नेताओं को भी थी।

[हिन्दी]

ऐसा नहीं है कि वे लोग जानते नहीं थे। वे लोग उनको भड़का रहे थे और जस्टिफिकेशन दे रहे थे कि जो कुछ हो गया वह ठीक हो गया।.......*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं केवल नेताओं के नाम पुकार रहा हूं। कृपया समझने की कोशिश करें।

.......*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मधुकर सरपोतदार : यदि यह डिबेट चलनी है तो जिस-जिस व्यक्ति ने ऐसा काम किया है वे माफी मांगे और उनके खिलाफ कुछ न कुछ कार्यवाही करनी होगी, नहीं तो उसका कुछ लाभ नहीं होगा।.......*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उन्हें इस सभा में सदैव अनुशासन बनाए रखना चाहिए और सभा की गरिमा और प्रतिष्ठा बनाए रखनी चाहिए। जहां तक अनुशासन का संबंध है उन्हें गैर जिम्मेदाराना व्यवहार नहीं करना चाहिए। उन्हें अनुशासन को सख्ती से बनाए रखना चाहिए, जिस क्षण इस सभा ने अनुशासन के साथ समझौता किया, वह माननीय सभा के कार्यकरण और अनुशासन में और गिरावट की शुरूआत होगी।.......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : महोदय, कृपया बैठ जाइए।

.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुलायम सिंह यादव और मैंने कल जो घटना घटी, माननीय मंत्री जी के साथ और आपके साथ मेरे दल के विधायकों को।

कई माननीय सदस्य : विधायकों को नहीं सांसदों को।

श्री लालू प्रसाद : आप लोगों ने पुनः कहा है। ......*(व्यवधान)* इस घटना की कल ही हम लोगों ने निंदा की।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री लालू प्रसाद, कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

.....(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : महोदय, टी.वी. और मीडिया के सामने जब सारा मुल्क देख रहा होगा, हम लोगों ने कल की घटना की कल ही निंदा की थी और संसदीय लोकतंत्र में आसन की गरिमा को अगर हम नहीं रखते हैं तो लोकतंत्र के साथ निश्चितरूप से हम.....*(व्यवधान)* मजाक कर रहे हैं.....*(व्यवधान)* हम लोगों ने माफी मांगी। .....*(व्यवधान)* महिलाएं छाती पीट-पीटकर कहती हैं हाय-हाय.....*(व्यवधान)* हम लोगों का फिर कहना है कि अगर हमें सस्पैंड करना है तो कर दीजिए, हमारे पूरे सांसद हमारे साथ हैं.....*(व्यवधान)* आप सस्पैंड करिये.....*(व्यवधान)* हमें सस्पैंड करिये।.....*(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य : स्पीकर साहब, यह क्या हो रहा है .....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह अच्छा नहीं है। लालू जी, यह अच्छा नहीं है। कृपया बैठ जाइए। माननीय सदस्यों, कृपया बैठ जाइए।

.....(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री भजनलाल (करनाल) : अध्यक्ष महोदय.....*(व्यवधान)* माफी मांगने के बाद.....*(व्यवधान)* अपनी पार्टी की तरफ से वे बोले हैं.....*(व्यवधान)* इसलिए मेहरबानी करके इस बात को खत्म करो जिससे आगे की कार्यवाही चल सके.....*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष जी, आपने देखा होगा कि हमारे माननीय सदस्यों पर.....*(व्यवधान)* हमने फिर भी माफी मांगी है। अगर निंदा बार-बार की जाएगी तो मुझे देखना पड़ेगा कि.....*(व्यवधान)* जो एक्शन लेना हो लीजिए, चलाइये हाउस।

[अनुवाद]

प्रो. सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : मैं अपने दल का नेता हूँ आपने मुझे संसदीय दलों के नेताओं की बैठक में आमंत्रित किया है.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रो. सोज, कृपया बैठ जाइए।

....(व्यवधान)

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी) : आपने चर्चा शुरू की है। आप हमें बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। हमारे विचार सभा के समक्ष व्यक्त होने चाहिए.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह कोई चर्चा नहीं है। कृपया बैठ जाइए।

.....(व्यवधान)

श्री जी.एम. बनातवाला : आपने चर्चा शुरू की है। आपको सदैव सहयोग दिया गया। अब आप हमें बोलने की अनुमति नहीं दे रहे हैं.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया समझने की कोशिश करें। मैंने केवल दलों के नेताओं को बुलाया है।

.....(व्यवधान)

प्रो. सैफुद्दीन सोज : मैं एक दल का नेता हूँ। कृपया मुझे बोलने का मौका दें.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

.....(व्यवधान)

श्री जी.एम. बनातवाला : आपने चर्चा शुरू की है।..... *(व्यवधान)* महोदय, सभा के विभिन्न वर्गों की बात अवश्य सुनी जानी चाहिए। सभी दलों के नेताओं को बोलने की अनुमति दी जाए। हमें अपने विचार व्यक्त करने हैं.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला, कृपया बैठ जाइए।

.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है? कृपया समझने की कोशिश कीजिए।

.....(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, हमने माफी मांगी है.....*(व्यवधान)* सत्ताधारी दल में बैठे लोग हमें अपशब्द कह रहे हैं.....*(व्यवधान)* ऐसा होने पर हमें फांसी देंगे.....*(व्यवधान)* हमने माफी मांगी है। क्या यह महिला अपशब्द कहने के लिए है? .....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ कि कृपया अपने-अपने स्थानों पर बैठिए।

.....(व्यवधान)

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : महोदय, सत्तारूढ़ दल के सदस्यों द्वारा माफी भी स्वीकार नहीं की गई है.....*(व्यवधान)* बिना शर्त माफी मांगी गई है और उसे भी स्वीकार नहीं किया गया है। महोदय, यह तो हद हो गई.....*(व्यवधान)* जब बिना शर्त माफी मांग दी गई है और उसे भी स्वीकार नहीं किया गया है। फिर क्या उसके लिए कोई औचित्य है?

अध्यक्ष महोदय : श्री अहमद, कृपया बैठ जाइए।

.......(व्यवधान)

श्री ई. अहमद : उनकी माफी स्वीकार करने के बजाए उनकी आलोचना की जा रही है।.......(व्यवधान)

श्री जी.एम. बनातवाला : महोदय यह बहुत ही असंसदीय है। क्षमा याचना मांग लिये जाने बाद.......(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

.......(व्यवधान)

श्री जी.एम. बनातवाला : क्षमा याचना मांग लिये जाने पर आप उनकी आलोचना कैसे कर सकते हैं.......(व्यवधान) महोदय, क्षमा याचना मांग लिये जाने के बाद, आलोचना करते रहना ... है। आप पहले ही सदस्यों की भर्त्सना कर चुके हैं... ...न)

अध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला जी, आप वरिष्ठ सदस्य हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। हम इस विषय पर चर्चा नहीं कर रहे हैं।

श्री बूटा सिंह (जालौर) : महोदय, मैं बोलना नहीं चाहता, मैं तो व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। कृपया मुझे कुछ समय, केवल आधा मिनट दीजिए। मैं वह प्रक्रिया आपके ध्यान में लाना चाहता हूं जो आपने अपनाई है.......(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

.......(व्यवधान)

श्री बूटा सिंह : महोदय, वह प्रक्रिया जो आपने अपनाई है मैं उस संबंध में निवेदन करना चाहता हूं। मैं उस प्रक्रिया के संबंध में कुछ शब्द कहना चाहता हूं।.......(व्यवधान) महोदय, मैं आपकी मदद करने जा रहा हूं। कृपया मेरी बात सुनिए। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।.......(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री बूटा सिंह कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

.......(व्यवधान)

श्री बूटा सिंह : महोदय, वह प्रक्रिया जो आपने अपनाई है मैं उस बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। आपने कुछ दल के नेताओं को समय दिया है। कृपया सभी दल के नेताओं को समय दीजिए। श्री बनातवाला एक दल के नेता हैं, प्रो. सैफुद्दीन सोज एक दल के नेता हैं, श्री रामदास आठवले एक दल के नेता हैं, कुमारी मायावती एक दल की नेता हैं। सभी दलों के नेताओं को समय दीजिए उसके बाद आप प्रधानमंत्री जी से सदन में आने के लिए कह सकते हैं। महोदय, यह ठीक नहीं है। आपने केवल कुछ दलों को चुना है। सभी दलों के नेताओं को समय दीजिए।..... ..(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री बूटा सिंह जी, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री बूटा सिंह : यह एक ऐसा मामला है जिसके बारे में पूरे सदन तथा पूरे देश को चिंता है। इसलिए सभी दलों के नेताओं को समय दीजिए। मेरे जैसे निर्दलीय सदस्यों को समय न दीजिए परन्तु दलों के नेताओं को समय दीजिए।.......(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

.......(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रो. सोज, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

.......(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, कृपया बात को समझिए।

.......(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : लालू जी और श्री मुलायम सिंह दोनों ने ही उस घटना पर खेद व्यक्त किया है। मैं केवल नेताओं को ही बुला रहा हूं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

.......(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : अध्यक्ष महोदय, कल सदन में जो कुछ हुआ, उससे हम सब लोगों का माथा शर्म से झुक गया। सदन में विरोध प्रकट किये जाते रहे हैं। लेकिन कल तो लक्ष्मण रेखा पार हो गई। लोकतंत्र में मतभेद स्वाभाविक हैं। मतभेदों को प्रकट करने का एक तरीका है। हम संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दावा करते हैं। कल जो कुछ हुआ, वह हमारे दावे को झुठलाता है। लोकतंत्र मर्यादाहीन नहीं हो सकता। फिर वह भीड़तंत्र में बदल जायेगा। अगर यह सदन, यह संसद शालीनता से व्यवहार नहीं करेगी, इसके सदस्य शालीनता से आचरण नहीं करेंगे तो प्रदेशों की विधान सभाओं में क्या होगा, क्या हो रहा है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। लोकतंत्र का अर्थ है बहुमत का शासन, बहुमत की बात मानना। जो अल्पमत में है, उन्हें अपनी बात कहने का अधिकार होना चाहिये लेकिन उन्हें यह स्वीकार भी करना चाहिये कि वे अल्पमत में हैं और भविष्य में जब वे बहुमत से आयेंगे तो फिर उनकी बात स्वीकार्य होगी। अब अगर अल्पमत यह फैसला कर ले कि वह बहुमत की चलने नहीं देगा, सदन को चलने नहीं देगा, थोड़ी देर के लिये प्रतिरोध-विरोध समझ में आ सकता है।

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

जैसा कामरेड इन्द्रजीत गुप्त ने कहा इस सदन का इतने दिनों तक लगातार बहिष्कार होता रहा लेकिन एक सीमा में रहे। कल तो सारी सीमायें टूट गईं। अब मैं उसमें विस्तार से नहीं जाना चाहता। मैं 40 साल से अधिक समय से संसद से जुड़ा हुआ हूँ, ऐसा पीड़ादायक, ऐसा दुखदायी दृश्य कभी देखने को नहीं मिला। कल जो कुछ हुआ, दो दलों के नेताओं – श्री मुलायम सिंह यादव और श्री लालू प्रसाद ने माफी मांगी है। वे कहते हैं कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से भी मॉफी मांगी थी। सदन को उसे स्वीकार करना चाहिये। हम भी स्वीकार करते हैं। मैं अपने संसदीय कार्यमंत्री

श्री जी.एम. बनातवाला : वे माफी भी मांगते हैं, क्रिटिसाईज भी करते हैं। यह अच्छी बात नहीं है। इसके लिए भी कुछ कहिये।

شری جی ایم بنات والا (پوننانی) : وہ معافی بھی مانگتے ہیں، کریٹیسائز بھی کرتے ہیں۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس کے لئے بھی کچھ کہیے۔

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं आपसे सहमत हूँ।

अगर माफी हृदय से है तो सबसे बड़ी सजा है। मैं संसदीय कार्य मंत्री से कहूंगा कि उन्होंने जो प्रस्ताव पेश किया है, वह उस पर जोर न दें और सदन आगे कार्रवाई चलाएं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कल कुछ सदस्यों के आचरण, विशेषकर श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (जहानाबाद) और प्रो. अजित कुमार मेहता के आचरण के बारे में मेरे द्वारा आज की गई टिप्पणियों को देखते हुए माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा आज प्रस्तुत किये गऐ प्रस्ताव को देखते हुए श्री लालू प्रसाद और श्री मुलायम सिंह यादव ने बिना किसी शर्त के क्षमा याचना मांगी है।

इसी को देखते हुए, मैं संसदीय कार्य मंत्री से श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (जहानाबाद) और प्रो. अजित कुमार मेहता के निलंबन का प्रस्ताव वापिस लिये जाने के लिए सभा से अनुमति चाहता हूँ। इससे पहले कि संसदीय कार्य मंत्री बोलने के लिए खड़े हों, मैं सदन के उन नेताओं के प्रति व्यक्त किया गया अपना आभार कार्यवाही वृत्तात में सम्मिलित करना चाहता हूँ जिन्होंने पीठाध्यक्ष की प्रतिष्ठा और सभा की सप्रभुता बनाए रखने में मदद देने के प्रति अपनी वचनबद्धता की पुनः पुष्टि की है।

.....(व्यवधान)

श्री जी.एम. बनातवाला : परन्तु यहां अन्य सदस्य भी थे, जिन्होंने उन्हें ऐसा कहने की अनुमति नहीं दी गई थी।

प्रो. सैफुद्दीन सोज : हमारी बात बिल्कुल नहीं सुनी गई।

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, सदन में बिना शर्त हृदय से की गई क्षमा याचना को देखते हुऐ मैं दोनों सदस्यों श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (जहानाबाद) और प्रो. अजित कुमार मेहता के निलंबन के लिए मेरे द्वारा लाए गए प्रस्ताव को वापस लेने के लिए सभा से अनुमति चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : क्या सभा श्री मदन लाल खुराना द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव को वापस लेने की अनुमति देती है।

प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

अपराह्न 12.47 बजे

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 के अंतर्गत अधिसूचनाएं

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) सीमा सुरक्षा बल अधिनिमय, 1968 की धारा 141 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सीमा सुरक्षा बल (अधिकारियों की वरिष्ठता, पदोन्नति और अधिवर्षिता) संशोधन नियम, 1998 जो 27 मई, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का.नि. 273 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सीमा सुरक्षा बल, मुख्य विधि अधिकारी और विधि अधिकारी (संशोधन) नियम, 1998 जो 27 मई, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 274 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सीमा सुरक्षा बल (चिकित्साधिकारी कॉडर) संशोधन नियम, 1998 जो 27 मई, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 275 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 1039/98]

(2) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उपधारा (3) के अन्तर्गत केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (संशोधन) नियम, 1998 जो 26 मई, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 272 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 1040/98]

(3) भारत-तिब्बत सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1992 की धारा 156 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल (चिकित्सा अधिकारी संवर्ग) नियम, 1997 जो 2 अगस्त, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 299 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल (चिकित्सा अधिकारी संवर्ग) संशोधन नियम, 1998 जो 30 मई, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 286 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 1041/98]

(4) रिहेब्लिटेशन प्लान्टेशन लिमिटेड, पुनालुर और रिपाट्रिएट्स [illegible]परेटिव फाईनेंस एण्ड डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष [illegible] के वार्षिक प्रतिवेदनों* को सभा पटल पर रखने में हुए [illegible] कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 1042/98]

(5) हिन्दी के प्रसार और विकास तथा संघ के विभिन्न सरकारी प्रयोजनों के लिए इसके उत्तरोत्तर प्रयोग में तेजी लाने संबंधी कार्यक्रम और इसके कार्यान्वयन के बारे में वर्ष 1996-97 के वार्षिक निर्धारण प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 1043/98]

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत अधिसूचनाएं

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री (सरदार सुरजीत सिंह बरनाला) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल रख रखता हूं :

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) का.आ. 555 (अ) जो 5 अगस्त, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसमें 13 सितम्बर, 1960 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2232 में प्रकाशित पहले के आदेश को विखंडित करने संबंधी आदेश अंतर्विष्ट है।

(दो) का.आ. 556 (अ) जो 5 अगस्त, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 5 जनवरी, 1967 की अधिसूचना संख्या का.आ. 84 में प्रकाशित पहले के आदेश को विखंडित करने संबंधी आदेश अंतर्विष्ट है।

(तीन) का.आ. 557 (अ) जो 5 अगस्त, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 21 जून, 1966 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1931 में प्रकाशित पहले के आदेश को विखंडित करने संबंधी आदेश अंतर्विष्ट है।

(चार) का.आ. 558 (अ) जो 5 अगस्त, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 19 अक्टूबर, 1962 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3218 में प्रकाशित पहले के आदेश को विखंडित करने संबंधी आदेश अंतर्विष्ट है।

(पांच) का.आ. 559 (अ) जो 5 अगस्त, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 16 मार्च, 1963 की अधिसूचना संख्या का.आ. 689 में प्रकाशित पहले के आदेश को विखंडित करने संबंधी आदेश अंतर्विष्ट है।

(छः) का.आ. 560 (अ) जो 5 अगस्त, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 29 नवम्बर, 1963 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3395 में प्रकाशित पहले के आदेश को विखंडित करने संबंधी आदेश अंतर्विष्ट है।

(सात) का.आ. 561 (अ) जो 5 अगस्त, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें, उल्लिखित कतिपय वस्तुओं को आवश्यक वस्तु घोषित किए जाने संबंधी आदेश अंतर्विष्ट है।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 1044/98]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक कैमीकल्स लिमिटेड, रासायनी के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक कैमीकल्स लिमिटेड, रासायनी का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपुर्यक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 1045/98]

* वार्षिक प्रतिवेदनों के लेखापरीक्षा लेखाओं के साथ 2 जून, 1998 को सभा पटल पर रखा गया था।

(4) चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 की धारा 9 की उपधारा (3) के अन्तर्गत चीनी विकास निधि (संशोधन) नियम, 1997, जो 21 नवम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 656 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 1046/98]

(5) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) केन्द्रीय भाण्डागार निगम और खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के बीच वर्ष 1998-99 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 1047/98]

(दो) हिन्दुस्तान वनस्पति तेल निगम लिमिटेड और खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के बीच वर्ष 1997-98 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 1048/98]

(तीन) हिन्दुस्तान वनस्पति तेल निगम लिमिटेड और खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के बीच वर्ष 1998-99 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 1049/98]

(चार) कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और रसायन और पेट्रोरसायन विभाग के बीच वर्ष 1998-99 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 1050/98]

शिक्षु (संशोधन) नियम, 1998 इत्यादि

[हिन्दी]

श्रम मंत्री (डॉ. सत्यनारायण जटिया) : महोदय, मैं, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उपधारा (3) के अंतर्गत शिक्षु (संशोधन) नियम, 1998 जो 28 मार्च, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 150 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 1051/98]

(2) अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संविधान में संशोधन करने वाले अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन लिखित के अनुसमर्थन के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 1051क/98]

संविधान के अनुच्छेद 280 के परन्तुक के अंतर्गत अधिसूचना

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

संविधान के अनुच्छेद 280 के परन्तुक के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 557 (अ) जो 3 जुलाई, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 11वें वित्त आयोग, जिसमें चेयरमैन तथा चार अन्य सदस्य होंगे, के गठन के बारे में राष्ट्रपति का आदेश अंतर्विष्ट है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 1052/98]

केन्द्रीय वक्फ परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखे तथा कार्यकरण की समीक्षा

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ :

(1) (एक) केन्द्रीय वक्फ परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय वक्फ् परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केन्द्रीय वक्फ परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 1053/98]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों को एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास तथा वित्त निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास तथा वित्त निगम, नई दिल्ली का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 1054/98]

(5) (एक) केन्द्रीय वक्फ परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय वक्फ परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केन्द्रीय वक्फ परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 1055/98]

अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुम्बई के वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा इत्यादि

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) अन्तर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुम्बई के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अन्तर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुम्बई के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 1056/98]

भारतीय पेट्रोरसायन निगम लिमिटेड, बड़ोदरा के वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा इत्यादि

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. ए. के. पटेल) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) भारतीय पेट्रोरसायन निगम लिमिटेड, बड़ोदरा के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय पेट्रोरसायन निगम लिमिटेड, बड़ोदरा के वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 1057/98]

(3) भारतीय पेट्रोरसायन निगम लिमिटेड, बड़ोदरा और रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 1998-99 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 1058/98]

अपराह्न 12.48 बजे

[अनुवाद]

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य-सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेश की सूचना सभा को देनी है :

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (रेल) संख्या 3 विधेयक, 1998 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 7 जुलाई, 1998 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिये भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध मे कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

अपराह्न 12.48½ बजे

[हिन्दी]

संचार संबंधी स्थायी समिति
पहला, दूसरा और तीसरा प्रतिवेदन

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, संचार संबंधी स्थायी

समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ :

(1) दूर संचार विभाग-संचार मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (1998-99) के बारे में पहला प्रतिवेदन।

(2) डाक विभाग - संचार मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (1998-99) के बारे में दूसरा प्रतिवेदन।

(3) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (1998-99) के बारे में तीसरा प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.49 बजे

शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति चौथा और पांचवा प्रतिवेदन

श्री किशन सिंह सांगवान (सोनीपत) : मैं शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ :

(1) ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (1988-99) के बारे में चौथा प्रतिवेदन।

(2) ग्रामीण रोजगार और गरीबी उन्मूलन विभाग (ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (1998-99) के बारे में पांचवा प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.50 बजे

[अनुवाद]

संविधान (चौरासीवां संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 239कक, 331 और 333 का संशोधन और नये अनुच्छेद 330क, 332क तथा 334क का अंतःस्थापन)

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डॉ. एम. तम्बी दुरई) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, संविधान (चौरासीवां संशोधन) विधेयक, 1998 अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका उद्देश्य राजनीति में महिलाओं की सार्थक भागीदारी है। इस सभा में इसके कुछ उपबंधों के बारे में मतभेद है क्योंकि इसके बारे में कुछ दलों को कड़ी आपत्ति है और इसलिए उन्होंने इस विधेयक को पुरःस्थापित किये जाने का भी विरोध किया है। संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली में सांमजस्यपूर्ण और सहमति-जन्य तरीके से कार्य करना वांछनीय होता है। कल जो कुछ सभा में हुआ उससे हम सभी अवगत हैं और यदि हम श्रेष्ठ संसदीय परम्पराओं को कायम रखना चाहते हैं तो हम ऐसा निरन्तर नहीं होने दे सकते।

मैं इस मुद्दे पर नेताओं से परामर्श करता हूँ और सहमति बनाने का प्रयास कर रहा हूँ जोकि अभी तक संभव नहीं हो पाया है।

आज सुबह सर्वदलीय बैठक में एक सुझाव दिया गया है कि इस विधेयक का पुरःस्थापन स्थगित कर दिया जाये ताकि दलों और नेताओं में पुनः विचार-विमर्श किया जा सके और एक ऐसा सौहार्दपूर्ण समाधान निकाला जा सके जो सभी को स्वीकार्य हो।

इन परिस्थितियों में, मैं सभा की सहमति से यह प्रस्ताव करता हूँ, कि इस विधेयक का पुरःस्थापन कुछ समय के लिए स्थगित किया जाये।

.....(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी (दक्षिण कलकत्ता) : महोदय, हम इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती कैलाशो देवी (कुरुक्षेत्र) : सर, हम इसे स्वीकार नहीं करते हैं।.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सभा अपराह्न 2 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.52 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.02 बजे

[अनुवाद]

लोक सभा अपराह्न 2.02 बजे पुनः समवेत हुई।

[श्री वी. सत्यमूर्ति *पीठासीन हुए*]

संविधान (पचासीवां संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 269 का संशोधन और नए अनुच्छेद 270, 271 का प्रतिस्थापन तथा अनुच्छेद 272 का लोप)।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री यशवन्त सिन्हा : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूँ।

---

* भारत के राजपत्र असाधारण भाग-दो, खंड-2, दिनांक 14.7.98 में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

[अनुवाद]

.....*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी : हम महिला विधेयक चाहते हैं। हम न्याय की मांग करते हैं।.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप कृपया सभी अपने स्थान पर बैठ जाइए। संसदीय कार्य मंत्री अब अपने विचार रखेंगे।

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : सभापति जी, गवर्नमैंट की स्थिति बहुत क्लीयर है। हम इस बिल के पक्ष में थे और बिल के पक्ष में हैं। हमने कल अपनी इंटेन्शन स्पीकर साहब को बता दी थी। अब यह स्पीकार साहब के हाथ में है, वह जिस दिन की डेट फिक्स कर देंगे, हम उसके लिए तैयार हैं।.....*(व्यवधान)*

अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : हम महिला विधेयक के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इंदौर) : आप हमें फिक्स डेट बताइये।.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : हम निर्धारित तिथि चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : आज सभी दलों की जो मीटिंग हुई है उसमें.....*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी : सभी दलों की मीटिंग नहीं हुई। हमें उसमें नहीं बुलाया गया।.....*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा) : सभापति महोदय, चेयर की रूलिंग के खिलाफ कोई बोलेगा तो.....*(व्यवधान)* हमसे तो माफी मंगवा ली है।.....*(व्यवधान)* अब चेयर के खिलाफ ये लोग बोल रहे हैं।.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : हम आश्वासन चाहते हैं।

सभापति महोदय : माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा निर्णय पहले ही लिया जा चुका है कि सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ एक बैठक बुलाई जाए।

.....*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी : हम जानना चाहते हैं कि इसका समर्थन करने वाले नेता कौन हैं और इसमें किन नेताओं ने भाग लिया है।.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय अध्यक्ष महोदय ने सरकार को विशेष निर्देश दिये हैं कि सभी दलों के नेताओं की बैठक बुलाई जाए और इस विधेयक को पुरःस्थापित करने के लिए अन्य दलों की सहमति भी ली जाए।

.....*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी : नहीं।

[हिन्दी]

श्रीमती भावना बेन देवराजभाई चिखलिया (जूनागढ़) : आप हमें सभी दलों का फैसला बता दीजिए।.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा पहले ही निर्णय लिया जा चुका है।

.....*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी : वह बैठक इस सरकार अथवा राजनीतिक दलों का हिस्सा नहीं है। हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें सूचित नहीं किया गया था। हमारी उस बैठक में लिये गए निर्णय में भी कोई रुचि नहीं है। हम कोई परामर्श भी नहीं चाहते हैं।.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि दो दिन के भीतर सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी।

.....*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी : हम निर्धारित तिथि और निश्चित कार्यवाही चाहते हैं.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : सर्वदलीय बैठक दो दिन के भीतर बुलाई जाएगी और तत्पश्चात सरकार द्वारा कोई निर्णय लिया जाएगा। यह सरकार पर निर्भर करेगा कि वह इस विधेयक को पुरःस्थापित करे अथवा न करे। निर्णय दो दिन के भीतर लिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वयं यह निर्देश पहले ही दे दिया गया है।

.....*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी : हम निश्चित आश्वासन चाहते हैं .....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : संसदीय कार्य मंत्री अब स्थिति को स्पष्ट करेंगे।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : आपने अभी जो बात कही, आप स्पीकर साहब से खुद बात कर लें। गवर्नमेंट ने टाइम नहीं मांगा है, स्पीकर साहब ने टाइम मांगा है।.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : हम निश्चित आश्वासन चाहते हैं. .....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय अध्यक्ष महोदय ने दो दिन का समय निर्धारित किया है। दो दिन के भीतर यह सरकार आमसहमति प्राप्त करेगी।

.....*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी : हम निश्चित आश्वासन चाहते हैं. .....*(व्यवधान)* महोदय, हम निश्चित आश्वासन चाहते हैं। हम न्याय चाहते हैं।....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय अध्यक्ष महोदय विभिन्न संसदीय दलों और ग्रुपों के नेताओं की बैठक बुलाएंगे। यह विधेयक दो दिन के लिये स्थगित कर दिया गया है। माननीय सदस्यों को तब तक इंतजार करना चाहिए।

.....*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी : हम महिला आरक्षण विधेयक चाहते हैं.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : सभी महिला सदस्यों को समझना चाहिए कि यह विधेयक पूरी तरह छोड़ नहीं दिया गया है। इसको केवल समय दिया गया है।

.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अध्यक्ष महोदय ने समय दिया है। अध्यक्ष महोदय ने यह निर्णय स्वतः दिया है। उन्होंने सरकार को दो दिन का समय दिया है।

.....*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.12 बजे

(इस समय कुमारी ममता बनर्जी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा पटल के निकट फर्श पर बैठ गए)

सभापति महोदय : सभा अपराह्न 3.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.13 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 3.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 3.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 3.00 बजे पुनः समवेत हुई।

[श्री पी.एम. सईद *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : हम महिला आरक्षण विधेयक चाहते हैं.....*(व्यवधान)* इसे कब पुरःस्थापित किया जाएगा ?..*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : यह विधेयक कार्य सूची में था लेकिन इसे हटा दिया गया। इसे सूची में क्यों रखा गया था ? .....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री आचार्य, कृपया मेरी बात सुनिये।

.....*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी : हम समय सीमा के बारे में जानना चाहते हैं.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैडम, मैं आपकी बात सुनूंगा कृपया आप मेरी बात सुनिए।

.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं बोल रहा हूँ।

.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री आचार्य, मैं आपकी बात सुनूंगा। आप सभापति की तालिका में हैं। कृपया मेरी बात सुनिए।

.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मुझे कुछ कहने तो दीजिए। क्या आप कृपया मेरी बात सुनेंगे ?

.....*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी : हम न्याय चाहते हैं.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं आपकी और अन्य सदस्यों की बात भी सुनूंगा।

.....*(व्यवधान)*

श्री अजीत जोगी (राजगढ़) : सदन में कोई भी मंत्री उपस्थित नहीं है।.....*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू (मद्रास दक्षिण) : कोई केबिनेट मंत्री उपस्थित नहीं है।.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री बालू, मैंने बोलने का मौका उन्हें दिया है।

.....*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी : यह उस निर्णय का अत्यंत खेद जनक हिस्सा है। मैं भी अपने दल की नेता हूँ। हालांकि मैं एक छोटे दल की नेता हूँ.....*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू : महोदय, उनकी बात सुनने के लिए कोई मंत्री उपस्थित नहीं हैं।.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री बालू कृपया उन्हें कुछ बोलने दीजिए।

.....*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी : हम सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सदन की कार्यवाही चले। हमें इसमें कोई आपत्ति भी नहीं है। लेकिन यह उस निर्णय का अत्यंत खेदजनक हिस्सा है। पिछली बार यह महिला विधेयक प्रवर समिति के पास भेजा गया था। डेढ़ वर्ष से ज्यादा का समय बीत चुका है। सभी राजनीतिक दलों ने प्रवर समिति में अपने विचार व्यक्त किये थे। कई अन्य सदस्यों ने भी अपनी राय अल्पसंख्यकों और अन्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में व्यक्त की थी। हम भी उनके पक्ष में है। यदि हर बार इस विधेयक को रद्दी की टोकरी में फेंका जाएगा तो इस विधेयक की क्या आवश्यकता है? इस देश में महिलाओं का सम्मान कहां है कि हम इस विधेयक को पुरःस्थापित नहीं कर सकते हैं? यह शर्म की बात है। मैं समझती हूँ कि अध्यक्षपीठ को हमें निर्धारित तिथि, विशेष जानकारी और समय सीमा के बारे में बतानी चाहिए कि यह विधेयक कब पुरःस्थापित किया जा रहा है।

यदि इसे व्यापक विधेयक के रूप में पुरःस्थापित किया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप इसमें अल्पसंख्यकों और अन्य पिछड़ा वर्गों को भी शामिल कर सकते हैं। इस विधेयक को दो दिन के भीतर कल अथवा परसों पुरःस्थापित किया जाना चाहिए। हम इसके लिए निर्धारित समय सीमा चाहते हैं अन्यथा हम केवल गिलोटीन संबंधी कार्यवाही ही चलने देंगे। यदि वे इस महिला विधेयक को गिलोटीन करते हैं तो हम कोई अन्य कार्यवाही नहीं चलने देंगे क्योंकि यह विधेयक महिलाओं के सम्मान से जुड़ा हुआ है। कल क्या हुआ था? मैं सभा से अपील करती हूँ कि कृपया कल जो कुछ हुआ उसकी क्षतिपूर्ति कीजिए, इस विधेयक को पुरःस्थापित कीजिए। इस विधेयक के पुरःस्थापन के पश्चात आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। हमे उसमें कोई आपत्ति नहीं है।

महोदय, यह सोची समझी चाल है कि यह विधेयक सभा में पुरःस्थापित न किया जाए। हमने ग्यारहवीं लोक सभा में ऐसे ही होते देखा था। हमारे पूर्ववर्ती नेता श्री राजीव गांधी की भी यह इच्छा थी कि महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए। .....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब श्रीमती गीता मुखर्जी अपने विचार व्यक्त करेंगी।

.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मुझे श्रीमती गीता मुखर्जी की बात सुनने दीजिए।

.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप बैठिए, आपको भी चांस मिलेगा।

.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : क्या यह उचित होगा कि हर बार यह विधेयक रद्दी की टोकरी में जाये। क्या यह उचित है कि हर बार सर्वसम्मति के नाम पर महिला आरक्षण विधेयक रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाये? इससे भारत के लोगों में क्या संदेश जाएगा? अन्य देशों को क्या संदेश जाएगा कि भारतीय संसद महिला आरक्षण विधेयक को पारित नहीं कर सकती है। ये सब क्या है?

मेरी सरकार से यह अपील है कि जब तक कि महिला आरक्षण विधेयक पुरःस्थापित नहीं किया जाता है तब तक हम आराम से नहीं बैठेंगे। हम सभा की कार्यवाही में व्यवधान नहीं डालना चाहते हैं। परन्तु हमें जब तक यह आश्वासन नहीं मिल जाता है कि कब तक इसे पुरःस्थापित किया जाएगा तब तक हम आराम से नहीं बैठेंगे। हमारी लोगों के प्रति भी प्रतिबद्धता है। हम महिलाओं के लिए सामाजिक न्याय चाहते हैं। हम पुरुषों के लिए भी सामाजिक न्याय चाहते हैं। इसीलिए हम पुरुषों के लिए 67 प्रतिशत आरक्षण और महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की मांग कर रहे हैं। हम केवल 33 प्रतिशत ही महिलाओं के लिए मांग रहे हैं। .....*(व्यवधान)*

श्रीमती गीता मुखर्जी : सभापति महोदय, महोदय ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : सभापति जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है .....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपका क्या व्यवस्था का प्रश्न है? किस नियम के तहत आप व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं।

.....*(व्यवधान)*

कुमारी ममती बनर्जी : महोदय, हमें न्याय चाहिए .....*(व्यवधान)*

श्री वसुदेव आचार्य : माननीय सभापति ने श्रीमती गीता मुखर्जी का नाम पुकारा है और आप उन्हें बोलने नहीं दे रहे हैं। यह सब क्या हो रहा है?.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैंने अपने विचार प्रकट करने के लिए श्रीमती गीता मुखर्जी को अनुमति दी है।

.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि वे मेरी बात सुनें।

.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मुझे सभा की कार्यवाही को चलाने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : शांत रहिए, लालू जी का व्यवस्था का प्रश्न है।

.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैंने श्रीमती गीता मुखर्जी का नाम पुकारा है। परंतु तभी श्री लालू प्रसाद ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया। इसीलिए पहले मैं उनकी बात सुनना चाहता हूँ।

.....*(व्यवधान)*

श्रीमती गीता मुखर्जी : वे किस नियम के तहत व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं.....*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय आपने श्रीमती गीता मुखर्जी को अपने विचार-व्यक्त करने की अनुमति दी है। परन्तु वे लोग उन्हें बोलने नहीं दे रहे हैं। कृपया उन्हें नियत्रिंत करें....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कुमारी ममता बनर्जी, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। आपको मैंने सभा में बोलने की अनुमति दी थी। आप जो भी चाहती थी, जो मुद्दे उठाना चाहती थी आपने उन मुद्दों को उठाया।

.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप किस नियम के अन्तर्गत अपना व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं ?

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : सभापति महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर है। स्पीकर महोदय ने रूलिंग दी है।.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं आपकी बात सुन चुका हूँ। मुझे उनके व्यवस्था के प्रश्न को सुनने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : सभापति महोदय, स्पीकर साहब ने रूलिंग दी है। बिल को डैफर कर दिया गया है।.....*(व्यवधान)* अब स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ व्यवहार नहीं हो सकता है।.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया मेरा विनिर्णय सुनिए। मुझे विनिर्णय देने दीजिए। उन्होंने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया है।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : महोदय, यह स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ व्यवहार है। ....*(व्यवधान)*

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चिखलिया : महोदय, अगर लालू जी को नियम का पता होता, तो कल जो हुआ, उसके खिलाफ वे काम नहीं करते।.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : जब मैं खड़ा हूँ, तो आपको बैठना चाहिए। आप सीनियर मैम्बर हैं, आपको बैठना चाहिए।

.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री लालू प्रसाद ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। उन्होंने पूछा कि, माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा एक निर्णय किए जाने के बाद क्या अध्यक्षपीठ को उस मामले को पुनः उठाने की अनुमति देने का अधिकार है ? उन्होंने यह कहा है कि अध्यक्ष महोदय द्वारा विधेयक को स्थगित कर दिया गया है। वे एक आश्वासन चाहती हैं कि इसे कब पुरःस्थापित किया जाएगा। इसीलिए कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : सभापति महोदय, यह हुआ कि अध्यक्ष द्वारा यह घोषणा करने कि यह विधेयक दो दिन के लिए स्थगित किया जाता है, के बाद आज पहले सभा के स्थगित होने के साथ ही.....*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : दो दिन नहीं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : हाँ महोदय, दो दिन के लिए।

हम तुरन्त अध्यक्ष महोदय से मिलने गए और उनके कक्ष में भूख-हड़ताल पर बैठ गए। हम सबने कहा कि इन दो दिनों के बाद हम निश्चित तारीख चाहते हैं.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : पूरी सभा आपको सुन चुकी है। उन्हें बोलने दीजिए।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं आपकी सहायता नहीं चाहती हूँ। .....*(व्यवधान)* वे बोलने नहीं देगें, तो मैं देखूंगी।.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : मैं हैल्प कर रहा हूँ। .....*(व्यवधान)*

श्रीमती गीता मुखर्जी : मुझे आपकी हैल्प की जरूरत नहीं है।.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

हमने अध्यक्ष महोदय से कहा था। हमने मांग की थी कि वे सभा में स्पष्ट घोषणा करें कि किस तारीख को हमारे सम्मुख इस विधेयक को पुरःस्थापित किया जाएगा। हमने अध्यक्ष महोदय से यह कहा था। तत्पश्चात बैठक स्थगित हो गई थी। हम लोग यहां आये और यही मांग की। हम अब भी वही मांग कर रहे हैं कि जो कुछ हुआ हम उससे सहमत नहीं हैं। हम एक स्पष्ट आश्वासन चाहते हैं। हम इस विधेयक को दो दिन स्थगित करने के निर्णय से खुश नहीं हैं परन्तु उन्होंने ऐसा कहा है इसीलिए हम इससे सहमत हैं। परन्तु हम चाहते हैं कि इसके पुरःस्थापन की एक तारीख नियत की जाए।

यही हम अध्यक्ष महोदय से जानना चाहते थे।

सभापति महोदय : मैं अपना विनिर्णय दूंगा।

श्रीमती गीता मुखर्जी : यह विधेयक मात्र महिलाओं के लिए नहीं है। मैं यह स्पष्ट करना चाहती हूँ कि कोई भी यह नहीं कह सकता कि यह विधेयक मात्र महिलाओं के लिए है। मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि यह मात्र महिलाओं के लिए नहीं है अपितु यह पूरी संसद और सभी देशवासियों के लिए है। .....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं आपको अनुमति दूंगा।

श्रीमती गीता मुखर्जी : हम महिलाओं के उत्थान में पूर्ण विश्वास रखते हैं।.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री आनन्द मोहन (शिवहर) : सभापति जी, मैं पहला सदन का व्यक्ति हूँ जो महिला बिल के पक्ष में है.....*(व्यवधान)* अगर और लोग भी पक्ष में हैं तो चुप क्यों हैं, वे ड्रामा न करके सामने आएं। बी.जे.पी. जो लोग बिल लाए हैं उनकी नीयत में खोट हैं और मैं महिलाओं से भी कहूंगा कि उनकी नीयत को वे समझें। जो कांग्रेस के लोग पक्ष में बोल रहे हैं इनकी नीयत में भी खोट है। लालू प्रसाद यादव जी और मुलायम सिंह यादव जी बदनाम भले ही हों, लेकिन कांग्रेस और बी.जे.पी. के लोग नहीं चाहते कि यह बिल आए।.....*(व्यवधान)* जिस तरह से इस बिल को सदन में हंगामा करके रोका गया और माफ कीजिएगा हमें खेद है।.. .....*(व्यवधान)* भावना जी, आप पहले मेरी बात सुने लें।..... *(व्यवधान)* आप अपना मन टटोलिये।.....*(व्यवधान)* मैं सही कह रहा हूँ।.....*(व्यवधान)*

श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर) : आप क्या कह रहे हैं ?

श्री आनन्द मोहन : मैं सही कह रहा हूँ। आप तो कह रहे थे कि महिलाओं को पहले शिक्षा दी जानी चाहिए और उसके बाद अधिकार देना चाहिए।.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री आनन्द मोहन कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

[हिन्दी]

श्री आनन्द मोहन : सभापित जी, आप मुझे बोलने दीजिए। हमें अपनी बात को कहने का मौका नहीं मिला।

सभापति महोदय : आपने जो कहना था कह दिया, आप बैठ जाइये।

श्री आनन्द मोहन : सभापति जी, आप मेरी बात सुन लीजिए। इन लोगों की नीयत में खोट है। जो पिछड़ों की बात करते हैं, मुस्लिम की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं वे महिलाओं के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैंने श्रीमती सुमित्रा महाजन का नाम पुकारा है।

[हिन्दी]

श्री आनन्द मोहन : बिल पर पहले हमें बोलने दिया जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

.....*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात खत्म करें। कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

.....*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह : सभापति जी, ये प्रवचन दे रहे हैं।

श्री आनन्द मोहन : अगर हंगामे से बिल को रोका गया तो आगे भी सदन नहीं चलेगा। बिल आए और पास हो और जिसको महिलाओं के बारे में, मुस्लिम के बारे में, दलितों और पिछड़ों के बारे में बात करनी है वह बाद में करे।

---

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री आनन्द मोहन, कृपया अपने स्थान पर बैठ जायें। जब मैं खड़ा हूँ तो आपको बैठ जाना चाहिए।

.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

.....*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चिखलिया : सभापति जी, यह तो दादागिरी है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मुझे आपके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी।

.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री आनन्द मोहन, मैंने उनसे इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न करने के लिए कहा है।

.....*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मैंने श्रीमती सुमित्रा महाजन का नाम पुकारा है।

.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इंदौर) : माननीय सभापति जी, मुझे आज वास्तव में उस समय एक बात पर बहुत खुशी हुई जब लालू प्रसाद जी ने नियमों के अंतर्गत बात करने की कोशिश की। .....*(व्यवधान)* बातें बहुत होती हैं।.....*(व्यवधान)* मैं चिल्ला नहीं सकती। महिला आरक्षण बिल पर गत दो साल से चर्चा चल रही है। पहले भी लोक सभा में इसी प्रकार यह बिल इंट्रोड्यूस होने के बार सिलेक्ट कमेटी को भेजा गया था। उसमें सभी पार्टियों के सदस्य मौजूद थे। कहा जाता है कि एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। हिन्दुस्तान में जिन की 50 प्रतिशत संख्या है, उनकी भी निर्णय में सहभागिता है। आज हम प्रजातंत्र की बात करते हैं। वे निर्णय लेने में सक्षम हों, उनकी भी सहभागिता इस राष्ट्र के विकास में हो, ये सब भावनाएं मन में रखते हुए ही महिला आरक्षण बिल लाया गया है। कल जिस तरह से इस बिल को रोकने की कोशिश हुई.....*(व्यवधान)* मैं आपको कुछ नहीं कह रही हूँ। मेरा इतना ही निवेदन है कि माननीय सदस्य बिल इंट्रोड्यूस होने के बाद संशोधन दे सकते हैं। कल जिस प्रकार का यह हुड़दंग हुआ, ठीक उसके लिए माफी मांगी गई, मुझे इसमें कुछ नहीं कहना है, पहले माफी मांगो, फिर तमाचे मारो, यह प्रौसेस चलते रहने दो लेकिन बात इतनी सी है कि इतना सब होने के बाद आज बिल इंट्रोड्यूस हो जाना चाहिए था। अगर वह नहीं होता है तो हमारा इतना ही कहना है कि हमें कोई एक ठोस आश्वासन मिलना चाहिए! हम सब महिलाएं स्पीकर साहब को इसलिए मिलीं.....*(व्यवधान)* मुझे अपनी बात पूरी करने दो। .....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब आप खत्म करिए।

श्रीमती सुमित्रा महाजन : हम सब ने स्पीकर साहब को यही निवेदन किया है कि जब यहां दो दिन की बात होती है तो वे दो दिन आज और कल के दो दिन हैं.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : वे अध्यक्षपीठ को सम्बोधित कर रही हैं। आप इस बात को समझिए।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन : वे आज और कल के दो दिन हैं या कल और परसों के दो दिन हैं, हम एक ही आश्वासन स्पीकर साहब से चाहते हैं कि बिल इंट्रोड्यूस होने की कोई निश्चित तारीख तय होनी चाहिए। हमें जब तक निश्चित तारीख नहीं मिलती तब तक हम भी सदन को चलने नहीं देंगे।

श्री सुरेन्द्र सिंह : सभापति जी, इस सदन में कोई राजनीतिक दल ऐसा नहीं होगा जो इस बिल के पक्ष में न हो लेकिन देखने की बात यह है कि हमारी बहन ममता जी और दूसरी सांसद बहनें इस बात का दबाव दे रही हैं कि जैसा कि यह बिल है, वैसा ही इसे इंट्रोड्यूस कर पास किया जाए।

कुमारी ममता बनर्जी : हमारा यह कहना है कि बिल इंट्रोड्यूस होने के बाद इस पर बहस हो।.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री यहां उपस्थित हैं। हम उनकी प्रतिक्रिया चाहते हैं। .....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : महोदय, श्री सुरेन्द्र सिंह अध्यक्षपीठ को सम्बोधित कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री सुरेन्द्र सिंह : मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ। .....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : हम सरकार से आश्वासन चाहते हैं .....*(व्यवधान)* संसदीय कार्य मंत्री यहां उपस्थित हैं, विपक्ष के नेता भी उपस्थित हैं। हम एक आश्वासन चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : उन्हें अपनी बात पूरी करनी दीजिए। मैं सरकार से ऐसा करने के लिए कहूंगा। यदि वे प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं तो वे कर सकते हैं। परंतु पहले उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। मैं अब ऐसा कैसे कर सकता हूँ?

.....(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : नहीं महोदय, हम न्याय चाहते हैं। *....(व्यवधान)*

सभापति महोदय : पहले उन्हें अपनी बात पूरा करने दीजिए।

.....(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, उन्हें हमें आश्वासन देने दीजिए। अन्यथा हम वहिर्गमन करेंगे। *.....(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सुरेन्द्र सिंह : सभापति जी, मेरा सबमिशन यह है कि *...(व्यवधान)* आप मेरी 5 मिनट तक बात बड़े आराम से सुन लें। मैं बिल्कुल आप लोगों की मदद के लिये हूँ और इसका समर्थन करता हूँ। मेरा सबमिशन सुनने में क्या एतराज हो सकता है? मेरा सबमिशन यह है कि.....*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया ऐसा मत कीजिए। मैं आपसे ऐसी टिप्पणियों की अपेक्षा नहीं करता हूँ।

श्री सुरेन्द्र सिंह : मुझे खेद है, महोदय।

सभापति महोदय : यह टिप्पणी कार्यवाही वृतान्त में नहीं जाएगी।

*....(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री सुरेन्द्र सिंह : सभापति जी, मेरा सबमिशन यह है कि चाहे आप इनका 33 परसेंट से 50 परसेंट क्यों न कर दें। *....(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री सुरेन्द्र सिंह, कृपया अपनी बात समाप्त करें।

.....(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री सुरेन्द्र सिंह क्या आपने अपनी बात पूरी कर ली? कृपया पूरी करें।

.....(व्यवधान)

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

सभापति महोदय : उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

.....(व्यवधान)

सभापति महोदय : उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। मैं सरकार से कहूंगा और यदि वे प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहें तो कर सकते हैं।

.....(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी : हमें सबमिशन नहीं चाहिये, हमें हमारा महिला बिल चाहिये।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री सुरेन्द्र सिंह, कृपया अब अपना भाषण समाप्त करें।

.....(व्यवधान)

सभापति महोदय : कुमारी ममता बनर्जी और कई अन्य माननीय सदस्यों ने विधेयक को आस्थगित करने का उल्लेख किया है। अध्यक्ष का निर्णय कायम है और जब तक वे स्वंय न चाहें उसकी कोई समीक्षा नहीं कर सकता है। इसलिए विधेयक के संबंध में अब अध्यक्षपीठ कुछ नहीं कर सकती है।

जहां तक उनके द्वारा सरकार से मांगे गए आश्वासन का संबंध है मैं इसे उन पर छोड़ देता हूँ। यदि सरकार कुछ कहना चाहती है और यदि वे इस पर प्रतिक्रिया करना चाहते हैं तो वे ऐसा कर सकते हैं।

.....(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, मैंने नहीं बोला है। कृपया मुझे भी बोलने की अनुमति दें, हम भी अपना दृष्टिकोण रखना चाहते हैं.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : क्या आप मंत्री जी को सुनना नहीं चाहते हैं।

.....(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : पहले हम बोलेंगे और फिर वे प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं। आपने मुझे बोलने के लिए नहीं कहा है.. *.....(व्यवधान)*

सभापति महोदय : संसदीय कार्य मंत्री कुछ कहना चाहते हैं। यदि सभा उनकी बात को धैर्यपूर्वक सुनना चाहती है तो वे कुछ कहना चाहते हैं।

.....(व्यवधान)

सभापति महोदय : वे कुछ कहना चाहते हैं किंतु आप उनको बोलने नहीं दे रहे हैं।

.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मंत्री जी क्या आप कुछ कहना चाहते हैं ?

.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : क्या आप सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं या नहीं ?

.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं इसे नहीं समझता हूँ।

.....*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी : हम चाहते हैं कि अध्यक्षपीठ इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करें.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अन्य सदस्य भी कुछ बोलना चाहते हैं।

.....*(व्यवधान)*

अपराह्न 3.32 बजे

(इस समय कुमारी ममता बनर्जी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए)

.....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : सभा अपराह्न 5.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 3.32 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 5.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 05.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 5.00 बजे पुनः समवेत हुई।

*[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]*

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, हम महिला विधेयक के भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं।.....*(व्यवधान)* महिला सदस्य सुबह से क्षुब्ध हैं.....*(व्यवधान)* महोदय, आप नेताओं के नेता हैं।.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : महोदया, कृपया बैठ जाइए।

कुमारी ममता बनर्जी : आपने मंत्री जी को विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी है.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं एक टिप्पणी कर रहा हूँ। कृपया बैठ जाइए।

श्री वसुदेव आचार्य : क्या सरकार पुनः विधेयक ला रही है ?....*(व्यवधान)* हमें इस बारे में जानकारी दी जाए।...*(व्यवधान)* आपको हमें बताना चाहिए।

कुमारी ममता बनर्जी : हम महिला विधेयक के भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं।

श्री बलराम जाखड़ (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूँ.....*(व्यवधान)* पिछले पांच दिनों से भारत की 74 प्रतिशत जनता किसानों और ग्रामीण जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय सदस्य उनकी समस्याओं पर चर्चा करना चाहते हैं। किंतु मैं नहीं जानता कि यहां क्या हो रहा है। क्या हम अंधे हैं जो यह भी नहीं देख सकते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है ? हजारों लोग भूख से मर गए हैं और आत्महत्या कर रहे हैं। वे हमें इस बारे में बोलने नहीं दे रहे हैं.....*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, हम चर्चा करना चाहते हैं .....*(व्यवधान)*

श्री बलराम जाखड़ : आपको इस बारे में जरूर कुछ करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुमारी ममता बनर्जी, कृपया बैठ जाइए।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रभुनाथ सिंह, कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज) : अध्यक्ष महोदय, पिछले दो दिन से सदन में हंगामा चल रहा है। हम कह रहे हैं कि इस देश में बहुत बड़ी-बड़ी समस्याएं हैं। अभी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि महिला बिल लाया जाए। इस पर जनमत संग्रह कराइये उसके बाद महिला बिल इस सदन में लाने की बात करिये। .....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ममता जी, कृपया बैठ जाइए।

कुमारी ममता बनर्जी : हम महिला विधेयक के भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री आनन्द मोहन, कृपया बैठ जाइए।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, सभा की माननीय महिला सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं को देखते हुए मैं सभी दलों को इस विषय पर और परामर्श करने की सलाह देता हूं ताकि सरकार यथाशीघ्र इस विधेयक को पुरःस्थापित करने के लिए आगे आए।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब सभा, नियम 377 के अधीन मामले लेगी। श्री महेश कनोडिया।

.....*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, यह आपका आश्वासन है कि सरकार विधेयक को पुरःस्थापित करेगी।.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया नहीं।

[अनुवाद]

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा) : हम लोग आपके साथ हैं, इनके साथ नहीं हैं.....*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी : बहुत अच्छा, तब महिला बिल पास हो जायेगा।.....*(व्यवधान)*

श्री आनन्द मोहन (शिवहर) : अध्यक्ष महोदय, पहले महिला बिल लाया जाए, उसके बाद बाकी काम लिया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री आनन्द मोहन, कृपया बैठ जाइए। अब श्री पी. शिवशंकर बोलेंगे।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

.....*(व्यवधान)**

श्री पी. शिवशंकर (तेनाली) : अध्यक्ष महोदय, हमने देखा है कि सूचना.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री शिवशंकर के भाषण के सिवाय कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

.....*(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : श्री आनन्द मोहन, कृपया बैठ जाइए।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है ? आप अध्यक्षपीठ की अनुमति लिए बिना कैसे बोल सकते हैं। कृपया बैठ जाइए।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री आनन्द मोहन कृपया बैठ जाइए।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री आनन्द मोहन, बहुत हो गया। कृपया बैठ जाइए। आपको प्रक्रिया का पालन करना होगा। पहले आप बैठ जाइए।

श्री पी. शिवशंकर : महोदय, कुछ समय से हम समाचार पत्रों में पढ़ रहे हैं कि.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री आनन्द मोहन, बहुत हो गया, कृपया बैठ जाइए। मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है। यह क्या है ?

.....*(व्यवधान)*

श्री पी. शिवशंकर : महोदय कुछ समय से समाचार-पत्रों में यह समाचार आ रहा है कि.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री आनन्द मोहन, बहुत हो गया। कृपया बैठ जाइए अन्यथा मैं आपको सभा से बाहर निकाले जाने का आदेश दूंगा, कृपया बैठ जाइए।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

.....*(व्यवधान)**

श्री पी. शिवशंकर : महोदय, समाचार पत्रों में जैन आयोग की रिपोर्ट के बारे में छुट-पुट खबरें छप रहीं हैं जो जनता में असमंजस की स्थिति पैदा कर रही है.....*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय आपने कहा है कि आप सरकार को महिला आरक्षण विधेयक को यथाशीघ्र पुरःस्थापित करने के लिए कहेंगे। संसदीय कार्य मंत्री यहां मौजूद हैं। उन्हें कुछ कहना चाहिए.....*(व्यवधान)* सरकार चुप क्यों है ?.....*(व्यवधान)* उन्हें इस बारे में कुछ कहना चाहिए.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आनन्द मोहन, कृपया बैठ जाइए।

.....*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : श्री आनन्द मोहन कृपया बैठ जाइए।

.....*(व्यवधान)*

श्री पी. शिवशंकर : महोदय, आप उन्हें सभा से बाहर निकाले जाने का आदेश क्यों नहीं दे रहे हैं.....*(व्यवधान)*

श्री सुनील खां (दुर्गापुर) : महोदय, क्या यही प्रक्रिया है ?. .....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : अध्यक्ष जी, पोजीशन बहुत साफ है। जो कुछ इन्होंने कहा है, जो लैग्वेज इन्होंने इस्तेमाल की है, वह ठीक नहीं है। अगर इस सदन के बारे में, इस हाउस में ऐसी बातें कही जाएंगी, तो कैसे काम चलेगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखें।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, आप स्थिति जानते हैं। आपने कल इस बिल को पेश करने के आदेश दे दिए। उसके बाद जो कुछ आपके कक्ष में हुआ और उसके बाद सब नेताओं की मीटिंग के बाद, आपने यह कहा कि इसको डैफर कर दिया जाए। आप हमें जिस दिन आज्ञा देंगे, उस दिन इस बिल को पेश कर दिया जाएगा।.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय अब यह आप पर है।.... ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री आनन्द मोहन, यह क्या है ? कृपया बैठ जाइए। मैंने आपका नाम नहीं पुकारा है। आप कृपया बैठ जाइए। यह ठीक नहीं है। यह तो बहुत ज्यादती है।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

.....*(व्यवधान)**

श्री पी. शिवशंकर : अध्यक्ष महोदय, हममें से कई सदस्य इस बात पर दुखी हैं कि जैन आयोग रिपोर्ट टुकड़ों और खंडों में समाचार पत्रों में छप रही है। यह कुछ समय से समाचार पत्रों में छप रही है। यह शताब्दी की निकृष्टतम हत्याओं में से एक है .....*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्षपीठ को सम्बोधित किए बिना आपस में बातचीत नहीं की जानी चाहिए।

.....*(व्यवधान)*

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूडी, एवीएसएम (गढ़वाल): महोदय क्या हम शून्यकाल में चर्चा कर रहे हैं अथवा नियम 377 के अन्तर्गत मामलों पर चर्चा कर रहे हैं ?

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय ने उन्हें बोलने की अनुमति दी है।

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूडी एवीएसएम : आज शून्य काल नहीं है।

श्री पी. शिव शंकर : यह निकृष्टतम राजनीतिक हत्याओं में से एक है.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हमें काफी कार्यों को समाप्त करना है। आप कल अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। यदि सभा इस बात से सहमत है तो नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा गया माना जा सकता है।

अनेक माननीय सदस्य : महोदय, जी हाँ।

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूडी, एवीएसएम : महोदय, हम इसे पढ़ना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा गया माना जाए।

अपराह्न 5.11 बजे

नियम 377 के अधीन मामले**

(एक) गुजरात में पाटन और मेहसाणा के बीच मीटर लाइन को बड़ी रेल लाइन में परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री मंडेश कनोडिया (पाटन) : महोदय, सदन के माध्यम से अनुरोध है कि पाटन एवं मेहसाणा के बीच 45 किलोमीटर रेलवे लाइन को मीटर गेज से ब्रांड गेज में परिवर्तन का कार्य अभी तक नहीं हुआ है। अगर यह कार्य हो जाए जो पाटन के लोगों को दिल्ली एवं मुम्बई को सीधे आने-जाने में सुविधा होगी। यह क्षेत्र काफी अविकसित एंव पिछड़ा हुआ है जिसके कारण लोगों को अपना विकास कार्य करने में काफी दिक्कत हो रही है, जिसके कारण उक्त रेलवे लाइन को ब्रॉड गेज लाइन में परिवर्तन करना अति

** सभा पटल पर रखे गये।

आवश्यक है जिसमें पाटन के लोगों को दिल्ली तथा मुम्बई के बीच सीधे यात्रा करने में सुविधा होगी।

मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि उक्त रेलवे लाइन को शीघ्र ब्रॉड गेज रेलवे लाइन से परिवर्तन किया जाए।

(दो) राज्य में नक्सलवादी गतिविधियों को रोकने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को अपेक्षित सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री गौरी शंकर चतुर्भुज बिसेन (बालाघाट) : महोदय, मध्य प्रदेश में कानून-व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। नक्सलवादियों की समानान्तर सरकार पूरे प्रदेश में सक्रिय है। बालाघाट, राजनांदगांव, कांकेर, बस्तर, सरगुजा जिलों में अनेक नक्सलवादी ग्रुपों में सक्रिय है। मध्य प्रदेश शासन एवं पुलिस प्रशासन नक्सलवादी गतिविधियों को रोकने में अक्षम प्रमाणित हो गई हैं। मई 1998 में डाबरी पुलिस चौकी, जिला बालाघाट के प्रधान आरक्षक को नक्सलवादियों ने शिकार बनाया। उसके पश्चात् दिनांक 6.7.98 प्रातः बालाघाट जिले के थाना हट्टा के ग्राम खपराझरी में हुई नक्सलवादी मुठभेड़ में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं हट्टा थाना में पदस्थ सहायक पुलिस निरीक्षक नक्सलवादियों की गोली के शिकार होकर शहीद हो गए। दो पुलिस अधिकारियों की हत्या से पुलिस प्रशासन का मनोबल टूट चुका है। राज्य सरकार एवं पुलिस प्रशासन नक्सलवादी गतिविधियों में नियंत्रण करने में अक्षम हैं।

भारत सरकार से निवेदन है कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स (सी.आर.पी.एफ.) एवं सेना के नियंत्रण में नक्सलवाद को समाप्त किया जा सकता है, अतएव भारत सरकार हस्तक्षेप करे।

(तीन) बिहार सरकार की विभिन्न योजनाओं में संसद सदस्यों से प्राप्त प्रस्तावों को सम्मिलित करने और उनका कार्यान्वयन करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री ब्रज मोहन राम (पलामू) : बिहार स्थिति मेरे पलामू लोक सभा चुनाव क्षेत्र के अन्तर्गत पलामू एवं गढ़वा जिलों के दोनों उपायुक्त जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के प्रबन्ध परिषद् एजेंडा एवं मिनट्स में सांसद के प्रस्ताव को नहीं लेते हैं एवं राज्य सरकार के दबाव में विधायकों द्वारा प्राप्त प्रस्ताव अपने द्वारा प्रस्तावित योजनाओं का ही कार्यान्वयन करते हैं जबकि केन्द्र सरकार के निदेश के अनुसार सांसदों के प्रस्ताव को एजेंडा एवं मिनट्स में लेकर योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाना है। यही स्थिति बिहार के सभी जिलों में है जबकि केन्द्र सम्पोषित ही सभी योजनाओं का कार्यान्वयन हो रहा है। साथ ही साथ त्वरित जलापूर्ति योजना में भी माननीय सांसदों की अनुशंसा को बिहार में नहीं ली जाती है। सरकार से मेरा आग्रह है कि बिहार सरकार को निर्देश देने की कृपा की जाये कि उपर्युक्त योजनाओं में संसद के प्रस्ताव को भी कर्यान्वित किया जाये।

(चार) उत्तर प्रदेश में उत्तरांचल में "प्रोजैक्ट टाइगर" के अन्तर्गत बाघों की उचित व्यवस्था करने और बाघों से पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, एवीएसएम (गढ़वाल): महोदय, नरभक्षी बाघों ने गढ़वाल में, विशेषकर जनपद चमोली, रुद्रप्रयाग व पौड़ी गढ़वाल में भंयकर आतंक मचाया हुआ है। हर रोज कई बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग इन बाघों के द्वारा मारे जा रहे हैं या घायल किए जा रहे हैं। बाघों का यह आंतक नया नहीं है समय-समय पर यह होता रहता है। 10वीं लोक सभा के समय मैंने कई बार इस विषय को उठाया था। 1995 में माननीय अध्यक्ष महोदय ने उस समय के वन मंत्री को आदेश दिए थे कि वे नरभक्षी बाघों द्वारा जान-माल के नुकसान पर विस्तार से बयान दें।

महोदय, इस आंतक के लिए केन्द्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालय भी जिम्मेदार है। मेरे क्षेत्र में इस मंत्रालय द्वारा बाघों के लिए सुरक्षित वन बनाए गए हैं। "प्रोजेक्ट टाइगर" के अधीन बाघों को सुरक्षित रखा जाता है लेकिन उनके लिए जंगल के अन्दर पर्याप्त भोजन की व्यवस्था नहीं है। बच्चों की संख्या ज्यादा होने से जो बूढ़े बाघ हैं, वे जंगल से बाहर आकर बच्चों, बूढ़ों व महिलाओं का शिकार करते हैं। पर्यावरण मंत्रालय ने इस बारे में कुछ नहीं किया है।

मेरा सरकार से आग्रह है कि वह पर्यावरण व वन मंत्रालय को आदेशित करें कि वे उत्तरांचल में प्रोजैक्ट टाइगर के तहत बाघों की उचित व्यवस्था करे व बूढ़े बाघों को वहां से अन्यत्र भेजें। केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार को आदेशित करे कि नरभक्षी बाघों को मारने की त्वरित व्यवस्था करे। वहां विशेष टीम भेजी जाए तथा मृत व घायल लोगों के परिवारों को तुरन्त मुआवजा दिया जाए।

[अनुवाद]

(पांच) बंगलौर और तुमकुर के बीच रेल लाइन का दोहरीकरण किए जाने की आवश्यकता

श्री सी.पी.एम. गिरियप्पा (चित्रदुर्ग) : बंगलौर और तुमकुर के बीच रेल लाइन पिछले कई दशकों से एकहरी लाइन बनी हुई है। इस लाइन को मेरे और कई अन्य राजनीतिक नेताओं के अभ्यावेदनों के बावजूद आज तक दोहरा नहीं किया गया है। यह लाइन कर्नाटक के मध्य और उत्तरी भाग में स्थित बंगलौर और कई बड़े शहरों के बीच मुख्य सम्पर्क मार्ग है। इसके अतिरिक्त तुमकुर कर्नाटक राज्य में तेजी से विकसित हो रहे शहरों में से एक है। यहां इन्जीनियरी कॉलेज, मेडीकल कालेज, बी.एड.कालेज, अन्य तकनीकी संस्थानों आदि जैसे कई शैक्षिक संस्थान है। इसके अलावा हजारों राज्य और केन्द्र सरकारी कर्मचारी प्रतिदिन बंगलौर जाते हैं और तुमकुर को वापस आते हैं। व्यापारी और कई अन्य यात्री इन शहरों के बीच प्रतिदिन यात्रा करते हैं।

इन दोनों शहरों के बीच का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 बहुत अधिक यातायात के लिए सक्षम नहीं है। इस मार्ग में कई दुर्घटनाएं भी हुई हैं।

ऐसी स्थिति में यातायात का एकमात्र समाधान बंगलौर और तुमकुर के बीच रेल लाइन का दोहरीकरण करना ही है। मैं अनुरोध करता हूँ और आशा करता हूँ कि चालू वित्त वर्ष 1998-99 के दौरान केन्द्र सरकार इस मुख्य रेल लाइन के दोहरीकरण का कार्य शुरू कर देगी।

(छह) महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में इचलकरांजी में बिजली करघों और कताई मिलों का आधुनिकीकरण किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री कल्लाप्पा आवाडे (इचलकरांजी) : मेरा संसदीय क्षेत्र इचलकरांजी, जिला कोल्हापुर, जो महाराष्ट्र का ही नहीं देश का मानचेस्टर कहलाता है, में टैक्सटाईल इंडस्ट्री पिछले 3 साल से घाटे में चल रही है। जिस कारण स्पीनिंग मिल्स घाटे में चल रही है और पावरलूम इंडस्ट्री बंद होती जा रही है। इससे बेकारी दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही है। यदि सरकार ने टैक्सटाईल इंडस्ट्री को बचाने के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाये तो टैक्सटाईल इंडस्ट्री बंद हो जायेगी। मेरा सुझाव है कि टैक्सटाइल इंडस्ट्री की कठिनाइयों को दूर करने हेतु केन्द्र सरकार से आर्थिक मदद दी जाये तथा पावरलूम इंडस्ट्री के आधुनिकीकरण के लिए तुरंत धनराशि उपलब्ध कराई जाए। पावरलूम और स्पीनिंग मिल्स को आधुनिक तकनीकी से जोड़ने के लिए एन.सी.डी.सी. के माध्यम से तुरंत धनराशि उपलब्ध कराई जाए। इसमें इस बात का भी ध्यान रखा जाये कि एन.सी.डी.सी. जो धन देती है, उसकी गारंटी राज्य सरकार नहीं देती है। इसलिए राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी इसमें तय की जाये। पावरलूम और स्पीनिंग मिल्स में आधुनिक तकनीकी का प्रयोग किया जाये ताकि टैक्सटाईल इंडस्ट्री के कार्य में आधुनिकता आ सके। मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि वह इस संबंध में शीघ्र उचित कदम उठाए।

[अनुवाद]

(सात) महाराष्ट्र में यथाशीघ्र पुणे और नासिक के बीच रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता

श्री अशोक नामदेवराव मोडोले (खेड़) : महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री और इस सदन का ध्यान पुणे और नासिक में रह रहे लोगों की काफी लम्बे समय से लम्बित मांग पुणे और नासिक के बीच रेल लाइन बिछाने की ओर दिलाना चाहता हूँ क्योंकि ये दोनों शहर क्षैक्षिक और औद्योगिक दृष्टिकोण से महाराष्ट्र के लोगों के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। इन दोनों नगरों में रहने वाले लोगों को अपनी शिक्षा और अपनी जीविकोपार्जन के लिए प्रतिदिन पुणे जाना पड़ता है क्योंकि ज्यादातर उद्योग वहां पर स्थित हैं। लेकिन महोदय, पुणे और नासिक के बीच कोई सीधे रेल सम्पर्क नहीं है। इसके परिणामस्वरूप इन नगरों में रहने वाले लोगों को इन दोनों शहरों में पहुंचने के लिए सड़क यातायात के कई तरीके अपनाने पड़ते हैं जो कि महंगे, थका देने वाले और अधिक समय लेने वाले हैं। यहां मैं यह भी जोड़ना चाहूंगा कि वर्ष 1994-95 में तत्कालीन रेलमंत्री ने स्थानीय सांसदों और इस क्षेत्र के लोगों को आश्वासन दिया था कि वह इस समस्या का समाधान करेंगे और इस सम्बन्ध में सर्वेक्षण करवाएगें, लेकिन महोदय चार वर्ष के अन्तराल के पश्चात् यह सर्वेक्षण कार्य अभी हाल ही में आरंभ किया गया है और अभी भी काफी धीमी गति में चल रहा है।

इसलिए मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूँ कि पुणे और नासिक के बीच जूनार अभवेगांव, खेड और अन्य गांवों में रहने वाले लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए सर्वेक्षण कार्य को अतिशीघ्र पूरा कराने के लिए तुरन्त कार्यवाही की जाए।

(आठ) सेंट्रल शीप ब्रीडिंग फार्म, हिसार, हरियाणा से स्थानांतरित न किया जाना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री इन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : हरियाणा के हिसार में स्थित सेंट्रल शीप ब्रीडिंग फार्म काफी लम्बे समय से अत्यन्त सफलतापूर्वक कार्य कर रहा था। इन वर्षों में कई अनुसन्धान कार्यकर्ताओं और कर्मचारियों ने पशुधन नस्ल को सुधारने का प्रयास किया और कई नयी संशोधित किस्मों का सृजन किया। इस फर्म का योगदान सराहनीय है।

लेकिन इस फार्म को बन्द करने का और इसे किसी अन्य राज्य में ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। फार्म के कर्मचारी ऐसे प्रयास के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और यदि इसे स्थानांतरित किया गया तो कई लोगों को परेशानियों का समाना करना पड़ेगा।

मैं कृषि मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि वह इसमें हस्तक्षेप करें और फार्म को हिसार से स्थानांतरित किये जाने को रोकें और उसे वहीं कार्य करने दिया जाए।

(नौ) फूलपुर में वरना नदी और मैलहन झील की गाद निकाले जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री जंग बहादुर सिंह पटेल (फूलपुर) : महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र फूलपुर में मैलहन झील से वरना नदी निकलती है और जाकर वाराणसी में मिलती है। मैलहन झील में शारदा नहर सहित कई नहरों की टेल एवं पट्टी प्रतापगढ़ से आने वाली नहरों की टेल व बरसाती पानी के कारण मेरे क्षेत्र का लगभग 100 ग्राम पानी से डूबा रहता है। पिछले कई सालों से वहां कोई फसल/अन्न का उत्पादन नहीं हो पा रहा है। वरना नदी एवं मैहलन झील से खुदाई एवं सफाई के लिए कई बार लिखा-पढ़ी की गई, लेकिन कोई कारगर कार्रवाई आज तक नहीं हुई।

अतः मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूँ कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर तत्काल हस्तक्षेप करें वरना नदी एवं मैलहन झील की खुदाई एवं सफाई के कार्य का संपादन करें।

[अनुवाद]

(दस) तमिलनाडु में अर्कोनम और काटापढ़ी के बीच एक पैसेंजर रेल गाड़ी चलाए जाने और मैसूर-तिरुपति फास्ट पैसेन्जर रात्रि रेलगाड़ी को बरास्ता अर्कोनम जंक्शन से चलाए जाने की आवश्यकता

श्री सी. गोपाल (अर्कोनम) : महोदय, मैं गरीब जनता, तीर्थयात्रियों, स्कूलों और कॉलेजों के विद्यार्थियों, व्यापारियों और श्रमिकों की सुविधा के लिए माननीय रेल मंत्री जी के ध्यान में निम्नलिखित मामले लाना चाहता हूँ। मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि वे प्राधिकारियों को अर्कोनम और काटापढ़ी के बीच एक पैसेन्जर रेलगाड़ी चलाने का निर्देश दें।

मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में यह भी लाना चाहता हूँ कि अर्कोनम से सुबह 6.50 पर एक पैसेन्जर रेलगाड़ी चलती है और [illegible] 8.30 के लगभग काटापटी पहुंचती है इस कथित रेलगाड़ी सुबह 8.30 बजे से शाम 5.05 बजे अधिक उपयोगी है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि अर्कोनम से काटापढी तक इस पैसेन्जर रेलगाड़ी का कथित समय अर्थात् सुबह के 8.30 से शाम 5.05 बजे के दौरान चलाए जाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करे। मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि मैसूर-तिरुपति फास्ट पैसेन्जर रात्रि रेलगाड़ी को अर्कोनम बाईपास के स्थान पर वरास्सा अर्कोनम जंक्शन स्टेशन से चलाए जाने की अनुमति दी जाए। लोगों की इच्छा है कि उपरोक्त रेलगाड़ी को उपरोक्त स्टेशनों के बीच विद्युत से चलने वाली रेलगाड़ियों के चलाए जाने तक शीघ्र चलाया जाना चाहिए।

(ग्यारह) सरकारी सेवाओं में मुसलमानों के लिए आरक्षण किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : महोदय, मुसलमानों को आर्थिक उत्थान के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं, जिसके कारण उनके बीच शिक्षा के प्रति कोई रुझान नहीं है। मुसलमानों की सामाजिक दशा और आर्थिक दशा इस बात से जानी जा सकती है कि आजादी प्राप्ति के समय सरकारी नौकरियों से मुसलमानों का प्रतिशत ज्यादा था, जो वर्तमान समय में काफी घट गया है। उन्हें नौकरियों में ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती है, जिसके कारण भारत में मुसलमान राष्ट्रीय धारा से कट गया और अपने आपको उपेक्षित महसूस करने लगा है। जबकि आज मानचित्र के किसी भी हिस्से में देखें, तो उनके हुनर देखने लायक हैं, परंतु सरकारी नौकरियों में उनको हिस्सेदारी देनी होगी।

इसके लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूँ कि भारतीय सरकारी नौकरियों में मुसलमानों के लिए दस प्रतिशत आरक्षण हेतु कानून बनाया जाए।

[अनुवाद]

(बारह) आगामी वर्ष की वार्षिक कार्य योजना में राष्ट्रीय राजमार्ग 47 की कोल्लम बाई पास परियोजना के चरण तीन और चार को शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (क्विलोन) : गाड़ियों के यातायात के कारण केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग 47 में कोल्लम नामक वृहत नगरपालिका शहर में यातायात के लिए मार्ग विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इससे बचने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग कोल्लम बाईपास परियोजना का कार्य काफी पहले आरम्भ किया गया था। इस कथित परियोजना का धातामाला से आयाथिल तक का चरण-I 9.5 करोड़ रुपये लगाकर पहले ही पूरा कर लिया गया है। चरण-II का कार्य अभी हाल ही में शुरू किया गया है और दिसम्बर 1998 का पूरा हो जाने की आशा है। पूरी परियोजना तभी उपयोगी सिद्ध होगी यदि शेष चरण-III और IV के कार्य से पूरा किया जाएगा। अन्यथा खर्च की गई धनराशि बेकार हो जाएगी। इसलिए मैं जल भूतल परिवहन मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि आगामी वर्ष की वार्षिक कार्य योजना में राष्ट्रीय राजमार्ग बाईपास परियोजना के चरण-III और IV के कार्य को शामिल किया जाए।

अपराह्न 5.12 बजे

[अनुवाद]

अनुदानों की मांगे (सामान्य), 1998-99*

अध्यक्ष महोदय : यह सभा अब कृषि मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 1 से 4 पर आगे चर्चा तथा मतदान करेगी। जैसा कि माननीय सदस्यों को पता है गिलोटिन आज अपराह्न 6.00 बजे होगा।

[हिन्दी]

श्री बलराम जाखड़ : अध्यक्ष महोदय, पिछले शुक्रवार को हमने किसानों की बात शुरू की थी।.......*(व्यवधान)*

श्री आनन्द मोहन (शिवहर) : जाखड़ साहब, आप पहले महिला बिल के बारे में कहिये।.......*(व्यवधान)*

श्री बलराम जाखड़ : आप मेरे पास आइये, मैं आपको बताऊंगा।

अध्यक्ष महोदय, उस दिन हम कृषि नीति के बारे में बात कर रहे थे और बात बीच में रह गयी थी।.......*(व्यवधान)*

श्री आनन्द मोहन : आप पहले महिला बिल के बारे में बोलिये।.......*(व्यवधान)*

श्री बलराम जाखड़ : मैं किसानों की बात कर रहा हूँ इसलिए मुझे बीच में मत टोकिये।.......*(व्यवधान)* हाउस के सामने आ जायेगा इसलिए आप बैठ जाइये।

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

अध्यक्ष महोदय : यह अच्छी बात नहीं है।

श्री बलराम जाखड़ : अध्यक्ष महोदय, हम कृषि नीति की बात कर रहे थे कि किस प्रकार की कृषि नीति है और उस नीति में क्या कुछ हो रहा है। हमारे एक माननीय सदस्य ने प्रश्न किया था कि आपने तो बराबरी का दर्जा देने की बात की..... *(व्यवधान)* इसमें तो टैक्स लेने की बात है लेकिन हमने टैक्स रहित करने की बात कही है।.....*(व्यवधान)* सवाल यह पैदा होता है .....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह अच्छी बात नहीं है।

... ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री आनन्द मोहन, आप बैठ जाइये।

[अनुवाद]

कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

.....*(व्यवधान)**

श्री बलराम जाखड़ : महोदय, आपको उन्हें सदन छोड़ने का कहने का अधिकार है। आप अपने अधिकार का प्रयोग क्यों नहीं करते? वह प्रयोग करने के लिए ही है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री वाझापड़ी के. राममूर्ति) : जब कोई सदस्य सदन की कार्यवाही में लगातार विघ्न डाल रहा हो तो अध्यक्ष महोदय उसे सदन से बाहर निकाले जाने का आदेश दे सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री बलराम जाखड़ : अध्यक्ष महोदय, सवाल यह पैदा होता है।.....*(व्यवधान)* कृषि नीति में मैंने कहा था कि उसको किस प्रकार से टैक्स रहित करें.....*(व्यवधान)* मैं उस तरह नहीं बोल सकता।.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, आप या तो इनको अभी बाहर कीजिए या मुझे बिठा दीजिए।.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री आनन्द मोहन, मैं आपसे पुनः अनुरोध करता हूँ कि आप बैठ जाइए।

.....*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री आनन्द मोहन जी, कृपया बैठ जाइए। यह ठीक नहीं है।

.....*(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री बलराम जाखड़ : महोदय, आप उनसे सदन से निकल जाने के लिए क्यों नहीं कहते?.....*(व्यवधान)* मैं यहां किसानों की तरफ से बोलना चाहता हूँ।.....*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री आनन्द मोहन जी, यह क्या है?

.....*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री आनन्द मोहन जी, कृपया सदन से बाहर चले जाएं।

.....*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री आनन्द मोहन जी, कृपया सदन से बाहर चले जाएं।

.....*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री आनन्द मोहन, कृपया सदन से बाहर चले जाएं।

.....*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री आनन्द मोहन जी, कृपया सदन से बाहर चले जाएं। यह ठीक नहीं है।

.....*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री आनन्द मोहन जी, कृपया सदन से बाहर चले जाएं। अन्यथा मुझे मार्शल को बुलाना पड़ेगा।

.....*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री आनन्द मोहन जी, कृपया सदन से बाहर चले जाएं। अन्यथा मुझे मार्शल को बुलाना पड़ेगा।

.....*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मार्शल, कृपया श्री आनन्द मोहन को बाहर ले जाएं।

अपराह्न 5.18 बजे

(इस समय श्री आनन्द मोहन को सभा से बाहर ले जाया गया)

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : अध्यक्ष जी, मेरा, निवेदन है कि उन्होंने इस सदन के बारे में और सभी सदस्यों के बारे में जो गलत शब्द कहे हैं, उन्हें कार्यवाही से निकाल दिया जाए।.....*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही कह चुका हूँ। कार्यवाही वृतान्त में ऐसा कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री बलराम जाखड़ : कृषि नीति की बात हो रही थी। हम कृषि नीति का उद्योग के लिए दर्जा दे रहे थे।.....*(व्यवधान)* वित्त मंत्री जी आ गए हैं। मैं उनका ध्यान भी आकर्षित करना चाहता हूँ। सवाल इतना था कि कृषि को उद्योग के बराबर का दर्जा दिया जाए लेकिन उसके ऊपर कोई टैक्स न लगाया जाए और टैक्स लगाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वह टैक्स लगाने के काबिल नहीं हैं।.....*(व्यवधान)*

हमने कृषि भूमि पर सीलिंग लगाई है और यह तीन पीढ़ियों से एकदम अपने आप आगे भी लग गई है। उसके बाद में अब में क्या हो रहा है, उसे देखने की बात है, इसे समझने की है। आज जिस प्रकार से गांव का किसान रह रहा है और में जो कुछ हो रहा है, उसके लिए जरा ध्यान देने की आवश्यकता है।

इस सदन से मैं आज हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ कि जरा ध्यान से सुनें कि किस प्रकार हजारों किसान मरे हैं। अखबारों में जो 500-700 की संख्या आ रही है, यह नहीं है। मेरे पास आंकड़े मौजूद हैं, हजारों किसानों ने आत्महत्याएं की हैं, क्योंकि वे ऋण वापस नहीं कर सके, उनकी फसल उजड़ गई और मजबूरी में यह सारा काम हो गया। यह क्यों हुआ, यह देखने की बात है। वे किसान कहां से कर देंगे, टैक्स देंगे या इन्कम टैक्स देंगे ? इसीलिए मैंने कृषि नीति में रखा था कि इसमें कोई कैपीटल गेस टैक्स नहीं होगा, कोई इन्कम टैक्स नहीं होगा, कोई वैल्थ टैक्स नहीं होगा, नथिंग। वे तो रोटी कमाकर देते हैं, सब किसान भाई हिन्दुस्तान के लोगों का, आपका पेट भरते हैं। फिर हमारे कन्धे पर क्यों बन्दूक चलाई जाती है, हमारे साथ अन्याय क्यों किया जाता है, यह समझने की बात है।

आपने आबंटन किया है, कहते हैं कि हमने 58 प्रतिशत आबंटन ज्यादा किया है, लेकिन उसका कितना पैसा आयेगा, क्या होगा, उसको भी जरा सोचने की आवश्यकता है। मैंने एक चिट्ठी लिखी थी, मैं आपको जरा पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। आपने कहा है कि मैं टैक्स नहीं लगाऊंगा, किसानों के प्रति कैसा रवैया अख्तियार करना चाहते हैं।

[अनुवाद]

दुग्ध और दुग्ध उत्पादों पर प्रस्तावित शुल्क से सरकार के प्रस्तावित परिव्यय की तुलना में बहुत कम राजस्व मिल पाएगा लेकिन दूसरी ओर इससे दुग्ध उत्पादकों पर काफी बोझ पड़ेगा। पिछली कांग्रेस सरकार और यहां तक कि संयुक्त मोर्चा सरकार ने भी प्रसंस्कृत दुग्ध उत्पादों को उत्पाद शुल्क के दायरे से बाहर रखा था जिससे किसानों को अधिक उत्पादन करने और उसकी अच्छी आमद पाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। यह कृषि उत्पादों के मूल्य संबर्द्धन के लिए किया गया था जिससे किसानों को अधिक आमदनी प्राप्त हो सके। इसके अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारिताओं द्वारा दुग्ध एंव आदान आपूर्ति को बढ़ाने में किए गए प्रमुख योगदान को भी स्वीकार किया गया अन्यथा उक्त कार्य की जिम्मेवारी केन्द्र और राज्य सरकारों की होती।

भाजपा सरकार, जो स्वदेशी अवधारणा का दिखावा करती है, हास्यास्पद ढंग से इसके विपरीत काम कर रही है।

मैं भी यही कह रहा हूँ।

वर्तमान बजट प्रस्ताव भारतीय किसानों, विशेषकर डेरी उद्योग से जुड़े लोगों जिनमें से अधिकांश भूमिहीन, मध्यम वर्ग के या छोटे किसान हैं, के हितों की रक्षा करने में असफल रहा है। यह प्रस्ताव केवल स्वदेशी ख.ल और विदेशी खाना है। अगर इस तरह का प्रस्ताव लागू होता है तो डिब्बाबंद उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि ही करेगा तथा इसका किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के साथ-साथ इससे लघु औद्योगिक इकाइयां और आम उपभोक्ता भी प्रभावित होंगे। घी और मक्खन जैसे उत्पाद केवल शहरी संभ्रान्त वर्ग ही नहीं खाता है बल्कि इनका उपयोग निम्न मध्य वर्ग द्वारा भी किया जाता है। दुग्ध पाउडर पर नये शुल्क का प्रभाव इस पर भी पड़ेगा। पूर्वोत्तर तथा अन्य दुग्ध की कमी वाले क्षेत्रों में दुग्ध का मुख्य स्रोत है। इस अभियान से बिना ब्रांड वाले दुग्ध उत्पादों की खुली व फुटकर बिक्री को बढ़ावा मिलेगा, जिससे मिलावट करने और गुणवत्ता में गिरावट जैसे कदाचार को भी प्रोत्साहन मिलेगा। इससे उस इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा मिलेगा जिसे कि नई सरकार खत्म करने की बात करती है।

मैं यही कहना चाहता हूँ और मैं इसका जीवन्त उदाहरण दूंगा कि डेरी उद्योग का क्या हुआ है। बारामती में एक डेरी ने एन.डी.डी.बी. को प्रतिदिन 3 लाख लीटर दूध की आपूर्ति की थी। आज, उन्होंने केवल 70,000 लीटर दूध की आपूर्ति की है। वे 2,30,000 लीटर दूध का क्या करेंगे ? उत्पाद शुल्क के कारण ही वे .....

[हिन्दी]

मैं इसी की बात कर रहा हूँ, मैं किसानों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि किसान दूध देते हैं। किसान मर गया तो वह किसे दूध देगा। पिछली दफा एक बार यह हुआ था कि मुंबई की गलियों में दूध बहाया गया था, बाजार में दूध ठला था, ये बैठे हैं, इनसे पूछो। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऐसी ड्यूटी आपने क्यों लगाई ? आप हमारे साथ क्या करना चाहते हैं ? ये हमारा गला क्यों घोटना चाहते हैं, मैं इतना कहना चाहता हूँ। आपने और देखा, इसके मुताल्लिक मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कितना आबंटन किया है, किस बात के लिए आबंटन किया है, आप कितना पैसा लगाएंगे ?

आप हमारी स्थिति देखिये। मैं नहीं कहता, लेकिन आपको

तो सोचना चाहिए था। यहां कृषि मंत्री जी, आप बैठे हैं, वित्त मंत्री जी, आप बैठे हैं, गांवों की हालत देखिये, मैं चाहता हूं कि इसके लिए आप सोंचे। मैं सोचता हूं कि अभी काफी नहीं हुआ, लेकिन आप कुछ तो सार्चे कि हमारी आर्थिक स्थिति क्या है, हमारी शिक्षा का स्तर क्या है, हमारे पास आवागमन के साधन क्या हैं, हमारे पास उत्पादन करने के साधन क्या है, हम क्या करना चाहते हैं ? हमारे बच्चे पढ़कर इनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं, जो शहर में बैठे हैं, जो 3000 रुपये हर महीने की फीस देते हैं, उनके बच्चों के साथ मेरा बच्चा कैसे मुकाबला करेगा, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। इसलिए आबंटन की आवश्यकता कहां है, हम कितना पैसा इन्वैस्टमेंट कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपसे कहना चाहता हूं।

उसके बाद मैं आपसे बीज की बात कहना चाहता हूं।

अगर पैसा लगाया जाता, तो वे कुछ करते। उत्पादन बढ़ाना है तो किस प्रकार से बढ़ाना है, यह भी देखना चाहिए। अच्छा बीज होगा, तब उसकी रखवाली होगी। उसके बीज के लिए आपने क्या किया है, आपने लिखा है, मैं उस दिन भी कह रहा था - किसान को प्रभावित करने वाला उत्पीड़क ऐसा पहले नहीं सुना था। उन्होंने नया सिद्धांत निकाला है। यह देखने की बात है किस तरह से नया बीज निकाला है। उसमें एक साल ही उत्पति होगी और दूसरे साल कुछ भी उत्पादन नहीं होगा। इस प्रकार से कार्य होगा तो किसान कुछ नहीं करेगा। इसलिए किसान को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून बनाया जाए। अगर हम कुछ करना चाहते हैं, सीड जेनरेट सिस्टम को, इस पर आज ही आप विचार करें, तब बात बनेगी। आपके कृषि विज्ञान केन्द्र बने हुए हैं। आप उनमें किसानों को सिखाएं, उनको शिक्षा दें, तो हमारा किसान दुनिया में इतना बीज पैदा करके दे सकता है कि हम काफी विदेशी मुद्रा कमा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हाथ हैं, बाहर वालों के पास नहीं हैं, उनके यहां लेबर मंहगी है और हमारे यहां सस्ती है। अगर दो एकड़ वाला किसान कुछ नहीं कर सकता तो उसको बताया जा सकता है कि तुम यह कर सकते हो। आप यह बात देखें, मैं आपके पास भिजवा दूंगा।

[अनुवाद]

यह बहुत ही गंभीर बात है जो कृषक समुदाय तथा स्वयं कृषि के भविष्य को भी प्रभावित करेगी।

[हिन्दी]

इसके लिए आपको कुछ करना चाहिए। लेकिन आपने सिंचाई के लिए कितना पैसा आबंटित किया है, यह भी देखना की बात है। पहले स्प्रिंकलर के लिए अनुदान देते थे, पक्का खाला करने के लिए देते थे, उसमें कितना पैसा दिया है, मुझे तो कहीं नजर नहीं आया। इसलिए ऐसा मत करें, वरना उसके बाद इसका कोई इलाज नहीं होगा। कमांड एरिया विकसित करने के लिए क्या किया है, मुझे कुछ नजर नहीं आया। अच्छे कृषि उत्पादन के लिए कमांड एरिया डेवलपमेंट एक मूल आवश्यकता है।

उसमें हुआ नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, तजुर्बा करके देखा है कि इंदिरा गांधी कैनाल, जिसे पहले राजस्थान कैनाल कहते थे, उसका लाखों एकड़ एरिया तबाह हो चुका है। वहां वाटरलागिंग हो गया, क्यों हो गया, किसी ने नहीं देखा कि जमीन नीचे से पानी सोख सकती है या नहीं, इसमें जिप्सम है या कोई और दूसरी चीज है जिससे पानी नीचे नहीं जाता है। ये सभी गांव तसह-नहस हो गए हैं।

उसके लिए मैंने पहले भी बोला था और आगे के लिए भी कह रहा हूं कि आप ध्यान रखें कि हमें क्या करना है। आपने इसके लिए कितना पैसा दिया, मुझे तो बजट में कहीं नजर नहीं आया। आप 75-90 प्रतिशत कितना देना चाहते हैं किसान को या दूसरे भाइयों को, वह दें और उन्हें बताएं।

इसी तरह से कच्छ में नर्मदा जा रही है, उसके लिए पहले से बंदोवस्त करिए, वरना वहां भी सत्यानाश हो जाएगा। अगर ध्यान देंगे तो वहां तिगुनी फसल होगी, खेत लहलहाने लगेंगे, किसान की आमदनी बढ़ेगी और आपको भी बाहर से अनाज मंगाना नहीं पड़ेगा। किसान क्यों मरा, अब तो आंखें खुलनी चाहिए, ठीक है पहले नहीं खुली। उसकी रिपोर्ट आ चुकी है और हाउस में डिसकस हो चुका है कि किसान क्यों आत्महत्या कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में उसने आत्महत्या की, यह नहीं, हरियाणा और पंजाब में भी मरे हैं। मेरे पास हरियाणा के आंकड़े हैं कि वहां 550 लोग मरे हैं। मैं आपको फैक्ट्स और फिगर्स दे सकता हूं कि किस गांव में 32 मरे, किस गांव में 29 मरे और किस गांव में 19 मरे हैं। क्यों मरे! इसलिए मरे हैं कि वे पैसा वापस नहीं कर सके, उनकी आमदनी खत्म हो गई और उनको साहूकारों से पैसा लेना पड़ा। हम क्या दे रहे हैं, आप आबंटन की बात करते हैं और कितने प्रतिशत ब्याज पर देते हैं। आप उनको पैसा दें, अपने नाबार्ड से कहें, कोआपरेटिव बैंक्स से कहें, राष्ट्रीय बैंक्स से कहें कि उनको पैसा दें और पैसा बढ़ाइए। आपने देखा होगा कि इंडस्ट्रीज में कितना पैसा लगा हुआ है, कितना पैसा डूब जाता है, कोई पूछता नहीं है। हजारों करोड़ रुपया तबाह हो जाता है, लेकिन हमारे यहां कितना लगता है, यह देखने की बात है। फिर ऊपर से ऐसे कानून बना दिए कि किसान कोआपरेटिव से पैसा ले तो 40 दिन के अंदर न दे तो उसे बंदर की तरह पकड़कर बंद कर देते हैं। वह आज त्राहि-त्राहि कर रहा है इसलिए उसको अधिक से अधिक छः से आठ प्रतिशत ब्याज कर पैसा दें, जबकि उसने 40 से 50 प्रतिशत तक ब्याज पर पैसा लिया हुआ है।

चालीस-पचास परसेंट पर रुपया लेकर वह उसको उतार नहीं सकता है। मैं पूछना चाहता हूं, आप ऐसे लोगों को क्यों नहीं पकड़ते हैं ? ऐसे लोगों के खिलाफ आप क्यों कानून नहीं बनाते हैं ? जो बीज दिया जाता है, वह भी नॉकस होता है और जो इन्सैक्टिसाइड व पैस्टिसाइड सप्लाई किए जाते हैं, वह भी स्फूरियस और एडलट्रेटेड होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को कोई पकड़ने वाला है। किसान मरता है, तो देश मरता है। हमें यहां बैठकर किसानों के लिए काम करना है। हल्ला-गुल्ला करने से काम नहीं होगा और इससे बात भी नहीं बनेगी। किसान रीढ़ की हड्डी है और वह त्राहि-त्राहि कर रहा

[श्री बलराम जाखड़]

है। क्रैडिट कार्ड की बात भी आपने कही है, मैं चाहता हूँ कि आप उस काम को करें। आपने लिखा है कि करेंगे। आप उसको पूरी लिमिट दे दीजिए कि पैसा मिल जाएगा। साथ ही इसके आप अच्छे बीज दे दीजिए। जहां तक एग्रीकल्चर सांइटिस्ट की बात है, वे बी.एससी स्टूडेंट्स हैं, बेरोजगार हैं, आप ऐसे लोगों को लाइसेंस देकर इन चीजों को बिकवायें। बाजार में बैठे हुए लोगों को पता नहीं होता है कि वे क्या बेच रहे हैं, क्या नहीं बचे रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप एक स्क्वैड बनायें, कानून बनायें, तभी यह काम हो सकता है।

महोदय, कोआपरेटिव के बारे में भी बात कही गई है। कोआपरेटिव बनाकर उनको सहारा दिया जाना चाहिए, लेकिन आपकी कथनी और करनी में अन्तर है। उस दिन वित्त मंत्री जी आप उपस्थित नहीं थे, मैंने कहा था कि आप जो भी करना चाहते हैं, वही कहिए ऐसा मत करिए, कहें कुछ और करें कुछ। आपने ...यत्तता देने की बात भी कही थी कि आप कोआपरेटिव को ...त्तता देंगे और सरकार की निगरानी भी कम करेंगे तथा सरकारी दबाव भी कम करेंगे.....*(व्यवधान)* बिल्कुल नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं यह बात कह रहा हूँ। मैं आपको एक जीता-जागता सबूत देना चाहता हूँ। अभी नैफेड का चुनाव होना था, लेकिन फिलिम्ज़ी ग्राउन्ड्स पर उसको पोस्टपोन कर दिया गया। क्यों? क्योंकि आपका मनमर्जी का आदमी नहीं आ सकता था। यह कोई तरीका नहीं है और इस तरह से कोआपरेटिव्ज की सहायता कैसे हो सकती है। इससे तो कोआपरेटिव्ज जिन्दा नहीं रहेगी। मैं कहना चाहता हूँ कि कोआपरेटिव्ज अपनी शक्ति से जिन्दा रहना चाहती है और ईमानदार आदमी से चलन से जिन्दा रहेगी। इस क्षेत्र में मिलकर काम करना होगा। हमने कोआपरेटिव्स की नेशनल पॉलिसी बनाई थी। सोमपाल जी आप उसको लाइए। नेशनल कोआपरेटिव बैंक बनाइए, जिससे किसानों को पैसा मिल सके।

पोस्ट हार्वेस्टिंग टैक्नोलॉजी के बारे में भी कहा गया है। इस बारे में किसान कुछ नहीं जानते हैं। किसानों को सिखाया जाना चाहिए। अभी देश के 73 प्रतिशत किसान के बोझ को वहन नहीं कर सकती है। आपको इसको कम करना चाहिए। बाहर के मुल्कों में, जैसे अमरीका में 1.99 परसेंट आदमी खेती करते हैं। फ्रांस, यूरोप, जर्मनी में छः से सात प्रतिशत लोग खेती करते हैं। जापान में दो से तीन परसेंट खेती करते हैं और हमारे देश में 74 परसेंट खेती करते हैं। इन लोगों को कौन सिखाएगा। ये लोग नहीं सीखेंगे, तो बेरोजगार हो जायेंगे। मैंने अखबार में पढ़ा कि दिल्ली में रात भर में 13 डाके पड़े। ये ऐसे लोग हैं, जिनके पास कोई धन्धा नहीं है।

[अनुवाद]

हम बेरोजगारों की एक सेना तैयार कर रहे हैं जिनके पास दिमाग तो है पर कोई काम नहीं। वे क्या करेंगे? वे आपराधिक गतिविधियां आरम्भ कर देंगे।

[हिन्दी]

इसलिए पोस्ट हार्वेस्टिंग में कितना पैसा लगाना है, इस बारे में मुझे पता नहीं है। पहले एक हजार करोड़ रुपया फूड प्रौसैसिंग, होर्टिकल्चर में रखा गया था। इस बारे में आप सदन को बताइएगा कि आप क्या करना चाहते हैं। एक दूसरी समस्या है, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, फारवर्डिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। एयरपोर्ट और पोर्ट्स पर सामान रखने की जगह नहीं है। चीजें जाती हैं और खराब हो जाती हैं। इसका भी बन्दोबस्त आपको करना चाहिए। यूनिवर्सिटी एक्सटैंशन सर्विसेज के बारे में भी आपको देखना चाहिए। उनके और किसानों के बीच कोई रास्ता होना चाहिए। उनसे पूछना चाहिए कि इस काम को किस प्रकार कर सकते हैं।

महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। दूरदर्शन की मालिक, श्रीमती सुषमा स्वराज जी सदन में नहीं हैं।

मैं उनसे कहना चाहता था कि हमारा उसमें हिस्सा बनता है। शिक्षा देने के लिए अच्छे प्रोग्राम बन सकते हैं। आधा घंटा उसमें लगा दिया जाता तो अच्छा था। वह प्रोग्राम लाइव दिखाए जाएं कि यहां से यह हो सकता है। इसके माध्यम से शिक्षा दी जाए। इस बात को भूलना नहीं है। कहने और करने में अंतर होता है। इसको जरूर दिखाना चाहिए। हम भूमि की भी रक्षा करें और उसकी फर्टिलिटी को सत्यानाश नहीं होने दें। उसके लिए किसान को सिखाना पड़ेगा कि खाद का क्या अनुपात हो?

यूरिया के बढ़े हुए पैसे वापस लेकर आपने अच्छा किया। आप कोई ऐसा तरीका निकालें जिससे फास्फोरस और पोटेशियम डाल कर उसका अनुपात बराबर कर सकें। उसके लिए आवश्यक है कि आप बायो-फर्टिलाइजर और ग्रीन-मैन्योरिंग की बात करें। हम उन्हें बताएं कि यह हो सकता है।

हॉर्टिकल्चर के लिए इस बात की आवश्यकता है कि हम देखें कि उसे कैसे बाहर भेजा जाए? पहले देश में एक अंगूर नहीं होता था। हमने यहां अंगूर पैदा किया। आज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक से 300 करोड़ रुपये का अंगूर निर्यात होता है। किसान ने इसे पैदा करने की डट कर हिम्मत की।

आज स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि हमारे इलके से बाहर अनाज नहीं जा सकता है। एक साइकिल वाला लुधियाना, मुम्बई, चेन्नई और कलकत्ता अनाज ले जाता है लेकिन हमारा किसान अनाज क्यों नहीं ले जा सकता? आप इसके लिए बन्दोबस्त करिए। वे रोकने वाले कौन होते हैं? गलत बात है। इससे बड़ा लोगों को सस्ता अनाज मिलेगा और किसान को अच्छा पैसा मिलेगा। इससे दोनों तरफ फायदा होगा।

मुझे स्टोरेज की बात याद आते ही प्याल, आलू और टमाटर के बढ़े हुए दाम याद आ गए। वे आज क्यों गिरे हैं?

श्री शकुनी चौधरी (खगड़िया) : आप भी कृषि मंत्री रहे हैं। .....*(व्यवधान)*

श्री बलराम जाखड़ : इसने इस बारे में काम किया। आपको पता नहीं है और आपने देखा नहीं।.....*(व्यवधान)* मैंने नहीं किया तो अब आप ही कर दीजिए।.....*(व्यवधान)* आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? आपको क्या ज्यादा ज्ञान है?

श्री शकुनी चौधरी : शिव प्रसाद जो कि वैज्ञानिक थे, उनको आपने ही निकाला।.....*(व्यवधान)*

श्री बलराम जाखड़ : मुझे तो यह नाम भी याद नहीं है। आप बहुत ज्ञानी है। आप अपना ज्ञान अपने तक सीमित रखें।

अगर हमारे पास कोल्ड स्टोरेज हैं तो प्रोसैसिंग हो। इससे हम समतल भाव पर लोगों को विभिन्न चीजें दे सकते हैं। दोनों बातें हमारे साथ हो सकती हैं।

हमारी 25 से 30 परसैंट फसल नष्ट हो जाती है क्योंकि हमारे पास प्रीजर्व और प्रोसैस करने के साधन नहीं हैं। हमें ये सारी बातें करनी हैं। हमने एग्रो बिजनस कनसोर्टियम चलाया था। आप उसे बढ़ावा दीजिए। उसमें किसानों के बच्चों को लगाइए और देखिए कि वे किस तरह काम कर सकते हैं? किस तरीके से उत्पादन हो, वह लोगों तक पहुंचे। खुद भी खाएं, लोगों को भी खिलाएं। इस बात का इंतजाम करना होगा।

हमारी बहनें कृषि में लगी रहती हैं। उनकों शिक्षा देनी होगी। उनको कृषि में हिस्सेदार बनाना होगा। यह जरूरी बात है। मैं देखता हूं कि गांवों में बहुत सी बहनें काम करती हैं लेकिन उनको ज्ञान नहीं होता। उनको ज्ञान देने के लिए शिक्षा का प्रबन्ध करना होगा। यह सीधी सी बात है।

आपने भैंस गाड़ी और ट्रैक्टर के पुर्जे पर एक्साइज ड्यूटी लगा दी। भगवान के लिए बंद किया जाए। इसे छोड़ने की बात हो।

कृषि मजदूरों को बराबर की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। उनसे काम करवा लिया जाता है लेकिन कुछ दिया नहीं जाता। यह हिस्सेदारी भी प्रोडक्शन पर निर्भर करती है। अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो सारा काम ठीक हो जाएगा।

यहां रेल मंत्री बैठे नहीं हैं। समय ज्यादा नहीं है। किसान को सुविधा पहुंचाने के लिए काम होता है। मैंने उनको लिखा लेकिन पता नहीं उनके कान तक यह बात क्यों नहीं पहुंची?

जहां भी नई रेल लाईनें बनाई गई हैं, किसानों के लिये बनाई गई हैं ताकि उनके लिये आवागमन का साधन रहे। वे अपना सामान ले जा सकें लेकिन अफसोस की बात है कि आपने 13 रेलवे स्टेशनों पर बंद कर लिया है कि यह अन-इक्नामिकल हो गया है। यदि अन-इक्नामिकल हो गया है तो क्या किसानों को मारोगे? आखिर आप करना क्या चाहते हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अनर्गल बातें मत करें, किसान विरोधी काम न करें। किसानों को जीने का हक है। उन्हें भी जीने का साधन चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, मैंने जो थोड़ा बहुत जिक्र किया है, वे इसे समझें और किसानों के लिये जो कुछ कर सकते हैं, करें। मैं समझता हूँ कि आपके दिल में थोड़ी भी बात जमेगी तो आप यह काम करेंगे।

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : माननीय अध्यक्ष महोदय।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब समय नहीं है। मैंने बोलने के लिए मंत्री जी से कहा है।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : अध्यक्ष जी, यदि आप मुझे नहीं बुलवाते हैं तो कोई और नहीं बोलना चाहिये, केवल मिनिस्टर साहब को ही बोलना चाहिये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री राजवीर सिंह हमें अपराह्न 6.00 बजे गिलोटिन करना होगा।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया यह समझिए कि समय नहीं है।

.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

एक माननीय सदस्य : आप हाउस एक्सटैंड कर दीजिये।

श्री भजनलाल (करनाल) : अध्यक्ष जी, आप हाउस आधा घंटा बढ़ा दें। कृषि का मामला बहुत जरूरी है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम समझते हैं कि समय नहीं है। केवल दस मिनट बचे हैं।

.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : अध्यक्ष जी ...

श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर) : अध्यक्ष जी, कृषि श्रमिकों का जो बिल है, वह बहुत जरूरी है, इस पर चर्चा जरूर होनी चाहिये।

श्री राजवीर सिंह : अध्यक्ष जी, उत्तम खेती, मध्यम बान निखद चाकरी भीख निदान। यह हमारे एक कृषि कवि ने कहा है। पिछले 50 वर्षों में हमारे किसानों की हालत इसके उलटी हो गई है।

[श्री राजवीर सिंह]

अध्यक्ष जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री और माननीय कृषि मंत्री ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसमें जिस तरीके से सारी व्यवस्था दी है, मुझे लगता है कि उसके हिसाब से 50 वर्षों के बाद किसान फिर से उत्तम खेती की ओर बढ़ेगा। अभी दो साल पहले एक हम्बल फार्मर प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे जो यहां आज शायद नहीं हैं। उनके समय में जो कृषि बजट आया था तो उसमें कृषि में 12 परसेंट की कटौती की गई थी। यहां पर उनके समर्थक बैठे हुये हैं। मगर हमारी सरकार ने, हमारे मंत्रिमंडल ने कृषि पर कितनी राशि बढ़ाई है ? कृषि के लिये 1807 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2854 करोड़ रुपया कर दिया गया है। कृषि और सहकारिता पर 1251 करोड़ रुपये से बढ़कर 1941 करोड़ रुपया कर दिया गया है। इसी प्रकार कृषि अनुसंधान कार्यों पर 331 करोड़ से बढ़ाकर 531 करोड़ रुपया कर दिया गया है। मैं आगे भी बताना चाहता हूँ लेकिन समय कम है इसलिये.....

श्री भूपिन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक) : आप आंकड़े मत बतायें, यह बतायें कि कितना बढ़ाया है ?

श्री राजवीर सिंह : आप बोलने देंगे तभी तो बताऊंगा। मैंने जाखड़ जी को बिलकुल नहीं टोका था मगर मुझे इस बात की खुशी है कि जाखड़ जी ने बिल्कुल वही भाषण दिया जो किसी समय मैं उसी जगह से दिया करता था। यह बहुत अच्छी बात है।

श्री मुरली देवरा (मुम्बई दक्षिण) : शायद आपका पूरा भाषण इनको याद था।

श्री राजवीर सिंह : मैं कृषि मंत्रालय की अनुदान की मांगों का समर्थन करते हुये माननीय कृषि मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जो भारतीय कृषि का बीमा होना चाहिये उसमें हर वर्ग का व्यक्ति कर्ज ले या न ले, सारी फसलों और जानवरों का बीमा कम्पलसरी करना चाहिये। यह सरकार से मेरी मांग है।

फर्टिलाइजर का मामला है। जाखड़ जी ने भी कहा और यह सही है कि यूरिया का अधिक इस्तेमाल करने से हमारी खेती अनुपजाऊ होती जा रही है। उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और किसानों को शिक्षित करना चाहिए कि अगर अधिक यूरिया का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी खेती खराब हो जाएगी। इसलिए बायो-फर्टिलाइजर, हरी खेती, गोबर की खाद खेत में देनी चाहिए। पेट्रोलियम मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि अगर आप अच्छी खेती कराना चाहते हैं और आप अन्न की उपज बढ़ाना चाहते हैं तो जो एल.पी.जी. कनेक्शन आप शहरों में दे रहे हैं, उनको गांवों में दें जिससे गांव क लोग गैस पर रोटी पकाएं और गोबर की खाद बनाकर खेत में डालें। तब कृषि का उत्पादन बढ़ेगा। .....*(व्यवधान)* मंत्री जी मुझे धन्यवाद दे रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद दे रहा हूँ।

पशुधन विकास के मामले में मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि हमारे यहां फॉरेन ब्रीड की बड़ी नकल की जा रही है। विदेशी गायों के बछड़े आसानी से तैयार नहीं होते हैं और वह किसी काम के नहीं होते हैं। उनसे हल नहीं चलता क्योंकि उनके कांटी नहीं होती। इसलिए भारत की जो नस्लें हैं उनको तैयार किया जाए और उनसे अच्छे बैल और बछड़े तैयार किये जाएं जो खेती के काम आएं।

वित्त मंत्री जी ने नाबार्ड को काफी पैसा देने की बात की है जिससे कृषि योजनाओं में सुविधा मिले, लोगों को क्रेडिट कार्ड मिले, लोग उसके आधार पर जाएं। मैं उनके लिए उनका आभार प्रकट करता हूँ किन्तु एक खतरे की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ। जाखड़ साहब ने कहा कि लोगों ने आत्महत्याएं की हैं। किसान ने आत्महत्या क्यों की है ? किसान को किस तरीके से गलत ढंग से आत्महत्या करने के लिए फंसाया गया है, मैं उसकी तरफ कृषि मंत्री जी और वित्त मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। अभी हजार, डेढ़ हजार किसानों ने आत्महत्या की है। अगर नीति को नहीं बदला गया तो लाखों किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएंगे। नाबार्ड ऐसा संगठन है जो मल्टीनेशनल्स से और बड़े व्यापारियों से मिलकर सांठ-गांट करता है। उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि वेस्टर्न इंडिया मैच कंपनी (विमको) माचिस बनाती है। उसकी सेमल की लकड़ी खत्म हो गई माचिस बनाने के लिए तो उसने पॉपलुर की खेती कराई। नाबार्ड से कर्जा दिलाया गया, एकतरफा एग्रीमेंट हुआ। पॉपुलर के पेड़ नहीं खरीदे गए। आज लाखों किसान आर.सी. लिये घूम रहे हैं, हाई कोर्ट जा रहे हैं मगर उनको रिलीफ नहीं मिल रहा है। मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि इस मामले की सी.बी.आई. से जांच कराई जाए। वहां अंग्रेजी में एकतरफा एग्रीमेंट हुए और लाखों किसान भुखमरी के कगार पर खड़े हैं। अगर यह होगा तो किसान स्वयं ही आत्महत्या करने पर मजबूर होगा। जो पुरानी सरकारों के पाप हैं, इससे आप जनता और किसानों को छुटकारा दिलाएं।

श्री मुलायम सिंह यादव : जिस कंपनी को सुविधा दी गई, उसको वापस करें।

श्री राजवीर सिंह : मैं भी यही कह रहा हूँ। पॉपुलर का एक पौधा जिसकी कॉस्ट दो रुपया आती थी, 80 रुपया उस कंपनी ने उसका चॉर्ज लिया। नतीजा यह हुआ कि उसकी खेती भी नहीं खरीदी गई। वह पेड़ जलाने के काम आया और इन्होंने 80 रुपये पेड़ के हिसाब से अरबों रुपयों बना लिया और वह कंपनी बंद कर दी। विमको ने व्यवस्था समाप्त कर दी। सारे लोग वापस चले गए। अब किसानों को कोई सुविधा देने वाला नहीं है। यह नाबार्ड ने किया है।.....*(व्यवधान)* यह पिछली सरकारों की भूल और षडयंत्रों का परिणाम है। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इस पर विशेष ध्यान दें। वित्त मंत्री जी से विशेष आग्रह है कि इस पर कुछ व्यवस्था दें नहीं तो किसान बहुत मजबूर हो जाएगा।

अध्यक्ष जी, खेती की सिंचाई के साधनों की व्यवस्था करने के लिए केन्द्र सरकार ने बहुत कुछ किया है।

मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आता हूँ, श्री मुलायम सिंह जी जानते हैं, वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बंदायू जिला से चुनाव जीते हैं, सहसवान से एम.एल.ए. का चुनाव लड़े हैं। पूरा बदायूं जिले में एक इंच भी कैनाल नहीं है और ट्यूबैल बनाने के लिए

सरकार ने रोक दी है, ग्रे और डार्कब्लॉक पर किये गये हैं, बोरिंग हो नहीं सकती। ट्यूबवैल बोरिंग करने के लिए सरकार लोन नहीं देती है और पानी दो सौ, ढाई सौ फीट नीचे जा रहा है। वहां की हालत के बारे में मैंने पिछली बार भी कहा था, मैं इस बार भी आग्रह कर रहा हूँ, यहां बहुत से मंत्री जी बैठे हुए हैं। मेरी एक मांग है कि अगर पूरे बदांयू जिला और पूरे आंवला तहसील की खेती को जिंदा रखना है, वहां के किसानों को जिंदा रखना है, वहां की खेती की उपज को बढ़ाना है तो नरौरा डैम से फर्रूखाबाद तक एक बड़ी कैनाल निकाली जाए। हम रामगंगा और बड़ी गंगा, दो गंगाओं के बीच में रहते हैं, यह इलाका दोनों की बाढ़ के अभिशाप को झेलता है, लेकिन इसको सिंचाई की सुविधा नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। मंत्री जी को उत्तर देना है।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : मैं एक अनुशासित मैम्बर हूँ, अगर मैं श्री मुलायम सिंह जी या लालू जी की तरह होता तो बोलता रहता। .....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उन्हें मत उकसाइए।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : लेकिन मैं अनुशासित सांसद हूँ, पार्टी का और आपका डिसिप्लिन है, इसलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ बजट की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूँ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, मंत्री जी बोलेंगे।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अभी समय नहीं हैं। छः बजे हमें मांगों पर बिना चर्चा के मतदान करवाना है।

[हिन्दी]

श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह विषय बहुत संवेदनशील है तथा देश के जन-जीवन से जुड़ा हुआ है। कृपा करके इस पर अतिरिक्त समय देकर हमारी बात को सुना जाए। .....*(व्यवधान)* इस देश में 76 फीसदी आबादी किसानों की है.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया समझिए कि अभी समय नहीं है। मैं आपको समय कैसे दे सकता हूँ?

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब मंत्री जी बोलेंगे।

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : छः बजे गिलोटिन होना है, आप बोलिये या मत बोलिये।.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस बात को समझिए कि समय नहीं है।

.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : यह सरकार किसानों की दुश्मन है, यह अपने कारनामों से साबित करे कि यह दुश्मन नहीं है। इसने खाद की कीमत बढ़ाई और बहुत जद्दोजहद के बाद आठ आना प्रति किलो दोबारा से घटाई।.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री रघुवंश प्रसाद सिंह, कृपया इस बात को समझिए कि अभी समय नहीं है आपका नाम सभापति के पैनल में है।

.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : यह दुख की बात है कि आज का सारा दिन वीमेन्स रिजर्वेशन बिल पर विरोधाभास में खत्म हो गया.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। कृपया समझिए कि अभी समय नहीं है। मैं आपको समय कैसे दे सकता हूँ? छः बजे, हमें मांगों पर बिना चर्चा के मतदान करवाना है। आप यह समझने की कोशिश कीजिए।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री रघुवंश प्रसाद, कृपया बैठ जाइए।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब मंत्री जी बोलेंगे।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया बैठ जाइए। अभी समय नहीं है।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री रघुवंश प्रसाद सिंह कृपया बैठ जाइए।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब मंत्री जी बोलेंगे।

श्री सोमपाल : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि हमें उन्हें यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि 6 बजे इसके लिए आखिरी समय तय है। छः बजे गिलोटीन कर दिया जाएगा चाहे मैं बोलूं या न बोलूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिस प्रकार का घटनाक्रम पिछले तीन-चार दिन में सदन में हुआ है, कृषि जैसे महत्वपूर्ण विषय पर, जिस पर सभी पूरे सदन के सभी पक्षों और दलों ने सहमति दी है, जिसके लिए कहा जाता है कि यह देश की रीढ़ की हड्डी है, उसकी चर्चा इस सदन में नहीं हो पाई। केवल माननीय जाखड़ साहब कुछ समय बोल पाये और जिस चीज की अपेक्षा उनसे इस वातावरण में की जाती थी, वे और श्री राजवीर सिंह जी कैसा बोल पाये, यह मैं देख रहा था। केवल पांच मिनट बाकी हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि कृषि की नीति, इसके प्रशासन, इसकी प्राथमिकता, इसकी योजनाओं, उनके कार्यान्वयन सबके विषय पर पूरे चिंतन और पूरे कार्यक्रम में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस बजट का सवाल है, क्योंकि यह बजट की अनुदान की मांगों पर बहस हो रही है इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि 58 प्रतिशत की वृद्धि योजना आबंटन में करके हमारी सरकार ने एक रिकार्ड स्थापित किया है। एक वर्ष ऐसा भी था, पिछले से पिछला वर्ष, जिसमें एक गरीब किसान के बेटे के प्रधानमंत्रित्व काल में उससे पिछले वर्ष के अनुपात में 12 प्रतिशत कटौती की गई थी। गरीब किसान के प्रधानमंत्रित्व काल में पिछले वर्ष के बजट के मुकाबले उस साल 12 प्रतिशत कमी कर दी गई। हमने 58 प्रतिशत योजना व्यय में और 38 प्रतिशत कुल कृषि आबंटन की मद में वृद्धि की गई है।.....*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : सारा आंकड़ों का जाल है।

श्री सोमपाल : बजट आंकड़ों से ही चलता है। बात से नहीं चलता। इसमें हमेशा रकम का ही काम होता है। ऐसा बजट बनाना मुझे मुलायम सिंह जी से सीखना पड़ेगा जिसमें आंकड़े न हों। बजट में तो सारा आंकड़ों का ही काम है। कोई ऐसी नई तरकीब ढूंढनी पड़ेगी जिसमें बजट बनाते समय आंकड़ों की जरूरत न पड़े। यही तो आपके साथ दिक्कत है।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक जाखड़ साहब ने कृषि ऋण की बात कही, यह बात सर्वमान्य और सर्वविदित है कि भारत की कृषि पूंजी के अभाव से ग्रस्त रही है। यह साफ तौर पर व्यापक भुखमरी का मामला है और उस उसका उपाय भी यही है कि कैपीटल और पूंजी उसमें ज्यादा लगाई जानी चाहिए।.....*(व्यवधान)* इतने वरिष्ठ माननीय सांसद से ऐसी आशा नहीं की जाती है कि वे रनिंग कमेंट्री करें। माननीय मुलायम सिंह जी रनिंग कमेंट्री कर रहे हैं। मैं कैसे बोल पाऊंगा। मैं कभी किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ और न किसी को टोकता हूँ। मैं मुलायम सिंह जी का बहुत आदर करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि 500 करोड़ रुपए की राशि नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि विकास बैंक की पूंजी बढ़ाने के लिए, ग्रामीण आधारभूत ढांचे के कोष में ढाई से तीन हजार करोड़ रुपए किया जाना, अतिरिक्त सिंचाई का लाभ लेने के लिए 1500 करोड़ रुपये का आबंटन, ग्रामीण क्षेत्रीय विकास बैंक के लिए 265 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि हमारी प्रतिबद्धता है और हम 60 प्रतिशत धन ग्रामीण कृषि विकास के आबंटन के लिए प्रतिबद्ध हैं और इस दिशा में हमने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

जहां तक कृषि नीति की बात है, डॉ. जाखड़ ने बहुत महत्वपूर्ण बिन्दु उठाए हैं। डॉ. जाखड़ बहुत लंबे समय तक मंत्री रहे हैं और उन्होंने जितना भी विलाप और प्रलाप किया, उस सारे का उत्तरदायित्व उनकी 40-45 साल तक रही सरकारों का है जिन्होंने इस देश का शासन चलाया और उन्होंने सारी विकृतियां पैदा कर के कृषि को इस स्थान पर ले आईं। आप मुझसे बहुत ताने दे-दे कर पूछ रहे थे कि कितना आबंटन किया है, कितना देंगे मैं बताना चाहता हूँ कि अगर योजना के आबंटन की बात करें तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के बाद पूरे योजना के संसाधन का जितना आबंटन हुआ उसमें अनुपात के रूप में बराबर गिरावट आई है। सारे आंकड़े देख लीजिए। रीयल टर्म्स में गिरावट आती रही है। पूंजी विनिर्माण कम हुआ है।

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू (दक्षिण मद्रास) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को फसल बीमा योजना के संबंध में अवश्य कुछ कहना चाहिए। गिलोटीन करने में केवल एक मिनट रह गया है।

श्री सोमपाल : महोदय, मैंने पहले ही फसल बीमा योजना लागू करने का निर्णय ले लिया है जो कि धनराशि तथा काश्तकारी का ध्यान रखे बिना पूरे भारत में सभी कृषकों पर लागू होगा। यह ऐतिहासिक निर्णय पहली बार लिया गया है और इसे इस वर्ष से लागू किया जा रहा है।

इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं, जब तक कि श्री वसुदेव आचार्य यह इच्छा जाहिर नहीं करते कि उनके किसी कटौती को प्रस्ताव पृथक रूप से मतदान के लिए रखा जाए कृषि मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों संबंधी सभी कटौती प्रस्तावों को एक साथ सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं कृषि मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों को सभा में मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है :

''कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में कृषि मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 1 से 4 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक सभा द्वारा स्वीकृत वर्ष 1998-99 के लिये कृषि मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगें

मांग सं.	मांग का नाम	26 मार्च, 1998 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि		सदन द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांग की राशि	
		रुपये राजस्व	रुपये पूंजी	रुपये राजस्व	रुपये पूंजी
	कृषि मंत्रालय				
1.	कृषि	1201,26,00,000	6,38,00,000	3209,72,00,000	13,49,00,000
2.	कृषि और सहकारिता विभाग की अन्य सेवाएं	39,43,00,000	80,56,00,000	135,81,00,000	194,22,00,000
3.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	297,06,00,000	-	709,13,00,000	-
4.	पशुपालन और डेयरी कार्य विभाग	125,33,00,000	20,30,00,000	323,67,00,000	37,59,00,000

अपराह्न 6.00 बजे

[अनुवाद]

गिलोटीन

अध्यक्ष महोदय : अब मैं मंत्रालयों/विभागों से संबंधित शेष अनुदानों की मांगों को मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है :

''कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों/सचिवालयों से संबंधित मांग संख्या 5 से 28, 30, 31, 33 से 60, 62 से 93, 95, 96, 98 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।''

लोक सभा द्वारा स्वीकृत वर्ष 1998-99 के लिये मंत्रालयों/विभागों/सचिवालयों से संबंधित अनुदानों की मांगें

मांग संख्या	मांग का नाम	26 मार्च 1998 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि		सदन द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांग की राशि	
		रुपये राजस्व	रुपये पूँजी	रुपये राजस्व	रुपये पूँजी
1	2	3	4	5	6
	रसायन और उर्वरक मंत्रालय				
5	रसायन और पेट्रो-रसयान विभाग	78,11,00,000	9,18,00,000	41,62,00,000	45,86,00,000
6	उर्वरक विभाग	3884,36,00,000	191,83,00,000	3878,40,00,000	402,79,00,000
	नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय				
7	नागर विमानन विभाग	60,97,00,000	15,22,00,000	122,74,00,000	188,95,00,000
8.	पर्यटन विभाग	38,00,00,000	7,25,00,000	122,55,00,000	14,75,00,000

1	2	3	4	5	6
	खाद्य और उपभोक्ता कार्य मंत्रालय				
9	उपभोक्ता कार्य विभाग	6,01,00,000	16,00,000	13,28,00,000	32,00,000
10.	खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग	3635,39,00,000	6,67,00,000	5396,79,00,000	1333,00,000
11	शर्करा एवं खाद्य तेल विभाग	268,02,00,000	65,21,00,000	497,59,00,000	11140,00,000
	कोयला मंत्रालय				
12	कोयला मंत्रालय	111,78,00,000	121,66,00,000	311,96,00,000	243,31,00,000
	वाणिज्य मंत्रालय				
13	वाणिज्य विभाग	308,95,00,000	31,20,00,000	623,36,00,000	62,40,00,000
14	पूर्ति विभाग	27,44,00,000		27,82,00,000	
	संचार मंत्रालय				
	डाक विभाग	1869,99,00,000	25,66,00,000	1918,51,00,000	51,33,00,000
16	दूरसंचार विभाग	5948,45,00,000	3695,66,00,000	12195,91,00,000	7391,33,00,000
	रक्षा मंत्रालय				
17	रक्षा मंत्रालय	1014,47,00,000	9,87,00,000	1982,70,00,000	19,74,00,000
18	रक्षा पेंशन	2807,73,00,000		3115,46,00,000	
19	रक्षा सेवा-थल सेना	7674,81,00,000		14181,99,00,000	
20	रक्षा सेवा-नौसेना	1005,91,00,000		1959,82,00,000	
21	रक्षा सेवा-वायु सेना	2563,03,00,000		3341,82,00,000	
22	रक्षा आयुध कारखाने	970,89,00,000		313,14,00,000	
23	रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय		4259,88,00,000		6093,04,00,000
	पर्यावरण और वन मंत्रालय				
24	पर्यावरण और वन मंत्रालय	257,25,00,000	2,48,00,000	549,04,00,000	10,82,00,000
	विदेश मंत्रालय				
25	विदेश मंत्रालय	624,21,00,000	81,34,00,000	1267,47,00,000	147,67,00,000
	वित्त मंत्रालय				
26	आर्थिक कार्य विभाग	1478,09,00,000	34,87,00,000	1467,50,00,000	109,75,00,000
27.	करेंसी, सिक्का निर्माण और स्टाम्प	314,55,00,000	682,90,00,000	629,10,00,000	1320,81,00,000
28	वित्तीय संस्थाओं को अदायगियां	107,57,00,000	6273,76,00,000	193,24,00,000	612,07,00,000

1	2	3	4	5	6
30	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण	4347,73,00,000	458,67,00,000	9185,25,00,000	349,33,00,000
31	सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण		110,83,00,000		221,66,00,000
33	व्यय विभाग	7,90,00,000		15,48,00,000	50,00,000
34	पेंशन	1071,36,00,000		355,79,00,000	
35	लेखा परीक्षा	295,70,00,000	36,00,000	411,41,00,000	6,81,00,000
36	राजस्व विभाग	143,33,00,000	1,24,00,000	110,77,00,000	2,47,00,000
37	प्रत्यक्ष कर	296,86,00,000	41,77,00,000	469,12,00,000	83,53,00,000
38	अप्रत्यक्ष कर	383,18,00,000	87,56,00,000	617,70,00,000	175,13,00,000
	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय				
39	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	13,24,00,000	3,27,00,000	25,78,00,000	6,53,00,000
	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय				
40	स्वास्थ्य विभाग	584,39,00,000	146,69,00,000	1229,07,00,000	401,54,00,000
41	भारतीय चिकित्सा प्रणालियां एवं होम्योपैथी विभाग	26,77,00,000	17,00,000	58,32,00,000	34,00,000
42	परिवार कल्याण विभाग	743,32,00,000	20,00,000	2183,99,00,000	
	गृह मंत्रालय				
43	गृह मंत्रालय	142,80,00,000	8,20,00,000	285,60,00,000	16,40,00,000
44	मंत्रिमंडल	36,95,00,000	10,00,00,000	73,88,00,000	20,00,00,000
45	पुलिस	1849,93,00,000	148,62,00,000	3630,52,00,000	297,25,00,000
46	गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	157,81,00,000	75,64,00,000	488,63,00,000	219,76,00,000
47	संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण	114,49,00,000	95,04,00,000	238,76,00,000	219,42,00,000
	मानव संसाधन विकास मंत्रालय				
48	शिक्षा विभाग	2341,54,00,000	1,00,000	4705,25,00,000	2,00,000
49	युवा कार्य और खेलकूल विभाग	60,35,00,000	62,00,000	150,56,00,000	3,23,00,000
50	संस्कृति विभाग	117,29,00,000		183,91,00,000	
51	महिला और बाल विकास विभाग	348,30,00,000		925,93,00,000	
	उद्योग मंत्रालय				
52	औद्योगिक विकास और औद्योगिक नीति तथा संवर्धन	155,01,00,000	8,00,000	412,44,00,000	17,00,000

1	2	3	4	5	6
53	सरकारी उद्यम विभाग	1,49,00,000		2,71,00,000	
54	भारी उद्योग विभाग	24,61,00,000	88,15,00,000	37,80,00,000	228,54,00,000
55	लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग	244,23,00,000	96,98,00,000	484,71,00,000	191,83,00,000
	सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय				
56	सूचना, फिल्म तथा प्रचार	70,41,00,000	4,69,00,000	126,93,00,000	9,39,00,000
57	प्रसारण सेवाएं	673,58,00,000	155,01,00,000	1227,10,00,000	306,59,00,000
	श्रम मंत्रालय				
58	श्रम मंत्रालय	273,83,00,000	54,00,000	555,41,00,000	109,00,000
	विधि और न्याय मंत्रालय				
59	विधि और न्याय	209,29,00,000		412,57,00,000	
	चुनाव आयोग	2,50,00,000		5,00,00,000	
62	कंपनी कार्य विभाग	11,48,00,000	7,00,000	22,97,00,000	14,00,000
	खान मंत्रालय				
63	खान मंत्रालय	94,75,00,000	12,00,00,000	197,28,00,000	32,00,00,000
	गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय				
64	गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय	71,35,00,000	63,21,00,000	146,65,00,000	126,41,00,000
	संसदीय कार्य मंत्रालय				
65.	संसदीय कार्य मंत्रालय	1,39,00,000		2,79,00,000	
	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय				
66	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	60,36,00,000	1,20,00,000	102,49,00,000	2,40,00,000
	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय				
67	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	2,00,00,000		3,44,00,000	
	योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय				
68	योजना	50,40,00,000	8,31,00,000	88,98,00,000	38,31,00,000
69	सांख्यिकी विभाग	47,52,00,000	1,28,00,000	83,80,00,000	2,56,00,000
70	कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग	264,23,00,000		528,17,00,000	
	विद्युत मंत्रालय				
71.	विद्युत मंत्रालय	323,03,00,000	1041,83,00,000	790,60,00,000	1648,41,00,000

1	2	3	4	5	6
	ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय				
72	ग्रामीण विकास विभाग	964,08,00,000		1596,59,00,000	
73	ग्रामीण रोजगार और गरीबी उन्मूलन विभाग	2841,69,00,000		4441,42,00,000	
74	बंजर भूमि विकास विभाग	30,32,00,000		70,63,00,000	
	विज्ञान और प्रौद्यागिकी मंत्रालय				
75	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	234,58,00,000	16,26,00,000	344,76,00,000	32,51,00,000
76	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	227,83,00,000	1,83,00,000	404,67,00,000	3,67,00,000
77	जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	39,24,00,000	2,00,000	77,26,00,000	3,00,000
	इस्पात मंत्रालय				
78	इस्पात मंत्रालय	13,45,00,000	7,69,00,000	23,75,00,000	15,37,00,000
	भूतल परिवहन मंत्रालय				
79	भूतल परिवहन	31,48,00,000	9,01,00,000	62,52,00,000	17,03,00,000
80	सड़कें	337,11,00,000	731,17,00,000	657,73,00,000	1705,11,00,000
81	पत्तन, दीपस्तम्भ और नौवहन	108,19,00,000	109,09,00,000	217,13,00,000	218,17,00,000
	कपड़ा मंत्रालय				
82.	कपड़ा मंत्रालय	147,81,00,000	155,83,00,000	279,56,00,000	411,86,00,000
	शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय				
83	शहरी विकास	155,43,00,000	135,09,00,000	285,35,00,000	315,18,00,000
84	शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन	74,14,00,000	13,33,00,000	148,07,00,000	101,67,00,000
85	लोक निर्माण कार्य	255,75,00,000	73,34,00,000	362,50,00,000	151,51,00,000
86	लेखन सामग्री और मुद्रण	63,10,00,000	2,00,00,000	110,76,00,000	4,00,00,000
	जल संसाधन मंत्रालय				
87	जल संसाधन मंत्रालय	163,14,00,000	12,18,00,000	384,14,00,000	24,36,00,000
	कल्याण मंत्रालय				
88	कल्याण मंत्रालय	368,36,00,000	95,14,00,000	835,87,00,000	230,27,00,000
	परमाणु ऊर्जा विभाग				
89	परमाणु ऊर्जा	354,83,00,000	252,54,00,000	733,99,00,000	505,07,00,000
90	नाभिकीय विद्युत योजनाएं	406,09,00,000	310,33,00,000	812,19,00,000	620,66,00,000

1	2	3	4	5	6
	इलेक्ट्रानिकी विभाग				
91	इलेक्ट्रानिकी विभाग	52,45,00,000	6,40,00,000	138,16,00,000	17,06,00,000
	महासागर विकास विभाग				
92	महासागर विकास विभाग	35,83,00,000	33,00,000	70,67,00,000	67,00,000
	अन्तरिक्ष विभाग				
93	अन्तरिक्ष विभाग	535,38,00,000	67,18,00,000	870,54,00,000	134,35,00,000
	राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उप-राष्ट्रपति का सचिवालय				
95	राज्य सभा	12,69,00,000		25,37,00,000	
96	लोक सभा	22,19,00,000		44,39,00,000	
	राष्ट्रपति का सचिवालय	23,00,000	...	47,00,000	...

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 6.05 बजे

[अनुवाद]

विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक*

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विनियोग विधेयक पर चर्चा करेगी।

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1998-99 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1998-99 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-2, दिनांक 14.7.98 में प्रकाशित।

श्री यशवन्त सिन्हा : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।**

अध्यक्ष महोदय : अब मंत्री जी यह प्रस्ताव कर सकते हैं कि विधेयक पर विचार किया जाए।

श्री यशवन्त सिन्हा : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1998-99 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1998-99 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

.....(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैंने इस विनियोग विधेयक पर बोलने के लिए दस बजे से पहले नोटिस दिया है। मैंने उन मुद्दों का भी उल्लेख किया है जिनको मैं उजागर करना चाहूंगा।

महोदय, इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी लिमिटेड का आधुनिकीकरण का कार्य गत काफी वर्षों से लंबित पड़ा है। भारत

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

सरकार द्वारा इस कम्पनी का अधिग्रहण किया गया था और फिर बाद में वर्ष 1977 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। तब से इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी लिमिटेड के आधुनिकीकरण पर एक भी पैसा खर्च नहीं किया गया। यह हमारे देश का प्रमुख इस्पात संयंत्र है। इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी लिमिटेड का आधुनिकीकरण करने के संबंध में अनेक प्रस्ताव प्राप्त हुए। रूस के 'इसको' (आई.आई.एस.सी.ओ.) फंड का उपयोग करने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और पश्चिम बंगाल सरकार ने भी एक प्रस्ताव भेजा है। पहली बार स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच संयुक्त उद्यम लगाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिनमें अपनी अपनी शेयरपूंजी लगाने और अपने-अपने कर्मचारियों की नियुक्ति करने की स्थिति पर सहमति बन गई है।

महोदय, इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी का मामला पहले ही बी.आई.एफ.आर. को भेज दिया गया है और यह मामला बी. आई.एफ.आर. के पास लंबित पड़ा है। हमारे देश में इस्पात का उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है। इस इस्पात संयंत्र की अपनी कच्चे लोहे की खानें तथा अपनी कोयला खानें हैं। सर्वोत्तम धावनशालाओं में से एक धावनशाला इसके पास है। उसमें 25,000 से अधिक कर्मचारी और 3000 ठेका श्रमिक कार्यरत हैं। हमारे देश के इस प्रमुख इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण करने के लिए यूनियन, भारत सरकार तथा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच एक करार हुआ था। लेकिन बजट में इसके लिए एक पैसे का भी प्रावधान नहीं किया गया। मैं वित्त मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि सरकार इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड के आधुनिकीकरण के संबंध में क्या निर्णय ले रही है।

अब, मैं अपने देश के एक प्रमुख इंजीनियरिंग उद्योग, दुर्गापुर के माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन के पुनरुद्धार के बारे में कहूंगा। उसमें 4000 से अधिक कर्मचारी हैं और यह उद्योग भूमिगत खनन तथा कोयला धावन मशीनरी का निर्माण करता है। ट्रेड यूनियनों और प्रबन्धन दोनों ओर से कई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं परंतु इस महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग उद्योग को पुनरुज्जीवित करने के लिए अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। पिछले चार महीनों से इस इकाई के मजदूरों, कर्मचारियों और स्टाफ को अपना वेतन नहीं मिल रहा है।

हिन्दुस्तान स्टील कन्स्ट्रक्शन लि. भी इस्पात मंत्रालय के अधीन है। यह जानकर आश्चर्य होता है कि निजी ठेकेदारों को कार्य मिल रहा है। निजी ठेकेदारों को ठेके दिए जा रहे हैं परन्तु इस्पात मंत्रालय की यह इकाई डूब रही है। परन्तु यह संकट बढ़ता जा रहा है। इसके कर्मचारियों को पिछले कई महीनो से वेतन नहीं मिल रहा है यद्यपि इस उपक्रम का मामला बी.आई.एफ.आर. को सौंपा गया है।

मैं इस इकाई के पुनरुद्धार के सम्बन्ध में शीघ्र कदम उठाने के लिए मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ।

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण इकाई है। यह उद्योग इस समय उद्योग मंत्रालय के अधीन है। हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड के हस्तांतरण का प्रस्ताव है क्योंकि यह उद्योग आप्टीकल फाइबर का उत्पादन करता है जिसकी आवश्यकता दूर संचार में पड़ती है। इस उद्योग को उद्योग मंत्रालय से संचार मंत्रालय को हस्तांतरित किए जाने का प्रस्ताव है। इस उद्योग के पुनरुद्धार के सम्बन्ध में ठोस कदम उठाए जाने चाहिए।

एक और दूसरी महत्वपूर्ण बात भारतीय स्टेट बैंक के विदेशी मुद्रा विभाग से अन्तर्बैंक लेन-देन को कलकत्ता से मुम्बई स्थानान्तरित करना है। इस बात का पता प्रधानमंत्री तथा वित्त मंत्री दोनों को है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री से मुलाकात की थी। स्टेट बैंक के प्रबन्धन द्वारा अन्तर्बैंक लेन-देन को कलकत्ता से मुम्बई स्थानान्तरित करने के लिए यह कारण बताया गया कि कलकत्ता में किसी भी प्रकार की अन्तः बैंकीय लेन-देन नहीं होता है। परन्तु आधुनिकीकरण की कोई समस्या नहीं है क्योंकि कुछ करोड़ रुपए खर्च कर भारतीय स्टेट बैंक, कलकता का आधुनिकीकरण किया गया है।

इसीलिए मैं मांग करता हूँ कि कलकत्ता से मुम्बई को अन्तः बैंक लेन-देन का हस्तांतरण नहीं किया जाना चाहिए।

श्री यशवन्त सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री बसुदेव आचार्य का आभारी हूँ कि उन्होंने सभा का ध्यान इन समस्याओं की ओर आकर्षित किया। जोकि यह दर्शाती हैं कि इस सरकार को उत्तराधिकार के रूप में किस प्रकार की सम्पत्ति मिली। यदि मैं केवल कुछ मुद्दों को स्पष्ट करूँ तो 1992 में एम.ए.एम. सी. का मामला बी.आई.एफ.आर. को सौंपा गया था और तत्कालीन सरकार बी.आई.एफ.आर. की सिफारिश पर कुण्डली मार कर बैठ गयी थी। इस पर कुछ भी कार्यवाही नहीं की गई थी। यह सरकार, जिसे बसुदेव आचार्य की पार्टी बाहर से समर्थन दे रही थी या खींच रही थी, दो साल सत्ता में रही थी। परन्तु वे कुछ महत्वपूर्ण कार्य कर ही पाए थे कि इसी बीच कुछ लोग इस मामले को न्यायालय में ले गए।

अब यह मामला वहां लम्बित पड़ा है। जहां तक आई.आई. एस.सी.ओ. का सम्बन्ध है, इसे 1944 में बी.आई.एफ.आर. को सौंपा गया था.....*(व्यवधान)* मैं इसकी बाद में चर्चा करूंगा। इसके लिए एक पैकेज तैयार किया गया। तत्कालीन सरकार ने नवम्बर 1995 में आई.आई.एस.सी.ओ. के पुनरुद्धार के लिए बजटीय सहायता प्रदान किए जाने में अपनी असमर्थता व्यक्त की और इन वर्षों से यह मामला लम्बित पड़ा है.....*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : आप क्या कार्रवाई करेंगे..... *(व्यवधान)*

श्री यशवन्त सिन्हा : कृपया धीरज रखें। मैंने आपकी बातों को बहुत ही ध्यान से सुना है.....*(व्यवधान)*

यही बात एच.एस.सी.एल. के साथ है जो कि कठिनाइयों का सामना कर रही है। अब मैं स्पष्ट करूंगा कि सरकार की नीति क्या है जिसे मैंने बजट भाषण में प्रतिपादित किया था। सरकार की नीति स्पष्ट रूप से ऐसी सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को

[श्री यशवन्त सिन्हा]

पुनरुद्धार करने की है जिनका कि पुनरुद्धार किया जा सके। हम अपनी क्षमता के भीतर वे सारे कार्य करेंगे जिससे यह सुनिश्चित हो कि हम उन इकाइयों को घाटे से उबार पाएंगे और उनमें उत्पादन फिर से शुरू हो जाएगा.....*(व्यवधान)*

जहां तक एम.ए.एम.सी. का सम्बन्ध है हम मई के महीने तक का वेतन दे चुके हैं। एच.एस.सी.एल. के मामले में कुछ बकाया है। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है कि मजदूरों को देय राशि देनदारी आदि का पूरा निपटान हो जाये। परंतु हमें बड़ी संख्या में रुग्ण सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की दुःसाध्य समस्या उत्तराधिकार में मिली है। इसी कारण, इस सरकार ने यह भी निर्णय किया कि जहां कहीं भी ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का पुनरुद्धार असम्भव हो तो हम एक स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना लाएंगे जोकि मजदूरों के लिए काफी आकर्षक होगी और यह योजना उन्हें अपनी जीविका को चलाने में सक्षम बनाएगी .....*(व्यवधान)*

श्री मुरली देवरा (मुम्बई-दक्षिण) : आप जिनका पुनरुद्धार नहीं कर सकते हैं तो उनका निजीकरण क्यों नहीं करते हैं?... *व्यवधान)*

श्री यशवन्त सिन्हा : यह दूसरा भाग है। महोदय, मैं सभा को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि यह सरकार जो होता है होने दो की नीति पर नहीं चलेगी। हम मामलों को वर्ष-दर-वर्ष लम्बित नहीं रहने देंगे और निर्णय लिए बगैर नहीं रहेंगे। हम प्रत्येक मामले में निर्णय लेंगे। हम सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का इकाई दर इकाई विश्लेषण करेंगे और प्रत्येक इकाई के सम्बन्ध में उचित निर्णय लेंगे।

जहां तक भारतीय स्टेट बैंक का मामला है मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय स्टेट बैंक एक स्वायत्त संगठन है। यह वाणिज्यिक आधारों पर कार्य करता है। सरकार का किसी बैंक के वाणिज्यिक संचालन में हस्तक्षेप करने की कोई मंशा नहीं है.....*(व्यवधान)*

श्री वसुदेव आचार्य : यदि इसे कलकत्ता से मुम्बई स्थानान्तरित किया जाता है तो पूरा-का-पूरा पूर्वी भारत के निवासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा.....*(व्यवधान)*

श्री यशवन्त सिन्हा : श्री आचार्य आपकी बात पूरी तरह गलत है। केवल अतः बैंक संचालन, जोकि राजकोष संचालन का बहुत ही छोटा-सा हिस्सा है, को मुम्बई स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव है। भारतीय स्टेट बैंक के बाकी सारे संचालन कलकत्ता में ही रहेंगे। मैं यही आश्वासन दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1998-99 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : सभा अब खण्डवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 4 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गयी।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री यशवन्त सिन्हा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : कार्यसूची में कुछ भी बाकी नहीं बचा है।

सभा कल 15 जुलाई, 1998 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 06.20 बजे

तत्पश्चात लोक सभा बुधवार, 15 जुलाई 1998/24 आषाढ़, 1920 (शक) के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।